अष्टम माला, खंड 46, अंक 7

Tuesday, 2nd May, 1989

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B..60
Date....5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 2 मई, 1989/12 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
37	2	(घ) के स्थान पर (ग) पढ़िये ।
67	2	मंत्री के नाम के पश्चात (क) और (ख) अंत: स्थापित करिये ।
89	18	"पाणिग्रीही" के स्थान पर "पाणिग्रही" पढ़िये ।
117	नीचे से 11	प्रश्न संख्या "76575" के स्थान पर "7675" पढ़िये ।
131	2	शीर्षक में "विभोगेत्तर" के स्थान पर "विभागेत्तर" पढ़िये ।
156	19	(क) से (घ) के स्थान पर (क) से (ग) पढ़िये
157	नीचे से 6	"है" के स्थान पर "में" पढ़िये ।
161	4	"गिरधार" के स्थान पर "गिरिधार" पढ़िये
163	नीचे से 9	(च) के स्थान पर (घ) पढ़िये ।
163	4	(क) और (ग) के स्थान पर (ख) और (ग) पढ़िये ।
192	नीचे से 13	(ख) के स्थान पर (घ) पढ़िये ।
208	नीचे से 10	'हन्नाम" के स्थान पर "हन्नान" पढ़िये
212	नीचे से 4	"याचका" के स्थान पर "याचिका" पढ़िये ।
295	नीचे से 3	"सेठ" के स्थान पर "सेट" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 49, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 40, मंगलवार, 2 मई, 1989/12 वैशाख, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 800, 802, 805, 808, 810, 816 और 818	1-24
प्रश्नों का लिखित उत्तर :	77-384
तारांकित प्रश्न संख्या : 801, 803, 806, 807, 809, 811, 813, 815, 817 और 819	24-31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7595 से 7794	31-203
सभापटल पर रखे गए पत्र	209-212
नियम समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	212
याचिका समिति	
8वां प्रतिवेदन	212
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87	
विवरण	213
विधेयक पुरःस्थापित	
(एक) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	213
(दो) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	213
(तीन) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक	214
(चार) संविधान (तिरसठवां संशोधन) विधेयक	214

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार, 2 मई, 1989/12 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सुपर ताप विद्युत केन्द्र

[अनुवाद]

*800. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) इन विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में कोई नये सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सुपर ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा विभिन्न विद्युत ग्रिडों को उपलब्ध कराई जा रही बिजली का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अपेक्षित ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र में 500 मेगावाट का एक अतिरिक्त यूनिट और रिहन्द तथा विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्रों में प्रत्येक में 500-500 मेगावाट के दो अतिरिक्त यूनिटों को स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अपेक्षित ब्योरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सिंगरौली तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड को 11507 मिलियन यूनिट, कोरबा तथा विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से पश्चिमी क्षेत्रीयग्रिड को 8026 मिलियन यूनिट, रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड को 4783 मिलियन यूनिट और फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र से पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड को 1314 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई की गई।

अनुबंध-1

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों का ब्योरा

क्र० सं०	नाम (अनुमोदित क्षमता)	स्थल	31-3-1989 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2000 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला	2000
2.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2000 मेगावाट)	मध्य प्रदेश में बिलासपुर जिला	2100
3.	रामगुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2100 मेगावाट)	आन्ध्र प्रदेश में करीमनगर जिला	1600
4.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र (1600 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल में मुर्शीदाबाद जिला	600
5,	विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (1260 मेगावाट)	मध्य प्रदेश में सिद्धी जिला	630
6.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (1000 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला	500
7.	कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र (840 मेगावाट)	बिहार में भागलपुर जिला	—
8.	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत केन्द्र (840 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला	—

1	2	3	4
9.	तलचेर सुपर ताप विद्युत केन्द्र (1000 मेगावाट)	उड़ीसा में धेनकनाल जिला	—
		जोड़	7430

अनुबंध-2

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा नई ताप विद्युत परियोजनाओं (विस्तार परियोजनाओं को छोड़कर) के लिए तैयार किए गए व्यावहार्यता प्रतिवेदन

क्र०सं०	नाम	स्थल	क्षमता (मेगावाट)
1.	यमुना नगर ताप विद्युत केन्द्र	हरियाणा में अम्बाला जिला	840
2.	कामयकुलम सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक	केरल में ऐल्लपी जिला	420
3.	मंगलौर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक	कर्नाटक में दक्षिण कन्नारा जिला	420
4.	उत्तरी करनपुरा सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक	बिहार में रांची जिला	1000
5.	चन्द्रपुर सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक	महाराष्ट्र में चन्द्रपुर जिला	1000
6.	मनुगुरु सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-एक	आन्ध्र प्रदेश में खम्माम जिला	1000

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह मेरी इच्छानुसार ही है, जो मैंने चाहा था। मान्यवर, उत्तरोत्तर इनकी कैपेसिटी में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में मैंने ऊर्जा मंत्री, साठे जी, को सुना है, उन्होंने यह कहा कि इस वर्ष बिजली की कैपेसिटी रहते हुए भी हम टार्गेट्स उतना नहीं कर पाए, क्योंकि डिमांड में कमी रही। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो पावर की कमी है वह इस कारण से भी है कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं वे एन० टी० पी० सी० या हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उतनी पावर नहीं दे पातीं जितनी कि वे उत्पादन करके दे सकती हैं। परिणामस्वरूप एन० टी० पी० सी० को जो कार्य सौंपा गया है वह पूरा नहीं हो पाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप वर्तमान परिस्थिति में जबकि पावर की शार्टेज है और देश में पावर की कमी को दूर करने की केपेसिटी है लेकिन उसे यूटिलाईज

हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कभी उत्पादन करके नहीं देती है, कभी ट्रांसमीशन लाईन में दिक्कत हो जाती है, तो क्या आप सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के बारे में, खास तौर पर ट्राईबल इलाकों और बेकवर्ड इलाकों के बारे में सन् 1948 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में संशोधन करेंगे जिससे कि आपके पास पावर हो कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे तो आप कंज्यूमर को देकर के एन० टी० पी० सी० के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय पनिका जी ने जो सुझाव दिया है, वह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम प्यारे पनिका : मान्यवर खाली विचाराधीन होने से काम नहीं चलेगा। आप पिछले सालों के नतीजे देखते हुए क्या जल्दी से जल्दी, अगले सत्र में ही इस पर अमेंडमेंट लाएंगे ? मैं जानना चाहता हूं। हमारे जो लक्ष्य हैं वह एन० टी० पी० सी० ने करीब करीब सब जगह प्राप्त कर लिये हैं। मैं चाहता हूं कि वर्तमान कमी को देखते हुए और खास कर इस बात को देखते हुए कि देश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में असमर्थ हैं। हमारी वेस्ट बंगाल सरकार आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बढ़ा पा रही है, इसी तरह से कुछ दूसरी राज्य सरकारें भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 62.2 पी० एल० एफ० बिजली का उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। यह राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। दोनों ही तरह की राज्य सरकारें हैं। क्या आप इस सबको देखते हुए, देश के समग्र विकास के लिए आने वाले वर्षों में नये सुपर थरमल पावर स्टेशनों की स्थापना करने जा रहे हैं ? यदि करने जा रहे हैं तो पूरी योजना क्या है और आप कितनी केपेसिटी बढ़ायेंगे, कितना एक्सपेंशन होगा और नयी योजनाएँ क्या हैं ? यह जानना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ राय : उपाध्यक्ष महोदय, यमुनानगर हरियाणा में 840 मेगावाट, कायमकुलम, केरल में प्रथम चरण में 420 मेगावाट, (फिर 2700 मेगावाट), मेंगलौर कर्नाटक में पहले 420 मेगावाट (और फिर 2400 मेगावट), नार्थ करनपुरा, बिहार में पहले 1000 मेगावाट (और फिर 3000 मेगावाट), चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में पहले 1000 मेगावाट और फिर 2000 मेगावाट और आन्ध्रप्रदेश के मानुगेरू में पहले 1000 (और फिर 1000 मेगावाट) के थरमल पावर स्टेशन इन राज्यों में बन रहे हैं और इनके बन जाने पर देश में बिजली की समस्या हल हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू : विशेषकर दक्षिण भारत में ताप विद्युत की अपेक्षा, पन बिजली अधिक है और इसलिए मांग और पूर्ति में असंतुलन है। इस सदन में हाल ही में एक प्रश्न उठा था जो मेगावाट बढ़ाए जाने के बारे में था और इसमें कहा गया था कि आन्ध्रप्रदेश को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल 1200 अतिरिक्त मेगावाट बिजली दी जानी चाहिए। क्या इस मात्रा को बढ़ाकर कम से कम 3000 मेगावाट या इससे कुछ अधिक किया जाएगा क्योंकि मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और आन्ध्र प्रदेश में अधिक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है, अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार का काम है कि वह विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाएं तैयार करे। किन्तु केन्द्रीय सरकार देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। हाल ही में रामागुण्डम में सबसे बड़े ताप विद्युत केन्द्र में 500 मेगावाट का यूनिट चालू किया गया है। मनुगुरु सुपर ताप विद्युत केन्द्र भी विचाराधीन है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मंजूरी देनी है। पी० आई० बी० ने भी अभी मंजूरी देनी है। योजना आयोग ने अपनी मंजूरी देनी है। कोयले की सप्लाई भी सुनिश्चित करनी है। इन सभी परियोजनाओं के तैयार होने के पश्चात् ही हम आन्ध्र प्रदेश और दक्षिणी क्षेत्र को अधिक बिजली दे पाएंगे।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या, बिजली की कमी वाले राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर नेशनल ग्रिड से बिजली सप्लाई की जाती है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा राज्य में बिजली की भारी कमी चल रही है जिसके कारण बिजली की आठ घण्टे कटौती की जा रही है। क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उसे केरल और कर्नाटक राज्यों की भांति नेशनल ग्रिड से 15 प्रतिशत आरक्षित विद्युत की सप्लाई की जाए ? उड़ीसा राज्य में बिजली की भारी कमी को दूर करने के लिए इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री कल्पनाथ राय : नेशनल ग्रिड स्थापित करने का प्रश्न केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार पारेषण निगम बनाने के बारे में भी विचार कर रही है। उड़ीसा में बिजली की कमी है। उड़ीसा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 3000 मेगावाट (अन्तिम) क्षमता का एक ताप विद्युत केन्द्र मंजूर किया है और प्रधान मंत्री 15 मई को उड़ीसा में इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। इस परियोजना के पूरा होने पर उड़ीसा में बिजली की कमी की समस्या हल हो जाएगी।

पेट्रोल के साथ अल्कोहल का उपयोग

*802. **डा० वी० विजय रामा राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्कोहल का बाहुल्य हो जाने के कारण इसका निर्यात करना पड़ रहा है तथा यह मद्य-निर्माताओं के लिए भी समस्या का कारण बन रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस फालतू अल्कोहल का पेट्रोल के साथ उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत में किया गया था तथा इस समय भी पेट्रोल इंजनों में कोई परिवर्तन किये बिना अनेक देशों में इसका उपयोग साधारणतया किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। आसवनियों के पास उपलब्ध कुछ फालतू मात्रा का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब देश में पेट्रोल की कमी थी तो भारत में अल्कोहल का पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण में प्रयोग किया जाता था। पेट्रोलियम मंत्रालय इस समय अल्कोहल को पेट्रोल में सम्मिश्रित करने की अनुमति देना आवश्यक नहीं समझता है। अल्कोहल एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और उसका प्रयोग मूल्यवर्धित रसायनों के विनिर्माण के लिय किया जा रहा है। इसका तभी निर्यात किया जा रहा है जब यह देश की आवश्यकताओं से अधिक होता है।

डा० जी० विजय रामा राव : महोदय, मंत्री जी ने अपने विवरण में बताया है कि अल्कोहल एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और हमारे देश मे इसका प्रयोग मूल्यवर्धित रसायनों के निर्माण में किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि आसवनियों के पास उपलब्ध कुछ फालतू मात्रा का निर्यात भी किया जा रहा है। इसलिए, इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देश में अल्कोहल की कितनी मात्रा उपलब्ध है और क्या मूल्यवर्धित रसायन उद्योग के लोगों को उनके इस्तेमाल के लिए अल्कोहल का पूरा कोटा मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि हमें अल्कोहल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। क्या यह मात्रा उस विदेशी मुद्रा के समान है जो हम विदेशों से पेट्रोलियम का आयात करने पर खर्च कर रहे हैं?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न पेट्रोलियम के आयात के बारे में है। हम पेट्रोलियम का आयात नहीं कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर पेट्रोलियम मंत्री द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर में दे दिया गया था जो इस प्रकार है :

> "इस समय देश में पेट्रोल का उत्पादन जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए पेट्रोल में अल्कोहल को वाहनों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने को कोई योजना विचाराधीन नहीं है।"

पेट्रोलियम मंत्री द्वारा यह उत्तर दिया गया था।

जहां तक अल्कोहल के उत्पादन का संबंध है हमारे यहां इसका फालतू उत्पादन है। हमारी घरेलू जरूरत पूरी हो रही है। हम अन्य देशों को इसका निर्यात भी कर रहे हैं। वास्तव में मार्च 1989 तक 223.60 लाख लिटर का निर्यात किया गया जिससे 8.21 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 1200 लाख लिटर के अनुमत निर्यात से 50 करोड़ रुपए की कुल विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है। इस वर्ष पिराई का मौसम बहुत अच्छा है। हमें और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अल्कोहल है। हम अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को अधिक आशय पत्र दे रहे हैं ताकि वे देश में अधिक अल्कोहल के प्रयोग से रसायन तैयार करके विदेशों को इसका निर्यात कर सकें।

डा० जी० विजय रामा राव : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि हमारे पास काफी

बड़ी मात्रा में अल्कोहल है जबकि पेट्रोल के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, अल्कोहल के लिए कच्चा माल गन्ना है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। अल्कोहल का उपयोग करने तथा भविष्य में किसानों को लाभकारी मूल्य देने के उद्देश्य से क्या मंत्री महोदय अल्कोहल का आटोमोबाईल उद्योग में इस्तेमाल करने के लिए नई प्रौद्योगिकी विकसित करेंगे।

श्री जे० वेंगल राव : वह एक ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जो 50 वर्ष पुराना है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है क्योंकि वह उस समय पैदा नहीं हुए थे **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए वह इस बारे में जानने के इच्छुक हैं।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : उस समय बसों को चलाने के लिए तारकोल को भी उपयोग में लाया जाता था। यह पुराने समय की बात है और उस समय वे पैदा नहीं हुए थे। वे एक नवयुवक हैं,

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो अपना उत्तर दिया है, उससे कम से कम मैं तो संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि सारे देश में गन्ने की पैदावार बेइंतहा बढ़ती चली जा रही है और हमारी सरकार तमाम किसानों की मांग को देखते हुए सारे देश में जहां गन्ने की पैदावार होती है, फैक्ट्रीयां लगा रही है। उन्हीं फैक्ट्रीयों की श्रृंखला में अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्रीयां भी लगती चली जा रही हैं चाहे वह इंडस्ट्रीय अल्कोहल बनाती हों या शराब पीने के लिए बनाती हों, जिससे जनस्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोग जगह-जगह इंडस्ट्रीयल अल्कोहल पीकर मर रहे हैं तथा लोगों की शराब पीने की आदत बढ़ती चली जा रही है। कई बार उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि अल्कोहल और इंडस्ट्रीयल अल्कोहल जहां बनाया जाता है, उसी जगह हम बाहर से तकनीक का आयात करके इंडस्ट्रीयल अल्कोहल और शराब की जगह पर पैट्रो-कैमिकल क्यों नहीं बना सकते हैं जो पैट्रोल में मिलाकर गाड़ियों को चला सकें। माननीय मंत्री जी इस विषय में अपने विचार बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : हम इस अल्कोहल का उपयोग रसायनिक कार्यों के लिए कर रहे हैं। हमारे सदन में कुछ सदस्य आन्ध्र प्रदेश से हैं। हमने इस बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार को कहा था। परन्तु वे इस अल्कोहल को रसायनिक उद्योगों को देने के इच्छुक नहीं हैं। वे इस मद्य व्यापार से 600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर रहे हैं जोकि सम्पूर्ण देश में सबसे अधिक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह : प्रश्न कुछ और था, उत्तर कुछ और ही दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री जे० वेंगल राव : हमारे पास शीरा और अल्कोहल फालतू है। अब हम शीरा और अल्कोहल का निर्यात कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : विश्व के बहुत से विकसित देशों द्वारा, जिनमें ब्राजील भी सम्मिलित है, यह प्रमाणित किया जा चुका है कि वे अल्कोहल को पैट्रोल में मिलाकर उसे उपयोग में ला रहे हैं। वे यह दावा करते हैं कि पैटोल में अल्कोहल मिलाने से उसके प्रदूषक अंश कम हो जाते हैं। देश में हम प्रति वर्ष यह अनुमान लगाते रहे हैं कि क्या मद्य निर्माणशालाओं को बन्द किया जायेगा क्योंकि सरकार उनके उत्पाद को उठाने की मांग नहीं कर रही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है। एक ओर हमारे देश में अल्कोहल का अतिरिक्त उत्पादन किया जा रहा है जबकि दूसरी ओर हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेशों से पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं। अतः मुझे इस तर्क में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती कि प्रदूषण में कमी को ध्यान में रखते हुए अल्कोहल को, जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पैट्रोल में नहीं मिलाया जायेगा।

श्री जे० वेंगल राव : इस प्रश्न के दो पूरक प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पैट्रोल में अल्कोहल मिलाने के बारे में है और दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में वे लोग अल्कोहल को नहीं उठा रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर पैट्रोलियम मंत्री द्वारा दिया जा चुका है। नवम्बर, 1988 में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि वर्तमान समय में देश में पैट्रोलियम का उत्पादन उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार पैट्रोल में अल्कोहल मिलाने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है। ऐसा करना बहुत महंगा भी है। दो वर्ष पहले हम औद्योगिक अल्कोहल का आयात कर रहे थे। सौभाग्य से अब बरसात अच्छी हुई है। इसलिए अब हम अल्कोहल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर रहे हैं और हम इसका उपयोग कर रहे हैं।

हम इसे उत्तर प्रदेश से भी उठा रहे हैं। इस वर्ष हमने इसे उठाकर इसका निर्यात किया है। हमने विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की है।

उत्तर-पश्चिमी राज्यों में "स्टोर एण्ड फारवर्ड टेलीग्राफ सिस्टम" लागू करना

*805. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिमी राज्यों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़ में "स्टोर एण्ड फारवर्ड टेलीग्राफ सिस्टम" शुरू करने के कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक राज्य में किन-किन केन्द्रों पर इसे लागू किया गया है और कब से लागू किया गया है तथा प्रत्येक राज्य में इन प्रमुख केन्द्रों से कितने तारघरों को जोड़ा गया है;

(ग) सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में इस प्रणाली के लागू किये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों पर इसे इस वर्ष लागू किया जायेगा/इसका विस्तार किया जायेगा; और

(घ) परम्परागत "मोर्स कोड" की तुलना में "स्टोर एण्ड फारवर्ड टेलीग्राफ सिस्टम" के क्या लाभ हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अम्बाला और चंडीगढ़ में 1988-89 के दौरान स्टोर एंड फारवर्ड तार प्रणालियां चालू की जा चुकी हैं । शिमला तथा जम्मू-तवी के लिए उपस्कर प्राप्त हो गए हैं और उनका संस्थापन किया जा रहा है ।

चालू किए जाने की तारीख तथा लिंक किए गए तारघरों की संख्या अनुबन्ध-1 और अनुबन्ध-2 में दी गई है ।

कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

हिमाचल प्रदेश	—	शिमला
जम्मू तथा कश्मीर	—	जम्मू तवी

माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित एस० एफ० टी० प्रणाली स्वतः ट्रांजिट ट्रैफिक को संचालित करती है जिसके कारण तारों में ट्रांजिट विलम्ब कम होता है ।

अनुबन्ध-1

राज्य का नाम	:	पंजाब/चंडीगढ़
केन्द्र का नाम	:	चंडीगढ़
चालू करने की तिथि	:	30-3-1989

निम्नलिखित तारघर इस केन्द्र के साथ जुड़े हुए हैं :—

1. चंडीगढ़ (2 टर्मिनल)
2. चंडीगढ़ सेक्टर-27
3. नांगल
4. फिरोजपुर
5. मोगा
6. लुधियाना

7. लुधियाना-मिलेरगंज
8. अमृतसर
9. जालन्धर
10. पठानकोट
11. होशियारपुर
12. अम्बाला (इण्टर एस० एफ० टी०)
13. शिमला (इण्टर एस० एफ० टी०)

अनुबन्ध-2

राज्य का नाम	:	हरियाणा
केन्द्र का नाम	:	अम्बाला
चालू करने की तिथि	:	30-3-1989

निम्नलिखित तारघर इस केन्द्र के साथ जुड़े हुए हैं :

1. अम्बाला (2 टर्मिनल)
2. अम्बाला सिटी
3. हिसार
4. भिवानी
5. सोनीपत
6. कुरुक्षेत्र
7. करनाल
8. पानीपत
9. यमुना नगर
10. राजपुरा
11. पटियाला
12. चंडीगढ़ (इण्टर एस० एफ० टी०)
13. शिमला (इण्टर एस० एफ० टी०)

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैंने वक्तव्य को पढ़ा है परन्तु मुझे इसमें उन टेलीग्राम कार्यालयों के नामों का पता नहीं चला है जिन्हें "एस० एफ० टी०" स्थापित किए जाने पर शिमला और जम्मू से जोड़ा जाएगा।

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : मान्यवर, जम्मू में जम्मू के कस्बे के जो मेन तार हैं वे जम्मू तवी से जोड़े जायेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो मेन तार हैं वे शिमला से जोड़े जायेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : "मेन तार" की परिभाषा क्या है ? क्या इसका अभिप्राय यह है कि इसमें सभी जिला मुख्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें क्रमश: शिमला और जम्मू से जोड़ा जाएगा ? यदि हां, तो ऐसा किस तारीख तक किया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री वीर बहादुर सिंह : जो बड़े जिला मुख्यालय होते हैं, दूसरे जो बड़े टाउन होते हैं या सेंटर हैं जहां टेलीग्राम ज्यादा होते हैं इनके साथ जोड़ने पर मेन होते हैं।

आंध्र प्रदेश में टी० वी० ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

*808. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुछ कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटरों की शक्ति सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दूरदर्शन की सातवीं योजना के भाग के रूप में, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और तिरूपति में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटरों द्वारा बदलने का काम कार्यान्वयनाधीन है। इन परियोजनाओं को स्थापित करने में अनुमानित पूंजी लागत का ब्यौरा तथा मार्च, 1989 तक हुए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

परियोजना	पूंजी लागत	किया गया खर्च
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, अनन्तपुर	254.00	97.55
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तिरूपति	260.00	78.46

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : सम्पूर्ण सातवीं योजना में केवल दो केन्द्रों—अनन्तपुर और तिरूपति में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा बदलने का काम चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में स्थापित अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या कितनी है और संपूर्ण सातवीं योजना के दौरान केवल इन दो केन्द्रों को ही इस कार्य के लिए क्यों लिया गया है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ कोई भेदभाव किया गया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : आन्ध्र प्रदेश में पहले ही 16 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर हैं और हमने परसों ही आदिलाबाद में 17वें अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा बदलना एक आयोजित और क्रमिक प्रक्रिया है और जैस कि मुख्य उत्तर में कहा गया है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बदला जा रहा है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश देश के ऐसे दो राज्य में से एक है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा अर्थात् तेलगू में क्षेत्रीय प्रसारण का लाभ समग्र रूप से दिया गया है। महाराष्ट्र देश का ऐसा दूसरा राज्य है जिसमें समग्र रूप से क्षेत्रीय प्रसारण की सुविधा दी गई है। सातवीं योजना के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में प्रसारण सुविधा बढ़कर 69 प्रतिशत हो जाएगी और यदि आप इसकी तुलना अन्य राज्यों से करें तो आपको पता चलेगा कि देश में टेलीविजन की मूलभूत सुविधाओं के बारे में आन्ध्र प्रदेश को जितनी सुविधायें दी जानी चाहिए थीं, उससे कहीं अधिक सुविधायें उसे दी गई हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में टेलीविजन की बहुत मांग है और लोग 'डिश-एण्टीना' का उपयोग कर रहे हैं जिसकी लागत टी० वी० धारावाहिक देखने वालों के लिए 2 हजार अथवा 3 हजार रुपये पड़ती है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अनन्तपुर में इस उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को कब तक पूरा करने की योजना है। क्या इस कार्य को निर्धारित समय के अन्तर्गत ही पूरा कर लिया जायेगा, क्योंकि आबंटित धनराशि में से अब तक कुल 40 प्रतिशत से भी कम धनराशि खर्च की गई है। क्या इस धनराशि को योजना के अनुसार ही खर्च किया जाएगा और क्या इस उच्च शक्ति ट्रांसमीशन केन्द्र को इसकी योजना अवधि के दौरान ही चालू कर दिया जायेगा ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मुख्य बात यह है कि उच्च शक्ति प्रसारण के कार्यान्वयन के लिए दो से तीन वर्षों का 'लीड' समय दिया गया है। अनन्तपुर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का काम कार्यान्वयनाधीन है। इसे आठवीं योजना के आरम्भ तक पूरा कर लिया जाएगा।

श्री एच० ए० डोरा : आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम एक पिछड़ा जिला है; जिसमें 95 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग से हैं। हाल हीं में मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की है कि श्रीकाकुलम जिले में एक टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि इसे कब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

क्या मन्त्री महोदय ने श्रीकाकुलम जिले में कोई ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कोई कार्य वाही की है ? सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : श्रीकाकुलम जिले में सातवीं योजना अवधि के दौरान ही एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किया जायेगा। मैं अपने पहले दिये गये आंकड़ों को ठीक करना चाहूंगा। सातवीं योजना के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में प्रसारण क्षेत्र बढ़कर 77 प्रतिशत हो जाएगा 69 प्रतिशत के आंकड़े आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कु अतिरिक्त सूचना देना चाहूंगा। 100 अन्य अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को स्वीकृति देने की योजन सरकार के विचाराधीन है, इसे मंजूरी दे दिये जाने पर हम आन्ध्र प्रदेश को 100 में से 7 अल शक्ति ट्रांसमीटर दिये जाने के बारे में विचार कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)

श्री एच० ए० डोरा : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : हमने आपको यह बताया है कि यह कार्य अगले 6-8 महीने । अर्थात् सातवीं योजना के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह कार्य उस समय से भी पह पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि दे में जितने लो-पावर टी० वी० ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, उनकी रेंज 20-25 किलोमीटर होती है या उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम इतने एरिया में देखे जा सकते हैं परन्तु मेरा अनुभव इसके विपरी है। मेरे क्षेत्र में दो लो-पावर टी० वी० ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं परन्तु उनके कार्यक्रम ज्यादा-ज्यादा 5 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ही देखे जा सकते हैं, इससे ज्यादा एरिया वे कवर न करते। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक भी उनका प्रसारण साफ दिखाई नहीं देता। इ स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि आप लो-पावर ट्रां मीटर्स में सुधार लाने के लिए क्या कोई कार्यवाही कर रहे हैं, उनकी खराबी दूर करने के लि कोई पग उठा रहे हैं। क्या इस तरह के खराब लो-पावर ट्रांसमीटर्स को हाई पावर ट्रांसमीटर्स परिवर्तित करने का सरकार के पास कोई विचार है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का प्रसारण औसतन 25 किलोमीटर त होता है परन्तु कुछ स्थितियों में यह भी सम्भव है कि क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण प्रसारण भी कम हो। हमारा कार्यक्रम यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के सभी जि मुख्यालयों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। हाल ही में हमने संसदीय चुनाव क्षेत्रों आधार पर एक विश्लेषण किया है। सातवीं योजना के अन्त तक हम केवल 5 संसदीय चु क्षेत्रों को छोड़कर, सभी संसदीय चुनाव क्षेत्रों में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रसारण व्यवर

कर देंगे। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सातवीं योजना के दौरान ही इन पांच चुनाव क्षेत्रों में भी प्रसारण व्यवस्था की जा सकती है। हमारी योजना यह है कि जिन क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें भी आठवीं योजना के आरम्भिक चरणों के दौरान क्रमिक रूप से प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं महिला सांसद द्वारा उल्लिखित ट्रांसमीटर की जांच करवाऊंगा और यदि उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उन्हें भी दूर करवाऊंगा। ऐसे ट्रांसमीटर का प्रसारण साधारणतया 25 किलोमीटर तक होना चाहिए परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में समस्या होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी सूचना के अनुसार, ऐसे बहुत-से स्थानों में, जहां अल्प शक्ति ट्रांसमीटर हैं, उनसे बहुत-सी समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। लोगों को अन्य ट्रांसमीटरों से भी प्रसारण प्राप्त नहीं होते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी यही समस्या है।

श्री एच० के० एल० भगत : एक ट्रांसमीटर से दूसरे ट्रांसमीटर पर सिग्नल प्राप्त होने के सन्दर्भ में कुछ जगहों से हमारे पास शिकायतें आयी हैं। हम इन शिकायतों की जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह व्यवस्था ठीक चल रही है। कुल समस्यायें हैं जिनका समाधान करने की कोशिश हम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धरमपुरी के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : हम उन पर भी ध्यान देंगे और उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : बेहरामपुर में, जो कि गंजम जिले का मुख्यालय है, क्या कोई ट्रांसमीटर है? यह सर्वज्ञात तथ्य है कि श्रीकाकुलम और गंजम जिलों में उड़िया और तेलगु, दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दो भाषाओं के लोगों के लिये बेहरामपुर में क्या कोई ट्रांसमीटर है?

श्री एस० कृष्ण कुमार : उड़ीसा के बेहरामपुर जिले में कम शक्ति का ट्रांसमीटर पहले से ही काम कर रहा है। किसी राज्य विशेष के भाषा सम्बन्धी कार्यक्रम राज्य के मुख्यालय केन्द्रों में तैयार किये जाते हैं। वहां मुख्यरूप से उड़िया के कार्यक्रम तैयार होते हैं लेकिन प्रत्येक राज्य में अल्प-संख्यकों की संख्या को ध्यान में रखकर दूरदर्शन केन्द्र अल्पसंख्यक भाषा से सम्बन्धित कार्यक्रम भी तैयार करता है। माननीय वरिष्ठ सदस्य के परामर्श पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा। अल्पसंख्यक भाषा के कार्यक्रमों के समय में वृद्धि करने की एक योजना हमारे पास है।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना मंत्री जी को प्रथमतः तो धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन्होंने अभी बताया है ये 100 एल० पी० टी० और शुरू करने वाले हैं। अब माननीय सूचना मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप जो ये नए एल० पी० टी० लगाएंगे, उनमें जनसंख्या के नार्म्स को थोड़ा नीचे लाएंगे, 50,000 की आबादी से नीचे

तक, ताकि देहाती क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिल सके। क्या इस बारे में निर्णय लेने की कृपा करेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कहा ये 100 एल० पी० टी० अभी सैंक्शन नहीं हुए हैं। नीयरिंग सैंक्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका परपज ट्राइबल एरियाज में, बार्डर एरियाज में लगाने का है। इनको दूर-दराज के एरियाज में ले जाना है जिससे कि लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके। पहले हमने जो प्लान बनाया था, उसमें यह रखा था कि जिन टाउन में एक लाख की पापुलेशन है, उसके हिसाब से बाई एंड लार्ज बताया था, कुछ उसमें और बार्डर एरियाज के लिए रखा गया था जिसमें बार्डर एरियाज, ट्राइबल एरियाज और डिस्टेंट एरियाज हैं। इस तरह की चीजों का ध्यान रखा गया था। 100 ट्रांसमीटर जो अभी सैंक्शन नहीं हुए हैं लेकिन हमारी कोशिश है वह सैंक्शन होकर हम उनको सैवन्थ प्लान पीरियड में ज्यादा से ज्यादा लगा सकें।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : प्रश्नों का उत्तर देते वक्त मन्त्री महोदय ने सर्वप्रथम यह कहा था कि आन्ध्र प्रदेश के 77 प्रतिशत भाग में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर एक सर्वेक्षण किया गया था। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिये वे प्रयास कर रहे हैं। मेरा निर्वाचना क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। प्रो० रंगा जी इसके अतिरिक्त भाषाई समस्या, यहां तक कि तेलगु भाषा के सन्दर्भ में भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो जनजातीय इलाका हो और वहां दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हों। जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैं इसका मुख्य आधार नहीं जानता हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग में दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह एक जन-जातीय निर्वाचन क्षेत्र है। आपने कहा कि आन्ध्र प्रदेश को दिया गया कोटा पूरा हो गया है। वहां के 77 प्रतिशत भाग में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हैं। चूंकि 77 प्रतिशत हिस्से में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं और चूंकि आन्ध्र प्रदेश के निर्धारित कोटे से अधिक क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हैं और चूंकि आप चाहते हैं कि इन्हें सिर्फ शहरी जिला मुख्यालयों तक ही सीमित रखा जाए, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ये पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बगैर ही रहेंगे ? क्या आपने इसके लिये कोई अन्य कार्यक्रम तैयार किया है ? इन पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां स्थलाकृतिक समस्यायें भी हैं—यह बात आपने स्वयं कही है, आपके क्या विचार हैं ?

श्री एच० के० एल भगत : जहां तक इस विशेष निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्हें···

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव; महोदय, इसमें विजयनगरम और श्रीकाकुलम नामक दो निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें दोनों जिलों के जन-जातीय इलाके भी शामिल हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं पहले ही माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि दूरदर्शन के और अधिक विस्तार किये जाने का प्रमुख उद्देश्य कि जन-जातीय क्षेत्रों; सीमावर्ती क्षेत्रों; पहाड़ी क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों आदि में इसका विस्तार करना है। अब जहां तक इस विशेष जिले का सम्बन्ध है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, मैं उनके साथ चर्चा कर सकता हूं। मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण ढंग से इस सम्बन्ध में विचार किये जाने का आश्वासन उन्हें देता हूं। मैं यह स्पष्ट करता हूं कि हमारा विचार घनी आबादी वाले जिला केन्द्रों को ही चुनने का नहीं है बल्कि हमें जनसंख्या के प्रतिशत को भी ध्यान में रखना है। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित कुछ आंकड़ों की चर्चा की है। जैसा कि मैंने कहा है हम आन्ध्र प्रदेश में सात और केन्द्र स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं। इस विस्तार कार्यक्रम का सम्पूर्ण उद्देश्य पूरे देश में दूरदर्शन का विस्तार करना है और इसमें सभी दलों, वर्गों के बहुमत वाली जिला-परिषदों, नगरपालिकाओं आदि में इसका प्रसारण कराना है। इस बात के लिये सभी वर्गों के सांसद और विधायक जोर डाल रहे हैं, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। यही कारण है कि हम 100 अतिरिक्त केन्द्रों को स्वीकृत कराये जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस विशाल देश में दूरदर्शन बहुत ही आवश्यक है। वे अधिक से अधिक की मांग करते रहेंगे और हमें संसाधनों, उपकरणों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग अधिक सेअधिक पूरी करनी है। हमने अपने निजी सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने देश में इन ट्रांसमीटरों का निर्माण किया है लेकिन कुछ सामान बाहर से आयात किया गया है। कम से कम संभव समय में दूरदर्शन-दर्शकों की संख्या सबसे अधिक कर दिये जाने के कारण विश्व के विशेषज्ञों ने भी हमारे दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम की सराहना की है। मानवीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम अपनी ओर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं तथा जनजातीय क्षेत्रों पर भी ध्यान दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : इस बात में कोई शक नहीं है कि बेहरामपुर एक द्विभाषीय जिला है। लेकिन इसी प्रकार, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, और श्रीकाकुलम भी द्विभाषीय जिले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या द्विभाषीय जिलों में सभी भाषायें अपनायी जायेंगी अथवा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए किसी अन्य भाषा में दूरदर्शन का प्रसारण होगा। आंध्र प्रदेश में उड़िया भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दूरदर्शन पर उड़िया भाषा में भी प्रसारण होगा?

श्री एच० के० एल० भगत : क्षेत्रीय स्टेशनों में अल्पसंख्यक भाषाओं के चयन के बारे में अभी मेरे लिए कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। मोटे तौर से कहा जाए तो अभी हमारे यहां बहुसंख्यक समुदाय की भाषा के कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम होते हैं। इसका उद्देश्य सभी को सन्तुष्ट करना है। परन्तु क्षेत्रीय स्टेशनों का प्रसारण समय भी सीमित है। उनकी कुछ सीमायें हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रख कर ही उन्हें अपने कार्यक्रम तैयार करने होते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि किसी राज्य विशेष के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी कुछ कार्यक्रम होने चाहिएं। सिर्फ एक राज्य के साथ ही यह समस्या नहीं है बल्कि इस देश के लगभग प्रत्येक राज्य में यही समस्या है। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक गांव में ऐसे लोग हैं जो एक से अधिक भाषा में बात करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि उपकरणों, संसाधनों तथा व्यक्तियों

की उपलब्धता होने पर हम इन क्षेत्रीय प्रसारणों में वृद्धि कर सकें ताकि इन भाषाई समूहों को कुछ हद तक हम संतुष्ट कर सकें। लेकिन अभी मैं यह नहीं कर सकता हूं कि किस स्टेशन विशेष द्वारा किस क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण किया जा रहा है। हम सभी भाषाओं का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस परिस्थिति में इस प्रकार से विकास करने में बहुत समय लगता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को घाटा

*810. डा० ए० के० पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1980-90 के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कितना घाटा हुआ; और

(ख) घाटे को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से हानियां हुई :—

वर्ष	हानियां (करोड़ रु० में)
1987-88 (अनन्तिम)	208·73
1988-89 (अनन्तिम)	201·80
1989-90 (अनुमानित)	238·98

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बेहतर माल सूची नियंत्रण करके, प्रचालनात्मक कीमतों में कमी लाकर, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाकर, बिजली की चोरी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाकर बेहतर क्षमता समुपयोजन करके, बकाया राशियों की वसूली करके और जन संपर्क में सुधार लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

डा० ए० के० पटेल : महोदय माननीय मंत्री जी के कथनानुसार, प्रथम तीन वर्षों में 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जैसाकि मैं जानता हूं, मेरे पास इसकी जानकारी है, यह घाटा 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पूर्ण रूप से दिवालिया हो चुका है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को विश्व बैंक ने कोई भी ऋण देने से मनाकर दिया है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की एसोशियन द्वारा महाप्रबंधक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर कोई ध्यान दिया है। प्रथम आरोप यह है कि···

उपाध्यक्ष महोदय : आप आरोपों की चर्चा क्यों कर रहे हैं ?

डा० ए० के० पटेल : महोदय, क्योंकि संस्थान को घाटा हुआ है। ये घाटा भ्रष्टाचार के कारण हुआ है और यही कारण है कि मैं दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियरों की एसोसिएशन द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में माननीय मंत्री को बता रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप इसे उपलब्धि-रिपोर्ट कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां प्रश्न कर रहे हैं अथवा अपनी बात कह रहे हैं ?

डा० ए० के० पटेल : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के भारी घाटे को पूरा करने के लिए, और विशेषरूप से महाप्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री कल्पनाथ राय : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान घाटे में इसलिए चल रहा है क्योंकि दिल्ली की टैरिफ दर पूरे देश में सबसे कम है। ईंधन और कोयले की दरों में वृद्धि हो रही है लेकिन हमने टैरिफ दर में वृद्धि नहीं की है। पहले बिजली की चोरी दिल्ली में की जाती थी। जबसे इन्होंने पदभार सम्भाला है, इसे रोकने के अनेक उपाय किये गए हैं तथा लगभग 350 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 'कोल्ड स्टोरेज' चलाने वाले अनेक व्यक्तियों को कारावास की सजा दी गयी है। विगत पाँच वर्षों में, इस वर्ष सर्वाधिक वसूली... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री कल्पनाथ राय : इस वर्ष 368 करोड़ रुपए की सर्वाधिक वसूली हुई है। वसूली योजना विचाराधीन है। वसूली करने के लिए भारत सरकार कुछ कदम उठाने जा रही है। यह मामला विचाराधीन है। ट्रांसमिशन स्टेशन निर्माणाधीन है, ट्रांसमिशन लाईन बिछाई जा रही है। दिल्ली में गर्मियों में 1250 मेघावाट बिजली की आवश्यकता होती है। 135 मेघावाट बिजली राजघाट द्वारा दी जाती है।

दिल्ली में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और सरकार स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आप जो बिजली दे रहे हैं वह कितनी बार जाती है, यह भी आपने देखा है ? आज रमजान के दिनों में दिल्ली में 10-10, 20-20 घण्टे बिजली नहीं आती है और आप जनरल मैनेजर को डिफेण्ड कर रहे हैं। जनरल मैनेजर को कुछ पता नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल : महोदय, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि दिल्ली में शुल्क कम है जबकि सारे भारत में गुजरात में शुल्क सर्वाधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्री महोदय गुजरात बिजली बोर्ड को निदेश देंगे कि गुजरात राज्य में शुल्क में कमी की जाए।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : महोदय, वास्तव में यदि आप महानगरों के आंकड़े देखें तो पाएंगे कि घरेलू खपत के लिए मद्रास में 55 पैसे, बम्बई में 78 पैसे और कलकत्ता में 59.22 पैसे अहमदाबाद में 84.53 पैसे प्रति यूनिट तथा विभिन्न दबावों के कारण दिल्ली में 45 पैसे की दर जो सबसे कम है। मैं कह रहा हूं कि देश में ज्यादातर राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे

हैं। क्यों ? ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य सरकारें उन्हें लागत से भी कम दर पर बिजली बेचने पर बाध्य करती हैं···(व्यवधान)

पहले, लागत को लेते हैं। हाल ही में मैंने यहां पर कहा था कि जिसे टी एंड डी हानि कहते हैं वह चोरी ही है। हमने इस संबंध में यहां पर और राज्यों में अधिनियम पारित किए हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं कि टी एड डी हानि कम से कम हो। लेकिन हम स्थिति की वास्तविकता पर विचार करें। यदि कोई राज्य बिजली बोर्ड कृषि या घरेलू खपत अथवा उद्योगों के लिए लागत से कम मूल्य पर बिजली बेचता है तो इसके लिए राज-सहायता कौन दे ? राज्य सरकारों को राजसहायता देनी चाहिए। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चलें और वे हतोत्साहित हों ? डेसू, दिल्ली या कोई अन्य राज्य बिजली बोर्ड हो, सभी जगह इससे अधिक भ्रष्टाचार होता है। मेरा अभिप्राय यह है कि यह एक गलत नीति है। जब दिल्ली में घरेलू खपत के लिए डेसू 45 पैसे प्रति यूनिट, बिजली बेचता है जबकि बम्बई में 84 पैसे, कलकत्ता में 60 पैसे और अहमदाबाद में 78 पैसे यूनिट की दर से बिजली बेची जाती है तो वे कभी भी कैसे लाभ अर्जित कर सकते हैं ? जब आप घाटा देखते हैं तो महाप्रबंधक इत्यादि को पकड़ते और कहते हैं कि वे इन घाटों के लिए उतरदायी हैं।

महोदय, जहां तक अकुशलता का संबंध है मैं कहता हूं गलत आदमी को दंड मिलना चाहिए। पहले सदस्य इस बार में व्यथित थे और कहते थे कि डेसू के मामले में प्रबंध शुल्क की वसूली करने और लोगों के साथ सख्ती न करने के लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। हम परिणाम को देख-कर मौजूदा प्रबंधकों और महप्राबंधक के कार्य-निष्पादन को देखते हैं। आप चिंता न करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। (व्यवधान)

पहले हम तथ्यों को देखकर उनकी जांच करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। मौजूदा प्रबन्ध के अन्तर्गत जनवरी 1988 तक चोरी के 2,176 मामले थे और अधिक क्षमता की बिजली के दुरुपयोग के 2,092 मामले थे। अब इस संबंध में राजस्व की वसूली देखें। यदि आप 1983-84 के बाद देखें तो 150 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले तीन वर्षों में यह राशि बढ़कर 325 करोड़ रुपए, 324 करोड़ रुपए और 368 करोड़ रुपए हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे स्थिति में सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही आप सख्ती करने के प्रयास करते हैं तभी निहित स्वार्थ उत्तेजित हो जाते हैं। ये निहित स्वार्थ, इंजीनियर होते हैं और उनकी चोरी करने वाले लोगों से साठगांठ होती है। यदि बिजली की चोरी करने वाले लोगों के साथ अधिकारियों की साठगांठ न हो तो कोई चोरी नहीं हो सकती। इसलिए यह शरारत अधिकारी करते हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महा-प्रबन्धक स्वयं उत्तरदायी हैं।

श्री वसंत साठे : महाप्रबंधक स्वयं बिजली वितरित नहीं करता। यदि नीचे के लोग यह कार्य करते हैं तो आपको चोरी करने के लिए उत्तरदायी इंजीनियरों को बचाना नहीं चाहिए। इस सभा में मैं यही कहना चाहता हूं। इसलिए हमें सिर्फ महाप्रबन्धक पर ही दोष नहीं लगाना चाहिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आप महा-प्रबन्धक का बचाव कर रहे हैं।

श्री वसंत साठे : किसी गलत आदमी का कोई बचाव नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो गलती कर रहे लोगों का बचाव मत कीजिए। आखिरकार तथ्य स्वयं बता रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना, बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली में जो डेसू में नुकसान हो रहा है, उसकी वजह दिल्ली का मैनेजमेंट खुद है और इसका जिम्मेदार जी० एम० है। कितने दुःख की बात है कि रमजान के दिन चल रहे हों और उस समय लोगों को बीस-बीस घण्टे बिजली न मिले। कितने दुःख की बात है कि जब दिल्ली में होली का दिन हो और वाटर पम्पस् की बिजली काट दी जाए। इससे ज्यादा गलत बात दूसरी कोई नहीं हो सकती है। इस चोरी का जिम्मेदान अगर मैनेजमेंट है, तो उसका जिम्मेदार जी० एम० है असल वजह चोरी की यह है कि जो माल खरीदा जाता है और जो माल लगाया जाता है, उसका कभी मिलान नहीं होता है। कितना माल खरीदा गया, उस खरीदे माल में से कितना माल चोरी हो गया और कितना माल लगाया गया– इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। इस नुकसान की यहीं वजह है। क्या किसी ने कभी देखा कि जो मीटर फुंक जाते है, जिनसे मीटर लिए गए हैं, क्या कभी उन पर एक्शन लिया गया? कभी नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें सारी मिली-भगत होती है ऊपर से नीचे तक। आपने अभी जो लिस्ट पढ़ कर सुनाई, उसके अन्दर ऐसे कितने आदमी हैं जो पकड़े गए हैं? सारे गरीव आदमी झुग्गी वाले और सब्जी वालों के केसेज आपने बना दिए हैं। उसके अन्दर बड़े-बड़े मिल मालिक और बड़े-बड़े जो फैक्ट्री लिए बैठे हैं, वे नहीं हैं। उनके मीटर तो पीछे कर दिए जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने दिनों से जो नुकसान चल रहा है, उसकी जांच करने के लिए क्या कभी आपने कोई कमेटी बैठाई, इसमें कितना नुकसान क्यों होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया? आप कृपा करके जी० एम० को तो दिल्ली से भेज दीजिए, क्योंकि यह दिल्ली को नहीं संभाल सकता है।

श्री कल्पनाथ राय : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना है और माननीय विरोधी दल के संसद सदस्य भी हैं। जब से जनरल मैनेजर............ने यहां पर मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है, जब से परिस्थिति में काफी सुधार हुआ है...(व्यवधान)...

श्री जयप्रकाश अग्रवाल :............आपको मालूम तो है नहीं। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आरोपों की कार्यवाही वृतान्त के सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : सुधार हुआ है। 368 करोड़ रुपये इस वर्ष रिकवर हुए हैं। अब तक

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पिछले पांच वर्षों में चोरी के लिए गिरफ्तारी सबसे ज्यादा की गई हैं। पिछले वर्ष जब से जी० एम० ने चार्ज लिया है, 22 हजार अनअथोराइज्ड कनैक्शन्स काटे गए हैं और 12 फारनैंस के। सी० बी० आई० की मदद से कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री एम० आर० सैकिया : कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है ?

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : यदि आपको मर्डर में गिरफ्तार किया गया है, तो सजा आज हो जाएगी ···(व्यवधान)···प्रश्न यह है, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, चार्जशीट होता है, ट्रायल होता है। लोगों के पास बड़े-बड़े वकील हैं, जो पैरवी करते हैं···(व्यवधान)···तो क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में स्थिति को सुधारने के लिए कोशिश की जा रही है। पूर मैनेजमेंट इस कोशिश में है। 135 मेगावाट नई एड की गई है। कैपेसीटर्स ट्रांसमीशन लाइन मे जोड़े गए हैं। रिकवरी तेज की जा रही है। दिल्ली की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार पूरा प्रयत्नशील है। अब ऐसी स्थिति को मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, जो स्थिति आज है, यह भविष्य में बेहतर बनेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सामंत, अगला प्रश्न।

डा० कृपासिन्धु भोई : इस विषय पर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री वाडियर को पुकारा है।

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, आप मेरे अधिकार को कैसे नकार सकते हैं ? मैंने आधे घंटे से अधिक अपना हाथ खड़ा रखा है। मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा चाहता हूं। क्या आप इसकी अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

जापान के सहयोग से घड़ी कारखाना

*816. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग से एक घड़ी कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जायेगी, इसकी निर्माण क्षमता कितनी होगी तथा इसमें निर्माण कार्य कब तक आरंभ होगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) क्वार्ट्ज एनालॉग कलाई घड़ियों तथा क्वार्ट्ज एनालॉग वाच मूवमेंट्स की प्रति वर्ष 10 लाख नग क्षमता का विनिर्माण करने के वास्ते संघ शासित क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली में सिलवासा में एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए मैं० कापवुड आरिएन्ट वाचिज लिमिटेड, बम्बई को जापान की मैं० ऑरिएन्ट वाच कंपनी के साथ विदेशी सहयोग करने तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय के पंजीकरण की क्रमशः दिसम्बर, 1988 तथा अप्रैल, 1989 में स्वीकृति दी गयी है। पंजीकरण आवेदन के अनुसार, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित समय बारह माह दर्शाया गया है।

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य के अनुसार, मैं० कापवुड आरिएन्ट वाचिज लिमिटेड को दादरा तथा नगर हवेली में जापान की मैं० ऑरिएन्ट वाच कम्पनी के साथ एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए विदेशी सहयोग करने की स्वीकृति दी गई है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस घड़ी बनाने की इकाई की स्थापना पर कितनी लागत आएगी और क्या जापानी इसमें आर्थिक रूप में भी सहयोग करेंगे।

यदि हां, तो इस सहयोग में विदेशी मुद्रा की कितनी मात्रा निहित होगी और क्या मंत्री महोदय के पास इस सहयोग से कोई निर्यात करने का प्रस्ताव है? इसकी रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होगी?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, प्रस्ताविक कुल निवेश लगभग 1137 लाख रुपये है। 'आयातित' शीर्ष के तहत, पूंजीगत उपकरणों की लागत 1100 लाख रुपये है। 'स्वदेशी' शीर्ष के तहत पूंजीगत उपकरणों के लिए लागत 17 लाख रुपये है।

जहां तक निर्यात अनिवार्यता का संबंध है, इस सहयोग के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि तक वार्षिक उत्पादन का 10 प्रतिशत निर्यात किया जाना है।

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रारम्भ में घड़ी निर्माण की यह इकाई कर्नाटक राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव था।

यदि हां, तो इस संयंत्र के स्थान को कर्नाटक से बदलकर दादरा और नगर हवेली में स्थापित करने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार के पास कर्नाटक में घड़ी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव अभी भी है जोकि ऑरिएन्ट वाच कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी के सहयोग से लगायी जाएगी?

यदि हां, तो इस संबंध में तेजी से कार्य करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : कर्नाटक में घड़ी की अनेक बड़ी फैक्ट्रियां हैं। एच० एम०टी० की यहां पर दो इकाइयां हैं। टाटा की टाइटेन फैक्ट्री भी यहां पर है।

एक माननीय सदस्य : क्या वह होजर का उल्लेख कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : होजर कर्नाटक में नहीं है। यह तमिलनाडु में है।

(व्यवधान)

श्री जे० वेंगल राव : बंगलोर में एक फैक्ट्री है। **(व्यवधान)**

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : घड़ी निर्माण के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता है ? क्या और अधिक घड़ियों का निर्माण करने के लिए एच०एम०टी० अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकती है ? जापानी कम्पनियों के साथ सहयोग करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री जे० वेंगल राव : हमारे यहां मांग अत्यधिक है। लेकिन हमारा उत्पादन कम है। इस कारण हम संगठित क्षेत्र में 8.5 मिलियन घड़ियों का निर्माण करते हैं। क्षेत्र में हम 1.5 मिलियन घड़ियों का निर्माण करते हैं। हमारी कुल मांग लगभग 15 मिलियन घड़ियां हैं। इसीलिए हम गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस दे रहे हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा है, कर्नाटक में एच०एम०टी० की एक इकाई है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या टुमकुर कर्नाटक में है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने केवल होजर के बारे में पूछा था। मैंने आपको बता दिया था कि यह तमिलनाडु में है। टुमकुर कर्नाटक में है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : उन्हें वापस जाकर भूगोल पढ़ना चाहिए।

एस०टी०डी० सुविधायुक्त टेलीफोनों का अधिक बिल आना

*818. **श्री श्रीहरि राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस०टी०डी० सुविधायुक्त टेलीफोनों के प्रयोक्ताओं से इन टेलीफोनों के अधिक बिल आने की बार-बार शिकायतें प्राप्त होती हैं;

(ख) क्या बिलों में प्रत्येक एस०टी०डी० काल के प्रभार को अलग-अलग उसी प्रकार दिखाने का प्रस्ताव है जैसाकि ट्रंककालों के मामले में किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) अधिक राशि के बिल आने के बारे में उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। 1-4-88 से 31-1-89 तक की अवधि के

दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या इस अवधि के दौरान जारी किए गए बिलों की संख्या का 1.12 प्रतिशत बैठती है।

(ख) वर्तमान में, बिलों एस०टी०डी० काल-वार प्रमार ई-10 बी-टाइप के इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में उपलब्ध कराए जा सकते है।

(ग) अन्य प्रकार के एक्सचेंजों में विस्तृत रूप से बिल जारी करने की सुविधा प्रदान कर पाना तकनीकी दृष्टि से फिलहाल संभव नहीं है।

श्री श्रीहरि राव : मंत्री महोदय का उत्तर सही नहीं है। महोदय, मेरे विचार से आप सहित सभी संसद सदस्यों ने अधिक बिल देने के खिलाफ शिकायत की थी। (व्यवधान) देश भर में सभी शहर इससे प्रभावित हुए हैं। (व्यवधान) संभवतः आन्ध्र में एक एसोसिएशन है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र राजामुन्द्री में पिछले वर्ष एक आन्दोलन हुआ था। अधिक बिल देने पर नियंत्रण का क्या तरीका है ? (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्रप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदर्शन दर्शकों के लिए डिश एंटीना

[अनुवाद]

*801. श्री जी० भूपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्रप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदर्शन दर्शकों को टी०वी० पर स्पष्ट प्रसारण देखने के लिए बहुत धन खर्च करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों के लोगों को रियायती दरों पर डिश एंटीना उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) इस समय आंध्र प्रदेश की करीब 58% ग्रामीण जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त है जिसमें किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल है जहां संतोषजनक संग्रहण प्राप्त करने के लिए उन्नत मल्टी-एलीमेंट एंटीना और/या बूस्टरों की आवश्यकता है। इन एन्टीनों/बूस्टरों की लागत अधिक नहीं है। इस समय चल रही सातवीं योजना स्कीमों के पूरा हो जाने पर राज्य की करीब 69 प्रतिशत ग्रामीण जनता को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। दूरदर्शन कवरेज का और विस्तार, दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषाओं में "संसद समाचार" प्रसारित करना

803. **श्री बी० बी० रमैया :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जब संसद का सत्र चल रहा हो, दूरदर्शन केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में "संसद समाचार" प्रसारित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस तिथि से कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दी में "संसद समाचार" तथा अंग्रेजी में "पार्लियामेंट न्यूज" दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट किए जा रहे हैं और इन्हें सभी ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारित किया जाता है। प्रसारण समय की कमी के कारण, इन कार्यक्रमों को संबंधित दूरदर्शन केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में टेलीकास्ट करना संभव नहीं है। तथापि, संसद की कार्यवाही का राष्ट्रीय समाचारों और साथ ही विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में उल्लेख होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

*806. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के कितने सार्वजनिक टेलीफोन राज्य-वार लगाये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : आठवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उड़ीसा में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की बिक्री तथा अंतरण संबंधी घोटाला

*807. **श्री अनादि चरण दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री और अन्तरण के संबंध में हो रहे घोटाले की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप उड़ीसा में विस्थापित आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तथा विस्थापित आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के नुकसान को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही सहित क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा के कोराघुट जिले में अपर कोलाब हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण हटाए गए जनजाति के लोगों और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए राष्ट्रीय बचत पत्रों को निश्चित अवधि से पूर्व भुनवाने के मामले सरकार को मार्च, 86 में प्राप्त हुए थे। धारकों द्वारा ये बचत पत्र उस धनराशि में से खरीदे गए थे जो सरकार ने उन्हें उनके पुनर्वास और मकान बनवाने के लिए मुआवजे के रूप में दी थी। इस प्रकार, 1985 में मौजूदा राष्ट्रीय बचत पत्र नियमावली के अनुसार यह निवेश तीन वर्ष के लिए लॉक हो गया था। चूंकि धारकों को निवेश की गई अपनी राशि की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए इन्हें निश्चित अवधि से पूर्व भुनवाने के लिए उनकी प्रार्थना पर विशेष मामले के बतौर कारंवाई की गई और जुलाई, 86 में इसकी मंजूरी दे दी गई।

कुछ डाक कर्मचारियों के सहयोग से राज्य सरकार के कतिपय कर्मचारियों द्वारा विस्थापित आदिवासियों के राष्ट्रीय बचत पत्रों को भुनवाने/अंतरण में भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई। अब तक की गई जांच से कथित भ्रष्टाचार और उसमें किसी डाक कर्मचारी के शामिल होने के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका। तदुपरांत, अक्तूबर, 86 में जिला प्रशासन के विनिर्दिष्ट कर्मचारियों द्वारा ही धारकों की पहचान करने के संबंध में स्थानीय डाक प्राधिकारियों द्वारा की गई मनमाने ढंग की कारंवाई से सरकार को अवगत कराया गया जिससे परेशानियां पैदा हुई थीं। गरीब आदिवासी जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर जैपोर (कोरापुट) ने कोरापुट प्रधान डाकघर के उन कतिपय कर्मचारियों को भी बदल दिया जिनके बारे में यह संदेह था कि वे बिचौलियों से मिले हुए हैं। वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर और सहायक अधीक्षक, डाकघर के खिलाफ भी शिकायतें की गई थीं जिन्हें जांच के दौरान सही नहीं पाया गया। तथापि, इन दोनों कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। धारकों की पहचान के लिए किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की गवाही को स्वीकार करने के संबंध में डाक विभाग द्वारा 30-3-87 को स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था ताकि किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो।

तदुपरांत, इस संबंध में, कोई शिकायत नहीं रही।

बम्बई हाई में प्राकृतिक गैस का जलाया जाना

*809. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले** :

श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में कितनी प्राकृतिक गैस को जला कर नष्ट किया जा रहा है;

(ख) क्या इस प्रकार व्यर्थ हो रही गैस को महाराष्ट्र के ताप विद्युत और औद्योगिक कार्यों के लिए सप्लाई करने का प्रस्ताव है:

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बम्बई हाई से प्राप्त गैस सीधे ही खाना बनाने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान पश्चिमी अपतट क्षेत्रों से औसतन 7·6 मिलियन घन मीटर सम्बद्ध गैस प्रतिदिन जलाई गई।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (3 एम०एम०सी०एस०डी०) के बिजली घरों तथा टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी (1.5 एम०एम०सी०एम०डी०) को गैस की सप्लाई के लिए वचन दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 10 एम०एम० सी०एम०डी० तक गैस देने के लिए वचन दिये गये हैं (इसमें उरान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आंतरिक आवश्यकता भी शामिल है)।

(घ) और (ङ) खाना पकाने और अन्य कामों के लिए बम्बई शहर को गैस सप्लाई करने के लिए 1.5 एम०एम०सी०एम०डी० गैस के वचन दिये गये हैं।

दिल्ली और गाजियाबाद के बीच टेलीफोन मिलने की दर

*811. **डा० दत्ता सामंत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और गाजियाबाद के बीच टेलीफोन न मिलने की दर अन्य स्थानों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि टेलीफोन कालों के न मिलने की दर कम हो सके ?

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) गाजियाबाद को क्रमश: कोड 84 (क्रासबार) 871 और 873 (डिजिटल इलेक्ट्रानिक) एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। कोड 84 वाले टेलीफोन एक्सचेंज से तथा इस एक्सचेंज के लिए की गई कालों की न मिलने की दरें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

(ख) दिल्ली तथा गाजियाबाद स्थित 84 एक्सचेंज के बीच काल न मिलने के कारण मुख्यतया निम्नलिखित हैं :—

(i) यह एक्सचेंज पेन्टाकोन्टा डिजाइन का है जिसमें रखरखाव की समस्याओं का होना स्वाभाविक है।

(ii) यूनिट फी शुल्क के कारण, शुल्क की दरें अधिक हैं और संकुलन की समस्याएं रहती हैं।

(ग) टेलीफोन न मिलने की दरों को कम करने के लिए प्रस्तावित अल्प-कालिक तथा दीर्घकालिक प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(i) **अल्पकालिक उपाय :**

नई दिल्ली और गाजियाबाद के बीच पी० सी० एम० प्रणालियों को बहुत बड़ी संख्या में चालू किया जा रहा है।

(ii) दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सभी काल डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (871) के जरिए मिलाई जाएंगी।

(iii) 84 लेवल पेन्टाकोन्टा क्रासबार एक्सचेंज के भार को ई-10-बी एक्सचेज (871) में अन्य 400 लाइनों तक अन्तरित करके कम किया जा रहा है।

(ii) **दीर्घकालिक उपाय :**

(i) दिल्ली और गाजियाबाद के बीच एक आप्टिकल फाइबर प्रणाली भी चालू किए जाने का प्रस्ताव है जिससे टेलीफोन मिलने की दरों में और सुधार होगा।

(ii) आठवीं योजना के दौरान पेन्टाकोन्टा एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाया जा रहा है।

मोटर वाहनों का उत्पादन

*813. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहनों के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो किन श्रेणियों के मोटर वाहनों में उल्लेखनीय गिरावट आई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1987-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 में इनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गिरावट की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(घ) 1987-88 की तुलना में 1988-89 के दौरान मोटर गाड़ियों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	1987-88	1988-99
1. यात्री कारें	151875	166098
2. मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन	65086	70225
3. हल्के वाणिज्यिक वाहन	44120	45226
4. दुपहिए	1433918	1604009
5. तिपहिए	61112	79452
6. जीप किस्म के वाहन	32036	37615

दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति

*815. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में बिजली की सप्लाई की स्थिति और भी बदतर होने की आशंका है, क्योंकि दिल्ली अपनी एक तिहाई से अधिक विद्युत सप्लाई के लिए उत्तरी ग्रिड पर निर्भर है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का समय पर समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। दिल्ली की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति इसके इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन संयंत्रों तथा गैस टर्बाइन केन्द्र से, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन से तथा उत्तरी ग्रिड से सहायता से होती है।

1989 की गर्मियों के दौरान दिल्ली मे विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय ये हैं :—कैपेसिटरों का प्रतिष्ठापन, पारेषण लाइनों एवं वितरण प्रणाली का प्रबलन, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना, राजघाट ताप विद्युत केन्द्र पर 135 मेगावाट की कुल क्षमता में से 67.5 मेगावाट क्षमता की संस्थापना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों से उत्पादन को अधिकतम करना आदि। दिल्ली में विद्युत आपूर्ति स्थिति तथा क्रियान्वयनाधीन विभिन्न निर्माण कार्यों के गहन प्रबोधन के लिए एक कृत्यक बल का गठन किया गया है।

अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन

*817. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिए अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी हैं;

(ख) वर्ष 1989-90 में देश में तेल का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान तेल के आयात पर कुल कितना खर्च होगा; और

(घ) तेल के खोज कार्य में तेजी लाने और प्राकृतिक गैस के उपयोग की सुविधाएं बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान प्रोसेसिंग के लिए कच्चे तेल की आवश्यकता तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग क्रमशः 50.96 मिलियन टन और 54.161 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1989-90 के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन 34 51 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) 1988-89 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का निवल मूल्य लगभग 3672 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

—खोज कार्यों को तेज करना जिससे उत्पादन में स्वयं वृद्धि होगी।

—अधिक तेल निकालने की तकनीकों का प्रयोग।

—उच्च प्रौद्योगिकी को लगाना।

जहां तक प्राकृतिक गैस का संबंध है गैस के प्रयोग के लिए बनायी जा रही सुविधाओं में ये शामिल हैं :—

—सी 2/सी 3 संयंत्रों तथा सी 2/सी 3 को निकालने के लिए एल०पी० जी० संयंत्र तथा गैस से एल० पी० जी० को निकालने की सुविधाओं का निर्माण।

—गैस के प्रोसेसिंग व परिवहन के लिए पाइप लाइनें बिछाना और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को बनाना।

—उपभोक्ताओं को कम दबाव की गैस भेजने के लिए कम दबाव के गैस कम्प्रैसरों की स्थापना।

—उपलब्धता के अनुसार उपभोक्ताओं को गैस देने के लिए वचन देना।

महाराष्ट्र में उद्योगों का विकास

*819. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक महाराष्ट्र में उद्योग के विकास की दर क्या है;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) उद्योगों में रोजगार बढ़ाने में यह किस हद तक सहायक सिद्ध हुआ है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन की राज्यवार सूची संकलित नहीं करता है। तथापि, अखिल भारतीय आधार पर, छठी योजना में प्राप्त 6.4 प्रतिशत वार्षिक औसत विकास दर की तुलना मे सातवीं योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 8.4 प्रतिशत थी।

(ग) श्रम मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र में संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार छठी योजना के अंत में अर्थात मार्च, 1985 में 34.41 लाख की तुलना में मार्च, 1988 के अन्त में 35.50 लाख रहा जिससे 3.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

औषध कम्पनियों की स्थापित क्षमता

7595. **श्रीमती मनेम्मा अंजैया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग में एमिपिसिलिन, ट्राईहाइड्रेट, अमोक्सिलिन ट्राईहाइड्रेट, सेफेलम्सिन, क्लोक्सेसिलिन, सोडियम तथा विटामिन बी 6 के उत्पादन की कम्पनी-वार स्थापित क्षमता कितनी है और इनका कितना-कितना उत्पादन किया गया; और

(ख) इन औषधों के उत्पादन में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) यह विभाग कंपनियों द्वारा अधिष्ठापित क्षमताओं को मानीटर नहीं करता है। पिछले 3 वर्षों के लिए वर्षवार संगठित क्षेत्र में मानीटर की गई प्रमुख औषधों के उत्पादन कम्पनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ख) लाइसेंसशुदा क्षमता सहित समय-समय पर जारी औद्योगिक स्वीकृतियों के ब्यौरे इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा अपने मासिक न्यूजलेटर में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण

औषध का नाम/ कम्पनी का नाम	गणना की इकाई	उत्पादन 1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	6
एम्पिसिलीन	टन			
आई० डी० पी० एल०		1.54	2.60	5.70
एच० ए० एल०		1.35	1.62	0.62

1	2	3	4	5
रेनबेक्सी लेब्स		99.27	120.65	160.06
एलम्बिक केमिकल्स		1.14	2.75	7.68
केडिला लेब्स		11.75	15.7	16.5
लुपिन केमिकल्स		6.15	14.37	6.5
यूफोरिक फार्मा०		0.10	0.76	—
आरमर केमिकल्स		—	—	37.79
एमोक्सिलीन	टन			
आई०डी०पी०एल०		—	—	9.40
एच०ए०एल०		0.08	—	—
साराभाई केमिकल्स		0.47	–	2.95
रेनबेक्सी लेब्स		3.20	13.8	33.17
केडिला लेब्स		0.22	0.27	—
आरमर केमिकल्स		—	—	12.15

साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा क्षमता का उपयोग

7596. **श्री आर० एम० भोये** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना उत्पादन किया;

(ख) अपनी क्षमता का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता 3.16 लाख बाई-साइकिल प्रतिवर्ष है। पिछले तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित था :

वर्ष	बाई-साइकिलों की संख्या
1986-87	1,45,188
1987-88	74,937
1988-89 (अनन्तिम)	85,867

(ख) क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण, पुरानी और अप्रचलित मशीनें, बारम्बार बिजली की खराबी, कार्यशील पूंजी में कमी, आदि हैं।

(ग) और (घ) सरकार मशीनों के प्रतिस्थापन और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कम्पनी को योजना और गैर-योजना ऋणों के रूप में, वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता दे रही है तथा बैंक उधार आदि के लिए सरकारी गारन्टी का प्रावधान है। इन उपायों से कम्पनी को अपने चालू संचालनों को जारी रखने के योग्य बनाया है किन्तु उनको विरासत में मिली देनदारियों ने क्षमता के पूरे उपयोग में बाधा पहुंचाई है।

पंजीकृत पत्रों की सुपुर्दगी

7597. **श्री सोडे रमैया :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक घर पंजीकृत पत्रों की सुपुर्दगी के बारे में भी सावधानी नहीं बरतते हैं;

(ख) पावती पत्र की सुपुर्दगी सुनिश्चित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पोस्ट मास्टरों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) कुल मिलाकर पत्रों की पावतियां समय पर वितरीत की जा रही हैं।

(ग) पोस्टमास्टरों को, प्रचालनीय मामलों में उनके ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने के लिए तैयार किए गए सेवाकालीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। समूह 'ख' के पोस्टमास्टरों को नया कार्यभार संभालने से पहले सेवापूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी होता है।

रसोई गैस के सिलेण्डर भरने का संयंत्र

7598. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय रसोई गैस के सिलेण्डर भरने के कितने संयंत्र हैं और वे राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी क्षमता क्या है;

(ख) रसोई गैस सिलेण्डर भरने के कितने संयंत्र निर्माणाधीन हैं और इनका निर्माण कहां-कहां हो रहा है तथा इनकी क्षमता क्या होगी;

(ग) क्या रसोई के गैस के सिलेण्डरों की कम सप्लाई का कारण भराई संयंत्रों की कमी है; और

(घ) मांग को पूरा करने के लिए निर्माणाधीन संयंत्र कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क), (ख) और (घ) सूचना क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गयी है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण-1

कार्यरत एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्रों की सूची

तेल कम्पनी का नाम	क्रम संख्या	स्थान	क्षमता (मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) 1-4-1989 को
1	2	3	4
आई० ओ० सी०	1.	गुवाहाटी (असम)	5,000
	2.	दुलियाजान (असम)	30,000
	3.	बोगाई गांव (असम)	15,000
	4.	बरौनी (बिहार)	20,000
	5.	कोयाली (गुजरात)	1,00,000
	6.	राजकोट (गुजरात)	37,000
	7.	कानपुर (पंकी) उत्तर प्रदेश	25,000
	8.	कानपुर (मिनी प्लांट) उत्तर प्रदेश	10,000
	9.	मथुरा (उत्तर प्रदेश)	96,000
	10.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	35,000
	11.	जलंधर (पंजाब)	40,000
	12.	कल्याणी (पश्चिम बंगाल)	35,000
	13.	हल्दिया (पश्चिम बंगाल)	25,000
	14.	दुर्गापुर (पश्चिम बगाल)	10,000
	15.	मद्रास (तमिलनाडु)	1,00,000
	16.	सेलम (तमिलनाडु)	40,000
	17.	कोचीन (केरल)	35,000
	18.	बंगलूर (कर्नाटक)	10,000
	19.	संवाई माधोपुर (राजस्थान)	10,000
	20.	शकूर बस्ती (दिल्ली)	50,000
	21.	संवाई माधोपुर (राजस्थान)	25,000
	22.	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	25,000

1	2	3	4
आई० ओ० सी०	23.	करनाल (हरियाणा)	25,000
	24.	हलद्वानी (उत्तर प्रदेश)	5,000
	25.	हाजीरा (गुजरात)	25,000
	26.	टिकरीकलां फेज-I और-II (दिल्ली)	75,000
	27.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	25,000
	28.	जमशेदपुर (बिहार)	25,000
	29.	परवानू (हिमाचल प्रदेश)	5,000
	30.	बालासोर (उड़ीसा)	25,000
	31.	अजमेर (राजस्थान)	8,000
बी० पी० सी०			
	32.	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	37,500
	33.	बम्बई (रिफाइनरी) (महाराष्ट्र)	1,50,000
	34.	शकूरबस्ती (दिल्ली)	40,000
	35.	मंगलूर (कर्नाटक)	18,500
	36.	जलगांव (महाराष्ट्र)	12,500
	37.	शोलापुर (महाराष्ट्र)	12,500
	38.	भिटौनी (जबलपुर) (मध्य प्रदेश)	25,000
	39.	लालडूं (अम्बाला)	25,000
—	40.	बरेली (उत्तर प्रदेश)	6,500
	41.	जयपुर (राजस्थान)	6,500
	42.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	6,500
	43.	खुर्दा (उड़ीसा)	6,5000
	44.	तूतीकोरिन (तमिलनाडु)	12,500
	45.	असौटी पियोला (हरियाणा)	75,000
	46.	हिसार (हरियाणा)	6,500
एच० पी० सी०	47.	बम्बई (महाराष्ट्र)	90,000
	48.	विजाग (आन्ध्र प्रदेश)	25,000

1	2	3	4
एस०पी०सी०	49.	खापड़ी (महाराष्ट्र)	34,000
	50.	बंगलूर (कर्नाटक)	34,000
	51.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	34,000
	52.	मंगलिया (मध्य प्रदेश)	34,000
	53.	सूरत (गुजरात)	12,000
	54.	मिराज (महाराष्ट्र)	10,000
	55.	विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	12,000
	56.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	12,000
	57.	कटक (उड़ीसा)	3,000
	58.	रायपुर (मध्य प्रदेश)	3,000
	59.	पुणे (महाराष्ट्र)	20,000
	60.	जोतपुर (राजस्थान)	12,500
	61.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	2,000
	62.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	2,000
	63.	लुधियाना (पंजाब)	3,000
	64.	शकूरबस्ती (दिल्ली)	15,000
	65.	मैसूर (कर्नाटक)	12,500
	66.	गोआ (गोआ)	12,500
	67.	हुगली (कर्नाटक)	12,500
	68.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	12,500-
	69.	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	12,500
	70.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	7,000
	71.	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	7,000
	72.	खुर्दा रोड़ (उड़ीसा)	25,000
	73.	जींद (हरियाणा)	12,500
	74.	विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	12,500
	75.	रायपुर (मध्य प्रदेश)	25,000
	76.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	25,000

विवरण-2

निर्माणाधीन बाटलिंग संयंत्रों की सूची

कम्पनी का नाम	क्रम संख्या	स्थान	क्षमता (मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) पूरा करने की प्रत्याशित तारीख
1	2	3	4
आई० ओ० सी०	1.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश	25,000 निर्धारित की जानी है।
	2.	हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	8,000 सितम्बर, 1988
	3.	टिकरीकलां चरण-II (दिल्ली	25,000 मई, 1989
एच० पी० सी	4.	मिराज (महाराष्ट्र)	12,500 मई, 1989
	5.	दाहा-होशियारपुर (पंजाब)	5,000 मई, 1989
	6.	गांधी नगर/मोंडासा (गुजरात)	5,000 सितम्बर, 1989
	7.	उन्नाव/कन्नौज (उत्तर प्रदेश)	5,000 सितम्बर, 1989
	8.	गुड़गांव/फरीदाबाद (हरियाणा)	5,000 दिसम्बर, 1989
	9.	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश	5,000 मार्च, 1989
बी० पी० सी०	10.	उरान (महाराष्ट्र)	75,000 दिसम्बर, 1989
	11.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	12,500 जून, 1989

पश्चिम बंगाल में गांवों का विद्युतीकरण और पम्पसैट लगाना

[हिन्दी]

7599. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कितने पम्पसैट लगाए गए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विद्युतीकृत किये गये गांव और लगाये गये पम्पसैटों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान पश्चिम बंगाल में इस निगम का कितने गांवों का विद्युतीकरण करने और कितने पम्पसैट लगाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों एवं ऊर्जीकृत पम्पसैटों का राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीम के तहत पश्चिम

बंगाल में विद्युतीकृत गांवों एवं ऊर्जीकृत पम्पसैटों का जिलावार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ग) योजना आयोग ने ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित होने वाली ग्राम विद्युतीकरण स्कीम के तहत 1989-90 के दौरान 1500 गांवों का विद्युतीकरण एवं 12,000 पम्पसैटों का ऊर्जन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण—1

वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार ग्राम विद्युतीकरण और पम्पसैट ऊर्जन

क्रम सं०	राज्य	विद्युतीकृत गांव			ऊर्जित पम्प सैट		
		86-87	87-88	88-89	86-87	87-88	88-89
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	905	1076	1250	94208	117135	97071
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	71	95	—	—	—
3.	असम	1468	1190	1070	114	119	70
4.	बिहार	3120	2307	2808	12645	8256	15002
5.	गुजरात	595	410	25	17194	40293	29150
6.	हरियाणा	—	—	—	16746	206813	6420
7.	हिमाचल प्रदेश	825	634	46	180	269	174
8.	जम्मू और काश्मीर	117	101	53	59	114	198
9.	कर्नाटक	1225	746	313	45403	46865	44000
10.	केरल	—	—	—	13095	13304	15004
11.	मध्य प्रदेश	3709	3929	4537	43345	58115	99383
12.	महाराष्ट्र	502	787	1050	51839	105000	120000
13.	मणिपुर	78	98	150	—	—	—
14.	मेघालय	76	225	315	8	—	—
15.	मिजोरम	—	49	55	—	—	—
16.	नागालैंड	85	170	25	—	10	—
17.	उड़ीसा	1363	1516	1349	2050	2895	4000[प्रो]
18.	पंजाब	—	—	—	50158	22247	21800
19.	राजस्थान	1126	1097	1445	9614	12280	18158
20.	तमिलनाडु	4	—	—	32628	61164	51485

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	26	40	31	—	—	—
22.	त्रिपुरा	159	155	125	91	68	65
23.	उत्तर प्रदेश	3564	4185	2777	25856	20590	23301
24.	पश्चिम बंगाल	1331	1573	1649	4634	7946	8897

विवरण—2

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों तथा ऊर्जित पम्पसेटों का जिलेवार ब्यौरा

जिला	विद्युतीकृत गांव			ऊर्जित पम्पसैट		
	1986-87	1987-88	1988-39	1986-87	1987-88	1988-89
बांकुरा	139	131	208	162	217	460
वीरभूम	130	145	137	387	594	816
बर्दवान	46	121	77	248	630	1191
कूचबिहार	101	89	125	3	89	135
दार्जिलिंग	47	18	35	—	—	—
हावड़ा	40	58	34	5	57	5
हुगली	58	115	83	623	553	488
जलपाइगुड़ी	13	40	41	2	89	60
मालदा	69	62	51	267	258	353
मिदनापुर	140	253	319	407	592	1461
मुर्शिदाबाद	107	87	39	713	1651	1806
नादिया	233	—	—	984	1571	875
पुरूलिया	75	100	130	—	—	—
24-परगनाज	167	205	178	752	1170	867
प० दीनाजपुर	156	149	192	81	475	380

डिस्पोजेबल सिरिंजों का निर्माण

[अनुवाद]

7600. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिस्पोजेबल सिरिंजों का निर्माण करने वाले एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इन एककों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन एककों की वार्षिक क्षमता कितनी है; और

(ङ) क्या मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मौजूदा उत्पादक 11 हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। इनमें से कुछ एककों ने डिस्पोजेबल सिरिंजों के आयात पर ब्लैंकिट रोक लगाने के लिए कहा है।

(घ) संगठित क्षेत्र में मौजूदा एककों की कुल वार्षिक क्षमता 1725 लाख नग है तथा पाइप लाइन में क्षमता 1870 लाख नग प्रतिवर्ष है।

(ङ) सुनिश्चित मांग के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित मांग 2000 लाख नग प्रति वर्ष है जबकि वर्तमान उत्पादन लगभग 200 लाख नग है ।

ई० डी० मेल कैरियरों की छंटनी

7601. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाक प्रबन्धों में संशोधन के कारण विभागेतर डाक कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1988 तक कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ग) इनमें से कितने कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार विभागेतर कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्ससबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) इस आशय के अनुदेश विद्यमान हैं कि अतिरिक्त पदधारियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाए और जब कभी भी रिक्त स्थान उपलब्ध हों उन्हें वैकल्पिक नियुक्तियां प्रदान की जाएं।

अत्यधिक विषजन्य जैव रसायनों के खतरों को बताने वाला सेल

7602. **श्री के० प्रधानी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक विषजन्य जैव रसायनों के उपयोग के कारण होने वाले खतरो एवं नुकसान को बताने के लिए एक सेल स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय द्वारा कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण कक्षों सहित केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई में एक प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियंत्रण परामर्श प्रभाग की स्थापना की गई है। इस प्रभाग के एक भाग के रूप में खतरनाक पदार्थों/रसायनों और संयंत्रों, बड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में और बड़ी दुर्घटनाओं के जोखिम नियंत्रण में विशेषज्ञों के संबंध में भी एक डाटा बैंक की स्थापना उस मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इसके अलावा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 जिसमें जोखिम पूर्ण पदार्थ और रासायनिक दुर्घटनाओं का प्रबंध भी शामिल है, के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी अनेक कदम उठाये हैं जैसे खतरनाक पदार्थ प्रबंध प्रभाग की स्थापना करना, विनिर्माण एवं रखारखाव की सभी अवस्थाओं के दौरान सभी रसायनों के विनियमन के लिए नियम बनाना, रसायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए संकट प्रबंध योजना तैयार करना, केन्द्रीय संकट दल का गठन, राज्य सरकारों को संकट प्रबंध योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शन जारी करना।

भूमिगत कोयला खनन की "लांगवाल" प्रणाली

7603. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिगत कोयला खनन की यांत्रिक "लांगवाल" प्रणाली की क्षमता का परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) कोल इंडिया लि० की भूमिगत खानों में कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यंत्रीकरण की लम्बी अवधि की नीति तैयार करने के लिए, यदि कोई, कार्रवाई योजना बनाई गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० में कुल लांगवाल माइनिंग उपकरण के 9 सेट हैं। वर्तमान में 2 सैटों पर मुख्य रूप से ओवर हालिंग का कार्य चल रहा है। बाकी के 7 सैट प्रति वर्ष 1.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा 1989-90 तक लांगवाल माइनिंग उपकरण के 14 सैटों को परिचालित किए जाने की आशा है। यह अस्थायी तौर पर अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 8वीं योजना की अवधि के दौरान ऐसे उपकरणों के 20 से 25 सैटों को परिचालित किया जाएगा और 9वीं योजना अवधि के दौरान 30 से 35 सेटों को परिचालित किया जाएगा। इसके

अतिरिक्त मैकेनिकल लोडर के प्रयोग द्वारा बोर्ड और पिलर की कार्य पद्धति को भी यांत्रिकृत किया जाएगा।

हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण

7604. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, ऐसी प्रत्येक कंपनी द्वारा कितने वाहनों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या इनमें से किसी भी कंपनी ने यात्री कार के निर्माण की अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ओटोमोबाइल उद्योग का विशदीकरण किया गया है। इस प्रकार कोई भी निर्माता जिसके पास चौपहिया वाहनों के निर्माण के लिए ब्राड बैंडिड लाइसेंस है स्वीकृत लाइसेंसशुदा क्षमता के अन्दर यात्री कार का निर्माण भी कर सकता है। परन्तु यदि उन्हें किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो उन्हें विदेशी सहयोग की स्वीकृति के लिए सरकार को आवेदन करना चाहिए।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान हल्के वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने वाली तथा विदेशी सहयोग करने वाली कम्पनियों के नाम और उनका उत्पादन इस प्रकार है :—

क्र० सं०	निर्माता का नाम	उत्पादन		
		1986-87	1987-88	1988-89
1.	मै० एल्विन निशान लि०	1149	1631	2351
2.	मै० डी० सी० एम० टोयटा लि०	2714	3366	3348
3.	मै० आयशर मोटर्स लि०	1143	3120	4721
4.	मै० स्वराज माजदा लि०	1602	2220	3828
5.	मै० बजाज टैम्पो लि० (टैम्पो ट्रैवलर माडल)	—	238	211

यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र

7605. श्री अमर सिंह राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड द्वारा देश में कितने संयंत्र चलाए जा रहे हैं तथा ये संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) यूनियन कार्बाइड द्वारा किन-किन मदों का उत्पादन किया जा रहा हैं;

(ग) क्या इन संयत्रों में प्रयुक्त कच्चे माल का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो कितनी धनराशि के कच्चे माल का आयात किया जा रहा है;

(घ) क्या यूनियन कार्बाइड के उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है और यदि हां, तो प्रति. वर्ष कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया जाता है; और

(ङ) क्या यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने अपने कुछ संयंत्रों को बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए आवास पूल योजना

7606. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए आवास-पूल योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन केन्द्र मद्रास के कर्मचारियों द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लिया जाना

7607. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास दूरदर्शन केन्द के कर्मचारियों को वहां दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इन कर्मचारियों को कोई पारिश्रमिक दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) स्टाफ की कुछ श्रेणियों के कार्यों में दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल है।

(ग) से (ङ) चूंकि स्टाफ के सदस्य अपनी ड्यूटी के दौरान दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, इसलिए उन्हें कोई अतिरिक्त मेहनताना नहीं दिया जाता है।

प्रसार माध्यमों द्वारा महिलाओं का दर्शाया जाना

7608. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महिला को सिनेमा, वाणिज्यिक विज्ञापनों और अन्य प्रसार माध्यमों में इस तरह दर्शाया जाता है जो समाज में उससे जुड़ी प्रतिष्ठा और मूल्यों के बिल्कुल प्रतिकूल है और

(ख) क्या सरकार ने "परिवार कल्याण" संबंधी विज्ञापनों का विशेष रूप से सायंकालीन प्रसारणों का समय बदलने और देर रात्रि में इनका प्रसारण करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जहां तक दूरदर्शन के कार्यक्रमों (प्रायोजित धारावाहिक और वाणिज्यिक विज्ञापनों सहित) तथा आकाशवाणी के कार्यक्रमों का संबंध है, इलैक्ट्रोनिक माध्यमों में महिलाओं की गरिमा जैसे वांछनीय मूल्य पद्धतियों के प्रक्षेपण पर उचित ध्यान दिया जाता है। ये सरकारी माध्यमों तथा प्रसारण/टेलीकास्ट के लिए संबंधित वाणिज्यिक संहिता के मार्ग निर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं। फिल्में, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होती हैं। जहां तक गैर-सरकारी माध्यमों का संबंध है, वे देश के सामान्य नियमों द्वारा शासित होते हैं।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो नोडल मंत्रालय है, की सलाह से दूरदर्शन, एक प्राथमिकता वाले सामाजिक अभियान के रूप में सर्वोत्कृष्ट समय में परिवार कल्याण के स्पाटों को टेलीकास्ट करता है। आकाशवाणी पर, परिवार कल्याण उपायों से संबंधित विज्ञापन रात्रि 8·00 बजे के बाद प्रसारित किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में रसोई गैस सुविधा

7609. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के किन-किन नगरों/शहरों में अब तक रसोई गैस सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) चालू योजना की शेष अवधि के दौरान कितने नगरों/शहरों को उक्त सुविधा प्रदान की जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1988-89 तक की वार्षिक एल० पी० जी० विपणन योजना के अंतर्गत तेल

कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश के वर्तमान 16 नये शहरों में 34 नये एल० पी० जी० वितरण केन्द्र खोलने की योजना है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के उन कस्बों/शहरों के नाम जहां एल० पी० जी० सुविधा मुहैया करवायी गई है

क्रम सं०	स्थान	क्रम सं०	स्थान
1.	विजयवाड़ा	25.	विजयापुरी
2.	मसूलीपट्टनम	26.	बोंगीर
3.	गुडीवाड़ा	27.	खमम
4.	नन्दीगांमा	28.	पालावोंचा
5.	इब्राहिमपट्टनम	29.	पालामनर
6.	गंटूर	30.	बप्टला
7.	तेनाली	31.	जगियापेट्ट
8.	नरसारोपेट्ट	32.	तिरुवुरु
9.	मचरेला	33.	वेटापल्लम
10.	सतनपली	34.	विज़ाग
11.	ओंगेले	35.	सलूर
12.	चिराला	36.	विजयानगरम
13.	मरकापुर	37.	अंकापल्ली
14.	नैल्लोर	38.	उकूनागरम
15.	श्रीहरीकोटा	39.	काकीनाडा
16.	कंडूकूर	40.	राजामुन्द्री
17.	चित्तूर	41.	भीमावरम्
18.	तिरुपति	42.	तनूकू
19.	मदनापली	43.	पालाकोले
20.	पूंगानूर	44.	तेडीपल्लीगुडम
21.	कुडप्पा	45.	इलूरु
22.	प्रोडादूर	46.	सिकन्दराबाद
23.	येरागुंटला	47.	रामागुंडम
24.	मिरयालगुडा	48.	करीमनगर

क्रम सं० स्थान	क्रम सं० स्थान
49. जगतियाल	78. बेलामपल्ले
50. निजामाबाद	79. कामरेड्डी
51. वारंगल	80. मैडक
52. बोधन	81. संगरेड्डी
53. गोदावरी खानी	82. जहीराबाद
54. रामाकृष्णापुरम	83. नालगोंडा
55. दुंडीगल	84. सूर्यापेट्ट
56. कोराट्ला	85. पोन्नूर
57. मंचेरियाल	86. नरसापुर
58. सिलसिला	87. सुरंगावरपुकोटा
59. तंडूर	88. धोनी
60. शंकरापल्ली	89. अरमूर
61. करंककोटे	90. चितालपुडी
62. कुरनूल	91. कनीगिरी
63. अदोनी	92. मछलीपट्टनम
64. अनन्तपुर	93. अमलापुरम
65. ताडपत्री	94. नैल्लोर
66. रयादुर्ग	95. हैदराबाद/सिकन्दराबाद
67. गुंडाकल	96. रामचन्द्रपुरम
68. आदिलाबाद	97. कागजनगर
69. ऊर्वाकोंडा	98. काडल
70. पेडापल्ली	99. सदाशिवपेट्ट
71. भीमषा	100. कोथागुडम
72. महबूब नगर	101. मनुगुरु
73. वानापरथी	102. बचोराजपलम
74. नारायनपेट्ट	103. निर्मल
75. गुटी	104. सिद्धीपेठ
76. कविरी	105. महबूबाबाद
77. जंगांव	106. पेद्डानंदीपेडू

क्रम सं० स्थान	क्रम सं० स्थान
107. मुन्नानगी	136. पलेसा
108. गुगीराला	137. पालाकोंडा
109. वीयूरू	138. पीडापुरम
110. कनकीपाडू	139. पीथमपुर
111. नुजविद	140. फोडूरु
112. मानागालागिरी	141. रायबरम
113. रापाली	142. राजोल
114. चिलाकालूरीपेट्ट	143. समलकोट
115. पतामाता	144. श्रीकाकूलम
116. यमिगूर	145. विशाखापतनम्
117. नन्दीयार	146. वेलामनचली
118. श्रीशैलम	147. जंगरेड्डीगुड्म
119. हिंदूपुर	148. गजूबाका
120. धर्मावरम	149. निडाडेवल
121. विनूकोंडा	150. पार्वतीपुरम
122. अतमाकुर	151. बिमुनीपट्टनम
123. नागरकुरनूल	152. बोबीली
124. भद्राजलम	153. राजम्
125. अकीवीडू	154. तुनी
126. अचन्ता	155. कोवूर
127. अन्नापरथी	156. चिपुरुपल्ली
128. छोडावरम	157. सोमपेट्टा
129. दोवलेश्वरम्	158. श्रीकालाहस्ती
130. जियानागरम	159. वेंकटगिरी
131. कोठापेट्टा	160. सुलूरपेट्टा
132. कोठावलसा	161. कवाली
133. मारुतेरु	162. पुटूर
134. मुमूंडीवरम	163. विसाराबाद
135. नरसीपट्टनम	

कलकत्ता स्थित दूरसंचार फैक्ट्री में कार्य-भार

7610. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :** क्या संचार मंत्री कलकत्ता स्थित दूरसंचार फैक्ट्री में कार्य भार के बारे में 28 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3699 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान फैक्ट्री की क्षमता के उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां ,तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) फैक्ट्री प्रवन्धकों द्वारा फैक्ट्री क्षमता के पूरे उपयोग के लिए नए उत्पादकों का उत्पादन वास्तविक रूप से कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) ढलाई घर जैसे कुछ क्षेत्रों की कार्य क्षमता का उपयोग करने में कमी रही लेकिन सी० टी० बाक्सों, जैसे दूसरे क्षेत्रों की क्षमता के उपयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान सी० डी० कैबिनेट, पे फोन्स जैसी कुछ नई मदों को उत्पादन के लिए चुना गया है।

गन्ने अथवा शीरे से अल्कोहल का उत्पादन

7611. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या उद्योग मंत्री गन्ने अथवा शीरे से अल्कोहल के बारे में 16 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2783 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बारे में अब तक इकट्ठा की गई जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई राज्य सरकारें अभी भी केन्द्रीय सरकार का 19 नवम्बर, 1975 के निर्देश का उल्लंघन कर रही हैं जिसके अनुसार शराब अथवा अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों के बनाने के लिए अतिरिक्त क्षमता लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा 31 मार्च, 1989 तक जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ नई शराब बनाने वाली फैक्टरियों का व्यापार करते रहने के लिए (सी० ओ० बी०) लाइसेंस दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(च) ऐसी फैक्टरियों को अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने से रोकने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ग) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिसम्बर, 1988 तक बिहार (1), हरियाणा (1), जम्मू तथा कश्मीर (4), कर्नाटक (18), मध्य प्रदेश (4), पश्चिम बंगाल (1), और गोवा (4), द्वारा कुल 33 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों ने नवम्बर, 1975 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करके पेय अल्कोहल के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए हैं, क्योंकि उनका कानूनी दृष्टिकोण यह है कि वे ऐसा करने के लिए सक्षम हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

बालासोर और भद्रक, उड़ीसा में दूरसंचार सब-डिवीजन

7612. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सब-डिवीजन बनाने के लिए कोई मानदंड और न्यूनतम निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुख्य महाप्रबन्धक, उड़ीसा दूरसंचार मण्डल ने उड़ीसा में बालासोर और भद्रक में नए दूरसंचार सब-डिवीजन स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे थे;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इन सब-डिवीजनों में कब तक कार्य शुरू हो जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दूरसंचार सब-डिवीजन बनाने के लिए मानदण्ड संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) बालासोर में फोन इंजीनियरी उप मण्डल तथा भद्रक में तार इंजीनियरी उप मन्डल बनाए जाने का प्रस्ताव मार्च, 1989 में प्राप्त हुए थे और इनकी जांच की जा रही है। उप मन्डलों के लिए एस० डी० ओ० के पद की मंजूरी, नये पदों के सृजन पर लगी मौजूदा पाबन्दी और खर्च में कटौती की आवश्यकताओं के आधार पर इनका औचित्य सिद्ध होने पर मंजूरी दी जाएगी।

विवरण-1

संकेन्द्रित प्रणाली के अन्तर्गत एस० डी० ओ० फोन के एक पद की मंजूरी उस स्थिति में दी जाएगी जब कार्य भार 0·65 अर्थात 4420 यूनिटों तक पहुंच जाए। सभी परिसम्पत्तियों के लिए कार्यभार की गणना नीचे दिए गए गुणांक के आधार पर की जाती है।

क्रम सं०	परिसम्पत्तियां	माप यूनिट
1	2	3
(क)	**बाह्य संयंत्र**	
	(i) एक्सचेंजों के लिए डी० ई० एल०	0·8
	(ii) ई० सी० सहित पी० बी० एक्स०/पी० ए० पी० एक्स०	
	(क) 99 अथवा कम एक्सटेंशन	10
	(ख) 100 और इससे ऊपर	40
	(iii) सभी प्रकार के एक्सटेंशन	0·3
	(iv) टेलेक्स अप उपभोक्ता	15
	किराए एवं विभागीय टी० पी० सर्किट	15 प्रति सर्किट
	(v) कैरियर/रिपीटर/वी० एफ० टी० प्रणालियां	65
	प्रति चैनल	5
	(vi) सी० टी० ओ०	40 प्रति कार्यालय
	(vii) डी० टी० ओ०	20 प्रति आफिस
	(viii) एन०ई० लाइन्स/प्राइवेट वायर/लम्बी दूरी के पी०सी०ओ०	4 प्रति लाइन
	(ix) जूनियर इन्जीनियर सहित वाह्य संयंत्र के लिए मंजूर स्टाफ	5
	(x) जूनियर इन्जीनियर (ओ० डी०)	15
(ख)	**आन्तिरिक संयंत्र :**	—
	निम्नलिखित क्षमता वाले एक्सचेंज :	
	(i) 1000-1999 लाइनें	1100
	(ii) 2000-2999 लाइनें	1657
	(iii) 3000-4999 लाइनें	3300
	(iv) 5000 और इससे अधिक	5500
	(v) विशेष सेवा पोजीशनें	15 प्रति पोजीशन
	(vi) एस०एल०ओ०डी०/एम०एल०ओ०डी०/एस०टी०डी०	3 प्रति सर्किट
	(vii) टेलेक्स एक्सचेंज	110 प्रति एक्सचेंज
	टेलेक्स चालू कनेक्शन	4 प्रति चालू कनेक्शन
	(viii) आन्तरिक सन्यंत्र, जू० ई० सहित मंजूर स्टाफ	8
	(ix) जूनियर इन्जीनियर (इसडोर)	15
(ग)	**ट्रंक सन्यंत्र**	—
	निम्न के साथ ट्रंक एक्सचेंज :	

1	2	3
	(i) 10-15 ट्राफिक हैंडलिंग पोजीशन	500 प्रति एक्सचेंज
	प्रति ओ० जी० पोजीशन	150
	प्रति आई० सी०/सी० आई० टी० पोजीशन	100
	(ii) 15 अथवा अधिक ट्राफिक हैंडलिंग पोजीशन	700
	प्रति ओ० जी० पोजीशन	175
	प्रति आई० सी०/सी० आइ० टी० पोजीशन	125
	(iii) रिकार्ड पूछताछ पोजीशन जिनका सम्बन्ध उपर्युक्त से है	15
	(iv) जू० ई० सहित ट्रंक प्लांट के लिए स्वीकृत स्टाफ	8
	(v) जूनियर इंजीनियर (ट्रंक)	15
(घ)	ऐसी अन्य पमिसंपत्तियां जो कि संकेन्द्रित प्रणाली में शामिल नहीं हैं	
	(i) एक्सचेंज 100-499 महत्त्व (वेटेज)	125
	(i) दुर्गम क्षेत्रों के लिए अर्थात जिन स्थानों को भारत सरकार ने दुर्गम क्षेत्र स्वीकार किया है।	यूनिटों का 25 प्रतिशत। ए(i) और (ख)(i) (ii) (iii) (iv) उपर्युक्त।
	(ii) क्रास बार एक्सचेंज प्रणाली	उपर्युक्त के पर यूनिट पर 15 प्रतिशत
	(ii) टी० ए० एक्स टर्मिनेशन :	
	(i) प्रति एक्सचेंज कांन्टेन्ट	समतुल्य आटो एक्सचेंजों की भांति
	(ii) प्रति सर्किल	3 यूनिटें
	(iii) प्रति हेड आफ स्टाफ	8 यूनिटें

नोट : (i) 1000 तथा इससे अधिक लाइनों के एक्सचेंज तथा इनसे सम्बद्ध एक्सचेंज लाइनों तथा स्थानीय प्रणाली की अन्य यूनिटें संकेन्द्रित प्रणाली में मानी जाएंगी।

(ii) प्रत्येक प्रणाली के लिए मूल्यांकन अलग से किया जाएगा और प्रभार का द्विभाजन 1·3 लोड की दर से किया जाएगा।

विवरण-2

उप मंडल अधिकारी, तार के लिए मानदंड

उप मंडल अधिकारी, तार के पद का सृजन दूरसंचार जिलों में फैली हुई परिसंपत्तियों के लिए 6800 यूनिटों की दर पर औसत आधार एवं 0.5 के अंतर और उपर्युक्त आधार पर अगली पूर्ण संख्या तक पूरा कर दिया जाता है।

	निम्न क्षमता (सज्जित) वाले एक्सचेंज	यूनिटें
1	2	3
क.	(i) 99 लाइनें अथवा इससे कम	35 प्रति एक्सचेंज
	(ii) 100-499 लाइनें	125 प्रति एक्सचेंज
	(iii) 500-999 लाइनें	475 प्रति एक्सचेंज
	(iv) 1000-1999 लाइनें	1110 प्रति एक्सचेंज
	(v) 2000-2999 लाइनें	1675 प्रति एक्सचेंज
	(vi) 3000-4999 लाइनें	3300 प्रति एक्सचेंज
	(vii) 5000 लाइनें और इससे ऊपर	5500 प्रति एक्सचेंज डी ई एल पर
ख.	डाइरेक्ट एक्सचेंज लाइनें	0.6 चालू कनेक्शन— उपर्युक्त (i) से (iii) से संबंधित प्रति 0.8 चालू कनेक्शन उपर्युक्त (iv) से (vii) तक।
ग.	विशेष सेवा पोजीशन जिसमें आटोमैनुअल पोजीशनें शामिल हैं :	
	(i) उपर्युक्त (i) से (iv) से संबंधित	10 प्रति पोजीशन
	(ii) उपर्युक्त (v) से (vii) से संबंधित	15 प्रति पोजीशन
घ.	एस टी डी/एस एल ओ डी/एम एल ओ डी सर्किट, आवक एवं जावक दोनों।	3 प्रति सर्किट
ङ.	टेलेक्स एक्सचेंज	110 प्रति एक्सचेंज + प्रति चालू कनेक्शन।
च.	टेलेक्स उपभोक्ता, किराए एवं विभागीय टी पी सर्किल	16 प्रति चालू लाइन/सर्किट
छ.	पी बी एक्स/पी ए बी एक्स (i) 99 एक्सटेंशन अथवा इससे कम क्षमता (सज्जित)	10 प्रति एक्सचेंज
	(ii) 100 एक्स. अथवा ऊपर	40 प्रति एक्सचेंज।
ज.	सभी प्रकार के एक्सटेंशन	0·3 प्रति एक्सटेंशन।
झ.	एन ई लाइनें/प्राइवेट वायर/एल डी पी टी ट्रंक/तार संरेखण :	4 प्रति लाइन।
ञ.	(i) सी-8 एन सी बे	2.7 प्रति कि० मी०

1	2	3
	(ii) अन्य संरेखण	1.8 प्रति कि० मी०
ट.	तारघर :	
	(i) सी टी ओ	40 प्रति तारघर।
	(ii) डी टो ओ	20 प्रति तारघर।
	(ii) संयुक्त डाक-तारघर	4 प्रति तारघर।
ठ.	कैरियर/रिपीटर/वी एफ टी प्रणाली	65 प्रति प्रणाली+ 5 प्रति चैनल।
ड. ढ.	निम्न क्षमता के ट्रंक एक्सचेंज :	
	(i) 9 ट्राफिक हैंडलिंग पोजीशन या इससे कम।	75 प्रति पोजीशन।
	(ii) रिकार्ड/पूछताछ पोजीशन उपर्युक्त एक्सचेंजों में	10 प्रति पोजीशन।
	(iii) 10 से 15 ट्राफिक हैंडलिंग पोजीशन और इससे अधिक।	50 प्रति एक्सचेंज 150 प्रति ओ ओ पोजीशन 100 प्रति सी आई टी/आई सी पोजीशन।
	(iv) 16 ट्राफिक हैंडलिंग पोजीशन और-इससे ऊपर।	700 प्रति एक्सचेंज। सी आई टी/आई सी पोजीशन 175 प्रति ओ जी पोजीशन 125 प्रति सी आई टी/आई
	उपर्युक्त (iii) और (iv)	सी पोजीशन।
	(v) रिकार्ड/पूछताछ पोजीशन···	15 प्रति पोजीशन।
ण.	सबआर्डिनेट परिवर्तन	15 प्रति जू०इ०
त.	मंजूरशुदा स्टाफ	5 प्रति पद वाह्य स्टाफ 8 पति पद इनडोर/ट्रंक स्टाफ।
थ.	नियमित कार्यभार	800 प्रति चार्ज (गणना में नहीं शामिल किया जाएगा)

महत्व (वेटेज)

(क)	दुर्गम स्थानों अर्थात् भारत सरकार द्वारा दुर्गम स्थान स्वीकृत।	उपर्युक्त (क) और (ख) की यूनिटों पर 25 प्रतिशत
(ख)	क्रासबार एक्सचेंज	उपर्युक्त (क) की यूनिटों पर 15 प्रतिशत।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की बकाया राशि

[हिन्दी]

7613. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन संस्थानों की ओर खादी ग्रामोद्योग आयोग की राशि बहुत समय से बकाया है और इसे वसूल करना संभव नहीं हो सका है;

(ख) वर्ष 1988 तक इस प्रकार की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) संस्थाओं के नाम तथा 31-3-1988 को प्रत्येक पर बकाया राशि सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7824/89]

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बकाया ऋणों की वसूली करने के लिए संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई/भुगतान संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी है । आयोग में एक विशेष वसूली प्रकोष्ठ भी बनाया गया है जो भुगतान संबंधी कार्यवाहियों सहित समय पर अदा न किए गए ऋणों की वसूली के लिए अनेक कदम उठाता है बकाया ऋणों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए भी आयोग द्वारा हाल में कार्यवाही की गई है । संस्थाओं तथा राज्य बोर्डों, जिन पर ऋण बकाया है, को ब्याज सहित ऋण की राशि लौटाने के विशेषरूप से निदेश दिए गए हैं । के०वी०आई०सी० ने एक प्रोत्साहन उपाय भी किया है जिसके अन्तर्गत संस्थाओं आदि से ऋण की वसूली में सुधार होने पर भविष्य में और अधिक धन पाने के अधिकार से जोड़ा गया है ।

वर्ष 1988-89 के दौरान दूरसंचार सुविधायें

[अनुवाद]

7614 **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5660 के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक "हेक्सागन" में औसतन कितनी जनसंख्या शामिल की गई है;

(ख) वर्ष 1988-89 में राज्यवार कुल कितने "हेक्सागनों" में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध की गई;

(ग) वर्ष 1989-90 में राज्य-वार कुल कितने "हेक्सागनों" में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है; और

(घ) इस कार्यक्रम के लिए बिहार राज्य का जिले-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1981 की जनगणना के

अनुसार प्रत्येक षटभुजाकार क्षेत्र द्वारा औसतन 13,589 अनुमानित जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान 2636 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं जो लगभए समसंख्यक षटभुजाकर क्षेत्रों को सेवा प्रदान करते हैं।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान 3000 षटभुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है। राज्य-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में 286 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का कार्यक्रम है। इन स्थानों का निर्धारण वर्ष के दौरान ही किया जाना है जो कि तकनीकी व्यवहार्यता और उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

वर्ष 1989-90 के दौराल एल०डी०पी०टी० के लिए लक्ष्य

क्रम सं०	सर्किल/राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	48
2.	असम	132
3.	बिहार	286
4.	गुजरात	151
	दादर नगर हवेली	3
	दमन दीव	1
5.	हरियाणा	91
6.	हिमाचल प्रदेश	152
7.	जम्मू एवं कश्मीर	78
8.	कर्नाटक	152
9.	केरल	1
	लक्षद्वीप आईसलैंड	—
10.	मध्य प्रदेश	307
11.	महाराष्ट्र	300
	गोवा	—
12.	उत्तर-पूर्व	
	अरुणाचल प्रदेश	15
	मणिपुर	38
	मेघालय	30

1	2	
	मिजोरम	27
	नागालैंड	37
	त्रिपुरा	5
13.	उड़ीसा	160
14.	पंजाब	92
15.	राजस्थान	356
16.	तमिलनाडु	59
	पांडिचेरी	—
17.	उत्तर प्रदेश	308
18.	पश्चिम बंगाल	156
	अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपसमूह	2
	सिक्किम	5
	कुल :	3000

आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार सेवायें

7615. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री वी० तुलसीराम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की बिगड़ती हालत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश सर्किल में दूरसंचार सेवाओं में सुधार हो रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान आगे और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) कर्मचारियों को उपभोक्ताओं के अनुकूल प्रशिक्षण देना;

(ii) दोषपूर्ण उपकरणों को बदलकर, हैवी ओवरहैड एलाइनमेंट को केबिलो द्वारा बदलकर और वितरण प्वाइंट्स को पुनः स्थापित करके स्थानीय नेटवर्क में सुधार लाना;

(iii) 70 और नए स्थानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय औ॰ राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग प्रारम्भ करना;

(iv) हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, भीमावरम, एलूर, तेनाली, गुडीवाड़ा, और मछलीपटनम में डायरेक्टरी पूछताछ का कंप्यूटरीकरण;

(v) विशाखापटनम में टेलीफोन बिलों का कंप्यूटरीकरण; और

(vi) हैदराबाद, एलूरु, निजामाबाद और गुंटूर में फास्ट रिकार्डिंग का कंप्यूटरीकरण।

आन्ध्र प्रदेश में डाक एजेन्सियां

7616. श्री एस॰ पलाकोंड्रायुडू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कुल कितनी डाक एजेन्सियां हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1989-90 के दौरान डाक एजेन्सियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) फिलहाल राज्य में पांच लाइसेंसशुदा डाक एजेण्ट (एलपीए) और कमीशन आधार पर डाक टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री के लिए लाइसेंसशुदा 89 एजेण्ट कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) एक नीति मामले के बतौर 13-7-1987 से लाइसेंसशुदा डाक एजेंटों के लिए कोई नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, आवेदन प्राप्त होने पर कमीशन आधार पर डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी होती हों। कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलरशिप का आवंटन

[हिन्दी]

7617. श्री गंगा राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई डीलरशिप प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए डीलरशिप का कोई कोटा निर्धारित किया गया है अथवा निर्धारित करने का प्रस्ताव है यदि हां, तो क्या भविष्य में यह डीलरशिप उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जायेगी; और

(घ) उन्हें डीलरशिप का आबंटन करने हेतु किन-किन शर्तों पर विचार किया गया है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) डीलरशिप के आवेदकों को अपनी जाति-स्थिति सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इसके बारे में जानकारी मारुति उद्योग लिमिटेड के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) डीलरों की नियुक्ति एक वाणिज्यिक मामला है जो मारुति उद्योग लिमिटेड के बोर्ड द्वारा, खुले विज्ञापन द्वारा प्राप्त आवेदनों और प्रत्येक की निम्नलिखित के बारे में क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है :

(1) मारुति नीतियों के अनुसार एक स्टेंडर्ड ग्राहक सेवा प्रदान करना;

(2) बाजार शेयर को अधिकतम करना; और

(3) कम्पनी की छवि को अधिकतम सम्भव रूप में प्रस्तुत करना और विकसित करना।

गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

7618. श्री महेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्य-वार कितने प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचायी गई है; और

(ख) वर्ष 1989-90 के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निश्चित किये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों राज्यवार/संघ शासित क्षेत्र-वार प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) 1989-90 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए निर्धारित राज्यवार/संघ शासित क्षेत्र-वार लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

28-2-1989 को स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	97.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.5
3.	असम	85.9
4.	बिहार	63.5
5.	गोआ	100.0

1	2	3
6.	गुजरात	100 0
7.	हरियाणा	100 0
8.	हिमाचल प्रदेश	100.0*
9.	जम्मू और कश्मीर	93.5
10.	कर्नाटक	97.8
11.	केरल	100.0
12.	मध्य प्रदेश	77 0
13.	महाराष्ट्र	98.6
14.	मणिपुर	49.5
15.	मेघालय	37.4
16.	मिजोरम	38.7
17.	नागालैंड	98.7
18.	उड़ीसा	62.1
19.	पंजाब	100.0
20.	राजस्थान	69.2
21.	सिक्किम	75.0
22.	तमिलनाडु	99.9
23.	त्रिपुरा	5 .4
24.	उत्तर प्रदेश	69.3
25.	पश्चिम बंगाल	64.1
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	92.7
2.	चण्डीगढ़	100.0
3.	दादर नागर एवं हवेली	100.0
4.	दिल्ली	100.0
5.	दमन और दियू	100.0
6.	लक्षद्वीप	100.0
7.	पांडेचरी	100.0

*1971 की जनगणना के अनुसार उपलब्धि।

विवरण-2

वर्ष 1989-90 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्यवार/ संघ शासित क्षेत्र-वार लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	650
2.	अरूणाचल प्रदेश	135
3.	असम	1703
4.	बिहार	2300
5.	गोआ	40*
6.	गुजरात	—
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9.	जम्मू और कश्मीर	100
10.	कर्नाटक	30
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	2700
13.	महाराष्ट्र	150*
14.	मणिपुर	250
15.	मेघालय	230
16.	मिजोरम	65
17.	नागालैण्ड	—
18.	उड़ीसा	785
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	1010
21.	सिक्किम	38
22.	तमिलनाडु	—
23.	त्रिपुरा	160
24	उत्तर प्रदेश	2365
25.	पश्चिम बंगाल	1560
	जोड़ (राज्य)	14231

1	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—
2.	चण्डीगढ़	—
3.	दादर नागर व हवेली	—
4.	दमन एवं दियू	—
5.	दिल्ली	—
6.	लक्षद्वीप	—
7.	पांडेचेरी	—
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	—
	जोड़ (अखिल भारत)	14231

**वाडाज । *100% ग्राम विद्युतीकरण उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है ।

दिल्ली में खानपुर स्थिति सैनिक फार्म में बिजली की चोरी

7619. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मे खानपुर स्थित सैनिक फार्म में गत एक वर्ष के दौरान बिजली की चोरी के कितने मामले पकड़े गये हैं;

(ख) कितने छापे मारे गये हैं तथा कितने मामलों की पुलिस में एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई है;

(ग) कितने मामलों में चोरी बार-बार की गई और इस प्रकार के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार, दिनांक 29-4-88 से 28-4-89 तक की अवधि के दौरान सैनिक फार्मों में विद्युत की चोरी के 7 मामलों का पता चला था ।

(ख) डेसू के अनुसार, क्षेत्र में दिनांक 19-5-88 तथा 3-3-89 को दो छापे मारे गये थे । डेसू द्वारा सभी 7 मामलों के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

(ग) पुनः विद्युत की चोरी का कोई मामला डेसू की जानकारी में नहीं आया है ।

(घ) विद्युत की चोरी आदि के मामलों का पता लगाने के लिये डेसू द्वारा समय-समय पर आकस्मिक छापे मारे जाते हैं ।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित जोडा और दिल्ली के बीच एस०टी०डी० सुविधा

7620. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थित जोडा और दिल्ली के बीच एस०टी०डी० सुविधा लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा वर्ष 1989-90 के दौरान प्रदान की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

"सेंडोक" (राष्ट्रीय लघु उद्योग तथा विस्तार प्रशिक्षण संस्थान) हैदराबाद का योगदान

7621. **श्री ए०जे०वी०बी० महेश्वर राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग तथा विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में स्थापित "सेंडोक" (एस०इ०एन०डी०ओ०सी०) का योगदान क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : अप्रैल, 86 से मार्च 89 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान, एन०आई०एस०आई०ई०टी०, हैदराबाद में स्थापित किये गये लघु उद्योग सूचना प्रलेखन केन्द्र (एस०ई०एन०डी०ओ०सी०) द्वारा किये गये योगदान का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उद्यमियों, उद्योगपतियों, अनुसंधानकर्त्ताओं, परामर्शदात्रियों तथा विकास अभिकरणों जैसे उद्योगों के कमिश्नरेटों, निगमों, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के उपयोग के लिए लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में प्रलेख तथा सूचना प्राप्त करना, प्रक्रिया करना, संकलित करना, पुनः प्राप्त करना तथा प्रचार करना एस०ई०एन०डी०ओ०सी० के मुख्य कार्य हैं। पूरे देश के तकनीकी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अतिरिक्त एस०ई०एन०डी०ओ०सी० अर्थशास्त्र तथा विकास, उद्योग एवं प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध और व्यवहार सम्बन्धी विज्ञान तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नियमित रूप से चार पत्रिकाएं निकालता है। यह क्षेत्र साहित्य, व्यापार साहित्य संस्थागत साहित्य परियोजना रूप-रेखा तथा विनियमामक सूचना भी एकत्र करता है।

1. उपलब्धियों/अधिग्रहण : इसके अतिरिक्त, एस०ई०एन०डी०ओ०सी०, सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के सभी संकाय तथा प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। यह संस्था के ई०डी०पी० पाठ्यक्रमों के उद्यमियों को अलग-अलग प्रौद्योगिकीयों के सम्बन्ध में निरंतर रूप से विशेष मार्गदर्शन प्रदान करता है।

	1986-87	1987-88	1988-89
(1) पुस्तकें एवं रिपोर्ट	1,626	619	683
(2) विशिष्ट प्रकाशन	458	460	452

2. सूचना प्रसंस्करण कार्य : आरम्भ से, सारांश तैयार करने के लिए रिपोर्टों और पत्रिकाओं से सूचना सम्बन्धी प्रासंगिक मदों की जांच तथा चयन करने और सूचना को आसानी से पुनः प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सूचना फाइल का भाग बनाने के लिए उन्हें सूचीबद्ध करने पर बल दिया गया है।

	1986-87	1987-88	1988-89
(1) जाँचे गए पत्रिका संस्करण	6,000	6,000	5,600*
(2) तैयार किये गये सारांश	4,200	4,350	3,800
(3) विषय सूची में दर्ज की गयी मदें	4,750	4,800	4,250
(4) अवलोकन किये गये समाचार पत्र (22 समाचार पत्र प्रतिदिन	7,200	7,200	7,200
(5) तैयार की गई समाचार पत्र की कतरने	4,200	4,000	3,000

* कुछ पत्रिकाओं की छंटाई तथा क्या प्रासंगिक है इसका निर्णय करने के लिए और अधिक कड़े मानकों के कारण कुछ कमी हुई है।

3. **सूचना प्रसार कार्य**

(1) **तकनीकी पूछताछ** :

डाक द्वारा दिये गये उत्तर	600	632	656
व्यक्तिगत-रूप में	1,000	1,200	1,350
(2) अनुरोध पर पूर्ति की गई ग्रंथ सूचियां	14	4	—

(3) सारांशीकरण पत्रिकाओं का प्रकाशन

एस०ई०एच०डी०ओ०सी० बुलेटिन भाग-I उद्योग तथा प्रौद्योगिकी (मासिक)

भाग-II अर्थशास्त्र तथा विकास

भाग-III प्रबन्धक तथा व्यवहार सम्बन्धी विज्ञान (मासिक)

उपर्युक्त प्रौद्योगिकी प्रलेखन बुलेटिन (द्वि-मासिक)

(4) पूर्ति किये गये साहित्य की जीरॉक्स-प्रतियां	2,400	3,500	1,500

4. **प्रशिक्षण कार्यक्रम** :

(1) राष्ट्रीय : (1) सूचीकरण एवं सारांशीकरण पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 से 18 जुलाई, 1989)

(2) सूचना संकलन एवं पुनः प्राप्ति पद्धतियां (आई०एस०आर०एस०) (12 से 30 जनवरी, 1987)

(3) सूचीकरण एवं सारांशीकरण पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम (29 जून से 10 जुलाई, 1987)

(4) सूचीकरण एवं सारांशीकरण पर गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम (27 जून से 8 जुलाई, 1987)

(5) आई०एस० आर० एस० कार्यक्रम (16 जनवरी, 1988 से 3 फरवरी, 1989)

(2) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए गुवाहाटी (असम) शाखा संस्थान में संचालित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) आई०एस०आर०एस० (1986)

(2) आई०एस०आर०एस० (1987)

(3) आई०एस०आर०एस० (1989)

(3) प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) डी०आई०सी०, ए०पी० के अधिकारियों के लिए आई०एस०आर०एस० (20 जून-8 जुलाई, 1988)

(2) डी०आई०सी०, असम के कार्यशील प्रबंधकों के लिए संगठन तथा प्रबंध कार्यक्रम (18 जुलाई-29 जुलाई, 1988)

(4) अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) आई०एस०आर०एस० (सितम्बर-नवम्बर, 1986)

(2) आई०एस०आर०एस० (सितम्बर-नवम्बर, 1987)

(3) आई०एस०आर०एस० (सितम्बर-नवम्बर, 1988)

5. विशेष परियोजनाएं :

1986— (1) कठोर पी० वी० सी० पाइपों पर तकनीकी आर्थिक रिपोर्ट, 70 पृष्ठ, 1986

(2) उत्पाद रूप रेखाओं का यूनियन केटालॉग (कम्प्यूटर उत्पादित)

1987 न्यू प्रोडक्ट फाइन्डर : 774
उत्पाद रूपरेखाओं की कम्प्यूटरीकृत सूची

1988 प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण की समीक्षा-साहित्य और सारांश पर पुस्तक : आई०डी०बी०आई० द्वारा प्रयोजित की गई परियोजना 1 मार्च, 1988

कर्नाटक में एल० पी० जी० बार्टलिंग प्लांट

7622. श्री एम०जी० रामुलु : क्या पेट्रोलियम और गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में विशेषकर रायचूर जिले में कोई नया एल० पी० जी० बार्टलिंग प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) चालू योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में कोई नया बार्टलिंग संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति

7623. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के कितने सार्वजनिक उपक्रमों ने 2 वर्ष के लेखों के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति हेतु कम्पनी विधि बोर्ड से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी विधि बोर्ड का सार्वजनिक उपक्रमों के 2 वर्ष के लेखों का सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा साथ-साथ लेखा परीक्षण कराने की अनुमति देने का विचार है;

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड के पास इस सम्बन्ध में कर्नाटक के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं; और

(घ) सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति में कितना समय लगने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत सरकारीकम्पनी के लेखा परीक्षकों को कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक के परामर्श से नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार की किसी कम्पनी के सम्बन्ध में एक समय पर दो वर्ष की अवधि के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खोज हेतु संयुक्त उद्यम

7624. श्री एच० ए० डोरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मलेशिया में तेल की खोज करने हेतु एक संयुक्त उद्यम शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपने आप या अन्य तेल कंपनियों के साथ सहयोग करके मलेशिया में तेल की खोज करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। विदेशों में खोज केप्रस्तावों की जांच इससे सम्बद्ध सभी पहलुओं, जिसमें खोज के लिए उपलब्ध क्षेत्रों की सम्भावना तथा साधनों की उपलब्धता शामिल है को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा जांच की जाती है।

महाराष्ट्र में "गैस बेसड वेस्ट हीट रीकवरी प्लांट"

7625. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण तथा योजना आयोग दोनों ने महाराष्ट्र के "गैस बेसड वेस्ट हीट रीकवरी प्लांट" की तीसरी इकाई को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव के रुके पड़े रहने का कारण यह है कि इसके लिए गैस के निरन्तर उपलब्ध होते रहने की सम्भावना कम है; और

(ग) इस इकाई के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उड़न गैस टरबाइन केन्द्र पर तीसरी वेस्ट हीट रीकवरी यूनिट के प्रतिष्ठापन के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस समय महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को प्रस्तावित यूनिट के लिए गैस उपलब्ध करवाने का वचन नहीं दिया गया है। जब गैस की उपलब्धता की पुष्टि हो जाएगी तब निवेश निर्णय के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही की जायेगी।

कोयला खान मजदूरों की मजूरी में संशोधन

7626. **श्री बी० एस० बासवराजू** :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री एच० ए० डोरा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग को संयुक्त द्विपक्षीय समिति के संचालन दल की अन्तिम बैठक में कोयला खान मजदूरों की मजूरी में संशोधन के बारे में कुछ मुख्य निर्णय लिए गए थे जैसाकि 2 अप्रैल, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच सरकार और कोयला खान मजदूरों द्वारा समझौता ज्ञापन पर अन्तिम फैसला किया गया है और इस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं; और

(घ) अन्तिम निर्णय की घोषणा कब की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : 28 तथा 29 मार्च, 1989 को कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति को संचालन ग्रुप की बैठक में, जिसमें प्रबंधन तथा केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कामगारों के वेतन में वृद्धि, परिवहन आर्थिक सहायता, मकान किराया भत्ता, आदि कामगारों को दिए जाने से संबंधित अधिकांश बड़ी मांगों पर समझौता हो गया, किन्तु उपदान राशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि, बीमा योजना, कठिन परिस्थिति भत्ता, आदि जैसे मामलों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों के प्रबंधन तथा कोयला कामगारों के प्रतिनिधियों के बीच एक नए मजदूरी समझौते पर हस्ताक्षर केवल तभी होंगे जबकि कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति में सभी मांगों पर अन्तिम रूप से समझौता हो जाएगा तथा इस सम्बन्ध में शर्तों को सरकार यथा अनुमोदित कर दिया जाएगा।

पालिमर रसायनों तथा फाइबर का उत्पादन

7627. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पालिमर, रसायन तथा फाइबर की उत्पादन क्षमताएं अधिक निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) विभिन्न पेट्रो-रसायन संयंत्रों के कार्यसंचालन के लिये न्यूयतम आर्थिक पैमाने निर्धारित किए गए हैं। तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर इनको समय-समय पर अद्यतन् बनाने की परिकल्पना की गई है।

नारियल जटा बोर्ड के सदस्य

7628. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल-जटा बोर्ड के गठन का, उसके सदस्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या नारियल जटा बोर्ड में सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा केरल के नारियल जटा उद्योग के श्रमिक संघों के प्रतिनिधि नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बोर्ड का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 तथा कयर उद्योग, 1954 के उपबंधों के अनुसार कयर बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। उक्त अधिनियम तथा नियमों में, जिनमें इन श्रेणियों में नामांकन करने की व्यवस्था नहीं है, विनिर्दिष्ट श्रेणियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तथापि, वर्तमान कयर बोर्ड के कुछ सदस्यों के कयर कोऑपरेटिव, ट्रेड यूनियन इत्यादि से सम्बद्ध होने की सूचना मिली है।

विवरण

अध्यक्ष के अतिरिक्त कयर बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है :

(क) नारियल उत्पादक तथा हस्क एवं कयर यार्न के निर्माता :

1. श्री वी० आर० प्रसाद
2. श्री वी० के० लक्ष्मन्न
3. रिक्त

(ख) हस्क कयर तथा कयर यार्न एवं कयर उत्पादों के निर्माण में लगे हुए व्यक्ति :

4. श्री थचाडी प्रभाकरण
5. श्री कवियाड दिवाकर पाणीकर
6. श्रीमती कुंतला कुमारी आचार्य

(ग) कयर उत्पादों के निर्माता :

7. श्री जगन फिलिपोज
8. श्री पीटर अल्फोन्से
9. श्री बी० वायरापाजी

(घ) निर्यातकों तथा आंतरिक व्यापारियों सहित कयर, कयर यार्न तथा कयर उत्पादों में व्यापारी :

10. श्री रवि करुणाकरन
11. श्री राधाकृष्ण अदिगा
12. श्रीमती जी० कमला देवी

(ङ) संसद सदस्य :

13. श्री एन० डेनिस (लोक सभा)
14. श्री आई० रामाराव (लोक सभा)
15. श्री जोन एफ० फर्नांडीज (राज्य सभा)

(च) नारियल पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों की सरकारें :

16. केरल सरकार के प्रतिनिधि।
17. उद्योग और वाणिज्य निदेशक, तमिलनाडु सरकार।
18. कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि।
19. उद्योग आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार।
20. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों की सरकार के प्रतिनिधि।

(छ) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के श्रेणी जिन्हें केन्द्र सरकार की विचार से बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए :

21. औद्योगिक विकास विभाग के एकीकृत वित्त स्कन्ध उद्योग मन्त्रालय नई दिल्ली के प्रतिनिधि।

22. औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि।

23. अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, कोचीन, केरल।

गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की निर्यात आय

7629. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या उद्योग मंत्री सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी-निवेश के बारे में 4 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4771 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश और निर्यात आय में विलोम अनुपात होने के कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया गया निर्यात प्रत्यक्ष रूप से उनमें पूंजी-निवेश का समानुपाती नहीं हो सकता है क्योंकि उत्पाद और सेवाओं का क्षेत्र उसी अनुपात में नहीं हो सकते हैं जिस अनुपात में उनमें पूंजी-निवेश किया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यम सामानों का उत्पादन निर्यात के लिए नहीं कर रहे हैं और उनमें से अधिकतर उद्यम राष्ट्र की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। केन्द्रीय सरकार के करीब 225 उद्यमों में से केवल 35 ही या तो अपने उत्पाद का अथवा अपनी सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं।

राज्यों में भारतीय समाचारपत्र पंजीयक के शाखा कार्यालय खोला जाना

7630. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में समाचारपत्र पंजीयक की शाखा कार्यालय खोले जाने के लिए भारतीय समाचारपत्र सोसाइटी और कुछ समाचारपत्रों से केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में ऐसे शाखा कार्यालय खोलकर भारतीय समाचारपत्र पंजीयक के कार्य को विकेंद्रित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) प्रत्येक राज्य में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की एक शाखा स्थापित करने के लिए कुछ समाचार पत्र संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के कार्यालयों का दर्जा क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर तक बढ़ाकर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के कार्य का विकेंद्रीयकरण करने की एक स्कीम सातवीं योजना में शामिल है। इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

"जापान ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन" के लिए आकाशवाणी हिन्दी विशेषज्ञ का चयन

7631. **श्री निर्मल खत्री** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी का अपने कर्मचारियों के लिये एक लिखित परीक्षा आयोजित करने का विचार है ताकि उनमें से किसी एक का चयन करके उसके नाम की हिन्दी विशेषज्ञ के रूप में "जापान ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन" को सिफारिश की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आकाशवाणी से "जापान ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन" से परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया था, जैसाकि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति संबंधी मामलों में किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी ने सभी हिन्दी भाषी स्टेशनों में इस अवसर को परिचालित करने के पश्चात् जापान ब्राडकास्टिंग करपोरेशन के अनुमोदन के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची संक्षिप्त करने हेतु परीक्षा आयोजित की है । उन सभी 21 कर्मचारियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया जिन्होंने आवेदन किया था लेकिन केवल 18 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए ।

(ग) अंतिम चयन केवल जापान ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा ही किया जाएगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पेट्रोल पम्प आबंटितियों को सहायता

7632. **श्री आर० पी सुमन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित पेट्रोल पम्प चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या तेल कंपनियों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के डीलरों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्थान स्थापित किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के सौजन्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक उद्देश्य की श्रेणी के अंतर्गत उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक ऋण स्कीम है । कुल परिव्यय के 75 प्रतिशत तक की कार्यशील पूंजी और दीर्घकालिक आवश्यकताओं, दोनों के लिए ऋण दिया जाता है ।

(ग) अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के डीलरों को प्रशिक्षित करने के लिए तेल कंपनियों ने कोई संस्थान स्थापित नहीं किये हैं तथापि खुदरा बिक्री केन्द्र के स्थानों पर डीलरों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए फील्ड स्टाफ लगा रहता है।

खुदरा बिक्री केन्द्रों को चलाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर डीलरों और उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये जाते है।

झालावाड़, राजस्थान में दूरदर्शन रिले केन्द्र

7633. श्री जुझार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में झालावाड़ में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना में विलंब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसे कब चालू किया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) झालावाड़ के अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर, जो 27 मार्च, 1989 से सेवा के लिए चालू हो गया, को स्थापित करने में कोई देरी नहीं हुई है। इसके विपरीति, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय से पूर्व यह परियोजना स्थापित की गई।

कर्नाटक में टी० वी० रिले केन्द्र की स्थापना

7634. **श्री वी० कृष्ण राव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में एक नया टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) कर्नाटक में नए दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए संसद सदस्यों तथा आम लोगों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। दो उच्च शक्ति तथा 17 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से युक्त कर्नाटक राज्य में मौजूदा दूरदर्शन नेटवर्क, राज्य की लगभग 52.7 प्रतिशत जनसंख्या को कवरेज उपलब्ध कराता है। सातवीं योजना की विभिन्न स्कीमों के मुकम्मल हो जाने पर, राज्य की लगभग 66.5 प्रतिशत जनसंख्या के दूरदर्शन कवरेज के अन्दर लाए जाने की उम्मीद है। कर्नाटक के भागों सहित देश के शेष कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है।

बालोत्रा राजस्थान में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

7635. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के औद्योगिक नगर बालोत्रा में टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण हो गया है,

(ख) क्या दूरसंचार विभाग लोगों की मांग को पूरा करने हेतु आधुनिक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करने में समर्थ नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण; हैं और

(घ) वहां पर आधुनिक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा कब तक उपलब्ध कर दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भवन निर्माणाधीन हैं।

(ख) से (घ) क्योंकि बालोत्रा में अपेक्षित आकार का स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध नहीं था इसलिए बालोत्रा के मैनुअल एक्सचेंज को स्वचालित करने के लिए वर्ष 1986-87 से आई० सी० पी० किस्म का उपस्कर आबंटित किया गया था। इस उपस्कर के लिए मैसर्स आई० टी० आई० रायबरेली को आदेश दिए गए हैं और इसकी आपूर्ति जून, 1989 तक पूरी कर दी जानी है। आई० सी० पी० किस्म के स्वचालित एक्सचेंज को वर्ष 1990-91 के दौरान चालू कर दिए जाने की संभावना है। मांग पूरी करने के लिए इस एक्सचेंज का आठवीं योजना के दौरान और आगे विस्तार करने की योजना है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

[अनुवाद]

7636. **श्री के० मोहन दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है उनका जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने संबंधी मांगों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में वर्ष 1989-90 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार/आधुनिकीकरण की क्या योजना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	जिले का नाम	(क) एक्सचेंजों की संख्या	(ख) 31 मार्च, 89 तक की प्रतीक्षा सूची
3	2	1	4
1.	त्रिवेन्द्रम	22	12390
2.	क्यूलोन	22	6441

1	2	3	4
3.	पाठानमिथा	19	6028
4.	अलेपी	22	5237
5.	कोट्टायम	28	12189
6.	इडुकी	16	16965
7.	एर्नाकुलम	47	3798
8.	त्रिचूर	24	11892
9.	पालघाट	48	4411
10.	मालापुरम	28	5664
11.	कालीकट	19	11598
12.	वायनाड	12	1629
13.	केन्नानोर	38	12169
14.	कासरगोड	39	2612

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान स्विचिंग क्षमता में 19,100 लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है और 15,000 नये कनेक्शन देने का भी प्रस्ताव है। कुल 632 एक्सचेंजो में से 7 मैनुअल एक्सचेंज हैं, जिन्हें 1989-90 के दौरान स्वचालित करने का प्रस्ताव है।

पंजाब में लघु उद्योग को सुविधायें

[हिन्दी]

7637. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश स्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मार्च, 1989 को पंजाब में लघु उद्योग ने हड़ताल की थी;

(ख) क्या इन्होंने स्वयं को कुल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन्स ऑफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज ऑफ इण्डिया (पंजाब चैप्टर) ने दिनांक 27 मार्च, 1989 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ग) इस ज्ञापन में सुविधाओं और रियायतों की मांग की गई है जिनमें अनेक मदें सम्मिलित हैं। इन मदों में शामिल है—आय कर की छूट सीमा को संशोधित करके उसमें वृद्धि करना, लघु उद्योगों पर लागू होने वाले श्रम संबंधी कानूनों में संशोधन करना, बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज और वसूली प्रभार (कलेक्शन चार्ज) की दरों में कमी करना, दिनांक 18-1-1989 के भारत सरकार के प्रेस नोट सं० 1/89 को वापिस लेना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट सीमा को बढ़ाना और उत्पाद शुल्क के उद्देश्य से लाइसेंसीकरण की सीमा का विस्तार करना, निकल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को समाप्त करना और लोहे व इस्पात आदि वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में कराना।

(घ) समय-समय पर सरकार को इसी तरह के सुझाव उद्योग एसोसिएशनों/लघु उद्योग एककों से मिलते रहे हैं। निर्णय लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है जैसे कि संसाधनों की उपलब्धता, अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताएं आदि।

पंजाब के एककों को विद्यमान सीमा से 50% अधिक जो अतिरिक्त सीमा की सुविधा मिल रही है उसे 31-3-90 तक बढ़ा दिया गया है। मोडवैट योजना के अधीन 5% नोशनल क्रेडिट को 31-3-89 से आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने "श्रम कानून (कुछ संस्थापनाओं को विवरणियां भेजने और रजिस्टर रखने के मामले में छूट देना) अधिनियम, 1988" बनाया है जिससे कि इस संबंध में स्थिति सुधर सके। केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हेतु आरक्षित वस्तुओं की सूची की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

मीडियम वेव पर क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन प्रसारण

[अनुवाद]

7638. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार बुलेटिन शार्ट वेव पर प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन प्रसारणों को सुनने में बहुत अधिक कठिनाई होती है;

(घ) क्या क्षेत्रीय भाषा के समाचार बुलेटिनों को मीडियम वेव पर प्रसारित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) क्षेत्रीय भाषा में केन्द्रीय समाचार बुलेटिन, आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा नेटवर्क कार्य के लिए नई दिल्ली से शार्ट वेव फ्रीक्वेंसियों पर प्रसारित किए जाते हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों को क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा उनके मीडियम वेव चैनलों पर रिले किए जाने की अपेक्षा होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) क्षेत्रीय भाषा के समाचार बुलेटिनों, आकाशवाणी के संबंधित क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा मीडियम वेव पर पहले ही प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बड़ी/लघु औद्योगिक इकाइयां

7639. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 31 मार्च, 1989 को बड़ी/लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी तथा इनमें कितने श्रमिक कार्यरत थे;

(ख) उड़ीसा में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है तथा उनके रुग्ण होने के क्या कारण हैं और कितने श्रमिकों की छंटनी की गई है; और

(ग) इन इकाइयों में सरकार और बैंकों का कितना धन लगा हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1989 के अन्त में संगठित क्षेत्र में 200 औद्योगिक एकक थे जिसमें 64,538 कर्मचारी काम कर रहे थे तथा लघु क्षेत्र में 33,466 एकक थे जिनमें 2,48,692 कर्मचारी काम कर रहे थे।

(ख) और (ग) रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं और उससे प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार जून, 1987 के अन्त में संगठित क्षेत्र में 10 रुग्ण औद्योगिक एकक तथा लघु क्षेत्र में 7,229 रुग्ण औद्योगिक एकक थे और इन पर बकाया राशि क्रमश: 23.84 करोड़ रु० और 32.50 करोड़ रु० थी।

देश में औद्योगिक रुग्णता के लिए कई बाह्य और आन्तरिक कारण जिम्मेदार हैं। प्रमुख कारणों में त्रुटिपूर्ण परियोजना आयोजन, प्रबंधकीय कमियां, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, संसाधनों का दिशान्तरण, अनुसंधान और विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न देना, अप्रचलित प्रौद्योगिक तथा मशीनरी, खराब औद्योगिक संबंध, बाजार मांग में परिवर्तन लागत तथा कच्चे माल एवं अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापनापरक बाधाएं शामिल हैं।

नागपुर में टेलीफोन सेवा

7640 : **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा चैम्बर आफ कामर्स (एन० वी० सी० सी०) ने नागपुर में स्थानीय टेलीफोन सेवा के बारे में शिकायतें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस नगर में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण औद्योगिक एकक

7641. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980, 1984 और 1988 में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या कितनी थी तथा इन पर बैंकों की वर्षवार अलग-अलग कितनी धन-राशि बकाया थी; और

(ग) इन वर्षों में उद्योगों के रुग्ण होने के कारण वर्षवार कितने कामगार बेरोजगार हुए ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश मे रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं और उपलब्ध नवीनतम आंकड़े केवल जून, 1987 तक हैं। वर्ष 1980, 1984 तथा 1987 के लिए रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	कुल रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि (रु० करोड़ में)
दिसम्बर, 1980	24550	1808.66
दिसम्बर, 1984	93282	3638.39
जून, 1987	159283	4222.69

(ग) ऐसे आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं।

उपग्रह संचार परियोजना मण्डल दूर-संवेदी क्षेत्र व्यापार सूचना नेटवर्क और टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड का गठन

[हिन्दी]

7642. डा० **प्रभात कुमार मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रह संचार परियोजना सर्कल, दूरसंवेदी क्षेत्र व्यापार सूचना नेटवर्क और टेली-कम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के गठन करने के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं और तत्संबंधी गठन का ब्यौरा क्या है;

ख) क्या ये संगठन दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए ठेके लेते हैं;

(ग) इन संगठनों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी राशि दी गई है और प्रत्येक परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जोनल कार्यालय कहां-कहां स्थापित किये गये हैं; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कोरबा में एक उपग्रह केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि वसूल की गई और यह कार्य तब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उपग्रह संचार परियोजना सर्किल और रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क सर्किल (अब डाटा नेकवर्क सर्किल) बनाने के उद्देश्य क्रमश: संलग्न विवरण-1 और संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। इसी प्रकार, उनका क्रमवार गठन संलग्न विवरण-3 और विवरण-4 में दिया गया है। संचार मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान टी० सी० आई० एल० का गठन करने का उद्देश्य भारत और मित्र देशों में दूरसंचार के सभी क्षेत्रों में परामर्शदात्री और टर्न-की परियोजना सेवाएं प्रदान करना है।

(ख) महाप्रबंधक, उपग्रह परियोजना और महाप्रबंधक, डाटा नेटवर्क संगठन ठेके का काम नहीं लेते। ये संगठन अन्य सरकारी विभागों और पार्टियों के लिए जो कार्य करते हैं वह विभागीय नियमों के अनुसार अग्रिम जमा पर सहयोग के आधार पर किया जाता है। टी० सी० आई० एल० ठेके के काम लेता है।

(ग) टी० सी० आई० एल० को 30 लाख रुपये की इक्विटी के साथ 1978 में स्थापित किया गया था। कार्य करने के अपने पहले वर्ष से ही टी० सी० आई० एल० लाभ अर्जित करता रहा और देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाता रहा। यह कम्पनी अपने कार्यकलापों के लिए वित्त का प्रबंध अपने आंतरिक स्रोतों से ही करती है। विभागीय कार्यों के लिए जी० एम०, सैटेलाइट प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-5 में और सहयोगी कार्यों से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-6 में दी गई है। जहां तक सहयोग के कार्यों का संबंध है, इसके लिए विभाग द्वारा कोई राशि आवंटित नहीं की जाती क्योंकि इसका प्रयोक्ताओं द्वारा स्वयं अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाता है। महाप्रबंधक, डाटा नेटवर्क के बारे में जानकारी संलग्न विवरण-7 में दी गई है।

(घ) इस समय महाप्रबंधक, डाटा नेटवर्क का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। महाप्रबंधक, उपग्रह परियोजना और टी० सी० आई० एल० से संबंधित जानकारी क्रमश: संलग्न विवरण-8 और विवरण-9 में दी गई है।

(ङ) जी, हां। कोरबा भू-केंद्र फरवरी 1989 में चालू किया जा चुका है। कोरबा उन छह भू-केंद्रों में से एक है जिन्हें एन० टी० पी० सी० के सैटेलाइट कैपटिव नेटवर्क के लिए संस्थापित किया जाना है जिनके लिए उपस्कर की सप्लाई एन० टी० पी० सी० द्वारा की जानी है। फिलहाल, एन० टी० पी० सी० ने समूचे नेटवर्क के लिए परामर्श, संस्थापना और चालू करने के प्रभार के बतौर दूरसंचार विभाग को 71.78 लाख रुपये का भुगतान किया है।

विवरण-1

उपग्रह परियोजना सर्किल बनाने के उद्देश्य

मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं, रेडियो, दूरदर्शन और प्रसारण सेवाएं लंबी दूरी की संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक डोमेस्टिक नेशनल इंडियन सैटेलाइट सिस्टम होने के भारत सरकार के नीति निर्णय की अनुवर्ती कार्यवाही के बतौर निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लम्बी दूरी की सनीय दूर संचार सेवाओं के एक सघटक के रूप में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिएप्र बंधक, उपग्रह परियोजना के अधीन एक फील्ड संगठन बनाया गया था :—

1. लम्बी दूरी की विभागीय दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपग्रहों की इनसैट

शृंखला की दूरसंचार क्षमता का उपयोग करने के लिए ग्राउण्ट सेगमेंट स्थापित करना।

2. दूरदर्शन और आकाशवाणी को अपलिंक सुविधाएं और मौसम विज्ञान विभाग को मौसम संबंधी आंकड़े तथा अन्य संबंधित जानकारी एकत्र करने और उसका वितरण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

3. सरकारी प्रतिष्ठानों/प्राइवेट एजेंसियों के लिए दूरसंचार नेटवर्क पर आधारित योजनाएं तैयार करना और डेडीकेटिड सैटेलाइट स्थापित करना।

4. आपातकालीन संचार व्यवस्था के लिए ट्रांसपोर्टेबल टर्मिनल प्रदान करना।

विवरण-2

रिमोट एरिया बिजनेस मैसेस नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य

इंटर-एक्टिव कम्प्यूटर प्रणाली, फेसीमाइल सेवायें, विडियो कांफ्रेंसिग, इलैक्ट्रॉनिक मेल और अन्य महत्वपूर्ण टेलीमेटिक्स सेवाओं की मांग भारत में उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

इन मांगों को पूरा करने के लिए आरम्भ में सिकन्दराबाद (उत्तर प्रदेश) में एक मास्टर अर्थ स्टेशन के साथ रिमोट एरिया बिजनेस मैसेस नेटवर्क के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना मंजूर की गई है। यह मास्टर अर्थ स्टेशन उपभोक्ताओं ने अपने "माइक्रो टर्मिनलों" नामक अत्यंत छोटे और आर्थिक रूप से मितव्ययी भू-केंद्रों के बीच 1.2 के० वी० पी० एस० तक निम्न गति डाटा के लिए पैकेट स्विचड डाटा सर्विस प्रदान करेगा जिन्हें मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाना है जहां दूरसंचार सेवाओं के अन्य कोई माध्यम उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी संभावना है कि इस नेटवर्क के उपभोक्ताओं में दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में स्थापित बैंक और उद्योग शामिल होंगे।

रिमोट एरिया बिजनेस मैसेस नेटवर्क निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के अपने लगभग 1000 माइक्रो टर्मिनलों की मांग को पूरा करने में सक्षम होगा।

1. मैसेजिंक

2. फेसीमाइल

3. इंटर एक्टिव डाटा कम्यूनिकेशन

4. पब्लिक टेलेक्स नेटवर्क के लिए संपर्क

5. अब प्रदान किया जायेगा, पब्लिक डाटा नेटवर्क "विक्रम" के लिए संपर्क

6. गेटवे, बंबई के मार्फत इंटर नेशनल डाटा बैंकों के लिए संपर्क।

रिमोट एरिया बिजनेस नेटवर्क (अब डाटा नेटवर्क सर्किल) इस परियोजना को कार्यान्वित करने और उपभोक्ताओं के कहने पर लागत आधार पर माइक्रो-टर्मिनल स्थापित करने के लिए सृजित किया गया था।

विवरण-3

उपग्रह परियोजना सर्किल का गठन

परियोजना संगठन का सर्किल मुख्यालय 50 कम्यूनिटी सेन्टर, नारायणा, नई दिल्ली में स्थित है। निदेशकों, और डी० ई० टी० के मुख्यालय निम्नलिखित शहरों में हैं :

1. नई दिल्ली
2. बंबई
3. मद्रास
4. कलकत्ता
5. बंगलौर
6. शिलांग
7. ईटानगर
8. दीमापुर

विवरण-4

रिमोट एरिया बिजनेस मैसेस नेटवर्क सर्किल (अब डाटा नेटवर्क सर्किल) का गठन। यह आई-10, सेक्टर-12, नौएडा-201301 उत्तर प्रदेश में स्थित है।

रिमोट एरिया बिजनेस मैसेस नेटवर्क सर्किल (अब डाटा नेटवर्क सर्किल) के लिए स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

1. महाप्रबंधक	1
2. निदेशक	2
3. मुख्य लेखाधिकारी	1
4. मंडल इंजीनियर	3
5. लेखा अधिकारी	1
6. सहायक इंजीनियर	3
7. कनिष्ठ लेखाधिकारी	1
8. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी	3
9. स्टेनाग्राफर	4
10. ड्राफ्टस मैन	1
11. ड्राईवर	4

विवरण-5

विभागीय कार्यों की स्थिति के साथ-साथ खर्च उपग्रह स्कीमों की परियोजनाओं का ब्यौरा

1.	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	28
2.	कुल स्वीकृत लागत	223.65 करोड़ रुपये
3.	28-2-1989 तक क्रमिक खर्च	156.23 करोड़ रुपये
4.	अब तक स्थापित किए गए व चालू किए गए भू-केन्द्र	69
5.	उन भू-केंद्रों की संख्या जो अपने संस्थापन कार्य के विभिन्न चरणों में हैं।	57

विवरण-5

सहयोगी कार्यों की स्थिति के साथ-साथ उनकी लागत

सहयोगी कार्यों की कुल संख्या	22
कुल लागत	101.47 करोड़ रुपये
चालू स्कीमें	9

उपभोक्ताओं के नाम

1. आकाशवाणी
2. दूरदर्शन
3. आई० एम० डी०
4. ओ० एन० जी० सी०
5. केंद्रीय जल आयोग
6. राष्ट्रीय खाद लिमिटेड
7. कोल इंडिया लिमिटेड
8. थर्मल पावर कारपोरेशन
9. न्यूक्लियर का पावर कारपोरेशन
10. हिन्दू
11. प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया
12. इंडियन आर्मी

विवरण-7

महाप्रबंधक डाटा नेटवर्क के अधीन विभागीय उपग्रह स्कीमों के लिए अब तक मंजूर किए गए परियोजना प्राक्कलन

क्रम सं०	परियोजना प्राक्कलन का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपयों में)	फरवरी, 89 तक क्रमिक खर्च (करोड़ रुपयों में)	अब तक हुई प्रगति
1.	सिकंदराबाद उपग्रह में रिमोट एरिया बिजनेस मैसेस नेटवर्क पर आधारित मास्टर अर्थ स्टेशन और होस्ट कम्प्यूटर इंटरफेस की स्थापना	15.05	0.3∠54	मास्टर का अर्थ स्टेशन के लिए उपस्कर की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण-8

मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में उपग्रह परियोजना सर्किल के क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य	क्षेत्रीय कार्यालय
1.	मध्य प्रदेश	शून्य
2.	बिहार	शून्य
3.	उड़ीसा	शून्य
4.	पश्चिम बंगाल	मंडल इंजीनियर उपग्रह संचार परियोजना ए० ए०-12, सेक्टर-1, आल्टलेक सिटी, कलकत्ता-700064
5.	महाराष्ट्र	मंडल इंजीनियर उपग्रह संचार परियोजना, 5वीं मंजिल, अनूप बिल्डिंग, रीये रोड, बंबई-400010

विवरण-9

मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में टी० सी० आई० ओ० के क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य	क्षेत्रीय कार्यालय
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	शून्य

1	2	3
2.	बिहार	शून्य
3.	उड़ीसा	शून्य
4.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता में टी० सी० आई० एल० का एक क्षेत्रीयकार्यालय है।
5.	महाराष्ट्र	शून्य

जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना

7643. श्री केशवराव पारधी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कम से कम एक हजार लोगों को रोजगार दिये जाने की संभावना वाले एक उद्योग की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य जवाहर रोजगार योजना का उल्लेख कर रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना, जिसे इस वर्ष प्रारम्भ किया गया है तथा जिसे सभी मजूरी रोजगार कार्यक्रमों को एक में मिलाकर बनाया गया है, में राष्ट्र के प्रत्येक जिले में उद्योग स्थापित किए जाने की कोई बात नहीं है। यह कार्यक्रम बुनियादी तौर पर एक मजूरी रोजगार कार्यक्रम है और इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी उद्योग को स्थापित करने का प्रश्न उठने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

केरल में पुनलूर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

7644. श्री के० कुन्जम्बु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के क्विलोन जिले में पुनलूर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में अब भी टेलीफोन कनेक्शन के लिये प्रतीक्षारत लोगों की संख्या बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) केरल के बहुत से स्थानों की तुलना में वहां टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बकाया पड़ी मांग बहुत अधिक नहीं है।

(ग) वर्तमान 800 लाइनों के एम०ए० एक्स-2 स्ट्रोजर टाइप एक्सचेंज के स्थान पर 1990-91 के लिए 1500 लाइनों का सी-डॉट किस्म का इलैक्ट्रॉनिक मुख्य एक्सचेंज आबंटित किया गया है ।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

7645. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये इस समय जिले-वार कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक जिले में अब तक प्राथमिकता के आधार पर कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ग) उक्त लम्बित पड़े सभी आवेदन-पत्रों पर व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है ।

(ग) दूरसंचार विभाग के 7वीं योजना के लक्ष्यों के अनुसार मुख्य स्वचालित एक्सचेंज-1 (एम०ए० एक्स-I) की 1-4-87 तक की एम०ए० एक्स-II की 1-4-88 तक की और एम०ए० एक्स-III/मैनुअल एक्सचेंजों की 1-4-90 तक की पंजीकृत औसत मांग को 7वीं योजना के अंत तक पूरा करने का प्रस्ताव है । शेष प्रतीक्षा सूची को 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के शुरूआत में धीरे-धीरे निपटा दिया जाएगा ।

विवरण-1

31-3-89 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में प्रतीक्षा सूची का जिलेवार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	31-3-89 को प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बालासौर	105
2.	बोलंगीर	30
3.	कटक	1650
4.	धेनकनाल	40
5.	गंजम	220
6.	कालाहाण्डी	15
7.	क्योंझार	25
8.	कोरापुट	75

1	2	3
9.	मयूरभंज	40
10.	फुलबनी	शून्य
11.	पुरी	3160
12.	संभलपुर	160
13.	सुन्दरगढ़	180

विवरण-2

उड़ीसा के जिलों में प्रतीक्षा सूची को निपटाने की श्रेणीवार स्थिति

क्रम सं०	जिले का नाम	नीचे लिखी श्रेणियों के अधीन जिला मुख्यालयों में प्रतीक्षा सूची को निपटाने की तारीख		
		ओवाईटी (विशेष)	ओवाइटी (सामान्य)	ओवाइटी (सामान्य)
1.	बालासोर	23-3-89	28-3-89	31-10-88
2.	बोलनगीर	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	—
3.	कटक	31-3-89	31-3-89	30-6-85
4.	धेनकनाल	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	30-3-89
5.	गंजम	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	—
6.	कालाहाण्डी	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	—
7.	क्योंझार		—वही—	—
8.	कोरापुट		—वही—	—
9.	मयूरमंज	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	20-2-89
10.	फुलबनी	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	—
11.	पुरी	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	28-2-89
12.	संभलपुर	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	20-4-89
13.	सुन्दरगढ़	—	प्रतीक्षा सूची में नहीं है	—

पुरी जिले के अंतर्गत आने वाली राज्य की राजधानी, भुवनेश्वर में ओवाईटी विशेष श्रेणी के अंतर्गत 12-9-86 तक की, ओवाईटी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 31-12-86 तक की और गैर ओवाईटी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत 6-9-84 तक की प्रतीक्षा सूची निपटा ली गई है।

महाराष्ट्र में नागाथाने में पेट्रोकेमिकल्स कम्पलैक्स

7646. **श्री उत्तम राठोड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, नागाथाने के गैस पर आधारित एक पेट्रोकेमिकल कम्पलैक्स स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ग) परियोजना की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) इस परियोजना में कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मेसर्स इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आई०पी०सी०एल०) डाउन स्ट्रीम यूनिटों जैसे लो डेन्सिटी पालिइथिलीन (एल० डी०पी०ई०), लिनियर लो डेन्सिटी पालिइथिलीन (एल०एल०डी०पी०ई०)/हाई डेन्सिटी पालिइथिलीन (एच०डी०पी०ई०), पालिप्रापीलीन इथाइलीन आक्साइड, इथाइलीन ग्लायकोल, वायर और केबल कम्पाउन्डस, आदि सहित महाराष्ट्र के नागोथाणे में 1390 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 300,000 मीटर इथाइलीन क्षमता का महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम्पलैक्स (एम०जी०सी० सी०) स्थापित कर रहा है ।

(ग) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार 33.7 प्रतिशत की सम्पूर्ण वास्तविक प्रगति हुई है । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एल०डी०पी०ई० परियोजना को छोड़कर जिसके मार्च, 1990 तक पूरा होने की आशा है, इस परियोजना के यांत्रिक रूप से अगस्त, 1989 तक पूरी होने की आशा है ।

(घ) परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 1600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा ।

पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में आकाशवाणी का ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

7647. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कार्यक्रम पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में नहीं सुने जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जिले में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा और कब पूरा होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पिथौरागढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी के मौजूदा किसी भी मीडियम वेव स्टेशन से प्राथमिक

ग्रेड के कवरेज क्षेत्र (दिन के समय) में स्थित नहीं है। परन्तु, दिल्ली और लखनऊ के शार्ट वेव ट्रांसमीटर इस क्षेत्र को कवरेज प्रदान करते हैं।

(ख) आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में पिथौरागढ़ में एक किलोवाट मीडियम वेव के एक ट्रांसमीटर सहित एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम शामिल है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रस्तावित रेडियो स्टेशन के लिए आकाशवाणी द्वारा चयनित स्थल को अभी तक नहीं सौंपा है। राज्य सरकार द्वारा आकाशवाणी को स्थल सौंपने के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकता है।

बिहार में पेट्रोल/डीजल की खुदरा डिपुओं का आबंटन

7648. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राज्य-राजमार्ग पर कोडरमा-गिरडीह सड़क के मोड़ पर मण्डारों के निकट तथा बेंगाबाद, टीसरी और गान्डे के आदिवासी उपमण्डल मुख्यालयों पर पेट्रोल/डीजल की खुदरा डिपु आबंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शेरटाल्ली, केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

[अनुवाद]

7649. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या संचार मंत्री शेरटाल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शन के बारे में 28 जुलाई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 363 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना में केरल अल्लेप्पी जिले में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के लिये प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां। शेरटाल्ली के 1000 लाइनों के मौजूदा एम०ए० एक्स-II एक्सचेंज का 1989-90 के दौरान 1000 लाइनों से 1200 लाइनों में विस्तार करने का कार्यक्रम बनाया गया है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध रहे।

कोयल कारो पनबिजली परियोजना

[हिंदी]

7650. श्री सरफराज अहमद : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में कोयल कारो पनबिजली परि-

योजना के बारे में 7 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न सं० 1724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस परियोजना के लिये अतिरिक्त भूमि के अर्जन के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है;

(ग) वर्ष 1989-90 में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस परियोजना के संशोधित अनुमानों के आधार पर निवेश करने हेतु अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अधिगृहीत तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपी गई 77.74 हैक्टेयर निजी स्वामित्व वाली भूमि के अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने 14320 हैक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु बिहार सरकार से अनुरोध किया है। इसमें से 540 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है और सौंपे जाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने 5685 हैक्टेयर वनेतर भूमि को उपलब्ध कराए जाने के लिए भी बिहार सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों के संबंध में निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के बाद परियोज ा का निर्माण-कार्य आरंभ किया जा सकेगा।

(ग) इस परियोजना के लिए 1989-90 के बजट अनुमानों में एक करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(घ) परियोजना को वन (संरक्षण) अधियियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने, बिहार सरकार के सिंचाई विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो जाने और विद्युत के क्रय के बारे में पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा द्वारा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद परियोजना के संशोधित अनुमानों के बारे में निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

औषध विषयों पर संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

[अनुवाद]

7651. **श्री राज कुमार राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष में उनके मंत्रालय को औषध विषयों के बारे में संसद सदस्यों के कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने पत्रों का उत्तर दिया गया और यथा-अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध कराये गये;

(ग) शेष पत्रों के उत्तर न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) कितनी अवधि के भीतर संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देना पड़ता है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में तेल और गैस की खोज

7652. **श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक तमिलनाडु के किन-किन स्थानों में तेल और गैस की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) तमिलनाडु में इस तेल और गैस को पूरी तरह से निकालने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कावेरी बेसिन के तटवर्ती भाग में 5 स्थानों पर तेल और/या गैस (तमिलनाडु और पांडिचेरी) तथा तमिलनाडु के तटदूर तीन स्थानों पर तेल और/या गैस मिला है (कावेरी अपतट) इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

कावेरी तटवर्ती

स्थान	स्थिति
करायकल (पांडिचेरी)	तेल
नारीमनम	तेल और गैस
कोविलकल्लपल्	तेल और गैस
मुवनगिरी	तेल
नन्नीलम्	तेल और गैस

कावेरी अपतट

पी वाई-1	गैस
पी एच-9	तेल
पी वाई-3	तेल

(ख) 5 में से 3 तटवर्ती स्थानों अर्थात् नारीमनम्, कोविलकल्लपल् और मुवनगिरी से शीघ्र उत्पादन प्रणाली के द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है और इसे मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड (एम० आर० एल०) को भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त नारीमनम् एक स्थायी ग्रुप गैदरिंग स्टेशन जून, 1989 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। नारीमनम् जी०जी०एस० से नागापट्टीनम तक एक आठ इंच व्यास की कलैक्टर पाइपलाइन तथा दो तेल टर्मिनल, एक नागापट्टिनम में तथा दूसरा

मद्रास रिफाइनरी में 1989-90 के अन्त तक पूरा करने के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है। अपतट क्षेत्र में पी वाई-3 स्थान से तेल के उत्पादन की योजनाएँ चल रही हैं। तेलके साथ उत्पादन की जा रही सम्बद्ध गैस को मैसर्स इन्डियन स्टील्स रोलिंग मिल्स, मैसर्स किरन सिलीकेट्स और मैसर्स श्री जया देवी इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड के एक बिजली घर के लिए 40 हजार घन मीटर प्रतिदिन के अतिरिक्त निम्नलिखित चार अन्य उपभोक्ताओं को भी वचन दिये गये हैं।

	वचनबद्धता की मात्रा : घन मीटर प्रतिदिन
1. मैसर्स सनराईस सिलीकेट्स	3,000
2. मैसर्स मद्रास कैमिकल्स	3,000
3. मैसर्स दीपक कैमिकल्स वर्क्स	3,000
4. मैसर्स शारदा सिलीकेट्स	3,000

1989-90 के दौरान कावेरी बेसिन से लगभग 2 लाख टन तेल का उत्पादन करने की योजना है। कावेरी अपतट में हाल ही में खोजे गये क्षेत्र पी वाई-3-2 से भी तेल का उत्पादन करने की योजनाएँ चल रही हैं।

अन्य देशों के सहयोग से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना

7653. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रीही :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और चीन के लघु प्रतिष्ठानों के बीच सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो चीन के साथ सहयोग करने और देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गये गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में कुछ अन्य देशों के साथ भी सहयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत और इटली के लघु तथा मझोले उद्योगों के बीच संयंत्र-स्तरीय सहयोग का प्रबन्ध करने की एक यूनिडो परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) यूनिडो परियोजना के अन्तर्गत, उद्योग के निम्नलिखित उप-क्षेत्रों में संयंत्र-स्तरीय सहयोग का प्रबन्ध करने के लिए लगभग 100 लघु और मझौले उद्योगों का पता लगाया गया है :—

1. धातु इंजीनियरी
2. संगमरमर और ग्रेनाइट
3. चमड़ा संसाधन और वस्तुएँ
4. खाद्य संसाधन तथा पैकेजिंग

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में खोले गये नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और उप-डाकघर का खोलना

7654. डा० फूलरेणु गुहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में वर्ष 1988 के दौरान कितने नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और उप-डाक घर खोले गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : 1988-89 के दौरान जिला मिदनापुर में 29 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए। जहां तक उप डाकघरों का संबंध है विद्या सागर विश्वविद्यालय परिसर के लिए एक उप डाकघर की मंजूरी दे दी गई है। ऐसी संभावना है कि यह डाकघर शीघ्र कार्य करना शुरू कर देगा।

आन्ध्र प्रदेश में विकास केन्द्रों की स्थापना

7655. श्री वी० तुलसीराम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं, जिन पर अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे प्रस्तावों के साथ-साथ विचार किया जायेगा। प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए प्रस्तावित आर्थिक सहायता का विस्तृत प्रतिमान इस प्रकार है :—

केन्द्रीय सरकार (ईक्विटी)	10 करोड़ रु०
राज्य सरकार (ईक्विटी)	5 करोड़ रु०

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	
(2 करोड़ रु० ईक्विटी सहिता)	4 करोड़ रु०
राष्ट्रीयकृत बैंक	1 करोड़ रु०
	20 करोड़ रु०
बाजार से उधार	10 करोड़ रु०
योग :	30 करोड़ रु०

थीन बांध का निर्माण

7656. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन बाँध के निर्माण से कितने व्यक्तियों को विस्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ख) "थीन बाँध" के कारण जिन व्यक्तियों की भूमि जलमग्न हो गई है उन्हें दिये जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों को जिनकी भूमि थीन बांध के कारण जलमग्न हो गई है, उसी दर से मुआवजा दिया जायेगा जिस दर पर उरी विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण विस्थापित हुए उरी, जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों को दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों में थीन डैम के निर्माण के कारण लगभग 3874 परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) थीन डैम परियोजना के निर्माण के लिए अर्जित की जा रही भूमि के लिये मुआवजा, संबंधित गांवों/क्षेत्रों में विद्यमान दरों के अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिया जायेगा ।

सहयोगी कोल कंपनियों में लिपिकों की भर्ती पर प्रतिबंध

7657. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहयोगी कोल कंपनियों द्वारा लिपिकों आदि की भर्ती पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिबंध कब तक हटाए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों

में भर्ती पर कोई सामान्य रोक नहीं है। किन्तु कुछ क्षेत्रों में विद्यमान अतिरिक्त श्रमशक्ति को देखते हुए गैर-आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती न्यूनतम की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त में वर्णित स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलना

7658. **श्री अब्दुल हमीद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या असम के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो असम में अब तक कितने गांवों में ये खोले गये हैं; और

(ग) उन गांवों का क्या ब्यौरा है जहां 1989-90 में ये खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान असम के 22 ग्रामों में नए डाकघर स्थापित किए गए।

(ग) वर्ष 1989-90 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान असम में खोले जाने वाले प्रस्तावित शाखा और उप डाकघरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष के लिए अगले कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

1989-90 की प्रथम तिमाही के दौरान असम में खोले जाने वाले प्रस्तावित उप और शाखा डाकघरों की सूची।

क्रम सं०	शाखा डाकघर का नाम	डिवीजन
1	2	3
1.	फेटागांव	जोरहाट
2.	बागडाबा	नालबाड़ी
3.	मजकुरी	जोरहाट
4.	सोताई टोई	—वही—
5.	इलेक्ट्रीकल विंग	एन०सी० हिल्स
6.	जमालपुर	कछार
7.	मैलेंग	जोरहाट
8.	मुयानखाट	दारंग
9.	बालिजन अमटेंगा	गोलाघाट
10.	नाभरुपिया	जोरहाट

1	2	3
11.	बिबानगांव	जोरहाट
12.	शोहगुड़ीकचेरीगांव	—वही—
13.	रविगांव	सिवसागर
14.	चेनीगांव	कामरूप
15.	लोकू	एन०सी० हिल्स
16.	मैवोंगदिशा	—वही—
17.	संकरी बागान	—वही—
18.	गढ़पा	डिब्रूगढ़
19.	इम्पोई (हिन्दू)	एन०सी० हिल्स
20.	कणबस्ती	—वही—
21.	हेंगे	—वही—
22.	नारायणपुर	—वही—
23.	नयाग्राम	करीमगंज
24.	रतकण्डी	कछार
25.	श्यामथईबाड़ी	कोकराझार
26.	रंगलीखटा	कोकराभार
27.	पुलुंगा	डिब्रूगढ़
28.	काथलगुड़ीगांव	—वही—
29.	सतियानटोली	नागांव
30.	बोकाखाट	गोलाघाट
31.	डफलाकटा	उत्तर लखीमपुर
32.	नघुलाबोरागांव	—वही—
33.	माहेजन	—वही—
34.	कन्पली	—वही—
35.	खजुपा-तीर	—वही—
36.	गारियामारी	—वही—
37.	हेंगलपाड़ा	दारांग
38.	मिकीइब्राचुक	सोनितपुर

1	2	3
39.	सिलोनीगांव	सोनितपुर
40.	बागीपुखरी	दारांग
41.	राखलबस्ती	कछार
42.	गंगपार-घुमकार	—वही—
43.	चेंगजुरी ग्राण्ट	—वही—
44.	कालीपुर	नालबाड़ी
45.	सिलाईपार	धुबरी
46.	दियालजुली	सोनितपुर
47.	नानीपुर	नागांव
48.	सोनारीगांव	—वही—
49.	कुकारकोटा	—वही—
50.	कुक्करकाटा	गोलपाड़ा
51.	हलाऊदल	कोकराझार
52.	तेतलीगुड़ी	गोलपाड़ा
53.	जयमुम	—वही—
54.	बेलगांव	कोकराझार
55.	खारदान	ग्वालपाड़ा
56.	अमीनकाटा	कोकराझार
57.	बाटाबाड़ी	—वही—
58.	मेलेमोड़ा	गोलाघाट
59.	मालदाहरा	—वही—
60.	मोहपाड़ा	—वही—
61.	पालागी पांचाली	उत्तर लखीमपुर
62.	अनेरिया	नागांव
63.	दुवाईजंगफंग	कारबी अंगलोंग
64.	खुरुलांगसो	—वही—
65.	गोपालनगर	नागांव

1	2	3
66.	नापामबुटी	सिबसागर
67.	दिफ्फलू	गोलाघाट
68.	दागांव	सिबसागर
69.	कलचेनी	नालबाड़ी
70.	लचितनगर	डिब्रूगढ़
71.	निलमोनी	—वही—
72.	फॉरेस्ट बाजार	कारबी अंगलोंग
73.	कालमिनी	डिब्रूगढ़
74.	दिखेरीमोरानगांव	—वही—
75.	छलेबिला	कोकराझार
76.	दगंसीपाड़ा	—वही—
77.	पाटपाड़ा	ग्वालपाड़ा
78.	जोयमा	कोकराझार
79.	पाकाडाल	उत्तर लखीमपुर
80.	बहझारा	ग्वालपाड़ा
81.	महाखोला	डिब्रूगढ़
82.	खटरगांव	सोनितपुर
83.	कमलाबाड़ी	बारपेटा
84.	बेबलीगांव	उत्तर लखीमपुर
85.	बुलकाटा	—वही—
86.	कालाजल	कामरूप
87.	बालीकुचि	—वही—
88.	पेचरिया	—वही—
89.	कुआरपुर	—वही—
90.	खोरीकोट	—वही—
91.	पानीखेटी	—वही—
92.	हंगम	एन०सी० हिल्स
93.	फोंगलेंड	कारबी अंगलोंग

1	2	3
94.	दिकू गवर्नमेंट कालेज	कारबी आंगलोंग
95.	गड़खुटी	नागांव
96.	राजबाड़ी	उत्तर लखीमपुर
97.	सागरपुर	—वही—
98.	माणिकचूक	—वही—
99.	पुलि-नाहा-रेनी	—वही—
100.	नालमाटीगांव	डिब्रूगढ़
101.	लोकोमई	—वही—
102.	घुगुलोनियाहोम	—वही—
103.	बानीपुर	—वही—
104.	टेंगा-बस्ती	सोनितपुर
105.	हलेमगुड़ी	—वही—
106.	कालकूची	दारांग
107.	बनंगांव	—वही—
108.	देपालचुंग	गोलपाड़ा
109.	मजेरचर	डुबरी
110.	दिघालताड़ी	—वही—
111.	मकतईगांव	कोकराझार
112.	ग्वालगांव	जोरहाट
113.	तोलीखलू	करीमगंज
114.	अलामखानी	—वही—
115.	मगनी	सोनितपुर
116.	बाहबाड़ी	दारांग
117.	चेतीपाड़ा	—वही—
118.	झरनाचार	धुबरी
119.	सिलचंग	नागांव
120.	ताराबासा	कारबी आंगलोंग
121.	दायांग बेलगुड़ी	नागांव

1	2	3
122.	मलाऊघाट	कारबी अंगलोंग
123.	हुचरागांव	नागांव
124.	माझपुरा	दारांग
125.	तमुलबाड़ी	—वही—
126.	दुरापाड़ा	कामरूप
127.	तेतलीगुड़ी	कारबी अंगलोंग
128.	गोसाईघाट	कामरूप
129.	ढोलबाड़ी	सोनितपुर
130.	टोकराडिया	कामरूप
131.	लालमऊगुड़ी	सोनितपुर
132.	डोपडोपी	—वही—
133.	चन्द्रापाड़ा	कोकराझार
134.	पहुंचुंगीपठार	सिबसागर
135.	बेचीमढ़ी	दारांग
136.	मंगलियान बाजार	कोकराझार
137.	बारीगांव	गोलपाड़ा
138.	पदुपुरी मझगांव	दारांग
139.	डिल्लीघाट	सिबसागर
140.	नेमियागढ़बाड़ी	—वही—
141.	मुक्तापुर	नालबाड़ी
142.	रायपुर	बारपेटा
143.	बिह्रपाड़ा	कामरूप
144.	खरसीथा	नालबाड़ी
145.	कामलबाड़ी	—वही—
146.	ब्रलबाड़ी	—वही—
147.	पजमाड़ा	—वही—
148.	महीमड़ी	कामरूप
149.	मिचेलामड़ी	दारांग

1	2	3
150.	सस्तापाड़ा	दारांग
151.	घोषरा बाजार	—वही—
152.	बोरचुली सपमेरी	नागांव
153.	दिघालीयाटी	—वही—
154.	निबुकली	—वही—
155.	घालापठार	—वही—
156.	पंजाबार पल्हार	कारबी अंगलोंग
157.	पदुमपुखरी	—वही—
158.	बेराकनी	—वही—
159.	लांगबुंगडी	—वही—
160.	पंजुरी	—वही—
161.	अभ्रक	ग्वालपाड़ा
162.	लाटीबाड़ी	—वही—
163.	मन्दिरा	कामरूप
164.	जयसागर	नालबाड़ी
165.	थालिया	बारपेटा
166.	डोंगाप	कारबी अंगलोंग
167.	उत्तर-पेट-बोरहा	नागांव
168.	फुलटोली बाजार	—वही—
169.	लाचितपठार	—वही—
170.	वीरखाड़	कारबी अंगलोंग
171.	बोवारघाट	कछार
172.	हिदलाटारी	नालबाड़ी
173.	बराईगुड़ी	सोनितपुर
174.	बशाबरी	कछार
175.	छंल्स रोड चौक	नालबाड़ी
176.	हुटिंगा	सोनितपुर
177.	बारपठार	शिवसागर
178.	महेश्वरपुर	कछार
179.	बागलघाट	—वही—

1	2	3
180.	तारावेरी कल्सीलास्तरी	गोगांव
181.	चौधुरीरचर	धुबरी
182.	पुब-ब्रह्मचरी	नालबाड़ी
183.	मुआगुड़ी	दारांग
184.	भिमाड़ी	सोनितपुर
185.	मुकालीगांव	—वही—
186.	सिंगीताली	—वही—
187.	धवल्ली कुकुआरबाड़ी	—वही—
188.	पकिन नं० 1	—वही—
189.	शियर बाक	करीमगंज
190.	पीरनगर	कछार
191.	मोखुली	नागांव
192.	विराई टीई	डिब्रूगढ़
193.	धारवन्ती धालपुखरी	—वही—
194.	बकुआजुड्डी	नालबाड़ी
195.	माज्आचोकी	दारांग
196.	कछारीघाल	कछार
197.	उत्वैनीचूकी	शिवसागर
198.	चपनिया	कामरूप
199.	बोलावाटाबाड़ी	—वही—
200.	बघाशुमाउट	शिवसागर
201.	दीसुंगा	कामरूप
202.	बटालपाड़ा	बारपेठा
203.	पूरनभवानीपुर	—वही—
204.	अमीनगांव	नालबाड़ी
205.	बोकाबिल	दारांग
206.	विष्णुनगर	करीमगंज
207.	मध्यामखण्डा	कामरूप
208.	नारायणपुर	नालबाड़ी

विभागीय उप-डाकघर

1.	काकीमहड़ा	नालबाड़ी
2.	दिसुर सीमेंट फैक्टरी	एन० सी० हिल्स
3.	कागज नगर	नागांव

पंजाब को मिट्टी के तेल का आबंटन

7659. श्री कमल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान, पंजाब को मिट्टी के तेल का महावार कितना कोटा आबंटित किया गया;

(ख) क्या यह कोटा पंजाब सरकार की मांग के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो मांग से कम सप्लाई के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) पंजाब सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान पिछले वर्ष का तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन में उचित वृद्धि दर जोड़कर लगाया जाता है और उसके अनुसार आबंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, एल० पी० जी० की कमी आदि की विशेष स्थितियों से निपटने के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आबंटन भी किया जाता है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान पंजाब राज्य को किए गए आबंटन का मासिक ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	आबंटन (टनों में)
अप्रैल, 1988	22325
मई, 1988	22325
जून, 1988	22325
जुलाई, 1988	24495
अगस्त, 1988	24495
सितम्बर, 1988	24495
अक्तूबर, 1988	29495
नवम्बर, 1988	24660
दिसम्बर, 1988	24660
जनवरी, 1989	24660
फरवरी, 1989	24660
मार्च, 1989	23440

वर्तमान नीति के अनुसार राज्य को मिट्टी तेल का आबंटन किया गया है जो राज्य में सही उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त माना गया है।

(घ) और (ङ) राज्य में आयी बाढ़ के कारण मांग को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार

ने अक्तूबर, 1988 में मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। इस पर विचार किया किया गया और उस महीने में इस कार्य के लिए पंजाब को 5000 टन अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा टूथपेस्ट और टूथपाउडर निर्माण के लिए उप-ठेका दिया जाना

7660. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मंत्री लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्धारित लक्ष्य और मैसर्स कालगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड की लाइसेंस क्षमता के बारे में 11 अप्रैल, 1989 क्रमशः के तारांकित प्रश्न संख्या 582 अतारांकित संख्या 5741, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर बनवाने के लिए उप-ठेके दिए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स कालगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा लाइसेंस क्षमता से कितना अधिक टूथ-पेस्ट तथा टूथ पाउडर तैयार किया गया;

(ग) कंपनी को स्थगन आदेश कब मिला; और

(घ) स्थगन आदेश रद्द कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन लघु उद्योग एककों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन के लिए कंपनियों को कोई अनुमति प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं होती हैं। मैसर्स कालगेट पामोलिव (इण्डिया) ने सूचित किया है कि वे अपने ब्रांड नाम से टूथ पेस्ट व टूथ पाउडर बाजार में बेचने के लिए लघु उत्पादक कंपनियों से ठेके पर खरीदते हैं।

(ख) : मैसर्स कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) लि० की सूचना के अनुसार, पिछले दो-तीन वर्षों में पाउडर व टुथ-पेस्ट का उत्पादन इस प्रकार है :

(उत्पादन मी० टनों में)

वस्तु	1986	1987	1988
टूथ पाउडर	4,975	4,872	3,854
टूथ पेस्ट	12,648	15,940	14,635

(ग) कम्पनी ने 1985 में स्थगन आदेश लिया था।

(घ) इस मामले पर न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है।

दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्प आबंटित करना

7661. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसिया आबंटित की गई हैं; और

(ख) यदि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी आबंटित नहीं की गई हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर सारा आरक्षण "अनुसूचित जाति" श्रेणी के लिए किया गया है। अतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण न होने के कारण किसी भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की डीलरशिप/वितरण केन्द्र नहीं अलाट किया गया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का विविधीकरण कार्यक्रम

7662. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कोई विविधीकरण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) बी० एच० ई० एल० के विविधीकरण कार्यक्रम में नए व्यापार क्षेत्र शामिल हैं जैसे गैस टरबाइन, एच० वी० डी० सी०, ए० सी० लोको, दूर-संचार, रक्षा आदि।

(ग) बी० एच० ई० एल० ने पहले ही गैस-टरबाइनों, एच० वी० डी० सी० उपकरण, ए० सी० लोको, ई० पी० ए० बी० एक्स० आदि का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है।

उड़ीसा में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

7663. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवी योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) : जी, हां। स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) भुवनेश्वर

(2) पंचेसर

(3) चांदीपुर

(4) रायगड़ा

इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न स्थानों पर 50 छोटे डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

डाक एवं दूर संचार विभाग को सिविल विंग में सहायक कार्यकारी अभियन्ताओं की पदोन्नति के अवसर

7664. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक एवं तार विभाग की सिविल विंग में सहायक कार्यकारी अभियन्ताओं की पदोन्नति के क्या अवसर हैं;

(ख) क्या डाक एवं तार विभाग में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1978 में चयनित बैच के कार्यरत सहायक कार्यकारी अभियंताओं को अभी तक प्रथम पदोन्नति भी नहीं हुई है जबकि रेलवे, दूरसंचार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आकाशवाणी जैसे अन्य विभागों में कार्यरत अभियंताओं को पदोन्नति दे दी गई है,

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1982 के बैंच अधिकारियों को इन विभागों में पदोन्नति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डाक और तार विभाग की सिविल विंग में कार्यरत सहायक का कार्यकारी अभियंताओं के अन्य विभागों में अपने अन्य साथियों के अनुसार ही पदोन्नति करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) डाक-तार सिविल विंग में सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की पदोन्नति के अवसर उप महानिदेशक, (बी डब्ल्यू) के पद तक हैं, जिसका वेतनमान 7300-7600 रुपए हैं ।

(ख) जी नहीं । डाक-तार सिविल विंग में कार्यरत यू० पी० एस० सी० के 1978 बैच के सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की पदोन्नति की गई है

(ग) और (घ) वर्ष 1976-77 के दौरान सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में काफी भर्ती हुई थी। इसके परिणामस्वरूप बाद के बैंचों में भर्ती हुए अधिकारियों की पदोन्नति में विलंब हुआ ।

(ङ) डाक-तार सिविल विंग में पदोन्नति के अवसर अनिवार्यत: अन्य संगठनों के समान नहीं हो सकते क्योंकि ये विभिन्न विभागों के विस्तार और विकास पर निर्भर करते हैं ।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्पों का आबंटन

7665. **श्री मोहम्मद महफूजअली खां** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989-90 के दौरान खोले जाने वाले पेट्रोल पम्पों की संख्या का जिलेवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या एटा जिले में कुछ नए पेट्रोल पम्प खोलने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1987-88 तक की वार्षिक विपणन योजना के अन्तर्गत तेल कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में 219 नये खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलने की योजना है। स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त में से एटा जिले के निम्नलिखित स्थानों पर 6 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :

1. निधोली
2. शहावर
3. मधुपुरा एस० एच० 22
4. मलहारा
5. घुमरी
6. ट्रांसपोर्ट नगर

विवरण

क्र० सं०	स्थान	जिला
1	2	3
1.	सेंट्रल जेल	आगरा
2.	इतमतपुर	आगरा
3.	पटंडली	आगरा
4.	तुंटलाजलेशर रोड क्रासिंग	आगरा
5.	सिधंदी क्रासिंग	आगरा
6.	खण्डोली	आगरा
7.	अकोला	आगरा
8.	इतमतपुर	आगरा
9.	चंदौस	अलीगढ़
10.	हुशासन	अलीगढ़
11.	लालगंज	आजमगढ़
12.	हमीदपुर	अलीगढ़
13.	खरीहानी	आजमगढ़

1	2	3
14.	मीरसरीगंज	आजमगढ़
15.	[illegible] स्थान की चुंगी	आजमगढ़
16.	सराईमीर	आजमगढ़
17.	ठेकमा, आजमगढ़	आजमगढ़
18.	अशफपुर	बदायूं
19.	करनपुर	बदायूं
20.	सराऊं	—वही—
21.	जज्बैऐनी	—वही—
22.	थाल	—वही—
23.	जुनाबी	—वही—
24.	गुनौर	—वही—
25.	3-अंगुलर क्रासिंग	—वही—
26.	केशरगंज	बहराइच
27.	हजूरपुर	—वही—
28.	रिशिया	—वही—
29.	छिदवादा गांव	बलिया
30.	माऊ	बांदा
31.	बाबेरी	बांदा
32.	नरैनी	बांदा
33	मनिकपुर	—वही—
34.	बाराबंकी एन० एच०	बाराबंकी
35.	दीवा टाऊन	—वही—
36.	हैदरगढ़	—वही—
37.	अल्लापुर, केरेली, बाराबंकी	—वही—
38.	साफदाबाद	—वही—
39.	रिथौरा	बरेली
40.	सहीशगढ़	—वही—
41.	औनला	—वही—

1	2	3
42.	जलनगर	बस्ती
43.	समीरियावान बाजार	बस्ती
44.	बिसकोहर	—वही—
45.	घटीवां ब्लाक सेतु	—वही—
46.	बंसी तहसील नीड	—वही—
47.	बघवास	—वही—
48.	खलीलाबाद	—वही—
49.	दौलतपुर कलां	बुलन्दशहर
50.	सिकन्दराबाद	—वही—
51.	कसना	—वही—
52.	अगस्तमुनी	चमोली
53.	कुंड	—वही—
54.	चकराता	देहरादून
55.	गांव श्यामपुर	—वही—
56.	पदरुना	देवरिया
57.	बन्तीकारा	—वही—
58.	फजलपुर	—वही—
59.	खुखुन्दा चौराहा	—वही—
60.	निधोली	एटा
61.	शहावर	—वही—
62.	मधुपुरा एस० एच०-22	—वही—
63.	मरहारा	—वही—
64.	घुमरी	—वही—
65.	ट्रांसपोर्ट नगर	—वही—
66.	एराकटरा	इटावा
67.	बसरेहर	—वही—
68.	कंटिहार	इटावा
69.	अकबरपुर	फैजाबाद

1	2	3
70.	मरैला मिल एन० आर०	फैजाबाद
71.	सोहनावाल क्रासिंग	—वही—
72.	फैजाबाद सिटी	—वही—
73.	नबासगंज	फर्रुखाबाद
74.	सहगलपुर	फतेहपुर
75.	कानपुर फतेहपुर रोड	—वही—
76.	हापुड़ कि० मी० 23-36 (एस०एम०बी०)	गाजियाबाद
77.	मोदी नगर (हापुड़ रोड)	—वही—
78.	सादत	—वही—
79.	नोएडा दादरु मार्ग	—वही—
80.	गाजियाबाद	—वही—
81.	गाजियाबाद	—वही—
82.	दूल्हेपुर बाजार	गाजीपुर
83.	मदौरा	—वही—
84.	नन्दगंज	—वही—
85.	थाना बिरनो	—वही—
86.	मोहम्मदाबाद	—वही—
87.	हाली	गोरखपुर
88.	खजनी	—वही—
89.	सिहापरहेल्ट	—वही—
90.	तुरवाबाजार	—वही—
91.	पी० पी० गंज	—वही—
92.	मोतीराम अद्दा	—वही—
93.	मिथोरा	—वही—
94.	गंगाहा	हमीरपुर
95.	चरखारी	—वही—
96.	मुश्कारा	—वही—
97.	मल्लावान	हरदोई

1	2	3
98.	मल्लावान	हरदोई
99.	हरपालपुर	—वही—
100.	हरदोई-बिलग्राम रोड़	—वही—
101.	सीतापुर रोड़	—वही—
102.	बिलग्राम रोड़, लखनऊ-हरदोई	—वही—
103.	गोपामाऊ	—वही—
104.	हरदोई-लखनऊ रोड़, हरदोई	—वही—
105.	रामपुर	जौनपुर
106.	नेवोपेदवान बाजार	जौनपुर
107.	बंघवा	—वही—
108.	सोथेकेलन	—वही—
109.	मेहरपुर	—वही—
110.	किदवई नगर	कानपुर
111.	काकोवा	—वही—
112.	दोराहा	लखीमपुरखीरी
113.	अलीगंज	—वही—
114.	औरंगाबाद	लखीमपुर
115.	लखानी	—वही—
116.	लखनऊ-सीतापुर रोड़	लखनऊ
117.	इताउंजा	—वही—
118.	लखनऊ-सीतापुर रोड़	—वही—
119.	एम० जी० रोड़ लखनऊ	—वही—
120.	अलीगंज "जी"	—वही—
121.	अलीगंज "एच"	—वही—
122.	गोमतीनगर	—वही—
123.	रतनलाल नगर	—वही—
124.	लखनऊ बाराबंकी रोड़	—वही—

1	2	3
125.	रहीमाबाद	लखनऊ
126.	लखनऊ-सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	—वही—
127.	ककोरी बस स्टैंड लखनऊ	—वही—
128.	विशवर	मथुरा
129.	बजना टाऊन	—वही—
130.	मेलावन	—वही—
131.	मथुरा सिटी	—वही—
132.	चताबीपार	—वही—
133.	ललितपुर	ललितपुर
134.	गोना	ललितपुर
135.	दिल्ली मेरठ रोड़	मेरठ
136.	मवाना	—वही—
137.	किथोरी	—वही—
138.	बिजपुर	मिर्जापुर
139.	किलोयल	—वही—
140.	वायडमगंज	—वही—
141.	ओबिला	—वही—
142.	सिखहड	—वही—
143.	मुहरपुर	—वही—
144.	नौगांव सादत	मुरादाबाद
145.	सिवान	—वही—
146.	पाठकपुर	—वही—
147.	मुरादाबाद	—वही—
148.	बिलारी	—वही—
149.	सर्वोंबली	—वही—
150.	मुरादाबाद (सिविल लाइन)	—वही—
151.	सहसपुर	जौनपुर
152.	हसनपुर	मुरादाबाद

1	2	3
153.	सिरसी	मुरादाबाद
154.	भोजपुर	—वही—
155.	बहजोई	—वही—
156.	अमरोहा	—वही—
157.	छजलत	—वही—
158.	बैराज	मुजफ्फरनगर
159.	खातिमा	नैनीताल
160.	दिनेशपुर	—वही—
161.	थालीसेण	पौड़ी गढ़वाल
162.	रामपुर	प्रतापगढ़
163.	रामपुर	रामपुर
164.	सफनी	—वही—
165.	गांव पटवई	—वही—
166.	खेमरी	—वही—
167.	केहापुर	—वही—
168.	रेऊषा	सीतापुर
169.	पिसानवन	—वही—
170.	चम्बा	टिहरी
171.	घन्सालिम	टिहरी गढ़वाल
172.	देवप्रयोग	टिहरी गढ़वाल
173.	बंगारामऊ	उन्नाव
174.	साफीपुर	—वही—
175.	सकलडीहा	वाराणसी
176.	ज्ञानपुर	—वही—
177.	रजतलब	—वही—
178.	महावलपुर	—वही—
179.	नौगढ़	—वही—
180.	मिर्जामुर्द	—वही—
181.	जंगीगंज	—वही—

1	2	3
182.	बरनापुर और कम० बंगलों के बीच	वाराणसी
183.	किन्टी, वाराणसी	—वही—
184.	सियोरा, वाराणसी	—वही—
185.	चांहिया, वाराणसी	—वही—
186.	धारचूला	पिथौरागढ़
187.	जैतपुर	—वही—
188.	फतेहगढ़	फर्रुखाबाद
189.	रोहो	राय बरेली
190.	ट्रांसपोर्ट नगर	—वही—
191.	जयास	—वही—
192.	महाराजगंज	—वही—
193.	हनुमानगढ़ बाजार	इलाहाबाद
194.	जगतपुर	—वही—
195.	बलवियाना	उत्तरकाशी
196.	भटवारी	उत्तरकाशी
197.	रेहुरिया	लखीमपुर-खीरी
198.	धम्मेपुर	गोंडा
199.	गोंडा-लखनऊ रोड	—वही—
200.	महुआ	—वही—
201.	बेहरजगंज	—वही—
202.	कलसिया	सहारनपुर
203.	अल्लागंज	शाहजहाँपुर
204.	महरानी	ललितपुर
205.	बड़ा गांव	झांसी
206.	भगवन्तपुर	—वही—
207.	बंगीचेपी	पीलीभीत
208.	घट्टा	फतेहपुर
209.	गजनीर	कानपुर

1	2	3
210.	बिचवा, मैनपुरी	मैनपुरी
211.	निनपुरी बाई पास, मैनपुरी	मैनपुरी
212.	माखनपुर	—वही—
213.	भोवाली	अल्मोड़ा
214.	शेरगढ़	बरेली
215.	बंसदी, बलिया	बलिया
216.	लाडरपुर	सीतापुर
217.	अटरई	—वही—
218.	रामपुर-मथुरा	—वही—
219.	महमूदाबाद	—वही—

तमिलनाडु में बिजली की कमी

7666. **श्री ए० जयमोहन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत दो वर्षों के दौरान बिजली सप्लाई किये जाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) सेन्ट्रल ग्रिड से कितनी मात्रा में सप्लाई की गई; और

(ग) इस राज्य को बिजली सप्लाई में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1987-88 तथा 1988-89 के दौराम तमिलनाडु में विद्युत घाटा क्रमश: 10·7% और 6·7% था।

(ख) 1988-89 के दौरान केन्द्रीय केन्द्रों से तमिलनाडु को सप्लाई की गई विद्युत की मात्रा 3737 मिलियन यूनिट थी।

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें ये समाविष्ट हैं—नई क्षमता के प्रचालन में तेजी लाना, विद्यमान क्षमता से इष्टतम उत्पादन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना और ऊर्जा संरक्षण व मांग प्रबंध उपायों को क्रियान्वित करना। इसके अलावा, राज्य को दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय केन्द्रों से विद्युत का इसका हिस्सा भी प्राप्त होगा। संभव सीमा तक दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय केन्द्रों तथा इसके साथ-साथ निकटवर्ती प्रणालियों से विद्युत के अनियत हिस्से को भी तमिलनाडु को उपलब्ध करवाया जाता रहेगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को विज्ञापनों से आय

7667. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जारी किये जाने वाले बिजली के बिलों पर अनेक विज्ञापन छपे होते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, इससे कितनी आय हुई;

(ग) क्या बिजली के बिलों का भुगतान राशि लेने हेतु अधिकृत किये गये बैंकों के नाम भी उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु इन पर मुद्रित किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, उन्होंने बिजली बिलों पर विज्ञापन देने के लिए निम्नलिखित दो विज्ञापन एजेन्सियों के साथ करार किया है :—

(1) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हाथ से तैयार किये जा रहे 20 लाख बिलों पर विज्ञापन जारी करने के लिये मैसर्ज बेनसन्स सिण्डीकेट, 203, डिफेन्स फ्लाई ओवर, नई दिल्ली।

(2) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बाहरी कम्प्यूटर एजेन्सी से तैयार करवाये जा रहे कम्प्यूटरीकृत बिलों पर विज्ञापनों के लिये मैं० बैन एडवरटाइजर, 1/24, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त दोनों विज्ञापन एजेन्सियों से अर्जित लगभग राजस्व का विवरण इस प्रकार से हैं :—

1986-87	—	47,000·00 रुपये
1987-88	—	75,000·00 रुपये
1988-89	—	21,000·00 रुपये
कुल	—	1,43,000·00 रुपये

(ग) और (घ) जी, हां।

दिल्ली में कुतब होटल के पास संस्थागत क्षेत्र में "लो टेंशन पावर लाइन्स" की व्यवस्था

7668. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुतुब होटल के पास संस्थागत क्षेत्र में तीन-चार वर्ष बीत जाने के पश्चात भी "लो टेंशन पावर लाइन्स" उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे बिजली के अस्थाई बिजली के कनैक्शन के कारण वहां के निवासियों को अनावश्यक और निरन्तर कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस क्षेत्र में "लो टेंशन पावर लाइन" की शीघ्र व्यवस्था करने और स्थायी कनैक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, सांस्थानिक क्षेत्र में कुछ वर्ष स्थापित की गई विद्युत प्रणाली में, इस क्षेत्र में बाद में किए गए विकास कार्यों को दृष्टि में रखते हुए भार आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संवर्दन की आवश्यकता है। फलस्वरूप, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ सलाह करके एक विद्युतीकरण स्कीम तैयार की गई थी जिनसे 21-11-1988 को उनके हिस्से की राशि जो कि 55,54,880/- रुपये बनती है की अदायगी के लिए अनुरोध किया गया था। इस मामले में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली विकास प्राधिकरण से अदायगी की प्राप्ति की बाद ही अगली कार्यवाही कर सकता है।

प्रात:कालीन टी० वी० कार्यक्रम

7669. **श्री आर० एम० भोये** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रात:कालीन टी० वी० कार्यक्रम की समयावधि बढ़ाकर सुबह सात बजे से 9 बजे तक कर दिये जाने से लोगों, कार्यालय कर्मचारियों तथा विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों की दिनचर्या पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या दूरदर्शन के पास आजकल अच्छे कार्यक्रमों का अभाव है और बढ़ाई गई समयावधि के दौरान नीरस कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केवल टी० वी० प्रसारण समय बढ़ाने की अपेक्षा इसके कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। केवल 1-5-1989 से प्रात:कालीन प्रसारण का समय प्रात: 7 बजे से प्रात: 8·45 बजे तक बढ़ाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अपने कार्यक्रमों को सुधारने का दूरदर्शन का सदा प्रयास रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। कार्यक्रमों को बनाते समय दर्शकों से प्राप्त पत्रों तथा विभिन्न दूरदर्शन केन्दों की कार्यक्रम सलाहकार समितियों के सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

उड़ीसा में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करना

7670. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1988-89 के दौरान जिले-वार किन-किन स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गए; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान जिले-वार किन-किन स्थानों पर इस प्रकार के टेलीफोन लगाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उड़ीसा में 1988-89 के दौरान 134 स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1989-90 के दौरान 160 स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का प्रस्ताव । स्थानों का निर्धारण वर्ष के दौरान ही किया जाता है जो कि उपस्कर उपलब्ध होने और तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम० सं०	जिला	स्थानों की संख्या
1.	बालासोर	14
2.	बोलंगीर	16
3.	कटक	20
4.	धेनकनाल	11
5.	गंजम	7
6.	कालाहाण्डी	4
7.	क्योंझर	21
8.	कोरापुर	2
9.	मयूरभंज	6
10.	सम्बलपुर	12
11.	सुन्दरगढ़	8
12.	फुलबनी	1
13.	पुरी	12
		134

उड़ीसा में हीराकुंड पनविद्युत केन्द्र की यूनिटों को चालू करना

7671. **श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक पनविद्युत केन्द्र के कितने यूनिट चालू किये गये हैं;

(ख) क्या हीराकुन्ड पनविद्युत केन्द्र की सातवीं यूनिट भी चालू कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस यूनिट को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) हीराकुंड

चरण- I व चरण-II की निम्नलिखित यूनिटों को उड़ीसा में प्रचालित किया गया है तथा प्रचालनाधीन है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
1.	हीराकुंड चरण-I (बुरला)	4×37·5+2×24	198
2.	हीराकुंड चरण-II (चिपलिमा)	3×24	72

(ख) जी, नहीं।

(ग) सातवीं यूनिट को जनवरी, 1990 तक प्रचालित किए जाने की संभावना है।

ट्रकों, कारों, स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों का निर्माण

7672. **श्री के० प्रधानी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितने ट्रकों, कारों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों का निर्माण किया गया; और

(ख) इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) निम्नलिखित अवधि के दौरान इन वाहनों का उत्पादन इस प्रकार है :—

	1987-88	1988-89
मध्यम तथा भारी वाणिज्यिक वाहन	65·06	78225
सवारी कार	151875	160·98
स्कूटर	589790	729421
मोटर साइकिल	335680	428944

(ख) मांग को पूरा करने के लिए वाहनों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

पेराक्सिलिन का उत्पादन

7673. **श्री के० प्रधानी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पेराक्सिलिन का देश में उत्पादन बढ़ाये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसका वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है और उसमें कितनी वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या पेराक्सिलिन का आयात भी बंद कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1988 के दौरान लगभग 30,000 टन पेराक्सिलिन का उत्पादन हुआ था। कार्यान्वयाधीन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर पेराक्सिलिन की उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग 1,45,000 टन प्रति वर्ष हो जाएगी तथापि इसके पश्चात् भी इसकी स्वदेशी उपलब्धता एवं मांग के बीच अंतर रह जायेगा जिसे आयात द्वारा पूरा करना पड़ेगा :

दूरदर्शन से दर्शकों के नेत्रों को क्षति पहुंचना

7674. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेषज्ञों/नेत्र चिकित्सकों के अनुसार दूरदर्शन पर कथा धारावाहिकों के प्रसारण से क्षति विशेष रूप से पांच से सात वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में नेत्रों को क्षति पहुंचने की घटनायें बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नेत्र क्षति की इस प्रकार की घटनाओं के बारे में दर्शकों को जानकारी देने के लिए दूरदर्शन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) टेलीविजन पर महाकाव्य धारावाहिकों अथवा किसी अन्य कार्यक्रम के टेलीकास्ट को देखने से आंखों को नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को धेमो भूमिगत से खान हुई हानि

76575. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की धेमो मुख्य भूमिगत खान में 550 टन विद्युत समर्थन एककों में नुकसान के कारण इसकी स्थापना से ही इसके चालू न होने के कारण खान की "नई लांगवाल कोल माइनिंग मशीन" से उत्पादन और वित्तीय लागत में कितनी हानि हुई;

(ख) मशीनें कब तक संचालन के लिए तैयार हो जाएंगी और उत्पादन और वित्तीय लागत के सम्बन्ध में कोयला कम्पनी को प्रतिमाह कितनी धनराशि की राजस्व की हानि हो रही है;

(ग) क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कारंवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के धेमोमैन भूमिगत खान के लिए स्थापित करने की अवस्था पर लांगवाल उपकरण के स्पोर्ट और टियर शल्डों में दरार

आ गई है । इस उपकरण के सप्लायरों से मामले को उठाया गया है और सप्लायर खराब पुर्जों के स्थान पर आयातित पुर्जों को बदलने के लिए सहमत हो गए हैं और खान मुहाने कार्य के अक्तूबर, 1989 में चालू होने की संभावना है ।

इस संबंध में उत्पादन में तथा वित्तीय रूप में अनुमानित घाटा प्रति माह क्रमशः लगभग 50,000 टन तथा 1.8 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है । वर्ष 1988-89 के दौरान खराबी के कारण उत्पादन में आवर्ती घाटा लगभग 4.5 लाख टन तथा तदनुसार उत्पादन की वित्तीय कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

गुजरात को कोयले की सप्लाई

7676. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की अनियमित सप्लाई के कारण गुजरात में लघु क्षेत्र के अनेक उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं;

(ख) गुजरात में कोयले की वार्षिक आवश्यकता क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी कितनी वास्तविक सप्लाई की गई; और

(ग) गुजरात को कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) । (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा प्रायोजित गुजरात के उद्योगों के लिए कोयले तथा कोक की मांग तथा उसकी वास्तविक प्राप्ति नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रायोजना	(चार पहियों वाले वैगनों की संख्या)* वास्तविक प्राप्ति
1986	51612	23448
1987	52450	22097
1988	54270	19074

*(क्षमता: लगभग 23 टन)

(ग) कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले का प्रेषण प्रायोजन प्राधिकारियों के प्रायोजन/सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है । रेल के मामले में कोयले की कमी को उपभोक्ताओं की हकदारी के अनुसार सड़क द्वारा भी प्रेषित किया जाता है । कोल इंडिया लि० तथा उनकी सहायक कंपनियों द्वारा रेलवे तथा राज्यों के प्रायोजित अभिकरणों के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखा जाता है ताकि सभी राज्यों को, जिसमें गुजरात भी शामिल है, कोयले की उपयुक्त तथा निरन्तर आपूर्ति का सुनिश्चय किया जा सके । विनिर्दिष्ट समस्याओं के मामले में कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपभोक्ता संघों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।

विदेशी सहयोग

7677. श्री गुरुदास कामत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 और 1987 के दौरान मंजूर किये गये विदेशी सहयोगों और निवेशों का देश-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : 1986 और 1987 के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोगों एवं निवेश के देशवार ब्यौरे दर्शाने वाले दो ब्यौरे संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

1986 और 1987 के दौरान जारी की गई विदेशी सहयोग स्वीकृतियों के देशवार ब्यौरे

क्रम सं०	देश का नाम	1986 कुल	1986 वित्तीय	1987 कुल	1987 वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1.	अर्जेन्टीना	1	—	—	—
2.	आस्ट्रेलिया	9	3	12	5
3.	आस्ट्रिया	16	6	9	2
4.	बहरीन	—	—	1	1
5.	बेलजियम	6	—	7	1
6.	बुल्गारिया	1	1	1	—
7.	कनाडा	15	6	9	4
8.	चैकोस्लोवाकिया	4	1	5	—
9.	डेनमार्क	7	2	11	3
10.	साइप्रस	—	—	1	—
11.	दुबई	2	2	—	—
12.	फिनलैंड	5	1	2	2
13.	एफ०आर०जी०	183	40	149	39
14.	फ्रांस	39	9	44	10
15.	जी०डी०आर०	6	—	3	1
16.	हांग कांग	9	3	5	3
17.	हंगरी	2	2	3	1

1	2	3	4	5	6
18.	ईरान	1	1	—	—
19.	इटली	58	8	50	10
20.	जापान	111	15	71	15
21.	कोरिया (दक्षिण)	14	1	15	3
22.	लक्सेमबर्ग	1	—	—	—
23.	मलेशिया	2	2	1	1
24.	मैक्सिको	1	1	2	1
25.	नीदरलैंड	26	11	23	6
26.	नार्वे	7	3	2	—
27.	न्यूजीलैंड	1	—	—	—
28.	पनामा	—	—	1	1
29.	पोलैंड	2	—	1	—
30.	रोमानिया	1	—	—	—
31.	सऊदी अरेबिया	1	1	—	—
32.	सिंगापुर	3	4	5	2
33.	स्पेन	7	2	5	1
34.	स्वीडन	29	7	19	4
35.	स्विट्जरलैंड	32	8	31	11
36.	ताईवान	6	1	8	2
37.	तुर्की	—	—	1	—
38.	संयुक्त अरब अमीरात	—	—	1	—
39.	यूनाइटेड किंगडम	130	23	122	27
40.	संयुक्त राज्य अमरिका	189	71	196	57
41.	सोवियत रूस	5	—	6	2
42.	युगोस्लाविया	—	—	3	1
43.	अनिवासी भारतीय	25	8	28	27
	योग :	957	240	853	242

विवरण-2

1986 और 1987 के दौरान विदेशी निवेश के देश-वार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

	देश का नाम	1989	1987
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	59.20	188
2.	आस्ट्रिया	36	44
3.	बाहमा	—	—
4.	बेल्जियम	—	275
5.	बहरीन	—	1
6.	बुल्गारिया	8	—
7.	कनाडा	138	67
8.	चैकोस्लोवाकिया	90	—
9.	डेनमार्क	66	19.44
10.	दुबई	55	—
11.	एफ० आर० जी०	2015.73	896.91
12.	फिनलैंड	360	69
13.	फ्रांस	204.82	535.35
14.	जी० डी० आर०	—	48
15.	हांगकांग	91.10	113.2
16.	हंगरी	70	—
17.	ईरान	3.62	—
18.	इटली	232.95	297.07
19.	जापान	561.61	690.62
20.	कोरिया	6.25	13.91
21.	मलेशिया	21	50
22.	मैक्सिको	80	120
23.	नीदरलैंड	726.60	100.65
24.	नार्वे	192	—
25.	पनामा	—	16
26.	साऊदी अरब	40	—

1	2	3	4
27.	सिंगापुर	25	85.32
28.	स्पेन	299	100
29.	स्वीडन	475.152	109.2
30.	स्वीटजरलैंड	325.28	885.3
31.	ताईवान	14	40
32.	यूनाइटेड किंगडम	771.53	845.1
33.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2936.90	2951.49
34.	सोवियत रूस	—	29.60
35.	युगोस्लाविया	—	12
36.	अनिवासी भारतीय	790.40	2077.4
	योग :	10695.15	10770.57

तमिलनाडु में आकाशवाणी के कार्यक्रमों में आकाशवाणी के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

7678. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में आकाशवाणी केन्द्र के कर्मचारियों को रेडियो कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। कार्यक्रम-स्टाफ के कुछ वर्गों को अपने करार तथा कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता के अनुसार कार्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित होता है, यथा-उद्घोषक, वादक। कार्यक्रमों में स्टाफ के भाग लेने की वजह से किसी बाहरी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसरों से वंचित करने की कोई शिकायत नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा देय बकाया राशि

7679. **श्री गुरुदास कामत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की ओर ऋण तथा अन्य कर्जों के रूप में कुल कितनी बकाया राशि देय है;

(ख) क्या कर्ज लेने वाली विभिन्न संस्थाओं की अदायगी के लिये निर्धारित शर्तों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 31-3-1988 तक, केवल जब तक की जानकारी उपलब्ध है, सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों पर बकाया ऋण एवं कर्ज की राशि 46,952.11 करोड़ रुपये थी ।

(ख) और (ग) जिन उद्यमों की वित्तीय स्थिति के कारण उनके लिए सही समय पर ऋणों का पुनर्भुगतान एवं ब्याज का भुगतान कठिन हो जाता है, को छोड़कर ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में नियमों एवं शर्तों का अनुपालन किया जाता है । ऐसे मामलों में सरकार प्रत्येक उद्यम के लिए अलग-अलग कार्रवाई करती है ।

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में केन्द्र द्वारा पूंजी-निवेश

7680. **श्री गुरुदास कामत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में केंद्र द्वारा अब तक कितनी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ख) स्थापित की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, कितनी रोजगार-क्षमता का सृजन किया गया तथा कितने स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 31-3-1988 तक, केवल जब तक की जानकारी उपलब्ध है, महाराष्ट्र राज्य में सकल परिसम्पत्ति के रूप में केंद्रीय पूंजी निवेश 13936.23 करोड़ रुपये का था ।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 30 उद्यम और उनके पंजीकृत कार्यालय हैं । महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2.32 लाख है । रोजगार में लगे स्थानीय व्यक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

नेवेली लिग्नाइट पावर-स्टेशन के लिए सोवियत सहायता

7681. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन काम्पलेक्स के तीसरे बिजलीघर की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट को, 500 मेगावाट लिग्नाइट सुपर थरमल बायलरों की स्थापना हेतु भारत की सहायता के लिए सोवियत सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद ही अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ इस परियोजना की पूरी लागत के लिए ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा नेवेली में तृतीय लिग्नाइट खान (11 मिलियम टन प्रति वर्ष) के साथ संयोजित तीसरा थर्मल पावर केंद्र (3 × 500 मेगावाट) की व्यवहार्यता रिपोर्ट 1984 में तैयार की गई थीं। इन रिपोर्टों को अनुमोदन देने में कठिनाई होने के कारण आगे निष्पादित नहीं किया जा सका। बाद में इन परियोजनाओं को स्थापित किए जाने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच संभावित सहयोग पर सिद्धान्तिक रूप में एक समझौता किया गया। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा सोवियत पक्ष की ओर से इस संबंध में तकनीकी विचार-विमर्श कर रहे हैं। इस संबंध में सोवियत संघ की सहायता की मात्रा, इन विचार-विमर्शों के निष्कर्षों पर और सरकार द्वारा परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने तथा सोवियत पक्ष के साथ हुई बातचीत पर निर्भर करेगी।

शेयरधारियों को वार्षिक रिपोर्ट सप्लाई करना

7682. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों को नये समान लेखा वर्ष की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने की सलाह देने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई व्यवस्था के अनुसार कम्पनियों को प्रत्येक शेयरधारियों को पहले की तरह पूर्ण वित्तीय विवरण सहित एक वार्षिक रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं होगा और केवल वर्ष के दौरान वित्तीय कार्य-निष्पादन का सारांश भेजना होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इसका प्रपत्र तैयार कर लिया गया है; और

(ङ) क्या यह शेयरधारियों को कम्पनी की वित्तीय हालत की पूरी जानकारी देने में सक्षम होगा?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) यदि कम्पनियां प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के उपबन्धों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए ऐसा आवेदन करती है तो कम्पनी रजिस्ट्रारों को सलाह दी गई है कि वे धारा 166 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठकें आयोजित करने के लिए समय बढ़ाने और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उपधारा (4) के परन्तुक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष को बढ़ाने की अनुमति उदारतापूर्वक मंजूर करें, जहां तक यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है।

(ग) और (घ) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 219 के अन्तर्गत जो 17-4-1989 से लागू हुआ है, ऐसी कम्पनी के मामले में, जिसके शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, यह छूट है कि वह या तो सम्पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट आदि अथवा तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा आदि की मुख्य विशेषता दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र निर्धारित फार्म में भरकर कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले भेजें। उसकी मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण-

पत्र भारत के राजपत्र में दिनांक 17-4-1989 को प्रकाशित अधिसूचना सा० का० नि० सं० 449 (अ) द्वारा निर्धारित किया गया है जिसकी एक प्रति सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में पर्याप्त सूचना देता है।

बड़े औद्योगिक घरानों की परिसंपत्तियां

7683. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में अत्याधिक वृद्धि हुई है और उनके हाथों में और अधिक वित्तीय शक्ति केंद्रित हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बड़े औद्योगिक घरानों की वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1987-88 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध देश के प्रथम बीस बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में पिछले वर्षों की अपेक्षा वर्ष, 1985, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान क्रमशः 30.4%, 22.4% तथा 11.0 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में विभिन्न कारणों से वृद्धि हुई है, जैसे विस्तार, विविधता, नये उपक्रम की स्थापना, आधुनिकीकरण और समामेलन आदि।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, के उपबन्धों को लागू करके यह निरन्तर सुनिश्चित किया जाता है कि सामान्य अहित के लिये आर्थिक शक्ति का सकेंद्रण नहीं हो।

दूरदर्शन धारावाहिक

7684. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों अर्थात् नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ से आजकल प्रधान समय पर तथा उसके बाद प्रसारित किये जा रहे विभिन्न दूरदर्शन धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को इससे अनुमानतः कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है;

(ग) दूरदर्शन प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत हुए प्रसारित किये जाने के लिए तैयार किये गये विभिन्न दूरदर्शन धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है और उनसे कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है;

(घ) इन दूरदर्शन धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान करने वाले ढांचे का वर्तमान स्वरूप क्या है और इस संबंध में विशेष रूप से दर्शकों की प्रवृत्ति को देखते हुए क्या नवीनतम दिशानिर्देश बनाये गये हैं; और

(ङ) दूरदर्शन के दो धारावाहिकों, "महाभारत" और "उत्तर रामायण" की लोकप्रियता कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राष्ट्रीय नेटवर्क में सर्वोत्कृष्ट समय में टेलीकास्ट धारावाहिक, सभी केन्द्रों द्वारा एक साथ रिले किए जाते हैं। सर्वोत्कृष्ट समय में टेलीकास्ट हो रहे धारावाहिक नीचे दिए गए हैं :

1.	लहर लहर संगीत	रविवार	9-00 बजे रात्रि
2.	डाक्टर साहिब	सोमवार	9-00 बजे रात्रि
3.	जीवन रेखा	मंगलवार	9-00 बजे रात्रि
4.	मालगुडी डेज	बुधवार	9-00 बजे रात्रि
5.	गुफ्तगू	बृहस्पतिवार	9-00 बजे रात्रि
6.	रामायण	शुक्रवार	9-00 बजे रात्रि
7.	किस्सा शान्ति का	शनिवार	9-00 बजे रात्रि

(ख) इन धारावाहिकों से प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्यों कि यह धारावाहिकों के साथ बुक किए गए विज्ञापनों पर निर्भर करेगा जिनकी संख्या समय-समय पर अलग-अलग होती हैं।

(ग) अनुमोदित धारावाहिकों की सूची जिन्हें राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाना है, संलग्न विवरण में दी गयी है। ऊपर (ख) में उल्लिखित कारणों से, इन धारावाहिकों से अनुमानित राजस्व बता पाना संभव नहीं है।

(घ) दूरदर्शन धारावाहिकों के प्रस्तावों की संवीक्षा करने और उनका अनुमोदन करने के लिए दूरदर्शन में एक चयन समिति है जिसमें गैर-सरकारी और सरकारी सदस्य हैं। धारावाहिकों के चयन के लिए लागू होने वाले मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत ये हैं : इनसे मानव एकता तथा सामंजस्य जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिले, सभी धर्मों को समान आदर मिले, इसमें हिंसा, साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता और तनाव का विरोध हो तथा अन्य विश्वासों एवं पूर्वधारणाओं से छुटकारा मिले। यह भी सुनिश्चिन किया जाता है कि धारावाहिक परिवार के साथ देखने योग्य हों और इसके साथ-साथ इनसे मनोरंजन, शिक्षा/सूचना मिले।

(ङ) एम० आर० ए० एस० एक बाहरी मार्केट अनुसंधान ऐजेंसी द्वारा किए गये नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल के प्रथम सप्ताह के दौरान महाभारत की रेटिंग 80% प्रतिशत और उत्तर रामायण की रेटिंग 72% थी।

विवरण

उन धारावाहिकों की सूची जो अनुमोदित हैं और जिन्हें टेलीकास्ट किया जाना है :

1. बूंद बूंद
2. सुपर सिक्स
3. अलग

4. स्पेस सिटी
5. युगांतर (जागृति)
6. लोक लोक की बात
7. पी सी 1008
8. पंचतंत्र (सजीव)
9. सौदा
10. जमीन
11. गौरव
12. मुजरिम हाजिर है
13. महानगर
14. कुछ खोया कुछ पाया
15. एक कहानी
16. कथासागर
17. मि० योगी
18. नुपूर
19. ट्राइवल पीपुल आफ नार्थ ईस्ट
20. कब तक पुकारूं
21. मंजिल अपनी अपनी (परिवर्तन)
22. गुनिराम
23. अंतर मंतर
24. यह गुलिस्तां हमारा
25. खेल तमाशा
26. बरगद
27. गड़बड़ गुड्डे
28. टीपु सुल्तान
29. पुकार
30. पोटली बूढ़े बाबा की
31. घराना
32. कितने और हिमालय
33. इनसाइड स्टोरी

34. जानकी जासूस

35. लेहरे

36. फोर्ट्स आफ इंडिया

37. सटल टाईम विथ प्रकाश पाड़कोण

38. आल दी बेस्ट

39. मैला आंचल

40. सुनहरे वर्ग

41. हितोपदेश

42. आठवां रंग

43. एनीमल फोक टाल्स

44. लेटर्स टू दी डाटर

45. कायर

46. लहू के फूल

47. चलते रहो चलते रहो

48. चाणक्य

49. ए डे इन दी लाइफ आफ सेलेब्रिटी।

बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा विज्ञापन पर व्यय

[हिन्दी]

7685. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अंतर्गत औषधियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी में सीरप की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहली और दूसरी श्रेणियों की औषधियों का उत्पादन कम करती हैं तथा तीसरी और चौथी श्रेणियों की टानिक, विटामिन, कफ सीरप जैसी औषधियों का अधिक उत्पादन करके भारी मुनाफा कमा रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय औषधि कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय किये जाने की कोई सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है कि ये कंपनियां अपने कुल व्यय की एक निश्चित प्रतिशतता फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान पर खर्च करें ?

उद्योग मंत्री (श्री के० वेंगल राव) : (क) और (ख) डी०पी०सी०ओ०, 19 :7 के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध औषधों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया-गया है। श्रेणी-1 और श्रेणी-2 सूत्रयोग के लिये क्रमश: 75 प्रतिशत और 100% की दर से एम०ए०पी०ई० (अधिकतम अनुज्ञेय निर्माण-पश्चात् व्यय) की अनुमति दी जाती है।

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कंपनियों का उत्पाद-मिश्र उनकी लाइसेंसिब प्राधिकृतियों, उत्पादों की मांग एवं विपणन योग्यता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं द्वारा विनियमित होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) डी०पी०सी०ओ०, 1987 की पांचवर्ती अनुसूची के अनुसार, ऐसे एककों के मामले में जिनकी कुल कारोबार के 5% या अधिक की मौलिक औषध विनिर्माण गतिविधि है और नये औषधों के संबंध में स्वीकृत अनुसंधान तथा विकास कार्य में लगे हैं, सूत्रयोगों के बिक्री करोबार पर अधिकतम कर-पूर्व लाभ की उच्चतर दर का प्रावधान किया गया है जिससे औषधों में अनुसंधान गतिविधि को प्रोत्साहन दिया जा सके।

उपभोक्ताओं को नकली माल से बचाने के लिए कदम उठाना

[अनुवाद]

7686. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे उपभोक्ता खरीद करते समय नकली माल से बच सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं का अनुचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षण करने के उपबन्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय V-ख (धारा 36-क से 36-ङ) में दिए गए हैं जोकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा शामिल किए गए हैं। उपभोक्ताओं से कूटंकृत वस्तुओं से संबंधित प्राप्त शिकायतें अधिनियम की धारा 36-क(i) के उपबंधों के अन्तर्गत आती हैं और आयोग ऐसी शिकायतों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करता है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के नाम से एक व्यापक उपभोक्ता संरक्षण विधान भी अधिनियमित किया है, जिसमें दोषपूर्ण वस्तुओं तथा सेवाओं, अनुचित व्यापार प्रथाओं आदि के मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राज्य तथा जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय न्यायिक-कल्प तंत्र की परिकल्पना की गई है।

इलायची कोला के लिये पेटेंट

7687. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने इलायची कोला के पेटेंट के लिये आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एमीनोएसिड्स के उत्पादन के लिए परियोजना

7688. श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव बालों से निर्यात के लिए एमीनोएसिड् के उत्पादन के लिए पांडिचेरी में एक परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) क्या निर्यात व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) क्या अब तक वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) मे० प्रोटोकैम इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० ने पांडिचेरी में 100 प्रतिशत निर्यात के लिये मानव केशों से अमीनो एसिडों के उत्पादन हेतु अनुमति के लिये आवेदन दिया था और उन्हें एक आशय पत्र दे दिया गया है। निर्यात दायित्व को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक मद्रास के साथ 10-2-1988 को एक बांड पर हस्ताक्षर किये गये हैं। अपने आवेदन पत्र में कंपनी ने 567 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करने का संकेत दिया है। जहां तक जानकारी उपलब्ध है, वाणिज्यिक उत्पादन अभी प्रारम्भ होना है।

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के एल० पी० जी० एकक स्थानीय लोगों को रोजगार

7989. श्री वी० वी० रमैया :

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोन्डापल्ली गांव के निकट भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के एल० पी० जी०, एकक में स्थानीय लोगों को रोजगार का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में विभागेत्तर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

7690. **श्री बी० बो० रमैया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये राजस्व मंडल की स्थापना, जिसके कारण तालुक ढांचे में परिवर्तन हो गया है, को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में डाकघरों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंडल मुख्यालयों मे स्थित विभागेत्तर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागेत्तर उप-डाकघर बनाने के संबंध में क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है जिससे कि प्रयोगकर्ताओं को टेलीफोन बिल जमा कराने की सुविधायें सुलभ हो सकें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में दर्जा घटाये गये विभागेत्तर उप-डाकघरों का पुनः दर्जा बढ़ाया जाना

7691. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में विभागेत्तर शाखा डाकघरों के रूप में दर्जा घटाये गये उन विभागेत्तर उप-डाकघरों के जिलावार नाम क्या हैं जिनका दर्जा इस आधार पर घटाया गया है कि इन विभागेत्तर शाखा डाकघरों का दर्जा पहले सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा के कारण बढ़ाया गया था;

(ख) क्या दर्जा घटाये गये इन विभागेत्तर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का सरकार से अनुरोध किया गया है ताकि उसके पश्चात् इन डाकघरों द्वारा सेवित ग्रामीण क्षेत्रों को दीर्घावधि के लिये डाक और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करायी जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो इसका दर्जा किस तिथि तक पुनः बढ़ाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, इन डाकघरों का दर्जा घटाने का कारण इनमें अपर्याप्त कार्यभार का होना था।

(ख) जी हां। विशेषकर नीचे लिखे शाखा डाकघरों का दर्जा बनाए रखने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे :

(1) कथोग (2) बागली (3) चल्लाली (4) बरैल (5) किरोह्य (6) स्वाहन (7) नसवाल (8) बोहनी (9) भनियारी (10) धोतसिद्ध (11) लोहारा (12) कंप्रेट (13) पालूक्वाह (14) बरसलबसर (15) मसरूर (16) सनहाट।

(ग) इस सिलसिले में वित्तीय दबावों को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के पोस्ट-मास्टर जनरल से कहा गया था कि वे राज्य सरकार से यह पता करें कि क्या इन शाखा डाकघरों

में से कुछ का दर्जा बढ़ाने के लिए गैर वापसी अंशदान (नान रिटर्नेबल कन्ट्रीब्यूशन) दिया जा सकता है। इस संबंध में पोस्टमास्टर जनरल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश

7वीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के रूप में परिवर्तित अतिरिक्त विभागीय उपडाकघरों की सूची।

क्रम सं०	अतिरिक्त विभागी उपडाकघरों के नाम	जिले
1	2	3
1.	काठोग	कांगड़ा
2.	बामली	"
3.	चल्लाली	"
4.	बरेल	"
5.	किरोहा	"
6.	पठियार	"
7.	राजोल	"
8.	दगोह	"
9.	बनारी	"
10.	रायपुर	"
11.	डाघ	"
12.	स्वाहन	बिलासपुर
13.	नसवाल	"
14.	बोहनी	हमीरपुर
15.	भनेरी	"
16.	घोतसिद्ध	"
17.	लोहारा	ऊना
18.	कुंगरेट	"
19.	फुलकवा	"
20.	बरसलबसर	"
21.	मदसाली	"

1	2	3
22.	गोपालपुर	मंडी
23.	बजौरा मंडी	"
24.	रत्नी	"
25.	जगाई सुख	"
26.	घहाटी	शिमला
27.	सारम्बेल कैम्प	[illegible]

बेरी हाई फ्रीक्वेंसी लिंक्स

7692. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान अनेक "बेरी हाई फ्रिक्वेंसी लिंक्स" की स्थापना करने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में जिलेवार किन-किन स्थानों में इन्हें स्थापित किया जायेगा;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक तिमाही के लिए, स्थापना के लिए जिले-वार क्या कार्यक्रम है;

(घ) क्या ऐसे स्थानों को "बेरी हाई फ्रीक्वेंसी" के साथ जोड़ने के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी जहां 25 लाइन वाले एक्सचेंजों की स्थापना और उन्हें ट्रंक एक्सचेंजों के साथ जोड़ने के लिए कम से कम 10 पार्टियों ने अंतिम मांग पत्र की राशि अदा कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं तथा जिले-वार "बेरी हाई फ्रिक्वेंसी" की स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख)

क्र०सं०	मार्ग का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	हमीरपुर-कक्कड़	हमीरपुर
2.	हमीरपुर-सुजानपुर	—वही—
3.	ऊना-चिन्तपूरनी	ऊना
4.	धर्मशाला-शाहपुर	कांगड़ा
5.	धर्मशाला-नगरोटा-सूरियन	—वही—

1	2	3
6.	पालमपुर-बेडियार	—वही—
7.	पालमपुर-धुराल	—वही—
8.	चम्बा-सञ्जार	चम्बा
9.	डलहौजी-बाकलौट	—वही—
10.	डलहौजी-सलोनी	—वही—

(ग) तिमाही का नाम — जिलों के नाम

	हमीरपुर	ऊना	कांगड़ा	चम्बा
पहली तिमाही	2 प्रणाली	—	—	—
दूसरी तिमाही	—	1 प्रणाली	1 प्रणाली	—
तीसरी तिमाही	—	—	2 प्रणाली	—
चौथी तिमाही	—	—	1 प्रणाली	3 प्रणाली

(बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों)

(घ) ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

7693. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हेक्सागन, आर० एण्ड जी० टर्म्स एण्ड लोकल जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राज्य-वार कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को लगाने की मंजूरी दी गई है परन्तु इन्हें स्थापित नहीं किया गया है तथा 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत जिले-वार स्थापित किये जाने वाले केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इनमें से ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के कोई मामले हैं जो चार वर्ष से अधिक, तीन वर्ष से अधिक, दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम तथा एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार संख्या कितनी है और हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसी प्रत्येक श्रेणी में स्थापित केन्दों के जिले-वार नाम क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान एक वर्ष से अधिक समय से स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में विभागीय डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण

7694. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में प्रागपुर जिला कांगड़ा, नादौन और बिजहरी (जिला हमीरपुर), घुमरविन (जिला बिलासपुर) अम्ब (जिला ऊना) और ज्वालामुखी (जिला कांगड़ा) में विभागीय डाकघरों के भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 के कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा, इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और इन भवनों के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनमें से ऐसे मामलों के भूमि अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति क्या है जिन्हें वर्ष 1989-90 के वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) डाक विभाग की 1989-90 की वार्षिक भवन निर्माण योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कोरापुर डाकघर में पास बुक से कम भुगतान किये जाने से संबंधित शिकायतें

7695. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना से विस्थापित हुए व्यक्तियों से कोरापुर डाकघर में उनकी पास-बुकों से मुआवजे की राशि कम अदा करने के बारे में फरवरी, 1985 से अप्रैल, 1986 तक की अवधि में डाक विभाग को कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी; और

(ग) दोषी पाये गये डाक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में रसोई गैस की सुविधा

7696. **श्री अरविंद तुलसीराम कांबले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र के कितने शहरों में रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) जिन शहरों के लिए रसोई गैस की सुविधा पहले ही मंजूर की जा चुकी है वहां इसे उपलब्ध करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त 1988-89 तक की अपनी वार्षिक एल०पी०जी० विपणन योजनाओं के अधीन तेल कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र में 171 नये एल०पी०जी० वितरण केन्द्र खोलने की योजनाएं हैं। एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों को वास्तव में खोलने से पूर्व अनेक कदम और औपचारिकताएं करनी होती ।

तेल चयन बोर्डों का कार्यकरण

7697. **श्री अरविंद तुलसीराम कांबले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल चयन बोर्डों की संख्या कितनी है और उन्हें कौन-कौन से क्षेत्र सौंपे गये हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक के समक्ष कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इस समय देश में चार तेल चयन बोर्ड हैं उनमें प्रत्येक का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :

1. **तेल चयन बोर्ड** (उत्तर)

दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।

2. **तेल चयन बोर्ड (दक्षिण)**

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी ।

3. **तेल चयन बोर्ड** (पश्चिम)

गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोआ, दमन और दीव ।

4. **तेल चयन बोर्ड** (पूर्व)

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ।

(ख) 1-4-1989 को बकाया स्थिति इस प्रकार थी :

तेल चयन बोर्ड (उत्तर)	—243
तेल चयन बोर्ड (दक्षिण)	-- 96
तेल चयन बोर्ड (पूर्व)	—690
तेल चयन बोर्ड (पश्चिम)	—342

(ग) चूंकि तेल उद्योग लगातार आधार पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण करता है और अपनी वार्षिक विपणन योजनाएं बनाता है इसलिए किसी भी समय बकाया काम रहना सामान्य बात है ।

आकाशवाणी/दूरदर्शन कलाकारों को नियमित किया जाना

7698. डा० ए० के० पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी/दूरदर्शन के कलाकारों को नियमित किये जाने के बारे में 15 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिये अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है; और

(ख) इस संबंध में स्टाफ कलाकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) सरकार ने अब एक संशोधित स्कीम तैयार की है और इसे 24 नवम्बर, 1988 को उच्चतम न्यायालय में फाइल कर दिया है। उच्चतम न्यायालय में याचिकाकर्ताओं अर्थात् आकाशवाणी के राष्ट्रीय संघ तथा अन्य ने भी 31 जनवरी, 1989 को अपनी आपत्तियां दायर कर दी हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई अंतिम निर्देश नहीं दिए गए हैं तथा यह मामला न्यायाधीन है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जनरल इलैक्ट्रिक्स एण्ड क्राफ्ट वर्क यूनियन के साथ प्रौद्योगिकी समझौता

7699. डा० ए० के० पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जनरल इलैक्ट्रिक्स एण्ड क्राफ्ट वर्क यूनियन के साथ प्रौद्योगिकी समझौता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) सहयोग के लिए रुपये/विदेशी मुद्रा के रूप में एक मुश्त राशि, रायल्टी आदि के भुगतान के बारे में निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) बी०एच०ई०एल० ने बड़े आकार की गैस-टर्बाइनों का निर्माण करने के लिए क्राफ्ट वर्क यूनियन जो कि पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स सीमेंस की एक सहायक कम्पनी है के साथ तकनीकी सहयोग करने का निश्चय किया है। बी०एच०ई०एल० ने ऊँचे आकार की गैस-टर्बाइनों का निर्माण शामिल करने और हालेज डम्पर इलैक्ट्रिकल्स के लिए एक सहयोग करने के लिए अमरीका के जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के वर्तमान तकनीकी सहयोग में संशोधन करने का निश्चय किया है। समझौते पर हस्ताक्षर करते समय निबंधन और शर्तों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

आयल ड्रिलिंग उपस्करों का निर्माण

7700. श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को निरंतर आयात किए जा रहे आधुनिकतम आयल ड्रिलिंग एण्ड प्रोडक्शन उपस्करों का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माताओं को अपने उत्पादों का निर्यात करने की भी अनुमति दी जायेगी; और

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है; और

(ङ) ये गैर-सरकारी कम्पनियां उत्पादन कब तक शुरू कर देंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ङ) निजी क्षेत्र में अनेक कंपनियां हैं जिन्हें तेल क्षेत्रों और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए उपकरणों, सामग्री का उत्पादन करने और सेवाएं मुहैया करवाने के लिए अनुमति दी गई है। इनमें से कुछ कंपनियों ने काम भी आरम्भ कर दिया है। इन वस्तुओं के निर्यात पर कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है। इनसे बचत की जाने वाली विदेशी मुद्रा की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि इनमें से कौन सी कंपनियां तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन कर पाती हैं।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की वित्तीय स्थिति

7701. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की वित्तीय स्थिति में गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो लाभप्रदता में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के लाभ में तेजी से हो रही गिरावट को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज का डिजाइन तैयार करना

7702. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की कोई स्वदेशी डिजाइन तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) स्वदेशी डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज किस वर्ष तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज प्रणाली का विकास करने के लिए सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) की स्थापना 1984 में की गई थी।

(ग) अगस्त, 1984 से शुरू होने वाले प्रथम चरण से लेकर जुलाई, 1987 तक 35 करोड़ रुपये।

(घ) 128 पोर्ट क्षमता के छोटे एक्सचेंजों का विनिर्माण 1987 से किया जा रहा है जबकि मध्यम (512 पोर्ट) और बड़े डाकघर (16000 पोर्ट) के एक्सचेंजों के विनिर्माण की स्थिति इस वर्ष में बन सकेगी।

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

7703. श्री गुरुदास कामत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता दिया जाना जारी है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी धनराशि राज्य-वार आवंटित की गयी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) लघु उद्योगों के विकासार्थ राज्य सरकारों की सहायता निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से की जाती है, जैसे कि जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना (एस०ई०ई०यू०वाई०), रोगी एककों के पुनरुज्जीवन हेतु सीमान्त धन योजना और इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज राजसहायता (31-3-1985 से बंद कर दी गयी है किन्तु फिर भी बचे हुए दावों की प्रतिपूर्ति राज्यों को की जा रही है)। एस०ई०ई०यू०वाई० योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार प्रत्येक ऋण पर 25% की पूंजीगत राजसहायता देती है। राज-सहायता भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से दी जाती है। वर्ष 1986-87 से 1988-89 की अवधि में इन योजनाओं के अधीन लघु उद्योग एककों को दी गयी वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1986-87 से 1988-89 के बीच राज्यों/संघ क्षेत्रों को दी गयी वित्तीय सहायता

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जि०उ०के० कार्यक्रम	*एस०ई०ई०यू०वाई० कार्यक्रम	सीमान्त धन योजना	**ब्याज राजसहायता योजना
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	283.87	6790.53	—	—
2.	असम	283.44	2302.29	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	90.00	17.04	4.00	—
4.	बिहार	447.25	8292.34	23.00	—
5.	गुजरात	256.43	1921.08	—	8.60
6.	गोवा, दमन और द्वीव	18.75	147.11	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	208.68	586.63	—	1.75
8.	हरियाणा	200.23	2021.05	6.00	2.45
9.	जम्मू और कश्मीर	205.27	298.39	1.50	—
10.	केरल	258.41	6663.04	—	2.05
11.	कर्नाटक	311.92	4489.93	—	36.33
12.	मध्य प्रदेश	489.19	6034.06	—	37.91
13.	महाराष्ट्र	336.18	5415.45	—	—
14.	मणिपुर	126.11	791.59	—	—
15.	मिजोरम	55.25	66.54	—	—
16.	मेघालय	30.00	44.41	—	—
17.	नागालैंड	89.50	51.38	—	0.49
18.	उड़ीसा	211.40	3315.52	—	3.78
19.	पंजाब	151.22	6898.22	—	3.47
20.	राजस्थान	317.27	4259.93	—	3.47
21.	सिक्किम	22.90	15.63	—	—
22.	तमिलनाडु	310.67	7020.38	—	11.63
23.	त्रिपुरा	32.72	7262.50	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	869.77	10392.83	10.00	6.29
25.	पश्चिम बंगाल	210.34	7711.09	—	—
26.	पांडिचेरी	23.50	185.07	—	1.98
27.	दादरा और नगर हवेली	14.30	12.71	—	—
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.32	32.62	—	—

1	2	3	4	5	6
29.	चण्डीगढ़	16.65	157.31	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	0.90	—	—
	योग :	5887.54	86197.57	44.50	116.73

जि०उ०के०—जिला उद्योग केन्द्र।

एस०ई०ई०यू०वाई०—शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वरोजगार की योजना।

* इन संख्याओं में वह राशि दर्शायी गयी है जो 1986-87 से 1988-89 (फरवरी 1989 तक) के बीच बैंकों द्वारा स्वीकृत की गयी है और ये अनंतिम हैं।

** यह योजना 31-3-1985 से बंद कर दी गयी है।

ये आंकड़े उस राशि के हैं जो बचे हुए दावों के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यों को दी गयी है।

मलयुक्त जल (सीवेज वाटर) से विद्युत उत्पादन

7704. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में किये गये एक परीक्षण से यह पता चला है कि मलयुक्त जल से (सीवेज वाटर) से विद्युत पैदा की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों में विद्युत उत्पादन हेतु मलयुक्त जल (सीवेज वाटर) का इस्तेमाल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। मल-जल के उपचार के पश्चात्, बचे मल-जल, घोल का उपयोग वात निर्पेक्षी पाचन से उत्पादित विद्युत उत्पादन के लिए, बायोगैस अथवा दोहरे ईंधन वाले इंजनों में किया जा सकता है। ओखला दिल्ली मल-जल उपचार संयंत्र में उत्पादित गैस, लगभग 4,000 परिवारों के लिए खाना बनाने के लिए दी जा रही है। 250 के० वी० ए० क्षमता के तीन जनित्रों के अतिरिक्त प्रबन्ध के रूप में, विद्युत ग्रिड के फेल होने पर, स्थापना भी की जा चुकी है।

(ख) और (ग) : जल-मल को अलग करने के लिए तथा बायोगैस उत्पादन के लिए, प्रारंभिक मल-जल उपचार संयंत्र की स्थापना एक पूर्व अपेक्षित आवश्यकता है। यह नगर निगम का एक कार्य है और इसकी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय संस्थाओं की है। कूड़ा-करकट के पुनः चक्रण एवं स्रोतों की प्राप्ति प्रणालियों (डब्ल्यू० आर० आर० आर० एस०) प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, कूड़ा-करकट के पुनः चक्रण की योजना बना रहा है और इसको प्रोत्साहन दे रहा है। डब्ल्यू०आर० आर० आर० एस० के मल-जल गैस एवं मानव मल पुनः चक्रण महत्वपूर्ण भाग है। प्रारंभिक संयंत्रों के लिए, वित्तीय

प्रोत्साहन के रूप में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, बायोगैस उत्पादन और गैस उपयोग प्रणाली की पूंजीगत लागत का 50 से 75 प्रतिशत को आवश्यकता पूर्ति कर रहा है बशर्ते कि, गंगा कार्रवाई योजना के अलावा अन्य संयंत्र के लिए राशि 25.00 लाख रुपये से अधिक न हो। इस हेतु पबुराना (उ० प्र०), भोपाल, (म० प्रदेश), विजयवाडा (आंध्र प्रदेश) और बेडोली (कर्नाटक) को सहायता प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश (यू० पी०) में 60.58 करोड़ रुपये की लागत के 13 संयंत्रों, बिहार में 8.71 करोड़ रुपये की लागत के 7 संयंत्र तथा पश्चिमी बंगाल में 37.95 करोड़ रुपयें की लागत के 15 संयंत्रों की इन तीन राज्यों में 35 मल-जल उपचार संयंत्रों (एस० टी० पी० एस०) की केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण, नवीनीकरण या निर्माण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 12 एस० टी० पी० एस० बिहार के 2 और पश्चिम बंगाल में 10 एस० टी० पी० एस० को शमिल करने के लिए बायो ऊर्जा के उत्पादन के लिए सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया गया है।

मानुगुरु सुपर ताप बिजली संयंत्र को कोयले की सप्लाई

7705. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानुगुरू सुपर ताप बिजली संयंत्र को मानुगुरू की खुले मुहाने की खान से कोयले की सप्लाई करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सिंगरैनी कौलियरीज कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र मोनुगुरू में कोयले का वर्ष 1988-89 में 2.10 मि० टन उत्पादन हुआ तथा इसमें वर्ष 1989-90 में लगभग 2.52 मि० टन की तथा 1994-95 में लगभग 4.55 मि० टन की वृद्धि हो जाएगी। मोनुगुरू ताप विद्युत केन्द्र के साथ प्रस्तावित कोयले के संयोजन के प्रश्न पर कोयला विभाग में विचार किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र के संबंध में कोयले की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए प्रस्तावित मोनुगुरू ताप विद्युत केन्द्र के साथ कोयले के संयोजन को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं पाया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली उत्पादन एकक

7706. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित तथा 1 जनवरी, 1989 को कार्य कर रहे बिजली उत्पादन एककों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ एककों ने विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1947

में देश में निजी क्षेत्र में 229 विद्युत उत्पादन यूनिट (कम्पनी) विद्यमान थे जिनमें से 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार, सात कार्यशील थे।

(ख) और (ग) अपेक्षित ब्यौरा इस प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत/मांगी गई वित्तीय सहायता
1. मैसर्ज टाटा पावर कम्पनीज	(1) ट्राम्बे ताप विद्युत परियोजना— यूनिट-6 (500 मे० वा०)	135.4 मिलियन अमरीकीडालर (विश्व बैंक)
	(2) सलसेटी स्विचिंग केन्द्र	38-40 मिलियन अमरीकी डालर
	(3) ग्रांट रोड़ उपकेन्द्र	—
	(4) धरवी स्विचिंग केन्द्र	(अन्तर्राष्ट्रीय वित्त और निगम)
		—
	(5) ट्राम्बे-धारवी 220 के० वी० लाइन	
2. मैसर्ज अहमदाबाद इलैक्ट्रीसिटी कंपनी लिमिटेड	संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र (100 मे० वा०)	20 मिलियन अमरीकी डालर (अन्तर्राष्ट्रीय वित्तनिगम)

बेतार टेलीफोन

7707. **श्री वी० कृष्ण राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेतार काडं-लॅस टेलीफोन का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में डाक और दूरसंचार परियोजनायें

7708. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के केन्द्रीय सरकार से उस राज्य मे कुछ डाक और दूरसंचार परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार उन परियोजनाओ को शीघ्र स्वीकृति देने के सबंध में क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सरकार के प्राधि-

कारियों से कुछ स्थानों पर डाकघर खोलने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। दूरसंचार परि-योजनाओं के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर डाकघर खोलने का अनुरोध किया गया है :—

i. सनमान गैराज	(जिला कटक)
ii. नाथोपुर	(जिला कटक)
iii गोगुआ	(जिला सम्बलपुर)
iv. मानिक जोडी	(जिला धेनकनाल)
v. नयापथ क्षेत्र	(जिला पुरी)
vi. नीखिरा	(जिला बालेश्वर)
vii. पहावा	(जिला कटक)
viii. बलरामजू	(जिला कटक)
ix. रायतला	(जिला धेनकनाल)

(ग) सनमान गैराज में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है परन्तु इस मामले में मानदंड पूरे नहीं होते, अतः डाकघर खोलना संभव नहीं है। अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की सहायता से गांवों का विद्युतीकरण

7709. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की सहायता से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार है; और

(ख) इन गांवों में विद्युतीकरण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) प्रारंभिक विद्युतीकरण के एक कदम के रूप में राजस्थान के 480 गांवों को पहले ही सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। सातवीं योजना के दौरान और 200 गांवों में सौर सड़क बत्तियां उपलब्ध कराए जाने की आशा है। राजस्थान के विभिन्न गांवों के सामुदायिक केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों में रोशनी के लिए कुछ सौर पावर पैक भी लगाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर समुदाय के लोगों के देखने के लिए 52 सौर प्रकाशवोल्टीय चालित टेलीविजन भी लगाए गए हैं।

राजस्थान में सेना प्रतिष्ठानों (जोधपुर, पोखरन और जैसलमेर) में 3 छोटे-छोटे पवन बैटरी चार्जरों (प्रत्येक चार्जर 1 किलोवाट) की भी स्थापना की गई है। जोधपुर में एक और पवन बैटरी चार्जर (1 किलोवाट क्षमता का) की स्थापना की जा रही है इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल, जैसलमेर के प्रांगण में 25 किलोवाट के एक एकल पवन विद्युत जनित्र की भी स्थापना की गई है।

(ख) सौर तथा पवन ऊर्जा की संस्थापनाओं से संबंधित कार्य के पर्यवेक्षण तथा इन संस्थापनाओं के रखरखाव के कार्य की जिम्मेदारी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की वित्तीय सहायता के साथ राज्य नोडल एजेन्सी अर्थात् राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी को सौंपी गई है। अन्य प्रबन्धों में जहां कहीं संभव है प्रणालियों को पंचायतों को सौंपना तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

राजस्थान के शहरों में टेलेक्स और टेलीप्रिंटर सेवा

7710. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान राजस्थान के प्रमुख शहरों में टेलेक्स और टेलीप्रिंटर सेवा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) (i) बीकानेर, भरतपुर, माउन्ट आबू और आबू रोड में नोशनल टेलेक्स एक्सचेंज चालू करने के प्रस्ताव हैं।

(ii) नीचे लिखे 12 केन्द्रों में 1989-90 के दौरान टेलीप्रिंटर्स सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है :

(1) केन्द्रीय तारघर, जयपुर से श्री गाधोपुर
(2) केन्द्रीय तारघर, जयपुर से डौसा
(3) केन्द्रीय तारघर, जयपुर से रेनुसाल
(4) केन्द्रीय तारघर, अजमेर से मकराना
(5) केन्दीय तारघर, अजमेर से दिदवाना
(6) केन्द्रीय तारघर, अजमेर से कुचामनसिटी
(7) केन्द्रीय तारघर, उदयपुर से नाथद्वारा
(8) केन्द्रीय तारघर, चितौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा
(9) विभागीय तारघर, सीकर से फतेहपुर
(10) विभागीय तारघर, सीकर से नवलगढ़
(11) विभागीय तारघर, सीकर से नीम का थाना
(12) विभागीय तारघर, झुंझुनु से पिलानी

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत उत्पादन उपकरणों का निर्माण

[हिन्दी]

7711. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री कमला प्रसाद रावत :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय के बावजूद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विद्युत उत्पादन उपकरणों निर्माण के लिए पर्याप्त आर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) कम्पनी को मार्च, 1989 तक प्राप्त हुए नए आर्डरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये आर्डर कम्पनी की कुल क्षमता का कुछ ही भाग उपयोग करके पूरे किये जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्युत उत्पादन उपकरणों की सप्लाई के लिए हाल ही में कुछ विदेशी कम्पनियों को भी आर्डर दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) बी० एच० ई० एल० के पास आठवीं योजना के लाभ के लिए मार्च, 1989 के अन्त तक, 13317 मे० वा० के विद्युत उत्पादन उपकरण के आदेश थे। वर्ष 1989-90 के दौरान कम्पनी ने थर्मल सैटों के लिए कुल 1470 मे० वा० के आर्डर प्राप्त किये थे, बॉयलरों के लिए 1050 मे० वा० और हाइड्रो-सैटों के लिए 1161 मे० वा० बी० एच० ई० एल० के पास इन आदेशों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।

(ङ) जी, हां।

(च) जबकि विद्युत उत्पादन उपकरण के लिए प्राथमिक विश्वसनीयता स्वदेशी साधनों पर है, साधनों की विवशता के प्रसंग में, इन उपकरणों को आयात का साधन, बाहरी साधनों से प्राप्त वित्तीय सहायता के रूप में किया जाता है।

कोयला परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

7712. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयला परियोजनाओं के निर्माण हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1988 के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) 31-12-1988 तक कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा न किये जाने के कारण इनकी लागत में भारी वृद्धि हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी थी तथा निर्माण में विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1988 के दौरान सरकार द्वारा (खनन तथा गैर-खनन) कुल 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई ।

(ख) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार 2 करोड़ रुपए तथा उससे ऊपर की लागत की (खनन गैर-खनन) कुल 132 परियोजनाओं को पूरा किया गया ।

(ग) और (घ) 31-12-1988 को क्रियान्वयन अधीन 20 करोड़ रुपए तथा उससे ऊपर की लागत की 66 (खनन तथा गैर-खनन) परियोजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई । उपर्युक्त में से 42 परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न कारणों से निर्माण-कार्यों में विलम्ब हुआ । इन 42 परियोजनाओं के संबंध में वर्तमान प्रत्याशित लागत लगभग 4299·00 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी तुलना में स्वीकृत लागत 2930·31 करोड़ रुपए थी अर्थात् इसमें लगभग 1369 करोड़ रु० की वृद्धि हुई । इस संबंध में लागत मूल्य वृद्धि की मात्रा को विलम्ब के कारण बताना संभव नहीं है, चूंकि लागत में हुई वृद्धि प्रत्येक वर्ष आगत की लागतों में हुई सामान्य वृद्धि के कारण कार्यक्रम से चल रही परियोजनाओं को भी प्रभावित किया है ।

औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन

[अनुवाद]

7713. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास में क्षेत्रिय असंतुलन को दूर करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने हेतु कई प्रकार के प्रोत्साहन/रियायतें दी हैं, जैसे कि औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के मामले में प्राथमिकता आयकर अधिनियम के अधीन रियायतें, रियायती वित्त आदि तथा साथ ही केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना जो 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ा दी गयी थी ।

कालीकट और कोचीन से लक्षद्वीप के लिए डाक सेवाओं का विस्तार

7714. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट और कोचीन से लक्षद्वीप के लिए डाक सेवाओं के विस्तार के लिए कोई प्रबंध किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डाक सेवाओं की देखरेख निगरानी करने के लिए लक्षद्वीप के किसी द्वीप पर कोई केन्द्रीय डाक कार्यालय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के सभी दसों आबादी वाले द्वीपों में स्थित डाकघरों के लिए डाक केवल कोचीन होकर भेजी जाती है। कालीकट से लक्षद्वीप के लिए कोई सीधा डाक संपर्क नहीं है। लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमिनी-द्वीप द्वीपसमूह में डाकघरों के लिए सभी प्रकार की डाक कोचीन से वायुदूत द्वारा सप्ताह में तीन बार, हेलीकाप्टर द्वारा सप्ताह में एक बार और समुद्री जहाज द्वारा, जब कभी उपलब्ध हो, भेजी जा रही है।

(ग) और (घ) लक्षद्वीप, मिनिकाय, और अमिनीद्वीप द्वीपसमूहों में डाकघरों को सुपरवाइज/मानीटर करने लिए कोई पोस्टल सेंटर का प्रशासनिक कार्यालय नहीं है। इन डाकघरों के प्रबंध का नियन्त्रण और निगरानी का काम एर्णाकुलम डाक डिवीजन करता है।

समाचार-पत्रों को संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन देना

7715. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के कुल कितने विज्ञापन रिलीज किये गये;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान इन सभी विज्ञापनों को भाषा-वार किन-किन समाचार-पत्रों को दिया गया;

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान भाषा-वार किन-किन समाचार-पत्रों को केवल कुछ ही विज्ञापन दिये गये; और

(घ) विज्ञापन देने के मामले में देश में अन्य समाचार-पत्रों की तुलना में इन समाचार-पत्रों का चयन करने और सभी समाचार-पत्रों को कुछ ही विज्ञापन देने और अन्य विज्ञापनों को चुनींदा समाचार-पत्र को देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से पालघाट से मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

7716. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालघाट स्थित कम शक्ति के ट्रांसमीटर से मलयालम कार्यक्रमों के लिंक प्रसारण हेतु माइक्रोवेव उपलब्ध कराने हेतु कोई अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पालाघाट के अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर को दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम

के साथ, दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम द्वारा निर्मित तथा प्रसारित मलयालम कार्यक्रमों को माइक्रोवेव सर्किट के माध्यम से जोड़ने की संभाव्यता की दूर-संचार विभाग के साथ परामर्श करके जांच की गई है और सातवीं योजना अवधि के दौरान इस संयोजन को स्थापित करना तकनीकी रूप से संभव नहीं पाया गया है ।

उड़ीसा में ऊर्जाग्राम परियोजनायें

7717. श्री सोमनाथ रथ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऊर्जा-ग्राम परियोजनायें स्थापित करने के लिए कितने गांवों को चुना गया है और उन गांवों के नाम क्या हैं;

(ख) कितने गांवों में कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) आस्का संसदीय चुनाव क्षेत्र में किस गांव में ऊर्जा-ग्राम परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देवगढ़ और भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमश: लैमूरा और बनीगोछा गांवों में ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं का कार्यान्वियन किया जा रहा है । अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं के लिए गांवों के चयन हेतु ऊर्जा सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व उड़ीसा में 6 ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं पूरी की जा चुकी थी ।

(ग) इस राज्य में अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ऊर्जा ग्राम परियोजना की स्थापना करने हेतु एक गांव का चयन करने के सम्बन्ध में सोबा और तिरिबरि-चोकेई पलिगांवों में ऊर्जा सर्वेक्षणों का कार्य प्रगति पर है ।

उड़ीसा में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की प्रसारण शक्ति में वृद्धि करना

7718. श्री सोमनाथ रथ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कम शक्ति के कुछ आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्दों के प्रसारण क्षेत्र में आगामी पांच वर्षों के दौरान वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने कम शक्ति के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्दों की स्थापना किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या गनजम जिले में असका में आकाशवाणी केन्द खोले जाने का विचार है, यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के०एल० भगत) : (क) से (ग) अनुमोदित सातवीं योजना के एक भाग के रूप में उड़ीसा में निम्नलिखित परियोजनायें कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में इस प्रकार से हैं :—

आकाशवाणी

(1) पांच नये आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करना — बोलनगीर, बारीपदा, राउरकेला, बेरहामपुर तथा भवानीपटना प्रत्येक में एक-एक केन्द्र; और

(2) जैपोर में 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से बदलना।

दूरदर्शन

(1) भवानीपटना में वर्तमान अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से बदलना;

(2) भंजनगर तथा क्योंझरगढ़ प्रत्येक में एक-एक अर्थात् दो अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना; और

(3) सूनाबेड़ा में एक ट्रांसपोजर लगाना।

आठवीं योजना के अंतर्गत उड़ीसा में स्थापित की जाने वाली परियोजनायें, जिनका विस्तार साधनों के आबंटन पर निर्भर है, उपर्युक्त सूचना में शामिल नहीं हैं।

(घ) जी, नहीं।

विकास केन्द्र योजना

7719. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **उद्योग** मंत्री विकास केन्द्रों की स्थापना के बारे में 28 फरवरी, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योगविहीन जिलों में विकास केन्द्रों की स्थापना के लिये किन-किन आधारभूत सुविधाओं पर केन्द्रीय सरकार अपनी अंशदान की राशि खर्च करेगी; और

(ख) उद्योगविहीन जिलों में उद्योग को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इनसे कितनी सहायता मिल सकेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) संभवत:, माननीय सदस्य का संकेत देश में 61 विकास केन्द्रों की स्थापना की ओर है।

भूमि तथा इसके विकास की लागत के अलावा इस योजना के अन्तर्गत वित्त पाने की पात्र अन्य मदें निम्नलिखित होंगी :—

(क) संपर्क सड़कों का निर्माण;

(ख) जल आपूर्ति की व्यवस्था;

(ग) बहिस्राव निपटाने प्रणाली;

(घ) विद्यमान विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों आदि का उन्नयन;

(ङ) हाउसिंग स्टाक का उन्नयन;

(च) दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था; और

(छ) विकास केन्द्र के भीतर विद्युत वितरण नैटवर्क।

चुनिंदा विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के लिए वित्त संबंधी विस्तृत प्रतिमान निम्न प्रकार होगा :—

1. केन्द सरकार (इक्विटी)	10 करोड़ रु०
2. राज्य सरकार (इक्विटी)	5 करोड़ रु०
3. अखिल भारतीय वित्त संस्थाएं (इक्विटी के रूप में 2 करोड़ रुपये सहित)	4 करोड़ रु०
4. राष्ट्रीयकृत बैंक	1 करोड़ रु०
	20 करोड़ रु०
बाजार से उधार	10 करोड़ रु०
योग :	30 करोड़ रु०

चूंकि ये विकास केन्द्र, जिन्हें देश में उपलब्ध सर्वोत्तम आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने में चुम्बक का कार्य करेंगे, इसलिए आशा है कि इनसे पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण को अत्यधिक गति मिलेगी।

आठवीं योजना में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना

7720. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा आठवीं योजना अवधि में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(ख) गैस-आधारित परियोजनाओं सहित उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी क्षमता बढ़ाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) द्वारा 8वीं

योजनावधि के दौरान 11,150 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है। रा० ता० वि० निगम ने फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र को (500 मेगावाट तक) रिहन्द एवं विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (प्रत्येक की 1000 मेगावाट तक) एवं अन्टा गैस आधारित विद्युत केन्द्र (को 430 मेगावाट तक) बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की रूप रेखा तैयार करली है।

लघु सीमेंट संयंत्र

7721. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े सीमेंट संयंत्र के साथ प्रतिस्पर्धा होने के कारण अधिकांशतः लघु सीमेंट संयंत्र बन्द हो गए हैं अथवा बाजार में अपने उत्पादों को बेचने में उन्हें कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और सरकार ने इन लघु सीमेंट संयंत्रों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) लघु सीमेंट संयंत्रों की एसोसिएशनों से अभ्यावेदन मिले हैं, जिनमें उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है और विभिन्न राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गयी है। लघु सीमेंट संयंत्रों की आर्थिक जीव्यता सुधारने के लिए 200 मी० टन प्रति दिन से कम की कुल लाइसेंसीकृत क्षमता वाले संयंत्रों में उत्पादित सीमेंट पर 1 मार्च, 1989 से प्रति मी० टन 115 रुपये की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लागू किया गया है जबकि सामान्य उत्पाद शुल्क की दर 215 रुपये प्रति मी० टन है।

विभागेत्तर कर्मचारियों के संबंध में राजन समिति तथा मदन किशोर समिति की सिफारिशें

7722. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागेत्तर कर्मचारियों के संबंध में राजन समिति तथा मदन किशोर समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ख) सरकार ने इनमें से किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया था और कब स्वीकार किया था; और

(ग) किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का क्षमता उपयोग

7723. **श्री सी० जंगा रेड्डी** :

श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विद्युत उपकरण, जल विद्युत उपकरण, बायलरों के निर्माण की स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : बी० एच० ई० एल० की विद्युत जनित्रण उपकरण की अधिष्ठापित क्षमता और क्षमता उपयोग इस प्रकार है :

क्रमांक	उपकरण	अधिष्ठापित क्षमता	क्षमता उपयोग प्रतिशत 86-87	87-88	88-89 (अनन्तिम अनुमान)	89-90 (बजटेड)
1	2	3	4	5	6	7
1.	थर्मल टरबाइन जेनरेटर सेट	4500 मे० वा०	45	40	79	73
2.	हाइड्रो सेट	1345 मे० वा०	32	25	15	39
3.	बायलर	1,65,000 एम० टी०	101	99	94	88

अल्मोड़ा में दूरदर्शन टावर को अधिक ऊंचा करना

[हिन्दी]

7724. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से कुमाऊं डिवीडन में दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से अल्मोड़ा स्थित दूरदर्शन टावर को अधिक ऊंचा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अन्य क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) अल्मोड़ा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर का एंटीना मानक ऊंचाई के मास्ट पर लगा हुआ है तथा उसकी ऊंचाई को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं होगा।

(ख) इस समय अल्मोड़ा (2 × 10 वाट), हलद्वानी (2 × 10 वाट) कसोनी (2 × 10 वाट), नैनीताल (100 वाट), पिथोरागढ़ (100 वाट तथा टनकपुर (100 वाट) में कार्यरत तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (100 वाट) तथा तीन अति अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर (2 × 100 वाट) के अतिरिक्त, सातवीं योजना के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश के कुमाऊं मंडल के रानीखेत तथा धारचूला में दो और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाने का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें कुमाऊं प्रभाग शामिल हैं, में दूरदर्शन सेवा को और बढ़ाना दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

7725. **श्री हरीश रावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलो से कितनी विद्युतीकरण योजनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1988-89 के दौरान अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से कोई भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीम प्राप्त नहीं की है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

सीमेंट का उत्पादन

[अनुवाद]

7726. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सीमेंट उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है;

(ख) क्या सरकार को देश में और अधिक सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ग) यदि हां, तो बड़े सीमेंट संयंत्रों तथा लघु सीमेंट संयंत्रों के लिए कितने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिये लम्बित पड़े हैं; और

(घ) क्या भारी संख्या में लघु सीमेंट बंद कर दिये गये हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सीमेंट के उत्पादनार्थ 1988-89 हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य 435 लाख मी० टन था जिसकी तुलना में 440 लाख मी० टन (अनन्तिम) का उत्पादन किया गया । घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में सीमेंट का उत्पादन पर्याप्त है ।

(ख) और (ग) सीमेंट उत्पादन हेतु प्राप्त उन आवेदनों की संख्या नीचे दी गयी है जो प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :

बृहत क्षेत्र	4
मिनि क्षेत्र	11
योग :	15

(घ) यद्यपि मिनी सीमेंट संयंत्रों की एसोसिएशनों से अभ्यावेदन मिले हैं, जिनमें उन के सम्मुख आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है और विभिन्न राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गयी है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से अधिसंख्य संयंत्र बंद हो गए हैं।

राज्यों में विद्युत उत्पादन और खपत

7727. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन और इसकी खपत का पता लगाने के लिए राज्य-वार कोई विद्युत सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया गया और इसके क्या निष्कर्ष थे;

(ग) विद्युत संकट का सामना करने वाले राज्यों में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए क्या सुझाव दिए गए; और

(घ) इन सुझावों को कार्यान्वित करने और देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) विद्युत कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए ऊर्जा व शिखर मांगों के रूप में विद्युत की आवश्यकताओं का प्रक्षेपण आवधिक विद्युत सर्वेक्षण की एक प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर किया गया है। सातवीं योजना प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए मांग प्रक्षेपणों की विस्तृत रूप से समीक्षा करने तथा वर्ष 20005/05 तक संदर्शी मांग के प्रक्षेपण के लिए फरवरी, 1986 में सरकार द्वारा 13वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने दिसम्बर, 1987 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आठवीं योजना (1994-95) के अंत तक विद्युत आवश्यकताओं तथा उपलब्धता का और 1994-95 से 200-05 तक विद्युत आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में देश/राज्यों में विद्युत आपूर्ति स्थिति को सुधारने के लिए कोई भी सुझाव नहीं दिया गया था।

चूंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है, अत: आठवीं योजना प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए विस्तार से मांग प्रक्षेपणों के पुनर्विलोकन हेतु तथा 2009-10 तक संदर्शी मांग प्रक्षेपण के लिए फरवरी, 1989 में चौदहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया। समिति अपना प्रतिवेदन 31 दिसम्बर, 1990 तक प्रस्तुत करेगी।

कारों के निर्माण हेतु ईंधन बचत संबंधी मानदंड

7728. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारों के निर्माण के लिए ईंधन में अपेक्षाकृत अधिक बचत करने संबंधी कोई मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। यात्री कारों पर 1-4-89 से लागू ईंधन बचत संबंधी मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

इंजन आकार रेंज	50 कि० मी० प्र० घंटा पर प्रति लीटर न्यूनतम किलोमीटर
800 सी० सी० तक	22
800 सी० सी० से अधिक किंतु 1000 सी० सी० तक	20
1000 सी० सी० से अधिक किंतु 1400 सी० सी० तक	18
1400 सी० सी० से अधिक	16

बिहार में नालन्दा जिले के हिल्सा में डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना

[हिन्दी]

7729. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के हिल्सा सब-डिवीजन में डाकघर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो डाकघर का दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) हिल्सा उपमंडल के खुदागंज शाखा डाकघर का उपडाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव की जांच की गई और इसे उचित नहीं पाया गया क्योंकि इस प्रस्ताव में निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं होते थे।

बिहार शरीफ, बिहार में टी० वी० ट्रांसमीटर

7730. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नालन्दा, जिले के बिहार शरीफ में कम शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बिहार शरीफ सहित बिहार के नालन्दा जिले का पर्याप्त भाग पटना में कार्यरत उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा

को आगे और सुदृढ़ करना (इसी प्रकार के देश के अन्य भागों में भी) दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बिहार शरीफ (बिहार) में एस० टी० डी० सुविधा

7731. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार शरीफ (बिहार) में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा वहां कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) बिहार शरीफ (बिहार) में 31 मार्च, 1989 से एस० टी० डी० सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण दूरसंचार कार्यक्रम के लिए धनराशि का आवंटन

[अनुवाद]

7732. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने पांच वर्षों के लिए ग्रामीण दूरसंचार कार्यक्रम को अब तक अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, वर्ष 1989-90 के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिसके अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और 1,000 छोटे स्वचल एक्सचेंज खोलने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो जाएं।

(ग) इन कार्यों के लिए किसी अलग निधि का आवंटन नहीं किया जाता। इस व्यय को सर्किलों के अध्यक्षों के अधिकार में दिए गए एकमुश्त अनुदान से पूरा किया जाता है।

केरल के अलेप्पी जिले में एडायथा में डाकघर

7733. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अलेप्पी जिले में एडायत्रा स्थित डाकघर के लिए विभागीय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु भूमि प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी नहीं। एडाथवा में डाकघर भवन का निर्माण करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का काम चल रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हेक्सेगनों को लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराना

7734. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी निवास स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत पूर्ण रियायती आधार पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और इस प्रयोजन के लिए देश को 5 किलोमीटर क्षेत्र के हेक्सेगनों में विभाजित किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने हेक्सेगन हैं और किन-किन हेक्सेगनों को लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) केरल में कौन-कौन से हेक्सेगनों को यह सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 31-3-88 की स्थिति के अनुसार केरल परिमण्डल के छः षटभुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

विवरण

31-3-88 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति

क्र० सं०	राज्य-सर्किल	आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्र	दूरसंचार सुविधा/लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से युक्त षटभुजाकार क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4991	4690
2.	असम	1718	679
3.	गुजरात दादर नगर दमन एंड द्विव	2504	1596
4.	हरियाणा	1616	511
5.	हिमाचल प्रदेश	575	255

1	2	3	4
6.	बिहार	4740	2023
7.	जम्मू व कश्मीर	786	251
8.	कर्नाटक	3648	2523
9.	केरल,	536	531
	लक्ष्य दीप आइलैण्ड	10	9
10.	मध्य प्रदेश	6453	3434
11.	महाराष्ट्र	4811	2711
	गोवा	31	31
12.	उत्तर पूर्वी :		
	अरूणाचल प्रदेश	105	47
	मणिपुर	390	60
	मेघालय	461	77
	मिजोरम	159	12
	नागालैंड	337	53
	त्रिपुरा	141	92
	कुल :	1593	341
13.	उड़ीसा	2110	1026
14.	पंजाब	771	554
15.	राजस्थान	6075	2123
16.	तमिलनाडु	1661	1602
	पांडिचेरी	11	11
17.	उत्तर प्रदेश	4055	2526
18.	पश्चिम बंगाल	2551	968
	ए एण्ड आइसलैंड	131	15
	सिक्किम	44	29
	कुल :	50,421	28,447

केरल में परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता

7735. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में किन-किन विद्युत परियोजनाओं को विश्व बैंक ने आर्थिक सहायता दी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) मिश्रित केरल विद्युत परियोजना जिसमें लोअर पेरियार ज० वि० परियोजना भी शामिल है के लिए विश्व बैंक ने 176.00 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्रदान की है ।

(ग) फरवरी, 1989 तक समुपयोजित ऋण राशि 13.047 मिलियन अमरीकी डालर थी ।

(घ) लोअर पेरियार ज० वि० परियोजना के तीनों यूनिटों के 1991-92 के दौरान चालू हो जाने की सम्भावना है ।

केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित पड़े आवेदन-पत्र

7736. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इन लंबित पड़े आवेदन पत्रों पर टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य के विभिन्न एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल 1,13,023 आवेदन लंबित हैं ।

(ख) और (ग) 1989-90 के दौरान एक्सचेंज की क्षमता में 19,100 लाइनें बढ़ाने का प्रस्ताव है और इस क्षमता का उपयोग करके 1989-90 के दौरान लगभग 15,000 कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है । शेष आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन आठवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर प्रदान किए जाने की संभावना है ।

बंगलौर में समन्वित सेवा डिजिटल नेटवर्क

7737. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में समन्वित सेवा डिजिटल नेटवर्क उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(ग) इस परियोजना के क्या लाभ हैं; और

(घ) इस परियोजना का निर्माण-कार्य कब शुरू किया गया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। फिर भी, बेंगलूर में एक प्रायोगिक इण्टीग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आई० एस० डी० एन०) परियोजना का विकास करने एवं कुछ आई० एस० डी० एन० विशेषताओं का परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रायोगिक परियोजना की अनुमानित लागत 59 लाख रुपये है।

(ग) प्रायोगिक परियोजना से इस नये उभरे क्षेत्र की स्वदेशी तकनालॉजी के विकास में सहायता मिलेगी और हमारे वातावरण में आई० एस० डी० एन० के महत्व से संबंधित फीड बैंक प्राप्त होगा। इससे आई० एस० डी० एन० से संबंधित उपस्करों और सेवाओं के लिए समुचित तकनीकी विनिर्देशन तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(घ) परियोजना पर दिसम्बर, 1988 में गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं और 1990 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

बम्बई हाई और मंगलूर के बीच पाइपलाइन बिछाना

7738. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई और मंगलूर के बीच पाइपलाइन बिछाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है;

(ग) परियोजना की कुल लागत क्या है; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए वर्ष 1989-90 के बजट में कोई प्रावधान किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) बम्बई हाई और मंगलूर के बीच पाइपलाइन बिछाने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

थोरंगल, कर्नाटक में ताप विद्युत संयंत्र

7739. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित थोरंगल में एक ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(ग) इस संयंत्र से कितनी बिजली का उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कर्नाटक स्थित धोरंगल में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना संबंधी इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कर्नाटक के कोल्लूर और धर्मस्थल में एस० टी० डी० सुविधा

7740. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के कोल्लूर और धर्मस्थल पर्यटन केन्द्रों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कोल्लूर और धर्मस्थल को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"क्रासबार" उपकरणों का आयात

7741. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पेंटा-कोंटा" प्रकार के "क्रासबार" उपकरणों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपकरणों में कुछ खराबियां पायी गई थीं; और

(ग) उन्हें ठीक कराने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) कुछ एक्सचेंजों की स्थापना के बाद और कार्यक्षमता के प्रेक्षण के बाद, काफी कमियां पाई गईं । ऐसा महसूस किया गया कि भारत में प्राप्त किए जाने वाले परियात की दशाओं को अनुरूप बनाने तथा उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उपकरणों में आवश्यक परिवर्तन/सुधार करना आवश्यक था । पहले से संस्थापित उपस्करों तथा निर्माणाधीन उपस्करों में इनका उत्तरोत्तर रूप से क्रियान्वित किया गया ।

असम के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा तथा उप-डाकघरों का खोला जाना

7742. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1989-90 के दौरान कितने शाखा डाकघर तथा उप-डाकघर खोले जाने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ असम में सभी जिलों के गांवों का चयन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1989-90 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में असम में 208 शाखा डाकघर और 3 उप-डाकघर खोले जाने हैं। वर्ष के लिए अगले कार्यक्रम में राज्य में 140 और शाखा डाकघर खोलना शामिल है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के संदर्भ में 208 शाखा डाकघर और 3 उप डाकघरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। अगले कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले ग्रामों का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

विवरण

1989-90 की प्रथम तिमाही के दौरान असम में खोले जाने वाले उप और शाखा डाकघरों की सूची

क्रम सं०	शाखा डाकघर का नाम	डिवीजन
1	2	3
1.	फेटागांव	जोरहाट
2.	बागडाबा	नालबाड़ी
3.	मजकुरी	जोरहाट
4.	सोताई टीई	—वही—
5.	इलेक्ट्रीकल विंग	एन० सी० हिल्स
6.	जमालपुर	कछार
7.	मेलेंग	जोरहाट
8.	भुमानखाट	दारंग
9.	बालिजान अमटेंगा	गोलाघाट
10.	नामकथिया	जोरहाट
11.	दिवानगांव	—वही—
12.	शोहागुलीकथेरीगांव	—वही—
13.	रविबांव	सिबसागर
14.	चेतीगांव	कामरूप
15.	लोम्पू	एन० सी० हिल्स
16.	मैबोंगदिशा	—वही—
17.	संकनी बागान	—वही—
18.	मढ़पा	डिब्रूगढ़

1	2	3
19.	इम्पोई (हिन्दू)	एन०सी० हिल्स
20.	कणबस्ती	—वही—
21.	हेंगे	—वही—
22.	नारायणपुर	—वही—
23.	नयाग्राम	करीमगंज
24.	रतकण्डी	कछार
25.	श्यामथईबाड़ी	कोकराझार
26.	रंगलीखटा	कोकराझार
27.	पुलुंगा	डिब्रूगढ़
28.	कायलगुड़ीगांव	—वही—
29.	सतियानटोली	नागांव
30.	बोकाखाट	गोलाघाट
31.	डफलाकटा	उत्तर लखीमपुर
32.	लघुआवोरागांव	—वही—
33.	माहैजन	—वही—
34.	कन्पल्ली	—वही—
35.	खजुपा-तीर	—वही—
36.	गारियामारी	—वही—
37.	हेंगलपाड़ा	दारांग
38.	मिकीडबाचुक	सोनितपुर
39.	सिलोनीगांव	—वही—
40.	बागीपुखरी	दारांग
41.	राखलबस्ती	कछार
42.	गंगपार-धूमकार	—वही—
43.	बेंगजुरी ग्राण्ट	—वही—
44.	कालीपुर	नालबाड़ी
45.	सिलाईपार	धुबरी
46.	दियालजुली	सोनितपुर

1	2	3
47.	नानीपुर	नागांव
48.	सोनारीगांव	—वही—
49.	कुकारकोटा	—वही—
50.	कुक्करकाटा	गोलपाड़ा
51.	हलाउदम	कोकराझार
52.	तेतलीगुड़ी	गोलपाड़ा
53.	जयभूम	—वही—
54.	खेलगांव	कोकराझार
55.	खारदान	ग्वालपाड़ा
56.	अमीनकाटा	कोकराझार
57.	बाटाबाड़ी	—वही—
58.	मेलेमोड़ा	गोलाघाट
59.	मालदाहरा	—वही—
60.	मोहपाड़ा	—वही—
61.	पालागी पांचाली	उत्तर लखीमपुर
62.	अनेरिया	नागांव
63.	दुवाईजंगफंग	कारबी अंगलोंग
64.	लुरुलांगसो	—वही—
65.	गोपालनगर	नागांव
66.	नापामबुटी	सिबसागर
67.	दिफ्फलू	गोलाघाट
68.	दागांव	सिबसागर
69.	कलचेनी	नालबाड़ी
70.	लचितनगर	डिब्रूगढ़
71.	निलमोनी	—वही—
72.	फॉरेस्ट बाजार	कारबी अंगलोंग
73.	कालमिनी	डिब्रूगढ़
74.	दिखेरीमोरानगांव	—वही—

1	2	3
75.	छलेबिला	कोकराझार
76.	दगंसीपाड़ा	—वही—
77.	पाटपाड़ा	ग्वालपाड़ा
78.	जोयमा	कोकराझार
79.	पाकाडाल	उत्तर लखीमपुर
80.	बहझारा	ग्वालपाड़ा
81.	महाखोआ	डिब्रूगढ़
82.	खटरगांव	सोनितपुर
83.	कमलाबाड़ी	बारपेटा
84.	बेबलीगांव	उत्तर लखीमपुर
85.	बुलकाटा	—वही—
86.	कालाजल	कामरूप
87.	बालीकुचि	—वही—
88.	पेचरिया	—वही—
89.	कुआरपुर	—वही—
90.	खोरीकोट	—वही—
91.	पानीखेटी	—वही—
92.	हुंगम	एन०सी० हिल्स
93.	फोंगलेंड	कारबी अंगलोंग
94.	दिफू गवर्नमेंट कालेज	—वही—
95.	गड़खुटी	नागांव
96.	राजबाड़ी	उत्तर लखीमपुर
97.	सागरपुर	—वही—
98.	माणिकचूक	—वही—
99.	पुलि-नाहा-रेनी	—वही—
100.	नालमाटीगांव	डिब्रूगढ़
101.	लोकोमई	—वही—
102.	घुगुलोनियाहोम	—वही—

1	2	3
103.	बानीपुर	डिब्रूगढ़
104.	टेंगा-बस्ती	सोनितपुर
105.	झुलेमगुड़ी	—वही—
106.	कालकुची	दारांग
107.	धर्मगांव	—वही—
108.	देपालचुंग	गोलपाड़ा
109.	मजेरचर	डुबरी
110.	दिघालताड़ी	—वही—
111.	मकतईगांव	कोकराझार
112.	ग्वालगांव	जोरहाट
113.	तोलीखलू	करीमगंज
114.	अलामखानी	- वही—
115.	मगनी	सोनितपुर
116.	बाहबाड़ी	दारांग
117.	चंतीपाड़ा	—वही—
118.	झरनाचार	धुबरी
119.	सिलचंग	नागांव
120.	ताराबासा	कारबी अंगलोंग
121.	दायांग बेलगुड़ी	नागांव
122.	मलाऊघाट	कारबी अंगलोंग
123.	हबरागांव	नागांव
124.	मालमुरा	दारांग
125.	तमुलबाड़ी	—वही—
126.	दुरापाड़ा	कामरूप
127.	तेतलीगुड़ी	कारबी अंगलोंग
128.	गोसाईघाट	कामरूप
129.	ढोलबाड़ी	सोनितपुर
130.	टोकराडिया	कामरूप

1	2	3
131.	लालमऊगुड़ी	सोनितपुर
132.	डोपडोपी	—वही—
133.	चन्द्रापाड़ा	कोकराझार
134.	पहुंचुंगीपठार	सिबसागर
135.	बेचीमढ़ी	दरांग
136.	मंगलियान बाजार	कोकराझार
137.	बारीगांव	गोलपाड़ा
138.	पदुपुरी मझगांव	दारांग
139.	डिल्लीघाट	सिबसागर
140.	नेमियागढ़बाड़ी	—वही—
141.	मुक्तापुर	नालबाड़ी
142.	रायपुर	बारपेटा
143.	बिहेपाड़ा	कामरूप
144.	खरसीथा	नालबाड़ी
145.	काथलबाड़ी	—वही—
146.	दलबाड़ी	—वही—
147.	पखमाड़ा	—वही—
148.	महीमढ़ी	कामरूप
149.	निचलामढ़ी	दारांग
150.	सस्तापाड़ा	—वही—
151.	घोघरा बाजार	—वही—
152.	वोरघुली सपमेरी	नागांव
153.	दिघालीयाटी	—वही—
154.	निबुकली	—वही—
155.	चालापठार	—वही—
156.	पंजाबार पल्हार	कारबी अंगलोंग
157.	पदुमपुखरी	—वही—
158.	चेराकनी	—वही—

1	2	3
159.	लांगबुंगडी	कारबी आंगलोंग
160.	पंजुरी	—वही—
161.	अम्बुक	ग्वालपाड़ा
162.	लाड़ीबाड़ी	—वही—
163.	मन्दिरा	कामरूप
164.	जयसागर	नालबाड़ी
165.	गालिया	बारपेटा
166.	डोंघाप	कारबी आंगलोंग
167.	उत्तर-पेट-बोरहा	नागांव
168.	फुलटोली बाजार	—वही—
169.	लाचितपठार	—वही—
170.	वीरवाड़	कारबी आंगलोंग
171.	बोवारघाट	कछार
172.	हिदलाटारी	नालबाड़ी
173.	खराईगुड़ी	सोनितपुर
174.	बशाबरी	कछार
175.	वैग्लस रोड चौक	नालबाड़ी
176.	हटिंगा	सोनितपुर
177.	वारपठार	सिबसागर
178.	महेदरपुर	कछार
179.	बागलघाट	—वही—
180.	तारावेरी कल्सीलासतरा	नागांव
181.	चौधुरीरचर	धुबरी
182.	पुब-ब्रह्मचरी	नालबाड़ी
183.	मुआगुड़ी	दारांग
184.	भिमाड़ी	सोनितपुर
185.	मुकालीगांव	—वही—
186.	सिंगीताली	—वही—
187.	धवल्ली कुकुआरबाड़ी	—वही—

1	2	3
188.	पॉहेन नं० 1	सोनितपुर
189.	शिवर चाक	करीमगंज
190.	पीरनगर	कछार
191.	मोखुली	नागांव
192.	दिराई टीई	डिब्रूगढ़
193.	चारखण्डी बारूनपुखरी	—वही—
194.	बकुआजाडो	नालबाड़ी
195.	मारुआचौकी	दारांग
196.	कछारीथाल	कछार
197.	उज्जैनीपुरी	शिवसागर
198.	चपनिया	कामरूप
199.	वोलावाटाबाड़ी	—वही—
200.	वघाशुमाउट	शिबसागर
201.	दीसुंगा	कामरूप
202.	खटालपाड़ा	बारपेटा
203.	पूरनभवानीपुर	—वही—
204.	अमीनगांव	नालबाड़ी
205.	बोकाबिल	दारांग
206.	विष्णुनगर	करीमगंज
207.	मच्यामखण्डा	कामरूप
208.	नारायणपुर	नालबाड़ी
विभागीय उप-डाकघर		
1.	काजीपाड़ा	नालबाड़ी
2.	दित्तुर सीमेंट फैक्टरी	एन०सी० हिल्स
3.	कागज नगर	नावगोंग

बेलचेरा रोड, उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना

[हिन्दी]

7743. **श्री राज कुमार राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेलचेरा रोड पर ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और सरकार इस ताप विद्युत केंद्र को कब तक मंजूरी देगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेलथेरा रोड में एक ताप विद्युत संयंत्र (3 × 210 मे० वा०) के सम्बन्ध में एक सम्भाव्यता रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुई थी। के० वि० प्रा० द्वारा बोर्ड को विभिन्न निवेशों से सम्बन्धित विवरण (जो सम्भाव्यता रिपोर्ट में नहीं दिया गया था) प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि रिपोर्ट की आगे जांच की जा सके।

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 (2) के अनुसार सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा किये जाने और कोयला लिंकेज जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित किये जाने तथा पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति सहित विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त किये जाने के बाद ही प्रस्तावित स्कीम का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा सकेगा।

उमरेड (महाराष्ट्र) में ताप विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

7744. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को उमरेड में एक ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए उमरेड कोयला खानों से "कोल लिंकेज" योजना बनाई गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके साथ किसी "कोल लिंकेज" को न जोड़े जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए कोई और निकटवर्ती "कोल लिंकेज" योजना की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रस्तावित उमरेद ताप विद्युत केंद्र (2 × 210 मे० वा०) के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन में उमरेद/मकरढ़ोकड़ा कोयला खानों से लिंकेज की परिकल्पना की गई है। उमरेद में सुरक्षित भण्डार अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। यद्यपि, एक निकटवर्ती क्षेत्र विस्तार से खोजबीन का काम चल रहा है, तथापि, यह व्यवहार्य नहीं है कि इस समय, प्रस्तावित ताप विद्युत केंद्र के लिए कोयला लिंकेज कर दी जाये।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण

7745. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वस्त्रों का डिजाइन तैयार किए जाने और "ड्रेस डिजाइनिंग" के संबंध में महिला उद्यमियों को विशेष जानकारी देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यशालायें चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) उन प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने व्यापार आरंभ कर दिया है अथवा रोजगार प्राप्त कर लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कपड़े सिलने, बने-बनाए वस्त्रों तथा होजरी के कार्यकलापों को हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। पश्चिम बंगाल में वस्त्रों का डिजाइन तैयार किए जाने तथा 'ड्रेस डिजाइनिंग" के संबंध में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अभी तक कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है।

सौर ऊर्जा की सहायता से पश्चिम बंगाल गांवों का विद्युतीकरण

7746. **डा० फुलरेणू गुहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा की सहायता से अब तक पश्चिम बंगाल में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है; और

(ख) सौर प्रकाश प्रणाली किस प्रकार कार्य कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) पश्चिम बंगाल के 164 गांवों में प्रारंभिक विद्युतीकरण के एक उपाय के रूप में इन्हें सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियों के यूनिट प्रदान किए गए हैं। उपलब्ध कराई गई अन्य प्रणालियों में 28 सौर जल पम्पन प्रणालियां और एक सौर सामुदायिक रोशनी एवं टी० वी० की प्रणाली शामिल है।

(ख) एक विशिष्ट प्रकार का स्टैंड एलोन संतभनुमा सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी प्रणाली में 2 प्रकाशवोल्टीय माड्यूल, इन मॉडलों के रखने के लिए एक फ्रेम, एक भंडारण बैटरी, इलेक्ट्रोनिक कंट्रोल, स्तंभ, बैटरी बॉक्स, तार आदि शामिल हैं। माड्यूल सूर्य के प्रकाश के दौरान विद्युत का उत्पादन करते हैं जिससे भंडारण बैटरी चार्ज होती है। इस प्रकार बैटरी में भरी हुई बिजली रात्रि में ट्यूब लाइट को जलाने के काम में लाई जाती है। 5 से 6 घंटे प्रतिदिन जलने वाली 20/18 वाटफ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट एक दो माड्यूल (लगभग 60 वाट) प्रकाश प्रणाली का डिजाइन तैयार किया गया है। यह प्रणाली स्वचालित है और प्रकाश की परिस्थिति के अनुसार स्वतः ही चालू और बंद हो जाती है।

पश्चिम बंगाल में कांटेई में दूरदर्शन केंद्र

7747. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कांटेई सब-डिवीजन में एक दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ख) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के भागों को टी० वी० सेवा खड़गपुर तथा मिदनापुर के अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों तथा कलकत्ता और आसनसोल में कार्यरत उच्च शक्ति (10 किलोवाट) टी० वी० ट्रांसमीटरों से प्राप्त होती है। देश के शेष कवर न हुए क्षेत्रों

में, जिसमें कोनटाई भी शामिल है, टी० वी० सेवा को बढ़ाना टी० वी० विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

7748. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन उद्योगों में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 31-3-1988 तक, केवल जब तक की जानकारी उपलब्ध है, पश्चिम बंगाल मे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उनके पंजीकृत कार्यालयों की संख्या 41 थी।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 4.17 लाख थी। महिला कर्मचामियों की संख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

इलेक्ट्रानिक पुश बटन टेलीफोन के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी का आयात

7749. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोन उपकरण संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इनमें सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या इसके लिए विकसित देशों से उन्नत प्रौद्योगिकी का आयात करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। सेवाएं पूर्णतः संतोषजनक हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

महाराष्ट्र में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

7750. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा कार्यान्वित की गयी परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं और उन परियोजनाओं जो आठवीं योजना के प्रथम वर्ष तक चलेंगी, का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

रा० प० वि० निगम द्वारा महाराष्ट्र में क्रियान्वित की गई/कार्यान्वित का जाने वाली परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	रा० प० विम निगम का कार्यक्षेत्र	क्लाइन्ट	आर्डर देने की तिथि	पूरा होने की तारीख/संभावित तारीख	अनुमानित मूल्य (लाख रु० में)
1.	टोटलाडोह (जिला नागपुर)	कम्पोजिट बांध का निर्माण	1. सा० नि० वि० (सिचाई विभाग) (महाराष्ट्र) 2. एम०पी०एस०ई०बी०	8/75 (सौंप दी गई है)	12/87	2680.00
2.	एम० ई० सी० एल० कम्पलैक्स जिला नागपुर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के बंगलों, क, ख, ग, और घ प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण	एम० ई० सी० एल०	5/84	6/89	394.47
3.	डब्ल्यू० सी० एल०, जिला नागपुर	सिलेवारा कोलेरी नागपुर में क्षेत्रीय स्टोरों का निर्माग ।	डब्ल्यू० सी० एल०	6/87	9/89	130.14
4.	नवोदय स्कूल:					
1.	(धुले) (जिला धुले)	कार्यशाला, बहुउद्देशीय दीवार, वार्डन आवास, डाइनिंग हाल, रसोई और अस्थाई स्नानगृह तथा शौचालय आदि का निर्माण ।	नवोदय विद्यालय समिति	10/87	6/90*	157.28
2.	(वर्धा (जिला वर्धा)	वही	वही	10/87	6/90*	157.77
3.	(चन्द्रपुर (जिला चन्द्रपुर)	वही	वही	10/87	4/90*	158.71

*आठवीं योजना के पहले वर्ष तक चलेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार

7751. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं का कितना विस्तार होने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : यदि उपस्कर उपलब्ध हुआ तो अस्थायी प्रस्ताव में 1990-92 के दौरान 58,900 सीधी एक्सचेंज लाइनें और लंबी दूरी के 210 सार्वजनिक टेलीफोन शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

7752. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के किन-किन नगरों एवं शहरों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं ;

(ख) राज्य के उन शहरों का ब्यौरा क्या है जहां पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की जायेगी; और

(ग) किन-किन नगरों एवं शहरों के वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा भी बढ़ाया जायेगा तथा विस्तार किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) एम० ए० एक्स-II और एम० ए० एक्स-II स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों वाले कस्बों और शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली योजनाओं में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग के उद्देश्यों के मसौदे के अनुसार किसी नए मैनुअल एक्सचेंज का प्रस्ताव नहीं है और केवल स्वचालित एक्सचेंज ही लगाए जायेंगे जिनका आठवीं योजना के दौरान आने वाली मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त तरीके से विस्तार और उन्नत किया जाएगा।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में एम० ए० एक्स-I और एम० ए० एक्स-II किस्म के स्वचालित एक्सचेंजों वाले कस्बों और के नाम

1. श्रीकाकुलम 2. आमडालवासा 3. विजयनगरम 4. गोबिल्ली 5. विशाखापट्नम 6. बालाचेरूऊ 7. अनाकापले 8. राजमन्दरी 9. काकीनाडा 10. डोलेश्वरम 11. पेड्डापुरम 12. यानम 13. रामचन्द्रपुरम 14. रावुलापालेम 20. तानाकू 21. कोवूर 22. टी० पी० कुडेम 23. पालाकोल 24. अकीवीडु 25. विजयवाडा 26. गुडीवाडा 27. अगनदीगामा 28. वायुरु 29. मछलीपट्टनम 30. गुंटूर 31. टेनाली 32. चिल्कालूरपेट 33. डुग्गीराला 34. ओंगले 35. चिराला 36. मेडारमेटाला 37. नेलमोर 38. गुडूर 39. जोवूर एन० एल० 40. कावाली 41. तिरुपत 42. चित्तूड़ 43. श्रीकालाहस्ती 44. तिरुमाला 45. रेनीगुंटा 46. कुडप्पा 47. प्रोदत्तूर 48. अनंतापुर 49. गुटकल 50. हिन्दूपुर 51. तडियापतरी 52. नर्कुल 53. अडोनी 54. नाडियाला 55. मेहबूबनगर 56. शादनगर 57. गडवाल 58. नागरकुर्नेल

59. संगारेड्डी 60. पाटनचेरुवू 61. निजामाबाद 62. अरमूर 63. हैदराबाद 64. लिंगमपल्ली 65. अदीलाबाद 66. करीमनगर 67. गोदावरीखानी 68. नालगोंडा 69. खम्माम 70. कोठागुडम 71. भद्राचलम 72. वारंगल 73. सिद्दीपेट ।

आठवीं योजना में शामिल करने के लिए उड़ीसा की परियोजनाएं

7753. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में शामिल करने के लिए उड़ीसा राज्य ने कुछ परियोजनाओं का पता लगाकर इनसे संबंधित आंकड़ों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम, संख्या क्षमता और अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है; और

(घ) परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा विद्युत में वृद्धि से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को नवम्बर, 1988 में भेजी गई थी । रिपोर्ट में निम्नलिखित स्कीमों को आठवीं योजनावधि के दौरान आरंभ किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिनसे नौवीं योजना समाप्त होने से पहले लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है । रिपोर्ट में इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत नहीं दी गई है ।

परियोजना का नाम	जोड़ प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
ताप विद्युत स्कीमें	
1. सिंदल	5×30=300
2. भीमकुंड	3×16+4×60=288
3. मंदिरा	3×10+1×2.5=32·5
4. हरबहंगी	3×10=30
5. बाराघर हैड रेगुलेटर	5×2.2=11
ताप विद्युत स्कीम	
1. ईब ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	2×500=1000
2. जयपुर रोड़ ताप विद्युत केन्द्र	2×210=420
3. नारज ताप विद्युत केन्द्र	2×210=420
4. गोपालपुर ताप विद्युत केन्द्र	2×210=420

(ग) और (घ) उड़ीसा की निम्नलिखित विद्युत उत्पादन स्कीमों से अनन्तिम रूप से आठवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त किए जाने की परिकल्पना की गई है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	8वीं योजना के दौरान लाभ	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1.	अपर इन्द्रावती ज० वि० परि०	4 × 150 मेगा०	600 मेगा०	380.65
2.	अपर कोलाब विस्तार ज० वि० परि०	1 × 80 मेगा०	80 मेगा०	18.62
3.	लेनगली विस्तार ज० वि०परि०	3 × 50 मेगा०	50 मेगा०	40.55
4.	पोटेरु ज० वि० परि०	2 × 3 मेगा०	6 मेगा०	5.46
5.	ईब ताप विद्युत परि०	4 × 210 मेगा०	840 मेगा०	956.61

थीन बांध का निर्माण

7754. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप विसोहिली के लोगों का लखनपुर के साथ सड़क सम्पर्क समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रावी नदी पर एक पुल के निर्माण का विचार है जो बिसोहिली के लोगों को न केवल पंजाब से जोड़ेगा बल्कि जिससे लखनपुर पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) थीन डैम स्थल से होकर जाने वाली बाशोली तथा लखनवुर को जोड़ने वाली विद्यमान लिंक सड़क नीचली स्तर पर होने के कारण थीन डैम के निर्माण के बाद जलमग्न हो जायेगी।

(ख) बाशोली से धार ऊधमपुर तक उंचाई पर एक वैकल्पिक लिंक सड़क निर्माणाधीन है। यह सड़क लखनवुर की ओर जाने वाली निकटतम वैकल्पिक पहुंच सड़क होगी। पंजाब सरकार जोकि थीन डैम का कार्य-निष्पादन कर रही है, के विचार में लखनपुर स्थल पर आने के लिए एक सेतु के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

बेलपलांव से कोल साइडिंग का स्थानांतरण

7755. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत बेलपलांव शहर में स्थित वर्तमान कोल साइडिंग को प्रदूषण के खतरे के कारण स्थानांतरित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या वैकल्पिक साइडिंग के निर्माण में असामान्य परिहार्य विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा इसका निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के परिचालन कार्यक्षेत्र में बेलपलांव नामक कोई कस्बा नहीं है। किन्तु बेलपहाड़ रेलवे स्टेशन के साथ अवस्थित एक अस्थायी बेलपहाड़ ओपनकास्ट खान की कोयला साइडिंग है। स्थानीय लोगों से इस साइडिंग से कोयले की धूल उड़ने से प्रदूषण पैदा होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास सार्वजनिक रेलवे के साथ बेलपहाड़ ओपनकास्ट को संयोजित करके एक स्थायी रेलवे साइडिंग मुहैया कराए जाने की एक योजना है। स्थायी साइडिंग की स्थापना किए जाने तक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने कोयला स्टेकिंग वर्क के साथ एक स्क्रीन खड़ा कर दिया है और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए अधिकतम सीमा तक पानी के छिड़काव की व्यवस्था की है।

स्थायी साइडिंग के संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने में कुछ विलम्ब हुआ है। रेलवे ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है और उनसे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा यथा-शीघ्र साइडिंग के लिए अनुमानित लागत प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

पंजाब में बायोगैस संयंत्रों के लिए वित्तीय आवंटन

7756. **श्री कमल चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और वर्ष 1988 के दौरान पंजाब में सामुदायिक बायोगैस संयन्त्रों और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इस धनराशि में वृद्धि की गयी है अथवा वर्ष 1989 के दौरान इसमें वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के लिए दी गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष		रुपए (लाख में)
1986	—	77.75
1987	—	125.85
1988	—	93.10

(ख) और (ग) वर्ष 1989 के दौरान पंजाब में सामुदायिक बायोगैस संयंत्र/संस्थागत बायोगैस संयंत्र परियोजनाओं के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए दिए जाने की उम्मीद है।

असम में गोलाघाट में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

7757. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में गोलाघाट कस्बे में स्थापित मौजूदा टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) क्या लोगों ने गोलाघाट में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस समय गोलाघाट में टेलीफोन प्रणाली को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गोलाघाट के लिए जिस आकार के इलेक्ट्रानिक उपस्कर की आवश्यकता है चूंकि इतनी क्षमता के उपस्कर का उत्पादन देश में नहीं होता । अतः, फिलहाल इसे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदल पाना संभव नहीं है ।

खोई पर आधारित कागज के कारखानों की समस्यायें

7758. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का खोई पर आधारित कागज के कारखानों की समस्याओं के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में किस प्रकार की राहत/रियायतों का अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) खोई पर आधारित कागज मिलों के लिए मांगी गई राहत/रियासतों में खोई पर आधारित कागज को उत्पादन शुल्क से छूट का जारी रहना, आयातित कास्टिक सोडा पर सीमा-शुल्क में कमी, सरकारी खरीद के मामले में प्राथमिकता, ब्याज-मुक्त ऋण/त्रहिस्रावः उपचार योजनाओं के लिए राजसहायता, वायरों तथा फैल्टों के आयात के लिए ओ० जी० एल० सुविधा, सहकारी क्षेत्र की मिलों की अंश पूंजी में एन० सी० डी० सी० की सहभागिता तथा पर्याप्त मात्रा का आबंटन शामिल हैं ।

(ग) कागज बनाने के लिए, कृषि अवशेष अवशिष्ट तथा खोई जैसे गैर-परम्परागत कच्चे माल के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने पहले से कई राहत तथा रियासतें प्रदान की हैं । इनमें कम से कम 75% खोई लुगदी वाले कागज को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट, कम से कम 50% गैर-परम्परागत कच्चे माल के प्रयोग पर रियायती उत्पाद-शुल्क, कागज-निर्माण की

कुछ किस्मों को लाइससेंमुक्त करना और न्यूनतम आर्थिक क्षमता वाली योजना का विस्तार शामिल है। संस्था तथा बेंक मामला दर मामला आधार पर आवश्यकता आधारित राहत तथा रियायतें प्रदान करते रहे हैं तथा आधुनिकीकरण की दिशा में एक उदार नीति अपनाते रहे हैं। कागज कारखानों को कोयले का आवंटन में कागज के पिछले उत्पादन के स्तर तथा कोयले के वास्तविक उत्पादन तथा प्रत्याशित भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। सरकारी खरीद के मामले में प्राथमिकता, कास्टिक सोडा पर सीमा-शुल्क में कमी तथा वायरों एवं फैल्टों के आयात के लिए ओ० जी० एल० सुविधा जैसी रियायतों को मंजूरी के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

चीनी उद्योग को ब्राड बेन्डिग सुविधायें उपलब्ध कराना

7759. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी तथा अन्य सह-उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए शीरा, एल्कोहल, खोई इत्यादि जैसे सामान शामिल करने हेतु चीनी उद्योग को ब्राड बेन्डिग सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसी विभिन्न मदें ब्राड बैन्डिग योजना में ठीक नही बैठती हैं।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को हुआ घाटा

7760. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के कार्यानिष्पादन में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० वर्ष 1988-89 में अपने कार्य निष्पादन में कितना सुधार कर पाया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई शुद्ध हानि निम्न प्रकार है :

वर्ष	रुपए (करोड़ में)
1985-86	32.21
1986-87	50.30
1987-88	30.22

(ख) आई०डी०पी०एल० के कार्य में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में उन्नत और बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाना, क्षमता उपयोग बढ़ाना, लागत सार्थक प्रौद्योगिकी में सुधार व्यापारिक बिक्री बढ़ाना, नए सूत्रयोगों को आरम्भ करना आदि शामिल है।

(ग) उपर्युक्त कदम उठा कर कंपनी ने 1988-89 में 193.30 करोड़ (अस्थायी) रुपए का उत्पादन और 168.20 करोड़ रुपए (अस्थायी) का बिक्री स्तर प्राप्त किया है। 1988-89 के दौरान शुद्ध हानि को भी घटाकर 29.75 करोड़ रुपए (अस्थायी) कर दिया गया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की आधुनिकीकरण तथा नवीकरण योजना

7761. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अपने एककों का आधुनिकीकरण और नवीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अगले दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनों के लिए कितनी धनराशि खर्च कराने का विचार किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) बी०एच०ई०एल० की प्रमुख अधुनिकीकरण योजनाएं इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	एकक का नाम	योजना
1.	हैदराबाद	पम्प और स्विचगियर शॉप का अधुनिकीकरण।
2.	तिरुचि	हीडर और ड्रम शॉप का आधुनिकीकरण।
3.	भोपाल	गैस संयंत्र, फैब्रिकेशन स्विचगियर और वाटर टरबाइन शॉप का आधुनिकीकरण।
4.	हरिद्वार	स्टीम टरबाइन, टर्बो जैनरेटर और प्रेत शॉप का आधुनिकीकरण।

इसके अतिरिक्त सभी प्रमुख संयंत्रों की वर्तमान मशीनों में कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण/डिजिटल रीड हाउट रिट्रोफिटिंग के साथ-साथ संयंत्र और उपकरण की रिकंडीशनिंग को अपना रही है।

(ग) 1989-90 के लिए बी० एच० ई० एल० की योजना नवीकरण और आधुनिकीकरण

पर लगभग 30 करोड़ रुपये का निवेश करने की है। आठवीं योजना अवधि के लिए निवेश को अभी तक अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है।

उड़ीसा के बोलनगीर जिले में एस० टी० डी० सुविधा

7762. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और उड़ीसा के बोलनगीर जिले के बीच एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) बोलनगीर को कटक के डिजीटल ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ने के लिए एक उच्च ग्रेड का संचारण माध्यम प्रदान करने हेतु कार्य चल रहा है। इस माध्यम को 1989-90 में चालू किए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

7763. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला में 4000 लाइनों वाला एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां, आठवीं योजना के दौरान 4000 लाइनों वाला इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

7764. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों को क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

टेलीफोन लाइनों की कमी

7765. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में 25 से 30 लाख टेलीफोन लाइनों की कमी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बढ़ती हुई मांग को किस प्रकार पूरी करेगी;

(ग) सी-डॉट प्रणाली से इस मांग को पूरा किया जा सकेगा;

(घ) यदि हां, तो कहां तक; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने की योजना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) टेलीफोन लाइनें बनाने की कुल वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता लगभग 26 लाख है। यदि अनुज्ञप्त क्षमता को उत्पादन क्षमता में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसमें कमी की कोई संभावना नहीं रह जाती है।

उड़ीसा में गैर परम्परागत ऊर्जा संसाधनों से बिजली का उत्पादन

7766. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा में गैर परम्परागत संसाधनों से बिजली के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि उड़ीसा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन के लिए प्रायोगिक आधार पर कुछ यूनिटों की स्थापना की गई है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :

1. सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, लुलंग के फारेस्ट लॉज में एक 25 किलोवाट के प्रयोगात्मक सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों को विद्युत की सप्लाई करने के लिए 2 किलोवाट के एक अन्य सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत पैकेक की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा 206 गांवों में सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी प्रणालियों की स्थापना की गई है।

2. बायोमास कार्यक्रम के अन्तर्गत, उड़ीसा राज्य के लिए 240 किलोवाट स्थापित क्षमता सहित कई गैसीफायरों को मंजूरी दी गई है।

3. पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत, पुरी में 1.1 मेगावाट की एक पवन विद्युत परियोजना पहले ही शुरू की जा चुकी है। 55 किलोवाट का पहला चरण 1-5-86 को और दूसरा चरण दिसम्बर 1988 में स्थापित किया गया था। ग्रिड को 9 लाख यूनिट से अधिक विद्युत की सप्लाई की जा चुकी है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिजली के बिलों का बैंकों के माध्यम से भुगतान

7767. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) ने कुछ बैंकों को बिजली के बिलों की भुगतान राशि लेने के लिए अधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार इन बैंकों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या "डेसू" का अन्य प्रकार की भुगतान राशियों की वसूली हेतु कुछ और बैंकों को भी अधिकृत करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या डेसू का बिजली के बिलों की राशि लेने हेतु कुछ और विभागीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी हां, । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दो राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात आरिएण्टल बैंक आफ कामर्स तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक संलग्न विवरण में दी गई इनकी शाखाओं के माध्यम से इसके बिजली के बिलों की अदायगी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर रखा है।

(ग) और (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, इनमें विद्यमान नेटवर्क के 44 नियमित रोकड़ कार्यालयों, मोबाइल वालों तथा उपर्युक्त दो बैंकों की शाखाओं के माध्यम से बिजली केबिलों की अदायगी के एकत्रण की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। इसलिए, फिलहाल दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास अपने बिजली बिलों की अदायगी इकट्ठा करने के लिए और अधिक बैंकों को प्राधिकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का निम्नलिखित स्थानों पर नियमित रोकड़ कार्यालय शुरू करने का प्रस्ताव है :—

1. लक्ष्मी नगर
2. यमुना विहार
3. अंधेरिया बाग
4. ओंकार नगर
5. शालीमार बाग
6. रोहिणी
7. बवाना

विवरण

दिल्ली विद्युत प्रदाय संसथान के बिजली के बिलों की अदायगी स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों की शाखाओं की सूची

(क) ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स

1. कनॉट प्लेस
2. चांदनी चौक
3. पहाड़ गंज
4. बाराटूटी चौक सदर बजार

5. दरिया गंज
6. चावड़ी बाजार
7. करोल बाग
8. कीर्ति नगर
9. राजिन्द्र नगर
10. न्यू फ्रैंड्स कालोनी
11. पंचशील पार्क
12. साऊथ एक्सटेंशन
13. ग्रेटर कैलाश
14. जी० टी० करनाल रोड़
15. किंग्सवे कैम्प
16. सब्जी मण्डी
17. खेड़ा कलां
18. पहलादपुर बांगर
19. वजीरपुर
20. राजगढ़ कालोनी
21. शाहदरा जी० टी० रोड़
22. गांधी नगर
23. बसन्त लोक
24. सफदरजंग एन्क्लेव
25. मुनीरका
26. महीपालपुर
27. डिकाउन कला
28. टैगोर गार्डन
29. पालम गांव
30. विशाल एन्क्लेव
31. कनॉट प्लेस
32. नया बाजार
33. ईस्ट पटेल नगर
34. नारायणा
35. बत्रा (ओखला)
36. सर्वप्रिय विहार
37. आजादपुर
38. लक्ष्मी नगर
39. साकेत

(ख) पंजाब एण्ड सिंध बैं

1. जनपथ
2. कीर्ति नगर
3. रंजीत नगर
4. न्यू फ्रेंड्स कालोनी
5. नेहरू प्लेस
6. ई०/सी० देव नगर
7. राजिन्द्रा प्लेस
8. जनकपुरी
9. सिद्धार्थ एन्क्लेव
10. कैलाश कालोनी
11. ओखला
12. चावड़ी बाजार
13. पीरा गढ़ी
14. गुजरावाला टाउन
15. गीता कालोनी
16. कृष्ण नगर
17. आनन्द विहार
18. दरियागंज
19. कश्मीरी गेट
20. फतेहपुरी
21. मल्का गंज

सिक्किम में पत्र सूचना ब्यूरो के कार्यालय खोलना

7768. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र सूचना ब्यूरो ने चंडीगढ़ में अपना चतुर्थ क्षेत्रीय कार्यालय खोला है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे अन्य कार्यालय खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सिक्किम में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पत्र सूचना कार्यालय के नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलना सातवीं योजना स्कीमों का एक अंग है। जिसमें सिक्किम में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कोई

व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन योजना स्कीमों का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

कोयला और लिग्नाइट के संबंध में भारत सोवियत कार्य-दल

7769. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला और लिग्नाइट संबंधी भारत सोवियत कार्य दल ने सोवियत संघ के सहयोग से प्रारम्भ की गई सभी कोयला परियोजनाओं की निगरानी के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त होने की सम्भवना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कोयला उद्योग पर इन्डो-सोवियत कार्यकारी ग्रुप की बैठकें समय-समय पर होती हैं जिसमें सोवियत सहायता से चलाई जा रही कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं पर हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। दिनांक 3-12 अप्रैल, 1989 को नई दिल्ली में हुई अंतिम बैठक में इन परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और कार्य प्रक्रिया को ठीक ढंग से चलाए जाने की आवश्यकता पर दोनों देशों ने संयुक्त रूप से बल दिया। इस बात पर परस्पर सहमति हुई कि दोनों देशों के सम्बद्ध संगठन सभी समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाएंगे और स्पष्ट सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थापित करेंगे जिसमें तकनीकी तथा अन्य आवश्यकताएं संचार माध्यम, आदि शामिल होंगे।

सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण डाक सेवाओं में सुधार

7770. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में ग्रामीण डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे उठाये गये ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीण क्षेत्र में तार तथा पत्रों के वितरण में कितना सुधार हुआ है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) सुधार के लिए की गई कार्रवाई/हुए सुधार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. ग्रामीण डाक नेटवर्क का विस्तार :

1-4-85 से 31-3-1989 की अवधि के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3468 नये डाकघर खोले गये/मंजूरी दी गई।

2. पंचायत डाक सेवक :

प्रायोगिक आधार पर पंचायत डाक सेवकों की एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस

योजना के अन्तर्गत चुनिंदा ग्राम पंचायतों को 150 रुपये का मासिक अनुदान दिया जा रहा है और नियमित डाक नेटवर्क के साथ सेवा सम्पर्क द्वारा उन्हें प्राथमिक डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए डाक टिकटों तथा लेखा सामग्री की बिक्री से कमीशन दिया जाता है। 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार यह योजना देश के 21 जिलों की 2863 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ की जा चुकी है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण :

पारेषण समय और पारेषण की पद्धति में सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी डाक मार्गों पर निरंतर पुनरीक्षा की जाती है। जहां कहीं बसें प्रारंभ होती हैं और उनका प्रयोग करने में लाभ होता है तो रनर लाइनों को डाक मोटर लाइनों में बदल दिया जाता है। वितरण में लिए गए समय का पता लगाने के लिए उप मंडल निरीक्षकों द्वारा ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों की जनता को साधारण लिफाफे में जांच पत्र डाले जाते हैं। इसी तरह डाक पारेषण/वितरण के लिए लगने वाले समय की जांच के लिए अधीक्षक, डाकघर भी जांच-पत्र डालते हैं।

इसके अतिरिक्त वितरण के लिए प्राप्त वास्तविक डाक की जांच करके ग्रामीण डाकघरों में समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाता है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में तार सेवा :

ग्रामीण क्षेत्रों में तार सेवा संयुक्त डाक तारघरों के जरिए फोनोकाम आधार पर या मोर्स की सर्किटों पर "खुली तार" लाइनों पर प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तार सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) "खुली तार" की तार लाइनों में दोष कम करने के लिए इंस्यूलेटेड खुले तार द्वारा मात्र खुली तार लाइनों द्वारा बदलना।

(ii) पर्याप्त मात्रा में डाक सिग्नलरों को प्रशिक्षण।

(iii) मोर्स की कार्य को जिसके लिए लंबी अवधि के प्रशिक्षण की आवश्यकता है बदलने के लिए आसानी से कार्य करने योग्य इलैक्ट्रॉनिक की-बोर्ड के प्रोटोटाइप का विकास करना।

(iv) डाक-तार परियात के क्षेत्र में और प्रशासन प्रचालन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तार सेवा के रखरखाव के लिए जिम्मेवार इंजीनियरिंग अधिकारियों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करना।

(v) दूरस्थ और पहाड़ी भू-भागों में तार सेवा सुलभ कराने के लिए वायरलैस/उपग्रह माध्यम के उपयोग का प्रयोग करना।

जौनपुर, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की खपत

7771. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की प्रति व्यक्ति खपत क्या है इसमें जौनपुर जिले में इसकी प्रति व्यक्ति खपत क्या है और यह अन्य जिलों की तुलना में कम है या अधिक;

(ख) क्या जौनपुर में रसोई गैस का केवल एक डीलर है; और

(ग) यदि हां तो, इस जिले में रसोई गैस के और अधिक डीलर नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) उत्तर प्रदेश और जौनपुर जिले में एल० पी० जी० की मासिक औसत खपत क्रमशः 9.6 कि० ग्रा० और 9·2 कि० ग्रा० प्रति उपभोक्ता है। यह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के संबंध में 4·2 कि० ग्रा० से लेकर 12·8 कि० ग्रा० के बीच है।

(ख) और (ग) इस समय जौनपुर में 2 एल० पी० जी० वितरक केन्द्र काम कर रहे हैं। इनमें से एक वितरण केन्द्र मार्च, 1989 में चालू किया गया।

उत्तर प्रदेश में "रूरल इंटिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क"

7772. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के 9000 सार्वजनिक टेलिफोन उपलब्ध कराने और उत्तर प्रदेश के जिलों को "रूरल इंटिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क" विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिये सार्वजनिक टेलीफोन तंत्र के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है और "इंटिग्रेटिड डिजि-टल नेटवर्क" के अंतर्गत किन-किन जिलों को लाया गया है; और

(ग) क्या यह सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर तथा अन्य जिलों में प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। 7वीं योजना के अखिल भारतीय लक्ष्य में संशोधन करके उसे लंबी दूरी के 10,000 सार्वजनिक टेलीफोनों तक कर दिया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश में मथुरा, नैनिताल और गोंडा के 3 जिलों को इन्टीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क के लिए चुना गया है।

(ख) देश में अब तक लंबी दूरी के 7717 सार्वजनिक टेलीफोन खोले जा चुके हैं। इंटी-ग्रेटेड डिजिटलनेटवर्क के एक भाग के रूप में मथुरा और नैनीताल जिलों में प्रत्येक में 5-5 अर्थात् कुल 10 एक्सचेंज खोले गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन

7773. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबित आवेदनों के संदर्भ में कलकत्ता टेलीफोन विभाग द्वारा नये टेलीफोन कनेक्शन हेतु जारी किये गये अनेक कार्य-आदेशों का कई वर्षों से पालन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं तथा उन कार्य-आदेशों का ब्यौरा क्या है जो

कलकत्ता टेलीफोन विभाग के "47/48" एक्सचेंजों से नये कनेक्शनों हेतु जारी किये गये थे, किन्तु जिनके अनुसार टेलीफोन अभी तक नहीं लगाये गये हैं; और

(ग) ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1-1-89 की स्थिति के अनुसार नये टेलीफोन सुलभ कराने के लिए बकाया पड़े वर्क आर्डरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

से बकाया पड़े	कलकत्ता टेलीफोन में	47/48 एक्सचेंज में
1986	147	2
1987	144	90
1988	4216	448

(ग) 47/48 एक्सचेंज क्षेत्र के वर्क आर्डरों से संबंधित टेलीफोन मार्च, 1990 तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग का कलेंडर

[हिन्दी]

7774. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपना वर्ष 1989 का कलेंडर मिलनिर्मित कागज पर छपवाया है; और

(ख) यदि हां, तो खादी ग्रामोद्योग की हस्तनिर्मित कागज उद्योग को बढ़ावा देने की नीति के बावजूद ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की उनके सारे इस्तेमालों और प्रयोजनों के लिए हस्तनिर्मित कागज के प्रयोग करने से संबंधित नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1989 के कलेंडर को मिलनिर्मित कागज में इस गलत अनुमान पर छपवाया गया कि इस प्रकार की छपाई के लिए हस्त-निर्मित कागज उपयुक्त नहीं रहता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भविष्य में ऐसे प्रयोजनों के लिए केवल हस्त-निर्मित कागज के प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही कर रहा है।

बिहार में पेट्रो रसायन परियोजनायें

[अनुवाद]

7775. (श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पेट्रो रसायन परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है जिन्हें बिहार में स्थापना

के लिए मंजूरी दी गई है और जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कार्यान्वयन सुचारु नहीं हो पाया है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस और आशयपत्र कब मंजूर किये गये;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित मूल लागत कितनी है और इनका कार्यान्वयन कब तक सुचारु बनाया जाएगा;

(घ) इन पर इस समय कितनी लागत आने का अनुमान है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी; और

(ङ) इनमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ङ) बिहार राज्य में प्रतिवर्ष 50,000 टन केप्रोलेक्टम के निर्माण के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास विभाग को 5-7-1985 को एक आशयपत्र दिया गया है। इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत लगभग 225·00 करोड़ रुपए थी और नवीनतम अनुमानित लागत लगभग 440 करोड़ रुपए है। बी० एस० आई०डी०सी० इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण

7776. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों के संबंध में कितनी शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) हैदराबाद केन्द्र सहित किसी भी केन्द्र द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। तथापि, भावी कार्यक्रमों की योजना बनाते समय सुधारात्मक उपाय करने के लिए दर्शकों से प्राप्त पत्रों को, ध्यान में रखा जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

दुपहिया वाहनों के लिए डीजल इंजनों का विकास

7777. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुपहिया वाहनों संबंधी तेजी से बढ़ते हुए आटोमोटिव क्षेत्र के लिए डीजल इंजन का विकास करने के उद्देश्य से अनुसंधान तथा विकास का कोई प्रयास किया गया है अथवा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डीजल इंजन उद्योग ठप्प हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या चुनौतियों का सामना करने के लिए डीजल इंजन उद्योग का अधुनिकीकरण करने हेतु कोई योजना बनाई गई है अथवा बनाई जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दुपहियों में इस माल के लिए डीजल इन्जनों का विकास करने के लिए अनुसंधान तथा विकास के कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किए गए हैं। डीजल के कम मात्रा में उपलब्ध होने तथा इसकी कम मात्रा में आपूर्ति होने तथा डीजल तथा पैट्रोल के मूल्यों में अन्तर होने के कारण दुपहिए जैसे निजी वाहनों में डीजल के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। तकनीकी रूप से भी उच्च कम्पन ध्वनि, रख-रखाव इत्यादि की समस्याओं के कारण दुपहियों में डीजल इन्जन के प्रयोग को वांछनीय नहीं समझा जाता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औरंगाबाद में कोलगेट पामोलिव संयंत्र

7778. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव बहुराष्ट्रीय (मल्टीनेशनल) कम्पनी को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है, यदि हां, तो क्षमता और पूंजी निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संयंत्र लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों का उत्पादन करेगा;

(ग) यदि हां, तो इसे किन शर्तों पर अनुमति दी गई है; और

(घ) कम्पनी को इसमें से कितना लाभ अपने देश भेजने की अनुमति दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मैसर्स कोलगेट-पामोलिव इण्डिया लिमिटेड को 30,000 मी० टन प्रसाधन साबुन के विनिर्माण के लिए जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के गंगापुर, एम० आई० डी० सी०, वालुज औद्योगिक एस्टेट में नया एकक स्थापित करने हेतु लाइसेंसमुक्त पंजीकरण सं० आर-1115 (87), दिनांक 13-8-87 की मंजूरी दी गई है। पंजीकरण आवेदन में यथा उल्लिखित निवेश की राशि 25 करोड़ रु० है।

(ख) प्रसाधन साबुन लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लाभ के स्वदेश प्रत्यावर्तन की अनुमति कम्पनी के विदेशी इक्विटी भाग की प्रतिशतता के अनुसार दी जाती है, जो इस मामले में आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार 40% है।

उड़ीसा में डिजिकल इलेक्ट्रानिक टेलेक्स केन्द्र की स्थापना

7779. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में एक डिजिटल इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो टेलेक्स एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस स्थान का चयन किया गया है;

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की आशा है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जी, हां। भुवनेश्वर और राउरकेला में 1990-91 के दौरान डिजिटल टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) उपस्कर के लिए क्रय आदेश देने की कारंवाई कर ली गई है।

कास्टिक सोडे का उत्पादन

7780. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कास्टिक सोडा बनाने वाले कुछ एककों के स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के अन्त तक कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का विचार है; और

(ग) नये एककों के लिये जारी किए गए नए आशय-पत्रों का ब्यौरा क्या है और ये किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जी, हां। कास्टिक सोडा के निर्माण के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान दिए गए आशय-पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

7वीं योजना अवधि के अन्त तक 9.00 लाख टन कास्टिक सोडा की मांग होने का अनुमान है। इसकी तुलना में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 11.03 लाख टन है और इस प्रकार 7वीं योजना अवधि के अन्त तक किसी अतिरिक्त क्षमता को जोड़े जाने की संभावना नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन की तिथि	स्थान	वार्षिक क्षमता सहित निर्माण की जाने वाली वस्तु	आशयपत्र की सं० और तारीख
1.	मे० वरिन्दर एग्रो केमिकल्स लि० पंजाब	29-11-1986	तहसील रामगढ़, जिला गुना, म० प्रदेश	1. कास्टिक सोडा 33000 टन 2. क्लोरीन 16500 टन 3. हाइड्रोजन 10486600 टन 4. हाइड्रोक्लोरो 264000 टन एसिड 5. केल्सियम हाइपोक्लोराइड/ब्लीचिंग पावडर	एल०आई० 29 (86) दि० 23-1-1989 1000 टन
2.	मे० केमफैब एल्कलीज लि०, तमिलनाडु	19-1-1989	जिला भड़ौच, गुजरात	1. कास्टिक सोड़ा 3300(टन (100 प्रतिशत) 2. क्लोरीन 29370 टन 3. हाइड्रोक्लोरिक 29370 टन एसिड (100 प्रतिशत) 4. हाइड्रोजन 9240000 घन मीटर 5. सोडियम हाइड्रो-पो 1000 टन क्लोराइड	एल० आई० : 158 (89) दि० 15-3-1989

रायचूर ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की सप्लाई

7781. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के रायचूर ताप विद्युत संयंत्र को बार-बार कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) रायचूर ताप विद्युत केन्द्र को मुख्यतः दीर्घकालीन आधार पर सिंगरैनी कालरीज कम्पनी लिमिटेड (एस० सी० सी० एल०) के साथ लिंक किया गया। कई बार इस केन्द्र पर जिसकी आवश्यकताएं इस समय मैं० एस० सी० सी० एल० तथा मैं० डब्ल्यू० सी० एल० से पूरी की जा रही हैं कोयले के भण्डार में कमी आई है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान की शैक्षिक गतिविधियां

7782. श्री मानिक रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों की पुनरीक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अनुसंधान और परामर्श सेवा को उच्च प्राथमिकता देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) समीक्षा समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 1985 में दे दी थी, ने कहा है कि शैक्षिक प्रभाव को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एन०आई०एस०आई०ई०टी० को विशेष अनुसंधान सामर्थ्य विकसित करने की आवश्यकता है। आरम्भ में धन का आवंटन अलग से नहीं किया गया था और संस्थान ने जो अनुसंधान किया था वह अधिकतर प्रायोजित किस्म का था। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1989-90 के बजट में 3 लाख रुपये की राशि रखी गयी है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान का परामर्श विभाग

7783. श्री ए० जे० वी० बी० :

श्री महेश्वर राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के राष्ट्रीय लघु उद्योग और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 1985 में लघु उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक परामर्श विभाग की स्थापना की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) परामर्श प्रभाग द्वारा किया गया कार्य 1975 के पश्चात् लघु उद्योग उद्यमियों के लिए सलाहकार तथा परामर्शदायी सेवाएं, उत्पादन/परियोजना निर्धारण, उद्योग संबंधी अवसरों का अध्ययन, सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, आधुनिकीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को बनाना, रुग्ण एककों को जीव्य बनाना, प्रौद्योगिकी अंतरण प्रबंध स्थिति रिपोर्ट तैयार, लघु उद्योगों के अनुरोध पर परामर्शदायी कार्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना तथा प्रबंध संबंधी परामर्श के विषय में परामर्शदायी कार्यकलापों से संबंधित था।

कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शनों और रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतीक्षा सूची

7784. **श्री एच० बी० रामुलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में जिला-वार कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) कर्नाटक में किन-किन शहरों में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) कर्नाटक में निकट भविष्य में किन-किन शहरों में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस समय कर्नाटक में 136 स्थानों पर एल० पी० जी० सुविधा है।

(ग) वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त 1988-89 तक की अपनी वार्षिक एल० पी० जी० विपणन योजनाओं के अन्तर्गत तेल कंपनियों द्वारा कर्नाटक में 34 और एल० पी० जी० वितरण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं०	जिला	प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या (1-4-1989 को)
1	2	3
1.	बंगलूर	42,354
2.	बेलगांम	7,294

1	2	3
3	बैलेरी	980
4.	बिदर	267
5.	बीजापुर	1,484
6.	चिकमंगलूर	1,550
7.	चित्रदुर्ग	1,872
8.	दक्षिण कन्नड़	11,761
9.	धारवाड़	2,212
10.	गुलबर्गा	1,350
11.	कोडागू (कुर्ग)	2,042
12.	कोलार	1,273
13.	मैसूर	3,977
14.	रायचूर	570
15.	शिमोगा	1,424
16.	तुमकुर	1,652
17.	उत्तर कन्नड़	2,540
18.	मंडिया	280
19.	हसन	935
	जोड़ :	85,817

कर्नाटक में सिंवसमुद्रम स्थित पन-बिजली परियोजना को स्वीकृति

7785. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सिवसमुद्रम में 270 मेगावाट की एक आधुनिक पन-बिजली परियोजना आरम्भ करने हेतु एक परियोजना रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय बिजली प्राधिकरण ने परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित (2×135 मेगावाट) की सिवसमुद्रम सीजनल पावर स्कीम से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) को अक्तूबर, 1987 में प्राप्त हुआ था। के० वि० प्रा० में इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया और तकनीकी पहलुओं से

सम्बन्धित टिप्पणी के साथ इसे अक्तूबर, 1988 में कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड को लौटा दिया गया था तथा अन्तर्राज्यीय पहलुओं को निश्चित करने के बाद पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। चूंकि इस परियोजना में अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं, के० वि० प्रा० इस परियोजना को कब स्वीकृत करेगा, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

सौर ऊर्जा की सहायता से गांवों का विद्युतीकरण

7786. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की सहायता से राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) सातवीं योजना के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा; और

(घ) सौर ऊर्जा की प्रति यूनिट औसतन उत्पादन लागत कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों से उपलब्ध सूचना के आधार पर 4672 गांवों तथा गांव-झुरमुटों को प्रारम्भिक विद्युतीकरण के उपाय के रूप में इन गांवों और ग्राम झुरमुटों को सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई गयी थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान, प्रदर्शन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में विभिन्न राज्यों के बिना बिजली वाले गांवों और गांव-झुरमुटों को सौर विद्युत यूनिटें उपलब्ध कराई गई थी और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

(ग) सातवीं योजना के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से 500 और गांवों/गांव-झुरमुटों को विद्युतीकृत किए जाने की आशा है।

(घ) जीवन क्षमता चक्रण लागत निर्धारण के आधार पर लघु सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों से विद्युत के उत्पादन की लागत प्रति यूनिट 6 रुपये से 8 रुपये प्रति यूनिट है। यह लागत ग्रिड से दूर के गांवों में ऐसे उपयोग के लिए परम्परागत विद्युत के साथ पहले ही तुलनात्मक है। मेगावाट क्षमता के बड़े सौर विद्युत केंद्रों से प्रति यूनिट लागत बहुत ही कम होगी।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	सौर रोशनी सहित गांवों/गांव झुरमुटों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1894
2.	अरूणाचल प्रदेश	14

1	2	3
3.	असम	9
4.	बिहार	11
5.	गोआ	4
6.	गुजरात	265
7.	हिमाचल प्रदेश	153
8.	जम्मू और कश्मीर	13
9.	कर्नाटक	90
10.	केरल	52
11.	मध्य प्रदेश	169
12.	महाराष्ट्र	648
13.	मणिपुर	9
14.	मेघालय	5
15.	मिजोरम	6
16.	नागालैण्ड	33
17.	उड़ीसा	206
18.	राजस्थान	480
19.	सिक्किम	27
20.	तमिलनाडु	137
21.	त्रिपुरा	24
22.	उत्तर प्रदेश	259
23.	पश्चिमी बंगाल	164
	योग :	4672

दिल्ली में कार टेलीफोन प्रणाली आरम्भ करना

7787. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या संचार मंत्री नगरों में कार टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में 4 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4695 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आरम्भ की गई कार टेलीफोन व्यवस्था पर कुल अनावर्ती और आवर्ती खर्च कितना आता है और इसके अन्तर्गत कितनी लाइनें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इस पर होने वाला आरम्भिक खर्च और बाद में उपभोग खर्च वास्तव में प्रयोक्ता वहन करता है;

(ग) 31 मार्च, 1989 से कार टेलीफोन व्यवस्था पर आरम्भ से अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई है और प्रयोक्ताओं से उक्त तारीख तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(घ) दिल्ली में ऐसे कितने टेलीफोन सरकारी प्रयोग के लिए हैं जिनके लिए सरकारी निधि से खर्च किया है और ऐसे टेलीफोनों के व्यक्तिगत प्रयोक्ता कितने हैं, तथा व्यक्तिगत आवेदकों की संख्या कितनी है जिन्हें ये टेलीफोन कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये हैं; और

(ङ) बंबई के लिये प्रस्तावित "सेल्यूलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन" व्यवस्था की अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इसकी प्रस्वावित लाइन क्षमता कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) (i) दिल्ली में कारों पर प्रायोगिक तौर पर लगी टेलीफोन प्रणाली पर लगभग 1.25 करोड़ रुपये का कुल गैर-आवर्ती व्यय आया है।

(ii) दिसम्बर, 85 में जब यह प्रणाली शुरू की गई थी तब से लेकर 31-3-89 तक रख-रखाव पर 3,95,296 रुपये और अतिरिक्त कलपुर्जे खरीदने पर 10,26,000 रुपये तक आवर्ती खर्च आया है इन अतिरिक्त पुर्जों की सितम्बर, 1993 तक चलने की संभावना है)।

(ख) इस प्रायोगिक परियोजना पर आने वाली आरम्भिक और चालू लागत को कई वर्षों तक निर्धारित शुल्क वसूल करके पूरा किया जाना है।

(ग) (i) कार टेलीफोनों पर यह सेवा शुरू होने की अवधि से लेकर 31-3-89 तक खर्च की गई राशि उपर्युक्त (क) में दी गई है।

(ii) उपभोक्ताओं से 31-3-89 तक 56,17,379 रु० प्राप्त हुए हैं।

(घ) (i) सरकारी उपभोक्ताओं की संख्या 28 है और इस प्रकार के टेलीफोन दूरसंचार विभाग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं।

(ii) आज की तारीख तक निजी उपभोक्ताओं की संख्या 42 है और उन निजी आवेदकों की संख्या 297 है जिन्हें अभी ये कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

(ङ) बम्बई के लिए प्रस्तावित सेल्यूलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन प्रणाली की अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपये एफ० ओ० बी० है। इस प्रणाली की आरम्भिक क्षमता 1200 लाइनों की है।

मराठावाड़ा क्षेत्र के कलाकारों को दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्यक्रमों का आबंटन

7788. **श्री उत्तम राठोड़ : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठावाड़ा क्षेत्र के कलाकारों को अपनी श्रेणी के अन्य कलाकारों की तुलना में दूरदर्शन और आकाशवाणी में बहुधा कम कार्यक्रम मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) अन्य क्षेत्रों की तरह ही मराठावाड़ क्षेत्र के कलाकारों को भी दूरदर्शन और रेडियो के कार्य-क्रमों में भाग लेने के लिए, कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कन्याकुमारी में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

7789. **श्री एन० डेनिस : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच की गई है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं अथवा नहीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। नगरकोइल में अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर का अपने सामान्य सेवा रेंज में कार्य सन्तोषजनक पाया गया है (बशर्ते कि भूभागीय स्थिति ठीक हो) और कन्याकुमारी जिले के लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र को सेवा प्रदान कर रहा है।

1988 और 1989 के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापनों से आमदनी

7790. **श्री सोडे रमैया : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 और 1989 के दौरान दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापनों से क्रमशः कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : दूर-दर्शन को वाणिज्यिक विज्ञापनों से प्राप्त समग्र राजस्व वर्ष 1988 के लिए 152.41 करोड़ रुपए था और वर्ष 1989 (जनवरी से मार्च) के लिए 44.43 करोड़ रुपए था।

उपभोक्ता सामान के उत्पादन के लिये अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी से समझौता

7791. **श्री जी० एस० बासवराजु :**

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मैसर्स टक्सास इंस्ट्रमेंट्स भारत में उपभोक्ता सामान के उत्पादन के लिए विविधिकरण के बारे में सोच रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) (ख) से (ग) जी, नहीं। तथापि, मैसर्स टक्सास इन्स्ट्रूमेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड, दिल्ली को उन्नत सेमी-कंडक्टर्स (इन्टेग्रेटिड सर्किट्स) के विकास और डिजाइन निर्माण के लिए एक 100% निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए दिनांक 11-1-1985 को एक आशय-पत्र मंजूर किया गया था।

भारत में विदेशी पूंजी के निवेश के लिए स्थिति में सुधार

7792. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी पूंजी के निवेश के लिए स्थिति में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति में और सुधार लाने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) किन-किन देशों ने भारत में अधिक पूंजी निवेश करने में रुचि दिखाई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1987 की तुलना में 1988 के दौरान स्वीकृत की गयी विदेशी निवेश की राशि निम्न प्रकार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है : —

वर्ष	कुल स्वीकृत विदेशी निवेश (लाख रु० में)
1987	10770·57 रु०
1988	23975·75 रु०

(ग) विदेशी निवेश को प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए एक वाहन माना जाता है जो देश के लिए अपेक्षित है। सरकार की विदेशी निवेश नीति चयनात्मक है और यह ऐसे क्षेत्रों में मार्गीकृत करने के लिए बनायी गयी है जहां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है अथवा जहां उत्पादन के चिंताजनक अन्तर हैं अथवा जिससे देश की निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों तथा पद्धतियों को सुचारू तथा सरल कर दिया गया है।

(घ) 1988 के दौरान, 28 देशों के साथ विदेशी निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। इन देशों में अमरीका, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, जापान, ब्रिटेन तथा फ्रांस मुख्य हैं।

महाराष्ट्र के जयगढ़ में पेट्रो रसायन परियोजना

7793. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के जयगढ़ स्थान पर पेट्रो रसायन परियोजना की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना की मंजूरी देने से पहले बरती गई सावधानियों का ब्यौरा क्या है ?

श्री उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मेसर्स फिनोलेक्स पाईप्स प्रा० लि० को महाराष्ट्र के जयगढ़ में प्रतिवर्ष 1,00,000 टन पी० वी० सी० का निर्माण करने के लिए एक परियोजना स्थापित करने के लिए 13-6-88 को आशय-पत्र जारी किया गया था। इस आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने से पूर्व प्रदूषण की दृष्टि से स्वीकृति सहित यह अनेक शर्तों के अधीन है।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि० के पोलीमर यूनिट का पुनर्गठन

7794. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने पोलीमर यूनिट में उत्पादन बढ़ाकर उसके पुनर्गठन हेतु उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पोलीमर यूनिट लगातार घाटे में चल रहा है,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस यूनिट में घाटे को समाप्त करने के लिए सहायता देने पर सहमत हो गई है, और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) मेसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० ने अपने पालिमर एकक को पुनर्गठित करने और बाधामुक्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। बताया जाता है कि इस एकक को फीड-स्टॉक की कठिनाई क्षमता के कम उपयोग, उच्चतर उत्पादन लागत आदि के कारण हानियां हो रही है।

12·00 मध्याह्न

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाइए। मैं एक-एक को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जाइए। आप मेरी कार्यविधि जानते हैं। अन्यथा मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड न किया जाए। मैंने अनुमति नहीं दी है। रिकार्ड न किया जाए। कृपाय आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। रिकार्ड न किया जाए। आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं। केवल तभी मैं आपको बुलाऊंगा। अन्यथा मैं नहीं बुला सकता।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पहले अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बुलाऊँगा। अब सभी अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री हरीश रावत को बुला रहा हूं। मैं केवल श्री हरीश रावत को बुला रहा हूं अन्यों को नहीं। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। उन्होंने नोटिस दिया है। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : (राबर्टसगंज) : मान्यवर, मैंने सबसे पहले नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं आपको नहीं बुला रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने टाइम्स आफ इंडिया और टाइम्स आफ इंडिया के संपादक के विरूद्ध मानहानि का नोटिस दिया है, क्योंकि इसमें समाचार छपा है जिसमें छपा है कि स्मलगर्स की एक टी पार्टी में दूसरे सदन के एक सदस्य गए और यह भी कहा गया है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य उनके साथ दूसरे डायस पर बैठे हुए थे जब शाहजहांपुर में मीटिंग हुई थी, उस माननीय सदस्य का नाम वी० पी० सिंह है। यह भी कहा भी गया है कि वी० पी० सिंह जब कांग्रेस प्रेसीडेंट थे उस समय उस स्मगलर को कांग्रेस पार्टी में लाए थे और यह भी सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि उस स्मगलर का वी० पी० सिंह के साथ जातीय रिश्ता है, नजदीक रिश्ता है। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है। इसमें स्थगन की क्या बात है ?

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके नोटिस पर विचार करूंगा। मैंने आपको कहा है : मैं आपके नोटिस पर विचार करूंगा। बस ठीक है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जयपाल रेड्डी बोलेंगे।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपके नोटिस पर विचार करूंगा बस ठीक है। चतुर्वेदी जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चतुर्वेदी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री हरीश रावत को बता दिया हैं। उन्होंने नोटिस दिया है। मैं उस नोटिस पर विचार करूंगा। वह और क्या चाहते हैं ? मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। अब श्री जयपाल रेड्डी।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है क्योंकि 'स्टेट्समैन' के प्रबंधक मण्डल को समझौता करने के लिए बाध्य किया गया है।···(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने किसी दूसरे रूप में नोटिस दिया है। मैं इसे स्थगन प्रस्ताव नहीं मान सकता; मैं इसे मूल प्रस्ताव नहीं मान सकता। किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)*

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : आज अध्यक्षपीठ पर एक काली छाया पड़ी हुई है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने नियम 184 के अधीन नोटिस दिया है। मेरी बात सुनिए, प्रथमत: क्या आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं और आपने चर्चा कब तय की। प्रश्न यह है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने वास्तव में यह प्रकट किया कि चैकोस्लोवाकिया पिस्तोल सौदे में उस पर अन्तिम निर्णय में परिवर्तन करने के लिए बहुत प्रभाव डाला गया। किसी ने ब्राजील लॉबी की ओर से और कुछ ने इटली की कम्पनी की ओर से दबाव डाला। जब यह सब हो रहा है।···(**व्यवधान**)

इसकी जानकारी केवल एक ही समाचार पत्र में नहीं छपी है बल्कि अनेक समाचारपत्रों में छपी है।

(**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस पर विचार किया जाएगा। मैं आपको इस तरह से अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने गृह मंत्री से वक्तव्य की मांग की थी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस पर विचार किया जाएगा। किन्तु मैं आपको इस तरह अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी व्यवस्था क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा; मैं आपके नोटिस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस विषय पर गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग करता हू।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस पर विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पश्चिमी बंगाल के लोगों को गेहूं और चावल नहीं मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक कार्य नहीं कर रही है। गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। इसलिए, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाती हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाती हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दें। मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : सीमा शुल्क चोरी करने के षडयंत्र के बारे में बहुत से आरोप हैं। यह आज के समाचारों में छपा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपनी व्यवस्था दे चुका हूं कि मैं किसी भी आरोप की अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूं।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा० भोई आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : मेरा प्रश्न यह है कि अभी श्री रेड्डी ने दूसरी ओर के (सदन) सदस्य के नाम का उल्लेख किया···

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले को फिर से न उठाएं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। किसी भी बात की अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)*

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : टॉरनेडो, भयंकर चक्रवात और ओला-वृष्टि के कारण उड़ीसा राज्य में स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। बहुत से लोग मारे गए हैं। चोट लगने के कारण हजारों लोग अस्पताल में हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस और अल्प-सूचना प्रश्न दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं इसे देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जिन बातों का आपने वचन दिया है क्या उन सब बातों पर विचार करने के लिए आप सत्र की अवधि बढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब सहमत हों तो हम देखेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : क्या आप इस बात से सहमत हैं कि समाचारपत्र किसी राष्ट्र की आंख और कान होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। अनुमति नहीं दी जाती। मैं अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुरड्डी।

श्री एस० एम० गुरड्डी (बीजापुर) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है। उस दिन श्री बूटा सिंह ने यह कह कर कि कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल श्री गोविन्द नारायण ने 1977 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवराज अर्स की सम्मति के बिना विधानसभा भंग की थी, सदन को गुमराह किया था। तत्कालीन राज्यपाल श्री गोविन्द नारायण ने श्री बूटा सिंह के वक्तव्य पर आश्चर्य व्यक्त किया है। इसलिए, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दें। मैं देखूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री एस० एम० गुरड्डी : मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

अब हम सभा-पटल पर रखे गए पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे।

12.12 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वित्त अधिनियम, 1979 आयकर अधिनियम, 1961, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : श्री ए० के० पांजा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 392 (अ), जो 29 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 28 मार्च से 1 अप्रैल, 1989 तक भारत के दौरे पर आये थाईलेंड के प्रधानमन्त्री महामहिम जनरल चटी चाई चुनहवन तथा शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 393(अ), जो 29 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 28 मार्च से 1 अप्रैल, 1989 तक भारत के दौरे पर आये माननीय सर जाफरी होव, क्यूसी, एम० पी० सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार फॉरन अफेयर्स एण्ड कामनवेल्थ अफेयर्स आफ दि यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नार्दन आयरलैंड तथा लेडी होव को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 434 (अ), जो 10 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 11 से 18 अप्रैल, 1989 तक भारत के दौरे पर आये साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डा० जार्ज वैसीलियो तथा शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 435 (अ), जो 10 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जो 11 से 18 अप्रैल, 1989 तक भारत के दौरे पर आये पोलिश लोक गणतन्त्र की काउन्सिल आफ स्टेट के उपाध्यक्ष (उप-राष्ट्रपति) महामहिम डा० टडियूज स्कैलेवोस्की तथा शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्री-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या (एल० टी०) 7813/89]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 1989, जो 29 मार्च, 1689 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 239 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7814/89]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति लिखित संस्करण) :—

(एक) सा० का०नि० 110(अ), जो 20फरवरी, 1989 के भारत केराजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1-3-1986 से 14-4-1986 की अवधि के दौरान आयातित अपरिष्कृत लकड़ी को सम्पूर्ण उपषंगी सीमा-शुल्क से छूट देना है; तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 349 (अ), जो 9 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 31/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं, जिनका उद्देश्य कतिपय प्रकार के फैटी एसिडों, एसिड आयलों तथा फैटी एल्कोहलों पर मूल सीमा शुल्क को बजट पूर्व स्तरों पर बहाल करना है; तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 367 (अ), जो 17 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 107/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कठोर कवच में बादाम पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क की उपषंगी शुल्क को रियायती दर की व्यवस्था करना है; तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 385(अ), जो 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या 70/81-सी० शु० दिनांक 26 मार्च, 1981, 255/86-सी० शु० दिनांक 17 अप्रैल, 1986, 480/86-सी० शु० 481/86-सी० शु० और 482/86-सी०शु० दिनांक 4 दिसम्बर, 1986 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उनमें विनिर्दिष्ट समय सीमा को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 386 (अ) जो 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा लोहा और इस्पात प्रचलन स्क्रेप की कतिपय श्रेणियों पर अतिरिक्त (प्रतिसंतुलनकारी) सीमा-शुल्क विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 422 (अ) और सा० का० नि० 423 (अ) जो 4 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा धूमन मशीनों को, जब उनका किसी नगरपालिका अधिकारी द्वारा मलेरिया और अन्य मच्छरजन्य रोगों से लड़ने के लिए प्रयोग हेतु भारत में आयात किया जाए, 25 प्रतिशत मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल-सीमा शुल्क से सीमा-शुल्क के सम्पूर्ण अतिरिक्त तथा अनुषंगी शुल्कों से छूट दी गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 7815/89]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 106 (अ), जो 16 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 60/88-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का लाभ उठाने के लिए उस सहायक कलक्टर के समक्ष जिसकी अधिकारिता में वह आता है आर० एन० आई० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक महीने की समय सीमा की व्यवस्था की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 431 (अ), जो 6 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के शीर्ष संख्या 38.01 या 38.09 के अन्तर्गत आने वाले परिसज्जा कर्मक, रंगाई को त्वरित करने या रंजक-द्रव्यों के स्थायीकरण के लिए रंजक वाहक और अन्य उत्पाद तथा विनिमितियों, जो इस प्रकार की हों कि उनका टेक्सटाइल उद्योग में उपयोग किया जाता हो और जिनका टेक्सटाइल और टेक्सटाइल की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में उपयोग किया जाता है, पर 28 फरवरी, 1986 को प्रारम्भ होने वाले और 2 सितम्बर, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 339 (अ), जो 3 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा की 1 मार्च, 1989 अधिसूचना संख्या 24/89 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त शीर्ष 2504.31 के अन्तर्गत आने वाले संगमरमर टाइलों के स्थान पर उप शीर्ष संख्या 2504.21 के अन्तर्गत आने वाली संगमरमर सिल्लियों को प्रतिस्थापित किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 368 (अ), जो 17 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 को अधिसूचना संख्या 28/89-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि माल को उत्पाद-शुल्क से तब छूट दी जा सके जब उसका उपयोग उसी कारखाने में जिसमें उसका उत्पादन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत आने वाले किसी माल के विनिर्माण के लिए किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 384 (अ), जो 28 मार्च, 1689 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 अधिसूचना संख्या 61/86—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और 69/86—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि शुल्क में रियायत के लिए पात्र केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की शीर्ष संख्याओं में परिवर्तन किया जा सके और तांबे की वाइंडिंग तार पर छूट प्राप्त करने से संबंधित कतिपय कठिनाइयों को दूर किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 412 (अ), जो 31 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 को अधिसूचना संख्या 175/86—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि इसके अन्तर्गत आने वाली मदों की संख्या में वृद्धि की जा सके और अधिसूचना की वैधता 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 7816/89]

12.12½ म० प०

नियम समिति

दूसरा प्रतिवेदन

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 331 के उपनियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.13 म० प०

याचिका समिति

8वां प्रतिवेदन

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं याचिका समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.13½ म० प०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं वर्ष 1986-87 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.13½ म०प०

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक*

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :

प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

12.14 म० प०

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक*

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*दिनांक 2-5-89 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो—खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

12.14½ म० प०

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक**

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.15 बजे

(संविधान तिरसठवां संशोधन) विधेयक**

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : श्री बूटासिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष मोहन देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**दिनांक 2-5-89 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो—खण्ड दो में प्रकाशित।

12.15 ½ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के अलवर जिले में तिनपीरुदी स्थित सरकारी कृषि फार्म में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की एक इकाई तथा एक प्रयोग शाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम सिंह यादव (अलवर): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना का लक्ष्य और उद्देश्य कृषि और पशुपालन सम्बन्धी शिक्षा, अनुसन्धान और उसके कार्यान्वयन की सहायता करना और उसे बढ़ावा देना, कृषि विकास और कृषि उत्पादों के विपणन संबंधी कार्य करना तथा वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर उसे प्रतिदिन के व्यवहार में लागू करना है। यह संस्था कृषि अनुसंधान तथा कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों का विकास करने तथा उनके सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए अनुसन्धान एवं सन्दर्भ पुस्तकालय के रूप में भी कार्य करती है।

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से कहा है कि वे अनुसंधान और विकास की उपलब्धियों को किसानों के खेतों तक पहुंचायें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी ईकाइयों और प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसानों को अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध करा सकती है।

राजस्थान के अलवर जिले में भूमि उपजाऊ है और वहां भूमिगत पानी भी उपलब्ध है। अत: मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे अलवर जिले के तिनपीरुदी सरकारी कृषि फार्म में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक ईकाई और प्रयोगशाला स्थापित करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद शहर में और बाराबंकी जिले में रूदौली में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री का ध्यान शहर फैजाबाद उत्तर प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंज की दुर्व्यवस्था व उपभोक्ताओं की परेशानी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। फैजाबाद टेलीफोन एक्सचेंज एम० ए० एक्स प्रणाली का है जो उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या व नई इलैक्ट्रौनिक प्रणाली के आ जाने पर अनुपयोगी हो गया है। फैजाबाद एक मण्डलीय मुख्यालय भी है, अत: आवश्यक है कि इस मण्डलीय मुख्यालय की संचार व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रहे।

मेरा जानकारी में यह आया है कि संचार मंत्रालय द्वारा फैजाबाद के लिये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्वीकृत कर दिया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि इस स्वीकृत इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज को इसी वर्ष 1989 में आवश्यक रूप से स्थापित कराया जाये।

साथ ही मेरा अनुरोध यह भी है कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र जनपद बाराबंकी के रूदौली एक्सचेंज को जोकि एक छोटा एक्सचेंज है, व प्रतीक्षा-सूची लम्बी है, भी शीघ्र इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तन किया जाये ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों को अविलम्ब लागू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सी० डी० ए० पद्धति के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतन में संशोधन का मामला पिछले दो वर्ष से लम्बित है । वास्तव में, इन सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत वेतन में संशोधन के अधिकारी थे क्योंकि उनके तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान तथा महंगाई भत्ता फार्मूला समान हैं । इससे पूर्व वेतन आयोग की सिफारिशों को इन उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू किया गया था । तथापि चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें उनके सम्बन्ध में लागू नहीं की गई हैं और उन्हें मजबूर होकर मामला अदालत में ले जाना पड़ा है । इसके परिणामस्वरूप सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की नियुक्ति की थी जो इन 68 सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचे की जांच एवं सिफारिशें कर सके । इस समिति ने 24-11-1988 को अपनी रिपोर्ट दे दी । इसमें उन्होंने मोटे तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए नए वेतनमान सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी दिए जाने चाहिएं ।

उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की रिपोर्ट को विभिन्न मंत्रालयों के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया, उन्होंने लोक उद्यम ब्यूरो को सूचित किया है कि उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों को सरकारी उद्यमों द्वारा उनके अपने-अपने प्रशासनिक नियंत्र के अधीन लागू किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है । अब मामला अंतिम निर्णय के लिए सरकार के विचाराधीन है । उक्त समिति की रिपोर्ट में दी गई विधि मंत्रालय की राय के अनुसार सरकार के पास इसे पूर्णतः स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, क्योंकि यह समिति उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत गठित की गई थी इसलिए इसकी सिफारिशें आदेशात्मक हैं ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अविलम्ब उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें लागू करें ।

(चार) दिल्ली के उन किसानों को जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई है, समय पर और पूरा मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं :—

"देहली के किसानों की जमीन देहली प्रशासन बहुत कम पैसे में एक्वायर करता है। किसान जमीन के बदले प्लाट लेने के लिए कोर्टों में चक्कर लगाते हैं। एक साल में प्लाट के लिए लैंड एण्ड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मंजूर होकर डी० डी० ए० में कागजात जाते हैं। 4 साल तक डी० डी० ए० में नम्बर नहीं आता है। उन्हें 220 गज के प्लाट की जगह 40 गज का प्लाट दिया जाता है। 400 गज की जगह 200 गज का प्लाट दिया जाता है। किसानों को पूरे प्लाट मिलने चाहिए। प्लाट देने की इस पालिसी को तभी से लागू करें जब से दिल्ली प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी है। किसानों को उनकी जमीन का पूरा मुआवजा न मिलने के कारण वे बड़े परेशान हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि कोई तरीका ऐसा बनाएं जिससे उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिले और पूरा प्लाट मिले तथा एक दुकान भी मिले। प्रत्येक परिवार के एक आदमी को रोजगार मिले। ये सारी सहूलित जमीन के मुआवजे के साथ दें जिससे किसानों को कचहरियों के बार-बार तथा सालों चक्कर न लगाने पड़ें।"

(पांच) ग्रामवासियों को अपनी पसन्द के बैंकों के साथ लेन देन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० रामाचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर): ऋण लेने तथा अन्य कार्यों के लिए गांवों के बैंकों की शाखाओं से जोड़ दिया गया है। जब एक गांव को एक बैंक से जोड़ दिया जाता है तो अन्य बैंक उस गांव के लोगों को ऋण नहीं देते। कुछ बैंक किसानों को अच्छी सेवा प्रदान करते हैं जब कि कुछ अन्य व्यापारियों को केवल व्यापार के लिये ही धन देने को प्रथमिकता देते हैं। इस प्रकार किसानों के पास ऋण लेने के लिए निर्धारित बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के पास जाने की छूट नहीं है। इसी प्रकार व्यापारी भी अपनी इच्छा से किसी अन्य बैंक से उधार नहीं ले सकते। इससे किसानों एव व्यापारियों दोनों के काम में रुकावट आती है। इस समय गांवों को निकटता के आधार पर बैंकों से जोड़ा जाता है।

मैं वित्त मंत्री से इस बारे में ध्यान देने तथा गांवों को बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया को लचीला बनाने का अनुरोध करता हूं। उन्हें अपनी पसन्द के किसी भी बैंक से लेन-देन की अनुमति होनी चाहिए। यदि इसमे रिजर्व बैंक की सहमति आवश्यक हो तो कृपया आवश्य कदम उठायें।

(छह) महाराष्ट्र के लिए रुई का निर्यात कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली): 3·5 मिलीमीटर लम्बे रेशे वाली कपास के लिए निर्यात कोटा बहुत कम है और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में विलम्ब किए जाने के कारण देश के कपास उत्पादकों को सामान्यतः तथा महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादकों को विशेषरूप से बड़ी हानि हो रही है।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र संघ को निर्यात के लिए अधिक कोटा दिया जाना चाहिए। राज्य में कपास के अत्यधिक उत्पादन को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक महासंघ के कोटे में कम से कम 15000 गांठों की वृद्धि की जानी चाहिए तथा इन कपास उत्पादकों की

सुविधा के लिए जिनकी रेशे की लम्बाई निरन्तर बरसात के कारण कम हो गई है, लम्बे रेशे वाली कपास का कोटा कम किया जाना चाहिए।

12.25 म० प०

वित्त विधेयक, 1989-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 27 अप्रैल, 1989 को श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर आगे विचार करेंगे—

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री चिंता मणि जेन

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुर:तस्थापित वित्त विधेयक 1989-90 का समर्थन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, माननीय वित्तमंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत बजट प्राक्कलनों का सार है जोकि निर्धन व्यक्ति के बजट के नाम से प्रसिद्ध है। समाज के सभी वर्गों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि वर्ष 1989-90 का बजट निर्धन व्यक्ति का बजट है और इससे हमारे देश में समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह अब हमारे देश की भीषण समस्या अर्थात् बेरोजगारी तथा आवास समस्या को दूर करेगा। यह हमारे देश के सामने मुख्य समस्यायें हैं और यह बजट काफी हद तक इन्हें दूर करेगा।

12.26 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उस दिन नेहरू रोजगार योजना शुरू करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश में बेरोजगारी दूर करने हेतु कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सहित लोगों के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है। इसी प्रकार इस वर्ष का बजट ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए आधार के रूप में लाया गया है। अतः बजट द्वारा निर्धन एवं कम आय वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे।

माननीय वित्त मंत्री ने स्थापना व्यय कम करने के लिए अनेक स्वागतयोग्य उपायों की घोषणा की है। हमारे प्रधानमंत्री ने सही ही कहा है कि हम जो भी योजना शुरू करते हैं 86 प्रतिशत धनराशि तो उसकी स्थापना पर ही व्यय हो जाती है। वित्त मंत्री ने भी इस पर ध्यान दिया है और न केवल केन्द्रीय सरकार बल्कि राज्यों में भी स्थापना व्यय कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे देखें कि सभी राज्य अपना स्थापना व्यय कम करें। इसके अतिरिक्त माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 1989-90 का बजट प्रस्तुत करते समय

विदेशी यात्रा में कमी लाने के लिए भी सदन को आश्वासन दिया था। मैं इसका स्वागत करता हूं किन्तु इस सम्बन्ध में मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्र में विदेशी दौरे हो रहे हैं। मेरे ऐसा कहने पर मुझे सहकारी क्षेत्र विरोधी न मान लिया जाए क्योंकि मैं बालपन से ही सहकारी क्षेत्र से सम्बद्ध रहा हूं तथा देश में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता रहा हूं। हो सकता है सहकारी क्षेत्र अथवा राज्य सरकारें इन विदेशी दौरों पर व्यय कर रही हों किन्तु इससे हमारी विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ रहा है। अत: विदेशी मुद्रा की स्वीकृति देते समय वित्त मंत्रालय को देखना चाहिए कि केवल चुने हुए मामलों में ही यह स्वीकृति दी जाए। नि:सन्देह विपक्ष के मेरे कुछ साथी बजट घाटे पर प्रकाश डालते रहे थे। इन बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि हम वित्त मंत्री के सुझावों को सच्चाई से कार्यरूप दें तो हमारा घाटा बहुत कम हो जायेगा। इसके अतिरिक्त, मेरा सुझाव है कि निर्यात में भी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वर्तमान घाटे में काफी कमी की जा सके। मैं वित्त मंत्री और योजना आयोग के विचार हेतु यह बताना चाहता हूँ कि नया गाडगिल फार्मूला वास्तव में स्वागतयोग्य है। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगातार कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। उड़ीसा एक ऐसा ही राज्य है जो लगभग प्रति वर्ष ऐसी ही आपदाओं का सामना कर रहा है। उड़ीसा जैसे राज्यों को नए गाडगिल फार्मूले का लाभ नहीं मिलता। मैं आज शून्य काल के दौरान उपाध्यक्ष महोदय को उड़ीसा में आये भयंकर तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के बारे में बता रहा था। इन आपदाओं से लाखों एकड़ भूमि में फसलें नष्ट हो गयी हैं, अनेक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। अनेक लोगों की मृत्यु हो गयी है, हजारों लोग बेघर हो गए और वे निराश्रित हो गये हैं। हजारों लोग घायल हो गये हैं उन्हें उड़ीसा के अस्पतालों में भर्तीकर दिया गया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र इन आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित है परन्तु राज्य सरकार अपने थोड़े से धन में जो राहत प्रदान करती है, वह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। जब राज्य सरकार केन्द्र सरकार से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए एक दल भेजने का अनुरोध करती है तब वह दल राज्य का दौरा करता है और राहत कार्यों के लिए धनराशि देने की सिफारिश करता है; तत्पश्चात् केन्द्र सरकार धनराशि देती है। परन्तु अनुदान राज्य के बजट में से दिया जाता है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य को राहत कार्यों के लिए धनराशि प्राप्त करने में किस प्रकार लाभ हो रहा है। इसलिए इस नये गाडगिल फॉर्मूले पर पुन: विचार किया जाना चाहिए और उड़ीसा जैसे राज्यों, जिनका प्राकृतिक आपदाओं से लगातार नुकसान हो रहा है, को वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए धनराशि के आबंटन के लिए विशेष निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्रालय ने कतिपय लघु उद्योगों को जो राजसहायता प्रदान की थी, उसे अब वापस लिया जा रहा है। इस वर्ष के बजट में शीत संग्रहागार इकाइयों तथा प्रेस इकाइयों को दी गई राजसहायता को वापस ले लिया गया है। महोदय सरकार ने किसानों की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन किया है। परन्तु वित्त मन्त्रालय ने शीत संग्रहागार इकाइयों और प्रेस इकाईयों, जो लघु उद्योग हैं से राजसहायता वापस ले ली है। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि इन लघु-उद्योगों को पुन: राजसहायता दी जाए।

महोदय, विगत वर्ष के बजट में कृषि के लिए 17 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 18 प्रतिशत कर दिया गया है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। किसानों को पर्याप्त बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है। इसलिए हमें गैर-परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक बल देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने समुद्र की लहरों से बिजली का उत्पादन करने के लिए अनेक अच्छे प्रयास किए हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा में विशाल समुद्र तट होने के बावजूद भी इसकी तरफ समुद्र के पानी से ऊर्जा के उत्पादन हेतु ध्यान नहीं दिया गया है। इस पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमन्त्री का बड़ा आभारी हूं कि वह 'ईब घाटी' बिजली परियोजना के अतिरिक्त ताल्चर सुपर तापीय बिजली परियोजना का भी शिलान्यास कर रहे हैं। परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल और कर्नाटक राज्यों में ऊर्जा की कमी को पूरा करने की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय ग्रिड की पन्द्रह प्रतिशत आरक्षित ऊर्जा इन राज्यों को दी गई है। उड़ीसा के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जानी चाहिए।

हम सब जानते हैं कि पेयजल की कमी है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। हम प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट से अधिक नहीं दे सकते। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

हम सब जानते हैं कि उड़ीसा सहित देश में हर जगह पेयजल की कमी है। यह सच है कि राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है परन्तु उड़ीसा जैसे दुर्भाग्यवश राज्य को, जहां अतिरिक्त संसाधन जुटाने की सुविधा नहीं है, पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए ताकि वे विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें। न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम शुरू किये गये हैं तथा पेयजल की व्यवस्था हेतु भी अन्य कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। परन्तु राज्य सरकार के पास धन की पर्याप्त कमी के कारण वे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे 73 प्रतिशत लोग कृषक हैं जिनके लिए सिंचाई पहली आवश्यकता है परन्तु हम जिस तरह से सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत संदेह है कि यदि हम 2000 ई० तक सम्पूर्ण कृषि भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सके तो उस समय तक अपने खाद्यान्नों के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। बाढ़ नियन्त्रण और निकासी प्रणाली के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम बाढ़ नियन्त्रण पर बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं परन्तु हम देश में निकासी प्रणाली पर अधिक बल नहीं दे रहे हैं। यदि हम निकासी प्रणाली की व्यवस्था, जिस पर अधिक खर्च नहीं आएगा, बड़े पैमाने पर करें तो बाढ़ से हमारी कृषि प्रभावित नहीं होगी। इसलिए निकासी प्रणाली के लिए अधिक धनराशि प्रदान करनी चाहिए।

एक बात और है। हमारे बजट में कृषि निवेश 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। परन्तु जब 73 प्रतिशत लोग कृषि कर रहे हैं तो क्या हम अपने बजट का 25 प्रतिशतभी कृषि उत्पादों को नहीं दे सकते। इसलिए वित्त मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि अगला बजट बनाते समय इसका ध्यान रखें ताकि हमारे बजट का 25 प्रतिशत कृषि सुधारों पर खर्च किया जा सके।

मैं अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि हम कृषि के उपकरण के लिए राजसहायता दे रहे हैं। यह राजसहायता ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि उपकरणों को दी जानी चाहिए। इस प्रकार ब्याज की दरों के मामले में वित्त मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि इंदिरा विकास पत्रों और किसान विकास पत्रों के लिए ब्याज की दर बढ़ायी जाए क्योंकि इसका लाभ हमारे समाज के गरीब लोगों को मिल रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि मानदण्ड के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 लोगों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक की कम-से-कम एक शाखा खोली जाए।

इन शब्दों के साथ मै वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष बजट प्रस्तुत किया था और अभी फाइनेंस बिल प्रस्तुत किया है, इन दोनों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हू, तमाम संकटों के बावजूद, शताब्दी के सूखे के बावजूद, जिस क्षमता से और जिस दृढ़ता से हमारी सरकार ने राजीव जी के नेतृत्व में अर्थ व्यवस्था की जो व्यवस्था की है, वह तारीफ करने के काबिल है। आप देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में हो इस और वर्ष भी हमारे अनाज का उत्पादन 170 मिलियन टन हुआ है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारा औद्योगिकरण का जो लक्ष्य था, उससे ऊपर जाकर हमने उपलब्धि प्राप्त की है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था काफी अच्छी है। हमने सेविंग्स की और दुनिया के अर्थ-शास्त्री आश्चर्यचकित रह गए कि भारत ने कठिन परिस्थिति के बावजूद भी किस प्रकार सेविंग्स की है। इसमें भी हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस देश में सभी चिन्तित थे कि हमारा डैफिसिट बढ़ रहा है। हमने पिछले वर्ष 28 प्रतिशत एक्सपोर्ट बढ़ाया एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का जो मामला था, उसमें भी सुधार किया है। इम्पोर्ट कम किया है और एक्सपोर्ट बढ़ाया है और आगे इस क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि इस शताब्दी के सूखे के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने जनता को आश्वस्त किया था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे कीमतें दो डिजिट से अधिक न बढ़ने पायें। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष तक यह दस परसेंट से नीचे रहीं। महंगाई पर असर पड़ा है और दस के बाद थोड़ा कुछ प्वाइंट बढ़े थे और इस वर्ष उसको 6·3 परसेंट लाकर रख दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। लेकिन मैं दो-तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

मैं कह रहा था कि हर क्षेत्र में हमारी अर्थ-व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। ऊर्जा राज्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा था, उसमें हम आशा से कहीं ज्यादा 250 मेगावाट अधिक पहुंच पाए हैं। आज स्थिति यह है कि हमने कोयला सात परसेंट बढ़ाया है सीमेंट भी बढ़ाया है, लोहे का उत्पादन किया, हर क्षेत्र में हमारा चहुंमुखी विकास कार्यक्रम तेजी से चला है। ऐसी परिस्थिति में मैं दो-तीन चीजों की ओर आपका ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं । मैं संसदीय दल का सचिव हूं । माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में, दल की जब पिछली मीटिंग बुलाई गई तो सभी सदस्यों ने कहा और सदन में बजट के समय भी बोला गया कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई के कारण कन्ज्यूमर प्राइस इन्डैक्स है, उसके कारण इस वर्ष जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, उसको 18 हजार से बढ़ा कर 25 हजार तक ले जाना पड़ेगा । हमारे मध्य वित्तीय परिवार के लोग हैं, खास कर जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे वे प्रदेशों के हों, चाहे देश के हों, सब की यह मांग है कि यह इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 18 हजार रुपये से 25 हजार रुपये की जाए । यह ठीक है कि आपने जो एग्जेम्पशन दे रखी है वह 50-60 हजार रुपये तक जाती है लेकिन यह प्रेक्टिकल नहीं है । आजकल जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, जिस अंधाधुंध तरीके से कंज्यूमर प्राइजिस बढ़ रही हैं उनसे निश्चित तौर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है । इससे उन्हें तकलीफ होती है ।

इसलिए आप पूरे देश की जनाकांक्षा को देख कर यह करें । इसके लिए बेशक आप दूसरे सेक्टर से पूर्ति कर लें लेकिन निश्चित तौर पर यह लिमिट 25 हजार रुपये तक बढ़ाएं । तभी उन लोगों का कल्याण हो सकता है । इससे पूरे देश में वातावरण बनेगा । इससे कर्मचारियों और अधिकारियों की एफीशियेंसी बढ़ेगी, इससे उत्तरोत्तर देश के आर्थिक विकास में प्रगति होगी, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा । ऐसा मेरा विश्वास है । इससे लोगों का रहन-सहन ऊंचा होगा ।

आपने जनाकांक्षाओं के अनुरूप बजट के बाद, एक्साइज ड्यूटी में, कस्टम में 323 करोड़ रुपये की रिलीफ दी है । इसका मैं स्वागत करता हूं । देश की जनता इसका तहेदिल से स्वागत करती है । आवश्यकता इस बात की भी है आप कि इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट को भी 25 हजार रुपये तक बढ़ाएं । इस बात को सारा सदन कह रहा है । मुझे ऐसा विश्वास है जब आपने जन भावनाओं को देखते हुए 323 करोड़ रुपये की छूट की घोषणा वित्त विधेयक को विचार के लिए पेश करते हुए की है तो आप वित्त विधेयक पर हुई बहस का उत्तर देते हुए इस बात की घोषणा करेंगे कि इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट 25 हजार रुपये कर दी है । इसमें जो भी इस सदन का सहयोग होगा वह आपको मिलेगा, यह मैं संसदीय दल का मंत्री होने के नाते आपको एश्योर करता हूं । इस बात के लिए जहां पर मैं गया, कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुझ पर दबाव डाला । इसलिए मान्यवर इसको करना आवश्यक है ।

मान्यवर, अब मैं अपने प्रदेश की कठिनाइयों की तरफ आता हूं । जहां हमने अनाज के उत्पादन में इस देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है वहां हमारे 35 डिविजनों में से, करीब 3-4 डिविजन सूखे से इतने प्रभावित हैं कि पिछले 85 वर्ष के सूखे से भी अधिक कठिनाई में हैं । जैसे हमारे मिर्जापुर और सोनभद्र जिले । कई जगह हिल एरियाज, डजर्ट एरियाज हैं । हमारे यहां बुन्देलखंड और वाराणसी के कुछ एरियाज हैं । लेकिन मेरी अपनी कांस्टीच्युएंसी में जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह क्षेत्र बहुत ही प्रभावित है । हमारे कई राज्यों के संसद सदस्य कह रहे थे, बिहार के साथी भी कह रहे थे कि उनके यहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है । हमारे यहां उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 50 हजार हैंडपंप लगाने की बात कही है । इसका हम स्वागत करते

हैं। लेकिन ऐसे राज्यों को आपको भी सहायता देनी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर और सोनभद्र के पास पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में इतना उत्पादन हुआ है लेकिन हमारे यहां राशन की दुकानों में गल्ला नहीं है। दो महीने से हमारे यहां की राशन की दुकानों में चीनी नहीं है। राशन की दुकानों में चीजें नहीं मिल रही हैं। वे खाली हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना की घोषणा की है वह बहुत ही स्वागत योग्य है। एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० कई ऐसी योजनाओं को ले कर के उन्होंने एक किया है और 2100 करोड़ रुपये की पंडित नेहरू रोजगार योजना राष्ट्र को समर्पित की है। इसका असर पड़ेगा। लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन करने में समय लग सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां-जहां सूखे की स्थिति है वहां पर सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए आप साधन भिजवाइये। इसके अलावा मैं अपने यहां के पिछड़े क्षेत्रों की बात भी करना चाहता हूं। आप एक पहाड़ी, डेजर्ट, ट्राइबल, सूखाग्रस्त और एक साइक्लोनिक इलाका मान लें और प्लानिंग कमीशन ने जो छह प्रकार के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माने थे, उनके डवलपमेंट के लिए जैसी स्कीम होनी चाहिए थी। पहाड़ी और डेजर्ट क्षेत्रों को शतप्रतिशत सहायता दी गई है लेकिन और इलाकों में नही देते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : एरिया बदलने के लिए हम तैयार हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : रीजनल इम्बैलेंस दूर करने के लिए आपको यह कार्य करना पड़ेगा। देश में कुछ इंडस्ट्रीयल बैकवर्ड जिले घोषित हुए हैं। लेकिन कुछ जगहों के बारे में राजनैतिक निर्णय लिया गया, इसलिए शिवरामन कमेटी बैठायी थी कि जिले नहीं बल्कि ब्लाक को माना जाए। शिवरामन कमेटी ने पक्ष में रिपोर्ट दी थी। मेरे क्षेत्र मिर्जापुर और सोनभद्र में कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहां पर पर-केपिटा इन्कम भी बहुत कम है। हरिजन और आदिवासी चालीस परसेंट से ज्यादा है, सारा जिला बैकवर्ड है लेकिन उसको इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड घोषित नहीं किया गया। हमें खुशी है कि केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आठ इंडस्ट्रीयल सेंटर दिए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति की वजह से निर्णय लेने में दिक्कत होती है तो आप उसको देखिए। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर को जो हरिजन-आदिवासी बाहुल्य जिला है, उसको इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड जिला घोषित करें। वहां बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगाइए। जो एन्टरप्रिन्योर पढ़े-लिखे हैं उनको इन्सेन्टिव और सबसिडी दीजिए। कालीन उद्योग सारे देश में है। लेकिन मिर्जापुर में 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। वहां आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ है। डिजाइन सेन्टर, वीवर्स के लिए मकान और ट्रेनिंग सेन्टर आदि बनारस में ही खोले गए। मैं मांग करता हूं कि मिर्जापुर में कालीन का डिजाइन सेन्टर खोलिए। एक्सपोर्टर्स को आप सत्तर परसेंट सबसिडी देते हैं, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन वीवर्स को मिनिमम वेजेस नहीं दे पा रहा हैं। वीवर्स को डायरेक्टली इन्सेन्टिव देने की कृपा करें। आपकी घंटी बार-बार बज रही है इसलिए मुझे अपनी बात जल्दी समाप्त करनी पड़ेगी। दुनिया के अर्थशास्त्री आज इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि डवलपिंग कंट्री हिन्दुस्तान किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा ले जा रहा है जबकि देश में सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। अंत में अपने प्रिय नेता माननीय राजीव जी

को बधाई देता हूं क्योंकि कठिन परिस्थितियों में से निकालकर देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। माननीय राजीव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है, जो मैंने कहा है उस पर अवश्य विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं श्री एस० बी० चव्हाण को ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। इसने अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा प्रदान की है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने कुछ वित्तीय अनुशासन लगाया है। मुझे आशा है कि आगामी वर्ष में वित्त मंत्रालय के समक्ष भी यही बात लागू की जायेगी।

महोदय, आज देश के सामने सबसे विकट समस्या संसाधन जुटाने की है। हम जब कभी भी अधिक धन जुटाने, अधिक रोजगार देने तथा अधिक परियोजनायें लगाने की सोचते हैं तो धन की समस्या पैदा, हो जाती है। इस मामले में मैं श्री शंकर राव चव्हाण को दो सुझाव देना चाहता हूं। एक विदेशी संसाधन जुटाने और दूसरा स्वदेशी संसाधन जुटाने के बारे में है। यदि आप भुगतान संतुलन को देखें तो यह निश्चितरूप से चिंता का विषय है। वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि इस वर्ष ऋण का अनुपात 14 या 15 प्रतिशत से बढ़कर 25 या 26 प्रतिशत हो गया है। यह एफ० सी० एन० आर० और एन० आर० ई० आर० की जमा राशि की गणना के कारण नहीं है जो हम अप्रवासी भारतीयों से जुटा रहे हैं; हमें इससे लगभग 14,000 या 15,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। यह वास्तव में चिंता का विषय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका केवल एक हल यही है कि ऋण लेने के बजाए—आज हमारे देश पर विदेशी ऋण······**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : व्यवस्था बनाए रखिये।

श्री मुरली देवरा :···45 मिलियन अमरीकी डालरों से अधिक है।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : इससे कुछ कम है।

श्री मुरली देवरा : आज 22 वर्षों में हमारे देश में विदेशी निवेश की राशि लगभग 1.6 या 1.7 बिलियन अमरीका डालर है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अधिक ऋण लेने के बजाए हमें अपने उद्योगों में समान विदेशी साझेदारी की अनुमति देनी चाहिए। जब हम ऋण लेते हैं तो उस पर ब्याज देते हैं। हमारे ऋण का भार बढ़ रहा है। हम जब तक ब्याज देते हैं तब तक डालर येन, ड्च मार्क, स्टर्लिंग, पोण्ड आदि की तुलना में रुपये का और अवमूल्यन हो जाता है। वास्तव में हम आज जिस दर पर ऋण ले रहे हैं उस अधिक ब्याज देना पड़ेगा। कुछ दिनों पूर्व संसद में यह प्रश्न उठाया गया था कि येन मुद्रा में चार प्रतिशत की दर से उदार ऋण लिया गया था। बम्बई में ऋण प्राप्तकर्ता और उद्योगपति ब्याज चुका रहे थे। लेकिन छः या सात वर्षों बाद रुपये का मूल्य 40 प्रतिशत तक घट गया। वास्तव में हम चार प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे थे बल्कि प्रतिवर्ष 17 से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान कर रहे थे। मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक 'साफ्ट अथवा हार्ड करेंसी ऋण, लेने की अपेक्षा—आज चीन विश्व में सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश बन चुका है और बहुत

ही अच्छे ढंग से 'साफ्ट करेंसी' ऋण में कमी कर दी जायेगी—हमें अपने देश में अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा निवेशित करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि ये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम और कम्पनी कानून बोर्ड विदेशी मुद्रा निवेशित करने के प्रति इतना विपरीत दृष्टिकोण क्यों रखते हैं। उन उद्योगों को, जिनके यहां 70, 80 या 90 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा निवेशित हो चुकी है कम करके 40 प्रतिशत तक करने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं ? लाइसेंस प्रदान करने की हमारी नीति तथा हमारी वित्तीय नीति में पुनः संशोधन लाना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति जो अधिक विदेशी लागत लगा चुका है उसे नुकसान न हो जाये। इसके बाद ही अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा निवेशित की जा सकेगी। हल ही में जब आप अमेरिका में थे, आपने देखा था कि आपको अपने निवेदन का कितना अधिक अनुकूल जवाब मिला था। भारत की साख और ऋण चुकाने की क्षमता बहुत अधिक है। हमें अवश्य ही इसका लाभ उठाना चाहिए। पुनः उसी बात की चर्चा करते हुए मैं कहता हूं कि इससे हमारे विदेशी ऋणों में कमी आयेगी, इससे हमारे ऋण अदायगी प्रभारों में भी कमी आयेगी और यह विदेशी निवेशकों की रुचि भी बनाये रखेगा। यदि उनका अपना ईक्विटी शेयर होगा तो वे निर्यात में रुचि लेंगे, वे तकनीक में रुचि लेंगे और वहां जो उद्योग हैं, उनके विकास में अभिरुचि लेंगे। ये बात विदेशी निवेश सग्रहित करने के सन्दर्भ में हैं।

जहां तक स्थानीय निवेश संग्रहरण का सम्बन्ध है, हमारे सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में लगभग 65,000 करोड़ रुपये लगाये जा चुके हैं। मैं सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को निजी उद्योगों में बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) और टेलीफोन निगम की भांति सरकारी उपक्रम भी हैं जिन्होंने बहुत अधिक ऋण ले रखा है। 1987-88 के दौरान संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, शेयर बाजार में या लोगों में उत्साह कम था। वास्तव में ब्रिटेन ने जो किया है उसकी ही आवश्यकता है। यहां तक कि चीन और रूस की भांति साम्यवादी देश भी यह करने को तैयार हैं। मैं इनका निजीकरण करने की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रिटेन में इसे 'शेयर स्वामित्व वाला लोकतन्त्र कहा जाता है; मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारे जन शेयर स्वामित्व के कुछ भाग का विस्तार किया जाना चाहिए। टाटा, बिरला या अन्य कहीं इसका विस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। इसका विस्तारण वास्तविक जनता तक किया जाना चाहिए। जिससे कि एक व्यक्ति का अधिकतम शेयर हो सके। वास्तव में इसके द्वारा अधिकतम संसाधनों का इन्तजाम हो सकेगा तथा योजनाओं के लिये आपकी जिस धनराशि की आवश्यकता होती है, रोजगार की व्यवस्था करने में आपको जिस रकम की आवश्यकता होती है और बजट बनाने में आपको जिस धनराशि की आवश्यकता होती है, वह इसके द्वारा प्राप्त हो सकती है। मैं निजीकरण करने की बात नहीं कर रहा हूं।

1·00 म० प०

अब मैं उदार अर्थव्यावस्था की बात करूंगा। राजस्व विभाग में कैसे हम अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं ? आपके विभाग द्वारा किये गये अच्छे कार्यों के लिये मैं धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा राजस्व में वृद्धि हुई है। लेकिन उदारवाद के लिए वास्तव में किस बात की

आवश्यकता है । यदि लाइसेंस प्रदान करने की नीति तथा वित्तीय नीति उदार है तो अपने आप आपको अधिक धन प्राप्त होगा ।

सीमेन्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1982-83 में हम 21 या 22 मिलियन टन सीमेन्ट का उत्पादन कर रहे थे। आज हम 42 या 43 मिलीयन टन सीमेन्ट का उत्पादन कर रहे हैं । चार या पांच वर्षों में हमने सीमेन्ट का उत्पादन दुगना कर दिया है। हम सीमेन्ट का आयात कर रहे थे। सीमेन्ट के धन्धे में कालाबाजारी होती थी। जहां सरकारी दर 16 रुपये थी, इसकी बाजार दर 60 रुपये थी। वास्तविक धन न तो उद्योगों को प्राप्त होता था और न ही यह कर विभाग को मिलता था । आज अर्थव्यवस्था को तथा सीमेन्ट की मूल्यनीति को उदार बना कर हम दुगनी मात्रा में, चार वर्षों में 100% अधिक सीमेन्ट का उत्पादन कर रहे हैं ।

पहले जो राजस्व आपके विभाग को प्राप्त हो रहा था उससे छः गुना अधिक की वृद्धि इसके द्वारा सीमेन्ट उत्पाद शुल्क में की जा रही है ।

इस बजट में आपने अल्युमीनियम पर से नियन्त्रण हटाने की कृपा की थी । मैं नहीं जानता हूं कि अन्य उत्पादों पर से नियन्त्रण क्यों नहीं समाप्त किया गया है। सिर्फ अल्युमीनियम और सीमेन्ट के सन्दर्भ में ऐसा क्यों किया गया ? बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। सीमेन्ट द्वारा तो यह स्पष्ट हो गया है कि वित्तीय और लाइसेंस प्रदान करने में उदारवाद की नीति अपनायी जानी चाहिए।

पहले एक समय ऐसा था जब यह कहा जाता था कि सीमेन्ट का उत्पादन कोई नहीं कर सकता है । सिर्फ कुछ ही सीमेन्ट का उत्पादन कर सकते हैं । एक मिलीयन टन के सीमेन्ट प्लांट के लिये 130 करोड़ रुपये की जरूरत होती है । 130 करोड़ रुपये कौन लगा सकता है ? चाहे यह विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम हो या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अथवा बड़े औद्योगिक घराने हों या एम० आर० टी० पी० हो, लिए लाइसेंस को समाप्त करने की नीति बनाई गयी । यह अच्छी नीति है, इसके द्वारा लाभांश की प्राप्ति हुई है तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके द्वारा आयात किया जाना भी रुक गया है तथा अब इससे आपको अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है । इस प्रकार की नीति का अधिक से अधिक पालन किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने गत सप्ताह जवाहर रोजगार योजना, जोकि सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे समन्वित ग्रामीण विकास योजना, रोजगार गारण्टी योजना आदि का मिश्रण है, इसकी घोषणा की है । इस योजना के अन्तर्गत गांव के गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए 2100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं । यह एक बहुत ही अच्छी योजना है । देश के प्रत्येक नागरिक ने इसका स्वागत किया है । इस सम्बन्ध में कोई शक नहीं है ।

मैं एक और मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। निश्चितरूप से भारत गांवों में बसता है । 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं । लेकिन आज कुल आबादी का 1/3 भाग शहरी क्षेत्रों में भी निवास कर रहा है। अतः अब वह समय आ गया है जब हमें बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और अन्य बड़े नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में विशेषरूप से रोजगार

प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के सन्दर्भ में भी कुछ सहायता दिये जाने पर जोर देना चाहिए। रोजगार प्रदान करने अथवा गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित सिर्फ दो कार्यक्रम हैं जो बड़े नगरों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो स्वयं आपने इनका उद्घाटन किया था। ये ब्याज की विभेदी दर तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए स्वरोजगार की योजनायें हैं। इन योजनाओं के लिये अधिक धनराशि स्वीकृत करनी पड़ेगी। इस मामले में आपके बैंक इतने उदार नहीं हैं। आप महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं और आपने बम्बई नगरी को देखा है। कुछ धनराशि जोकि शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिये स्वरोजगार सम्बन्धित योजना हेतु रखी गयी थी, बम्बई में बैंकों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया गया है। क्यों? वे लाइसेंस तथा राशन कार्ड के लिये जोर दे रहे हैं। बम्बई की सड़कों पर बैठे हुए एक मोची से आप लाइसेंस की आशा नहीं कर सकते हैं। आखिर 2500 रुपये या 3000 रुपये की ऋण देने में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? बम्बई तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में बर्तन तथा कपड़े के छोटे-मोटे धन्धे करने वाले लोगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी है।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए जवाहर रोजगार योजना के समान कोई योजना, जैसे 'डी० आर० आई०' 'एस० ई० पी० यू० पी०' आदि जिसके द्वारा वे लोग ऋण प्राप्त कर सकते हैं, बनायी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चल रहे कार्यक्रमों में संशोधन किया जाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में एक अन्य मुद्दा यह है कि एक परिवार के लिए अधिकतम वार्षिक सीमा 7200 रुपये की है। यह बात कोई नहीं साबित कर सकता है कि शहरी क्षेत्रों में एक परिवार प्रतिवर्ष 7200 रुपये कम रहा है अथवा नहीं। आप भी यह बात जानते हैं कि बम्बई की तरह के नगर में 7200 रुपये क्या मायने रखते हैं। यह राशि कुछ भी नहीं है। अपने आप को ऋण लेने योग्य साबित करने के लिये वे जाली प्रमाण-पत्र पेश कर रहे हैं। गत सप्ताह आप स्वयं अपने क्षेत्र में गये हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एस० ई० पी० यू० पी० तथा अन्य ऋणों की प्राप्ति हेतु दावेदार होने के लिये 7200 रुपये की इस अधिकतम सीमा में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में वृद्धि की जानी चाहिए। इससे वास्तव में मदद मिलेगी।

हमारे बजट में घाटा होने का एक मुख्य कारण ऋण प्रभार है। एक बार आपने घरेलू बचत की दर में कमी आने पर चिन्ता प्रकट की थी। यह 23% से घट कर 22% या 21-3/4% रह गयी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बचत करने के लिए लोगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन इन दिनों ब्याज की दर बहुत अधिक है। बचत का प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज की दर उच्च होनी चाहिए लेकिन यह इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि निवेश को हतोत्साहित करें। लोगों के लिए यह अच्छा है कि वे बचत खातों और 10% ब्याज मुक्त, कर मुक्त सरकारी क्षेत्रों के बन्ध पत्रों में अपनी रकम जमा करें। यदि आप 10% कर मुक्त बन्ध पत्रों में बचत करते हैं तो वास्तव में आपको बिना कर के 17%, 18% और यहां तक कि 19% ब्याज मिलता है। अत: मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ब्याज की दरें युक्ति संगत हों। कुछ उद्योगों में जो कि लाभकारी हैं, जैसे निर्यात जहां आपने कुछ कार्य किया है और अब उन लोगों ने ब्याज दर में 10% की कमी कर दी है—तथा रोजगार उपलब्ध कराते हैं तथा जो सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को मदद पहुंचाते

हैं, उनमें ब्याज की दर कम होनी चाहिए। अन्यथा ऋण प्रमार अधिक हो जायेंगे, अन्यथा उद्योगों के लिए रुपये का मूल्य बहुत अधिक हो जायेगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा दी गई रियायतों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही, मैं यह बताना चाहूंगा कि जब भी कोई रियायत दी जाती है तो उसे उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। गतवर्ष भी अनेक रियायतें दी गयी थीं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि अनेक रियायतें तो विनिर्माताओं से ही सम्बद्ध रही हैं। आम जनता को ये रियायतें नहीं मिल पायीं हैं।

महोदय, वर्तमान समय में एक चिन्ताजनक मुद्दा मूल्यों में वृद्धि का है। मैं समझता हूं कि शायद पिछले दिनों माननीय वित्तमंत्री सभा में उपस्थित थे—मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं जानता हूं सत्तारूढ़ दल की एक महिला सदस्य ने बहुत ही उत्साहपूर्ण अनुरोध किया था। उन्होंने हमारे देश में मूल्य वृद्धि का विस्तृत वर्णन किया था। यह प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि जब सरकार ने यह दावा किया था कि इस वर्ष पहले से कहीं अच्छी फसल हुई है, फिर भी अनाज की सप्लाई में कमी हो गयी है। इस अच्छी फसल का क्या लाभ हुआ ? यह कहां गायब हो गई ? बाजार में इसका कोई असर नहीं हुआ है, इसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल, गेहूं, और चीनी का कोटा घटा दिया गया है। मैं एक उदाहरण पेश करूंगा। गत वर्ष जब पूरे देश में भयंकर सूखा पड़ा था उस समय मेरे राज्य कर्नाटक में हमें 70 हजार टन या 75 हजार टन आवश्यक सामग्री प्रति माह प्राप्त हुई थी। लेकिन इस वर्ष प्रति माह यह 40 हजार टन घटाया गया है। गेहूं का कोटा भी कम किया गया है। इस बम्पर फसल के बावजूद, अगर कीमत में वृद्धि होती है तो कहीं पर कुछ गलत है। मूल्यों में वृद्धि क्यों होती है ? मैं वित्तमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। जब कभी हम मूल्य वृद्धि की बात करते हैं तो सरकार थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े देती है। यह आपके विभाग द्वारा दिये गये हैं। वह मापदण्ड नहीं है। आम आदमी आंकड़ों या सांख्यिकीय में विश्वास नहीं रखते वह ठोस परिणामों में रुचि रखते हैं। अतः मैं मंत्री जी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

पिछले चार वर्षों से, मैं देख रहा हूं कि बजट के अवसर पर, सरकार निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करती है। यह इस सरकार की नियमित प्रक्रिया है। जो कुछ होता है सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। निर्धारित मूल्यों में वृद्धि किए जाने से लागत में भी वृद्धि होगी अब क्या किया गया है ? रेलवे ने अपने मालभाड़े और यात्री किराये में एक हजार करोड़ रुपयों की वृद्धि की है, फिर बजट में एक हजार करोड़ रुपये का कर लगाया गया है, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में वृद्धि से एक हजार करोड़ रुपसे प्राप्त होंगे। अतः जब यह स्थिति है तो क्या आप यह नहीं सोचते कि उससे लागत और मुद्रा स्फीति में भी वृद्धि होती है ? इससे स्वतः ही मुद्रास्फीति बढ़ती है। अतः यह ठीक बात नहीं है। अध्यक्ष के विनिर्णय के बावजूद, सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। इसके अलावा, जब कभी सरकार निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करती है तो वह नहीं जानती इससे राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे सभी निर्मित वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा विशेष रूप से स्टील की वस्तुओं पर। जब

कोयले के मूल्य में वृद्धि होती है तो इसका राज्य विद्युत बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है ? स्टील के निर्धारित मूल्य में वृद्धि से स्टेट रोड कारपोरेशन आदि पर प्रभाव पड़ेगा अगर केन्द्र उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की है तो राज्यों को अपना हिस्सा मिल जायेगा। केन्द्र सरकार साधारणत: बजट के अवसर पर निर्धारित मूल्यों में वृद्धि करती है। यह ठीक बात नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

अब मैं व्यापार अन्तरण पर आता हूं यह हैरानी की बात है। आप कहते हैं कि अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो रही है। यह 8000 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष यह 6000 करोड़ रुपये था। आप उस पर नियन्त्रण कैसे करोगे ? इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी यह चिन्ता की बात है। मुझे आशा है सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी।

महोदय, समूचा सदन अनुरोध कर रहा है कि आय-कर छूट में वृद्धि की जानी चाहिए। सर्वसम्मति से सिफारिश की गई है। रुपये की कीमत 14 पैसे हो गई है आजकल चपरासी भी प्रति माह 2000 रुपये से 3000 रुपये तक वेतन प्राप्त करता है। जब रुपये की कीमत कम हो गई है यह बहुत आवश्यक है कि हमें आय-कर के सम्बन्ध में कुछ राहत देने चाहिए। मैं मंत्री जी से अनु-रोध करता हूं आय-कर सीमा 25000 रुपये तक बढ़ायी जाये।

अन्त में, महोदय, वहां क्षेत्रीय असंतुलन है और कई महत्वपूर्ण घटक हैं जो राज्य सरकारों को उत्तेजित कर रहे हैं। लगभग तीन वर्ष पहले सरकार ने कर्नाटक में एक पेट्रोरसायन परियोजना स्थापित करने का निश्चय किया था लेकिन अभी तक इसके बनने की कोई आशा नजर नहीं आती। हमें डर है कि इस परियोजना का भी वही हाल न हो जो विजयनगरम इस्पात संयंत्र का हुआ था आप कहते हो आपके पास धन नहीं है लेकिन आपने जो आश्वासन सदन में दिये थे उसे पूरा किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि दोनों विजयनगरम इस्पात संयत्र और बंगलौर में पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को सातवीं योजना में शुरू किया जाये।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। सत्र के शुरू में वित्त मंत्री ने आम लोगों का बजट प्रस्तुत किया था। जैसाकि हम सब जानते हैं बजट, अर्थ-व्यवस्था का प्रबन्ध करने का एक साधन है और इस बजट में गरीब वर्ग के लोगों की सहायता का प्रयत्न किया गया है और बचत तथा विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें अधिक नौकरियां उपलब्ध करायी गई हैं, इसमें किसानों और गरीब लोगों को सहायता दी गई है। इसमें मध्य आय वर्ग को राहतें दी गई हैं और नये बचत उपाय किये गये हैं इसमें समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई विकासात्मक परियोजनाओं के लिए धन अमीर लोगों की जेबों से लिया गया है। इसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और आवासीय गतिविधियों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया है। इस बजट में कुछ विशेष ग्रुपों जैसे स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि, सुनारों को और अन्य ग्रामीण शिल्पकारों को राहत, महिलाओं और बच्चों के लिए सभी जिलों में एकीकृत बाल विकास योजनाओं में विस्तार किया गया है। विकलांग वर्ष में विशेष रूप से शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग, और नेत्रहीनों के लिए अधिक योजनाएँ बनाई गई हैं।

अब यह वित्त विधेयक बजट प्रस्तावों पर प्रभाव डालता है जिसे इस सम्माननीय सदन ने वोट दी है और समर्थन दिया है। वित्त विधेयक में भारतीय वित्त मंत्री ने कतिपय उपायों जैसे उद्यम पूंजी, नये उपक्रमियों के लिए उद्यम, नये उद्यमों में पूंजी निवेश के आशोधन, कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, खेती और खेती से सम्बद्ध अन्य गतिविधियों जैसे मुर्गीपालन और उमकी सहायक गतिविषयों के विकास को प्रोत्साहन दिया है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी रियायतें दी गई हैं। मैं इस पर बाद में बात करूंगा क्योंकि राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो वेतन में से कर का भुगतान करते हैं, को भी कतिपय रियायतें दी गई हैं लेकिन वही रियायतें बहुत से उन लोगों जैसे सशस्त्र बलों और सेवानिवृत सैनिकों को नहीं दी गई हैं जो न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए लड़े हैं बल्कि जिन्होंने कठिनाई से प्राप्त स्वन्त्रता, आजादी, प्रभुसत्ता और अखंडता को भी बनाये रखा है। वित्त विधेयक में परिवार पेंशन प्राप्त करने वालों को मानक कटौतियां दी गई हैं। राष्ट्रीय आवासीय बैंकों के लिए कर रियायतें हैं जो आवासीय गतिविधियों को विशेषकर नेत्रहीनों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने कृषि सम्बन्धी आय को युक्तिसंगत करने का प्रयत्न किया है जिससे अधिकतर मौसम पर निर्भर रहने वाले किसानों की समस्याएं काफी हद तक सुलझ जायेंगी। इसके बावजूद सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की प्रबन्ध व्यवस्था अच्छी थी; 1987-88 के वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया गया था कि लोगों को अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे देश के किसानों ने हमें खाद्यान्नों में अपेक्षित आत्म-निर्भर और आत्म-कुशलता दी है जिससे हम अपनी सभी परियोजनाओं को योजनाबद्ध विकास के मार्ग पर लाने में समर्थ हुए हैं। कृषकों और कृषक वर्ग को रियायतें देना प्रशंसनीय कार्य है। इसमें जमा खातों, के निवेश में परिवर्तन किया गया है जिससे बचत में सहायता मिलेगी। इसमें निर्माण गतिविधियों के लिए उद्यमों और उपक्रमों के लाभों को सरणीबद्ध करने की मांग की है। इससे आवासीय व अन्य निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों की मांग और पूर्ति को पूरा करने में सहायता मिलेगी। तत्पश्चात इसमें हमारे देश के अन्य सफेद पोश कर्मचारियों और निर्धारित आय वाले व्यक्तियों के लिए से कटौतियों में संशोधन किया गया है उन्हें यह पता है कि कर से बचाव और कर की चोरी एक चिरकालिक समस्या हैं। उन्होंने कर से बचाव रोकने के लिए भी उपाय किये गये हैं। उन्होंने सम्पत्ति कर पर पंजीकृत सोसाइटियों, गैरसरकारी संगठनों-सवैच्छिक संगठनों को कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने व्यय कर की दर को बढ़ाया है। संक्षेप में, इस बजट में धनवानों से कुछ लेकर निर्धनों को कुछ दिया गया है। इसने बचत को प्रोत्साहन, विकास में वृद्धि और जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार किया गया है। विशेषतया जनजातीय और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया गया है। इस वित्त विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्रीजी तथा सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि दो पहलुओं पर आवश्यकतानुसार ध्यान नहीं दिया गया है एक है पिछड़े राज्य पिछले चार दशकों से केन्द्रीकृत योजना से क्षेत्रीय असंतुलन और चार राज्यों—उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को समूचे भारत के औसत से कहीं कम दिया जा रहा है। मैं पूर्ण रूपेण सम्पन्न राज्य उड़ीसा का निवासी हूं जिसके अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं जो एक विरोधीभास है। उड़ीसा ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा हुआ है क्योंकि 1803 में ब्रिटिश शासन के अधीन होने वाला यह

भारत का अन्तिम राज्य था। ब्रिटिश शासन में हमारी उपेक्षा की गयी तथा हमने पड़ोसी राज्यों के बहुत देर बाद विकास शुरू किया। यह एक ऐसा राज्य है जिसमें सूखा बाढ़, और चक्रवात की तीनों प्राकृतिक अपदायें दीर्घकाल से आती रहती हैं। कभी-कभी ये तीनों आपदायें एक साथ आती हैं जिसके फलस्वरूप केवल राज्य सरकार की संसाधन जुटाने की क्षमता ही कम नहीं होती है बल्कि योजना आयोग की अनेक परिभाषाओं, गाडगिल फॉर्मूला तथा संशोधित गाडगिल फॉर्मूला और योजना आयोग या अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये तदर्थ उपायों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्तरोत्तर वित्त आयोग ने केवल संसाधन अंतराल को समाप्त करने का प्रयास किया है। इस अन्तराल खत्म करने की प्रक्रिया से केवल उड़ीसा का क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय पिछड़ापन ही दूर नहीं होगा बल्कि जैसाकि मैंने कहा कि उड़ीसा के साथ-साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों का भी उत्थान होगा जो विगत तीन योजनाओं और आठ वित्त आयोगों के बावजूद भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

मैं युवा प्रधानमंत्री का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने विकेन्द्रित आयोजन, निचले स्तर से आयोजन तथा सिंचाई, दूरसंचार, यातायात और ऊर्जा जैसी आधारभूत संरचना अभाव और आवश्यकताओं का अनुभव किया है। हमारी सरकार, हमारे दल, आयोजन प्रक्रिया तथा योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्रीय असन्तुलन और क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए इसे राज्य योजना और केन्द्रीय योजना में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

महोदय, इस सन्दर्भ में उड़ीसा के सभी सांसद पहली बार 9वें वित्त आयोग से, उसके उड़ीसा के दौरे के दौरान मिले और इस आयोग के समक्ष उन्होंने एक ज्ञापन दिया। आज उड़ीसा वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट और सिफारिशों के कारण अच्छी स्थिति में है। हमें विकलांग लोगों, वृद्धा अवस्था में पेंशन, अंधे, गूंगे और बहरे लोगों की उपेक्षा करनी पड़ी है और अपने अध्यापकों और प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान तथा अपने कर्मचारियों को केन्द्र के वेतनमान नहीं दे सके हैं। इसलिए मैं इस वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संसद सदस्यों और उड़ीसा की सरकार ने यह बात प्रत्येक मंच पर एक बार नहीं बल्कि बार-बार बतायी है। मुझे इस बात का खेद है कि इसके बावजूद भी वित्त विधेयक में उन पिछड़े राज्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है जो विगत तीन चार योजनाओं से पिछड़े पड़े हैं।

हमने ग्रामीण गरीबों के लिये विशेष उपाय किये हैं। हमने नेहरू रोजगार योजना चलायी है। हमने समाज के कमजोर वर्गों के लिए 20 सूची कार्यक्रम शुरू किये हैं। हमने पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं परन्तु उन पिछड़े राज्यों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू नहीं किया है जिनकी योजना आयोग के अनेक फॉर्मूलों, पर्वतीय राज्य की परिभाषा और ऐसे अन्य मानदंड द्वारा उपेक्षा की गयी है जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भाग अर्थात कुमायूं और गढ़वाल जैसे राज्य आते हैं। उड़ीसा का जनसंख्या ढांचा भी ऐसा ही है तथा उड़ीसा में गरीबी भी बहुत है। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि उड़ीसा में कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। इसलिए में इस अवसर का लाभ, सरकार का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करने के लिए करता हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है। जब मैं वित्त मंत्री के अधीन कार्य कर रहा था, जो रक्षा मंत्रालय में थे तो मुझे भूतपूर्व सैनिकों की उच्च स्तरीय समिति में शामिल होने का विशेषाधिकार मिला। भूतपूर्व सैनिकों सम्बन्धी इस उच्च स्तरीय समिति का गठन हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने फरवरी1984 में किया था। हमें भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का अध्ययन करके सरकार से सिफारिश करने के लिये एक वर्ष का समय दिया गया, हमने यह कार्य सात महीने में कर दिया। उनकी मृत्यु से तीन दिन पहले वित्त मंत्री महोदय ने, जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, भूतपूर्व सैनिकों के बारे में रिपोर्ट की एक प्रति श्रीमति इन्दिरा गांधी को सौंप दी। रक्षा मंत्रालय की एक अधिकार प्राप्त समिति ने उन 66 सिफारिशों के प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच की जो दस मंत्रियों, एक सेवा निवृत्त लेफ्टीनेंट जनरल, एक सेवानिवृत्त एअर मार्शल और एक सेवानिवृत्त एडमिरल ने, जो 1971 के युद्ध में नायक थे, की थी। जनरल कन्डेय, एडमिरल शर्मा और एयर मार्शल कपूर थे। एयर मार्शल कपूर संसद सदस्य थे तथा दिल्ली के भूतपूर्व उपराज्यपाल थे। इस सभा के सदस्य भी, जो आज मंत्री हैं, इस समिति में शामिल थे। दस मंत्रियों में से एक राज्यपाल हैं, एक मुख्यमंत्री हैं तथा अन्य सभी केन्द्रीय मंत्री हैं। मैं 3 अप्रैल को भूतपूर्व सैनिकों की मांगों के बारे में श्री पी०एम० सईद और अन्य सदस्यों के प्रश्न के जवाब के बारे में दिए गए उत्तर के बारे में बताना चाहता हूँ। इस विषय के सम्बन्ध में दोया तीन दिन पहले एक ध्यानाकर्षण में प्रस्ताव भी रखा गया। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमने आंकड़ो से खेलने का प्रयास किया है, यह बताया गया कि 66 सिफारिशों में से 50 सिफारिशें मान ली गयी हैं जैसे कि यह कोई बड़ी बात हो और इन आंकड़ों से उन भूतपूर्व सैनिकों की समस्यायें हल होंगी जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए दिया है, वे अनुशासितसमर्पित और प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। आज 35 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिक बेकार हो गये हैं। प्रतिवर्ष 70,000 भूतपूर्व सैनिक निमुंक्त किये जा रहेहैं। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की तरफ युवा रेल मंत्री जिस ढंग से ध्यान दे रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इससे सेवारत रेल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। इसलिये हमें भी इसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए जिन्होंने मातृभूमि के प्रति अपना जीवना समर्नित कर दिया तथा मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे सेवारत सैनिकों में मनोबल और संघभाव का निर्माण हो रहा है। इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि 65 सिफारिशों में से 50 को स्वीकार किया जा रहा है, जैसेकि मैं कह रहा था कि जो बेहतर सिफारिशें थी, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है और मैं ही सभा को बताने का प्रयास कर रहा हूं।

अब में पृष्ठ 2 पर पैरा 15.18 को उद्धृत करना चाहता हुं :

"सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में समिति ने 58 वर्ष की आयु तक निश्चित रोजगार देने की सिफारिश का विचार किया जिससे निष्कर्ष निकला कि रक्षा सेवाओं से निवृत्त होने वाले सभी व्यक्तियों को पुन: निश्चित रोजगार देना सम्भव नहीं है।"

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ, कि सचिव जो एक सरकारी नौकर है, सत्तारूढ़ दल के सांसदों तथा राज्य सभा में विपक्षी सांसद श्री जसवंत सिंह की सर्वसम्मत सिफारिश पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रो० नारायण चन्द पराशरा और श्री राजेश पायलट भी, जो आज मंत्री हैं,

समिति के सदस्य हैं परन्तु कार्मिक विभाग का सचिव भारत सरकार के दस मंत्रियों के निर्णय पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि आप इस तरह से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि मंत्रिमंडलीय उप समिति या मंत्रिमंडल निर्णय लेता तो उचित बात होती। क्योंकि जैसा मैं पहले बता रहा था उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद इसे क्रियान्वित करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को सौंपा गया था न कि इसकी जांच करने के लिये। रक्षा अवर सचिव समिति के अध्यक्ष थे जो आज भारत सरकार के सचिव, रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार तथा कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव हैं। किसी भी स्तर पर कोई संदेह नहीं था कि सरकार समूची रिपोर्ट को पूर्णरूपेण मान लेगी।

दूसरी बात "एक पद के लिये एक पेंशन" के बारे में है और तीसरी बात संराशिकरण के बाद पूरी पेंशन देने के बारे में थी। मुझे बताया गया है कि 22 राज्यों में ऐसा पहले ही किया जा चुका है परन्तु हम ऐसा नहीं करेंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान सरकार ने दलील प्रस्तुत की कि यह मामला न्याय निर्णयाधीन है यदि सरकार ऐसा चाहती है तो कोई नहीं रोक सकता तथा भावी तिथि से "एक पद के लिए एक पेंशन" देने का निर्णय किया जा सकता है। इसमें केवल 220 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका हिसाब रक्षा मंत्रालय 1984 में लगा चुका है। अत: मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इन मुद्दों को ध्यान में रखें।

मेरा अन्तिम मुद्दा प्रादेशिक सेना के बारे में है। प्रादेशिक सेना नागरिकों की सेना है। जो नागरिक देश की रक्षा के लिए सहायता करने के इच्छुक हैं वे सामान्य व्यवसाय के साथ-साथ एक वर्ष में दो माह के लिए प्रादेशिक सेना में भर्ती होते हैं। हम विभिन्न कार्यों जैसे पर्यावरण कार्य बल आदि के लिए इनका उपयोग करते रहे हैं। महोदय, जब आपके चुनाव क्षेत्र बम्बई में बन्दरगाह कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी तो आवश्यक सेवाओं को चलाने के लिए प्रादेशिक सेना का उपयोग किया गया था। सरकार प्रादेशिक सेना और इसकी सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए वचनबद्ध है ताकि लोगों को इस सेना में भर्ती के लिए इसे आकर्षक बनाया जा सके। जैसाकि मैंने कहा है वित्त मंत्री महोदय रक्षा मंत्रालय में मेरे बास थे और उन्होंने मेजर जनरल स्पैरों, जोकि इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, के अधीन प्रादेशिक सेना की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। आज वही वित्त मंत्रालय इसमें बाधायें उत्पन्न कर रहा है और बैंकों और सामान्य बीमा के उन कर्मचारियों को जोकि प्रादेशिक सेना के सदस्य हैं, प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए दण्डित कर रहा है। मैंने आपके कक्ष में भी आपसे मुलाकात की है और इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैंने इस बारे में आपको पत्र लिखे हैं। परन्तु जब बैंकों और बीमा कम्पनियों में कार्यरत ये कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि को रोक लिया जाता है और उनके वेतन में कटौती की जाती है। ऐसा करना प्रादेशिक सेना अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है; जिसे इस माननीय सदन ने वर्ष 1949 में पारित किया था।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, बस एक सैकण्ड और।

सभापति महोदय : मैं आपको पहले ही पर्याप्त समय दे चुका हूं।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, जब मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बात कर रहा था तो माननीय वित्त मंत्री अपनी सीट पर नहीं थे। जब उन्हें रिपोर्ट सौंपी गई तो वे रक्षा मंत्रालय में मेरे मंत्री थे। अतः मैं इस बारे में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आप उन मुद्दों को मत दोहराइये जिन्हें आप पहले ही माननीय मंत्री को बता चुके हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, यदि मैं ऐसा नही करता हूं तो मुझे दो महीनों के बाद इसका एक बना बनाया उत्तर मिलेगा कि इसे कार्यान्वयन के लिए अमुक मंत्रालय को भेज दिया गया है।

सभापति महोदय: वित्त मंत्री यहां उपस्थित थे। वे आपके भाषण के सभी मुद्दों को लिख रहे थे। वे इन मुद्दों को उन्हें बतायेंगे। उन मुद्दों को दोहराना आवश्यक नहीं है।

श्री के० पी० सिंह देव : इस बारे में दो मुद्दे और हैं। पहला मुद्दा "एक रेंक-एक पेंशन" के बारे में है और दूसरा मुद्दा 58 वर्ष की आयु तक रोजगार देने में बारे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक वर्ष में 50 लाख लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। यदि हम सभी 70,000 भूतपूर्व सैनिकों को इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उन सभी 70,000 व्यक्तियों को रोजगार की आवश्यकता न हो, तो कम से कम आप उन लोगों को तो इसमें सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा सेवानिवृत्त व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में है। वे 33 वर्ष से 38 वर्ष तक की आयु में सेनानिवृत्त हो जाते हैं। इससे हमारी पेंशन सम्बन्धी देनदारी में भी कमी आयेगी और इसके साथ ही हम राष्ट्र के विकास में उनकी देशभक्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, अनुशासित और निष्ठायुक्त, प्रशिक्षित कुशलता का भी उपयोग कर पायेंगे।

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय घोषित नई रियायतों का भी स्वागत करता हूं।

अपनी अर्थव्यवस्था पर नजर डालने पर हमें यह पता लगता है कि गत चार वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में भारी वृद्धि हुई है। हमारे औद्योगिक उत्पादन में 9 प्रतिशत और कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जी० एन० पी० में भी भारी वृद्धि हुई है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 1980-81 और वर्ष 1983-84 के बीच जी० एन० पी० में 62300 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 1984-85 और वर्ष 1987-88 के बीच जी० एन० पी० में लगभग 85,144 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। मैं इसके आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना चाहता। इन सभी बातों से यह जाहिर होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यह प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई नीतियों का परिणाम है। मैं इस अवसर पर उन्हें और सरकार को बधाई देता हूं।

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, ऐसे दो कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये दो कारक हैं कालाधन और मूल्य वृद्धि। यदि हम इन दोनों कारकों को नियन्त्रित करने में सफल नहीं होते हैं तो सामान्य व्यक्ति को विकास में लाभ प्राप्त नहीं होंगे। आजकल कालेधन में वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन कितने करोड़ रुपए का काला धन उत्पन्न किया जा रहा है। मैं आपको यह दिखाने के लिए एक उदाहरण दूंगा कि देश में कितना काला धन उत्पन्न किया जा रहा है। भारत के प्रमुख शहरों में सम्पत्ति के सौदों में सैकड़ों करोड़ रुपए का काला धन उत्पन्न किया जा रहा है। इसी राजधानी को ही लीजिए। यहां भूमि और मकानों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि इस शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास की जरूरत है। अतः स्वभाविक रूप से भूमि और मकानों की कीमतों में वृद्धि होगी। जिन लोगों के पास बहुत सा धन है वे भूमि खरीदकर और मकानों का निर्माण करके उन्हें छः महीने अथवा एक साल में बेच देते हैं। ऐसा करने से एक सौदे में ही उसे लाखों रुपयों का लाभ होता है। यह सारा काला धन है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के पास कानून है। सरकार उस सम्पति का अधिग्रहण कर सकती है जिसका मूल्य कम दिखाया गया है। परन्तु मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि अब तक इस शहर में ऐसी कितनी सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। केवल कानून से ही काम नहीं चलता। अतः केवल इस शहर में ही प्रतिदिन करोड़ों रुपये का काला धन उत्पन्न किया जा रहा है। यह केवल एक छोटा सा उदाहरण है। यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है। हो सकता है कि काले धन को नियन्त्रित करने के लिए मैं किन्ही विशिष्ट उपायों का सुझाव न दे सकूं। परन्तु सरकार को इस समस्या के बारे में गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और काले धन को समाप्त करने के लिए कठोर उपाय करने चाहिएं क्योंकि काले धन से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था विकृत हो रही है।

अब मैं मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर आता हूं। मूल्यों को नियन्त्रित करने के मुख्यतः दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाये और दूसरा तरीका यह है कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए। आजकल सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों की कुल खाद्य आवश्यकताओं के 15-20 प्रतिशत भाग की ही पूर्ति होती है। मेरा विचार यह है कि मूल्यों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक बनाया जाना चाहिए और इसके माध्यम से अधिक वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए। मूल्यों को नियन्त्रित करने का दूसरा तरीका सहकारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान को उसके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिया जाये और उसके उत्पादों को खरीद कर उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बेचा जाये। परन्तु हम इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुए हैं। न तो किसान को लाभकारी मूल्य मिलता है और न ही हम उपभोक्ता को उचित मूल्यों पर वस्तुयें बेच पाते हैं। इसके बजाय उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत अधिक मूल्य की अदायगी करनी पड़ती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन करने वाले किसान को प्रति किलो प्याज के लिए केवल 30-40 पैसे प्राप्त होते हैं तो दिल्ली में उपभोक्ता को प्याज के लिए 3 रुपये से 4 रुपये प्रति किलोग्राम तक अदायगी करनी

पड़ती है। उपभोक्ता को प्रत्येक आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए बहुत अधिक मूल्य की अदायगी करनी पड़ती है। इस स्थिति से बचने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। यदि हम प्याज उत्पादित करने वाले किसान को एक रुपया प्रति किलो की दर से अदायगी करते हैं और उसे उपभोक्ता को 1·50 रुपये अथवा 2 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते हैं तो इससे दोनों को लाभ होगा। किसान को थोड़ा पैसा मिलेगा और उपभोक्ता अधिक बचत कर सकेगा। यदि सहकारी क्षेत्र सफल हो गया होता तो आज हमें अपनी योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए, लोगों की बचतों द्वारा काफी धन मिल जाता। परन्तु इस धन को बिचौलिये ले रहे हैं। अतः सरकार को इस वास्तविकता को समझना चाहिए कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सरकार को इस बारे में उचित कार्यवाही करनी चाहिए। हम लोग काफी समय से यह सुन रहे हैं कि कर-ढांचे में सुधार किया जायेगा। परन्तु इस बारे में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। एक सामान्य धारणा यह है कि प्रत्यक्ष कर का आधार बहुत छोटा है। वास्तव में यहां दो समस्यायें हैं। पहली समस्या आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाने के बारे में है। दूसरी समस्या यह है कि उन धनवान व्यक्तियों पर कर लगाया जाये जो आजकल किसी भी कर की अदायगी नहीं कर रहे हैं। जहां तक पहली समस्या का सम्बन्ध है यह अत्यन्त आवश्यक है कि निश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों को आवश्यक राहत देने के लिए आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया जाये। यह कहना बिल्कुल गलत है कि छूट की वर्तमान योजना के अन्तर्गत 1 लाख रुपये तक की आय के लिए कर की अदायगी नहीं करनी पड़ती। इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है कि यदि एक वेतनभोगी कर्मचारी अपने सारे वेतन को बचाता है तो वह कर जाल से बच सकता है। अतः मैं जोरदार शब्दों में यह मांग करता हूं कि छूट की सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाना चाहिए। दूसरी समस्या के बारे में हम सभी लोग यह जानते हैं कि प्रमुख शहरों और कस्बों में एक पान बेचने वाला भी प्रतिदिन 300-400 रुपये कमाता है परन्तु वह किसी कर की अदायगी नहीं करता है। इसी प्रकार ऐसे लोग भी हैं जो औसतन एक हजार से दो हजार रुपये प्रतिदिन कमाते हैं परन्तु फिर भी वे आयकर की अदायगी नहीं करते हैं। क्या इन लोगों पर कर नहीं लगाया जा सकता ? सरकार को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

अब मैं अपने राज्य केरल की कुछ समस्याओं का उल्लेख करता हूं। केरल में ऐसी सरकार शासन कर रही है जिसकी राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है और इसलिए वहां कोई विकास नहीं हो रहा है। वर्तमान राज्य सरकार यह वायदा करके सत्ता में आई थी कि प्रतिवर्ष रोजगार के 10 लाख अवसर उत्पन्न किये जायेंगे। परन्तु वे प्रतिवर्ष 10 व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर पाये हैं। राज्य में लगभग 30 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं। आंकड़ों के अनुसार जून 1988 तक वहां 11 लाख 73 हजार अशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार थे। इसी प्रकार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 15 लाख 53 हजार थी। यह समस्या इतनी गम्भीर है कि इसका तत्काल समाधान ढूंढना अत्यन्त आवश्यक है। इस अवसर पर मुझे, नई रोजगार योजना की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। मैं इस योजना का स्वागत करता हूं। वास्तव में देश के सभी बुद्धिमान व्यक्तियों ने इस योजना का स्वागत किया है। परन्तु दुर्भाग्य से केरल के मुख्यमंत्री ने इसकी आलोचना की है। इससे यही जाहिर होता है कि मुख्य-

मंत्री महोदय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के इच्छुक नहीं हैं। वास्तव में जहां भी वामपंथी सरकारें सत्तारूढ़ हैं वहां लोगों की गम्भीर समस्याओं के बारे में इसी प्रकार का नकारात्मक रवैया दिखाई देता है। वे हमारे युवकों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं। यदि उन्हें रोजगार मिल गया तो इन दलों को 'इंकलाब जिन्दाबाद' का नारा लगाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। समस्या यह है। केरल की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उद्योगीकरण आवश्यक है। वर्ष 1985-86 से केरल के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश कम हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988 में केरल में केन्द्रीय निवेश मात्रा 1·6 प्रतिशत था। इस स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। हमारे यहां अधिक उद्योग लगने चाहिए। इस अवसर पर मैं एक महत्त्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। केन्द्र ने लघु उद्योग से केन्द्रीय निवेश इमदाद वापस ले ली है। इससे केरल के औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं इस निर्णय पर पुनः विचार और निवेश इमदाद को पुनः शुरू करने की मांग करता हूं।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं अपने राज्य के संबंध में एक या दो महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं। केरल की अर्थव्यवस्था में नारियल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में नारियल के कारण ही केरल का नाम जाना जाता है। बाद में नारियल की कीमत तेजी से गिर गई जिससे राज्य के छोटे नारियल उत्पादक लगभग बर्बाद हो गए। कृषि मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि नारियल का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। मैं नारियल का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने के लिए तत्काल निर्णय लिए जाने की मांग करता हूं।

इसी प्रकार हमें पिछले वर्ष कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि गहन खाद्य पदार्थ उत्पादन कार्यक्रम में केरल को भी शामिल किया जाएगा। अभी तक यह भी नहीं किया गया है। मैं सरकार से केरल को इस सूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं। कुछ समय पहले मैंने केरल सरकार के नकारात्मक रवैये के बारे में कहा था। इस बात को साबित करने के बहुत से उदाहरण हैं मेरा जिला पालघाट सूखा प्रवण जिला है जिसमें पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस जिले के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की मंजूरी दी थी। अब मुझे पता लगा कि केरल सरकार ने पालघाट को सूखा प्रवण जिलों की सूची में शामिल नहीं किया। उन्होंने केवल छः जिलों को सूचीबद्ध किया और पालघाट को केवल आंशिक रूप से सूखा प्रवण जिला दिखाया गया है। मैं यह आरोप लगाता हूं कि ऐसा राजनीतिक दृष्टि से किया गया है। गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के मामले में भी यही किया गया। कार्यान्वियन के हर पहलू पर राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अब इसे गंभीरता से लिए जाने का समय आ गया है। मैं यह मांग करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्र द्वारा दिए गए धन का राजनीतिक दृष्टि से विचार किए बिना सही ढंग से उपयोग करने के लिए केन्द्र द्वारा निगरानी की कड़ी व्यवस्था की जाए और इस धन का लाभ वास्तविक लाभ-भोगियों तक पहुंचे।

मैं एक बार फिर वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र मुरली देवरा जी के सुझावों के साथ अपने आपको सम्बद्ध करना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जवाहर रोजगार योजना की लान पर एक योजना बनानी चाहिए ताकि वहां के बेरोजगारों और गरीबों को ऋण उपलब्ध करवाए जा सकें। जब देवरा जी और महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे थे तो मुझे 1985 के बजट की याद आ रही थी। उस समय मैं उन बहुत कम लोगों में से था जिन्होंने इस बात को चाहे दबी जुबान में कहा था कि यह बजट पैसे वाले लोगों और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने वाला सिद्ध होगा। आज मुझे खुशी है कि 1989 में बजट पेश करते वक्त माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी निश्चित सीमा के अन्तर्गत जितनी दिक्कतें उनके सामने थीं, उन सबको मद्देनजर रखकर एक ऐसा बजट पेश किया जो उस समय डिस्टार्शन पैदा हुए थे, न केवल उनको ठीक किया बल्कि कांग्रेस की जो मान्यता, धारणा या दृष्टिकोण रहा है कि गरीबों के लिए कुछ करना है, उपभोक्तावाद को नियंत्रित करना है, पूंजीपतियों पर अंकुश करना है, वह सारे कदम आपने उठाए। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम विदेशी कम्पनियों को भारत में बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करने देते हैं ठीक है। अपनी सीमाओं के अन्तर्गत ही पार्टिसिपेशन होता है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उस पर कुछ न कुछ नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। हमारे मित्र ने कहा था कि पब्लिक सैक्टर में डेमोक्रेटिक मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर हम अपने पब्लिक सैक्टर के कंसेप्ट को और डायल्युट करने की कोशिश करेंगे तो उससे पबलिक सैक्टर में काम करने वालों पर असर पड़ेगा। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, वह भी इससे प्रभावित होगा। मैं चाहूंगा कि इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। फिस्कल पालिसी में बहुत सारी रियायतें बड़े घरानों को दी गई हैं। इसको और लिबरल करने की मांग विभिन्न फोरम पर की जाती है। कंसेशन देने के बाद भी यह देखने में आया है कि जो बड़े उद्योग समूह हैं और जो उनके नेशनल आबलीगेशन्स हैं, जिस मात्रा में उनको पूरा करना चाहिए, वह नहीं कर रहे हैं। उसमें पूंजी किसकी लगी है। एक स्माल एन्टरपिन्योर दूसरे संसाधनों से ऋण लेकर अपने उद्योग को खड़ा करता है और अपने नेशनल आबलीगेशन्स को पूरा करता है। इस समय जो हमारा निर्यात है उसका 90 प्रतिशत स्माल सैक्टर या मिडियम सैक्टर से होता है। बड़े उद्योग समूहों को लाईसेंस देते वक्त जो एक्सपोर्ट आबलीगेशन ध्यान में रखा जाता है उसको वे पूरा नहीं करते हैं। अगर वे पूरा नहीं करते हैं तो उन पर कोई पेनल्टी इम्पोज की जानी चाहिए। आपने लाइसेंस नीति को इस तरह से बनाया है जिससे उसका फायदा बड़े घरानों जो स्माल सैक्टर से निकलकर आ रहे हैं, उनको हो रहा है। एक बड़ा औद्योगिक समूह है जिसको हम एम० आर० टी० पी० घराना कहते हैं। उसकी जो बहू होती है वह स्माल स्केल सेक्टर में अपना उद्योग स्थापित करती है और उसके नाम पर कई प्रकार की एक्सपोर्ट कंसेशंस और रियायतें सरकार से लेती हैं और पैसे को बचाने की चेष्टा करती हैं। कम से कम एक सीमा होनी चाहिए और इस पर चैक रखना चाहिए कि स्माल सैक्टर में वह लोग न घुसें जो बड़े उद्योग घरानों से सम्बन्ध रखते हैं। अच्छा हो हम स्माल सेक्टर को उन नौजवानों के लिए रिजर्व कर दें जो फर्स्ट जेनरेशन आफ इंटरप्रिनर र्मिसिग में से हैं, जिनके परिवार में किसी ने बड़ा व्यवसाय नहीं किया है और उद्योग नहीं लगाया

है। उन लोगों के लिए स्माल सेक्टर को रिजर्व कर देना चाहिए और उनको लाइसेंस दिये जाने चाहिएं। दो-तीन सालों के अन्दर उपभोक्तावाद में एक होड़ सी आई है। जब हम टेलीविजन में विज्ञापनों को देखते हैं तो लगता है कि हर आदमी उसी की दुनिया में कल्पना कर रहा है जैसा हम विज्ञापन में देखते हैं। जैसे स्कूटर या मोटर साइकिल के विज्ञापन दिखाई जाते हैं तो एक होड़ लग रही है और गरीब से गरीब आदमी, साधारण आदमी भी महसूस करता है कि दुनिया कितना आगे की तरफ बढ़ गई है, कितनी बदल गई है। उसके कारण वह बहुत निराश होता है। आटोमोबाइल क्षेत्र के अन्दर करार हुए हैं। उनके ऊपर बहुत नजदीक से नजर रखने की जरूरत है। इन कम्पनीज का जितना भारतीयकरण होना चाहिए था उतना उन्होंने किया है या नहीं यह देखने की जरूरत है, क्योंकि लाइसेंस के समय में इतना भारतीयकरण करेंगे यह इन्होंने कहा था और वह अब पूरा हुआ है या नहीं। मुझे डर है कि बहुत कम कम्पनीज हैं जिन्होंने वायदे के मुताबिक अपना उतना भारतीयकरण किया है इनके जरिये हमारी संचित विदेशी मुद्रा बाहर निकलती रहेगी। इसके लिए सरकार को समय सीमा निश्चित करनी पड़ेगी। मेरे मित्र के० पी० सिंह देव ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए रह गये हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं। वह कब तक पिछड़े हुए रहेंगे? जो गाडगिल फार्मूला है जिसके आधार पर प्लान आउट ले तय किया जाता है और जिसके आधार पर वित्त आयोग काम करते हैं, यह कुछ राज्यों में नहीं हैं। जिन राज्यों में केपिटल इवेस्टमेंट बढ़ी है उनकी मदद कर रहा है, गरीब राज्यों की मदद नहीं हो पारही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि गाडगिल फार्मूले को इस तरह से री-फार्मूलेट करने की जरूरत है कि जो क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया है वह दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्यालय नहीं है और न किसी बड़ी कम्पनी का पब्लिक सेक्टर का एकाध हो तो हो, मुख्यालय नहीं है। ऐसे राज्यों को जो उनकी स्माल सेविंग्ज हैं उनका मेजर शेयर दिया जाना चाहिए। आप 80 प्रतिशत दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश को 90-95 प्रतिशत देने की इजाजत दें तो उन राज्यों में बहुत परिवर्तन हो सकता है और उनकी बहुत बड़ी मदद होगी। वह अपने एरिया का विकास कर सकेंगे। वहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट बारोंग को कहना चाहिए कि उनको मार्केट बोरोंइग को इजाजत देनी चाहिए। यह नहीं देने से उत्तर प्रदेश सरकार लुंज-पुंज हो रही है। हमारे सामने कई दिक्कतें हैं, इन पर हर तरफ से विचार करने की आवश्यकता है। मैं दो-तीन सुझाव आपको देना चाहूंगा। एक तो पब्लिक सैक्टर का जो रोल है उनको कोई री-वाइडन या री-वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। जिन प्राइवेट कम्पनीज को हम पब्लिक सैक्टर में देने की बात सोच रहे हैं जैसे स्कूटर इण्डिया है लखनऊ में, उस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इससे फायदा नहीं हुआ है और न होगा। करोड़ रुपये की सम्पत्ति यदि एक पूंजीपति के पास चली जायेगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को फायदा होगा? क्या उनके सोशल आब्लीगेशंस होंगे, इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। इन्कम टैक्स लिमिट के विषय में मेरे मित्रों ने यहां बहुत सी बातें कहीं, मैं अपने आप को उनके साथ जोड़ना चाहूंगा। आपने स्माल इन्कम टैक्स पेयीज को जो कन्सेशन दिये हैं, वे स्वागतयोग्य हैं मगर उन कन्सेशन्स का फायदा जो लिमिटेड इन्कम ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वे उठा नहीं पा रहे हैं। आपने शायद बचत को प्रोत्साहन देने के

लिये इन्डायरैक्ट तरीके से इन्कम टैक्स में ये कन्सेशन्स दिये हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सीधे-सीधे यदि आप इस छूट की लिमिट को 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर देते है, यदि 25 हजार करना किसी वजह से सम्भव न हो तो एक-आधा हजार ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उससे निश्चित आय वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि चतुर्त वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद वे सारे लोग इन्कम टैक्स परव्यू में आ चुके हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की लम्बे समय से एक मांग यह है कि उनके लिए एक परमानेंट वेज रिव्यू बौडी होनी चाहिए। पब्लिक सैक्टर में इस समय वेज नैगोसियेशन्स चल रहीं हैं और हर चार साल बाद वेज नैगोसियेशन्स होती हैं। जब भी वहां कोई सैट्लमेंट होता है तो उसके कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है। यदि पे कमीशन की लाईन पर आप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक परमानेंट वेज रिव्यू बौडी गठित कर देते हैं तो उससे कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी। मैं केन्द्रीय कर्मचारियों की ओर से आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हें एडहॉक बोनस तुरन्त दिया जाना चाहिए और बर्तमान बोनस देने के जो तौर-तरीके हैं उन्हें बदलकर आप 30 दिन के वेतन के बराबर उन्हें बोनस दीजिए। यदि इस वित्तीय वर्ष में ही आप उसकी घोषणा कर देते हैं तो उसका अच्छा असर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर पड़ेगा।

अब मैं अन्तिम बात कहकर अपना निवेदन समाप्त करूंगा। नौवें वित्त आयोग से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हम जिस न्याय की अपेक्षा कर रहे थे, वह न्याय हमारे साथ नहीं किया गया। विशेष तोर पर जितनी सैन्ट्रल सैक्टर की स्कीमें हैं, जब तक सम्बन्धित सैन्ट्रल डिपार्टमेंट में उसके लिए अलग से प्लान आउटले तय नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा जाता कि अमुक पैसे को आप पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए व्यय करेंगे, तब तक हमारी माली जिन्दगी के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इस समय बैंकों का या पोस्ट औफिसेज का जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गयी हैं लेकिन वे रिलैक्सेशन्स जमीन या धरातल की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहियें। इस विषय में गम्भीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमने नौवें वित्त आयोग को रिप्रेजेंन्टेशन देकर निवेदन किया था कि हमें ऐसे राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन देने चाहियें जिनमें पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा हैं ताकि उन पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो सके। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों को कहा जाना चाहिए कि अमुक धनराशि या इतना परसेंट पर्वतीय क्षेत्रों में, के विकास में, अनुपातक्षेत्रफल के लिए व्यय करें।

आपने इस वर्ष बहुत सारे कन्सेशन्स दिये, उन कन्सेशन का तो मैं स्वागत करता हूं, परन्तु कुछ कन्सेशन्स को छोड़कर, बाकी कन्सेशन्स का लाभ अभी तक उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा है, उदाहरण के लिए आप माचिस को ही ले लीजिए। आपके कन्सेशन देने के बावजूद उसकी कीमत में अभी तक कोई अन्तर नहीं आया है, वैसे ही कन्डैन्स्ड मिल्क की प्राइस में भी कोई अन्तर नहीं आया है। आपने जिस भावना से इन कन्सेशन्स की घोषणा की, यदि उपभोक्ताओं तक वे नहीं पहुंचते हैं तो यह चिन्ता का विषय है। वित्त मंत्री के रूप में आपने हमारे बजट को एक निश्चित दिशा दी है, समाजवादी दिशा दी है और हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा बजट जौब-औरियेन्टेड है, प्रो-पूअर है, मिडिल क्लास और स्वयंजीवी क्लास के हित में है, मजदूर-किसानों के हित में है क्योंकि इसमें उनके लिए बहुत सी योजनाएं शामिल की गयी हैं। अभी कुछ दिन पहले

माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाहर योजना का जिक्र किया, वह योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में परिवर्तन का बहुत बड़ा आधार बनेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना के लिये इस वर्ष आप अधिक से अधिक धनराशि जुटायें, जितना पैसा हम इस योजना के लिए एलोकेट करेंगे हमारी पंचायतों की माली जिन्दगी में उतना ही परिवर्तन आयेगा। लेकिन एक कमी हमें सरकार की नीति और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में देखने को मिलती है और वह है कमिटिड मशीनरी का अभाव, जो खास तौर से बैंकों में दिखायी देती है। सरकार भूतपूर्व सैनिकों को या बेरोजगार नौजवानों को जितना कन्सेशन देना चाहती है, हमारे बैंक उस भावना से वह कन्सेशन भूतपूर्व सैनिकों या बेरोजगार नौजवानों को नहीं पहुंचा पाते हैं। बैंक गरीब लोगों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण नहीं रखते। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बैंकों पर हमारी सामाजिक नीति, हमारी वित्तीय नीति का प्रबल नियंत्रण होना चाहिये। जिस रूप में सरकार अपनी नीतियों को गरीब व्यक्ति तक, लाभार्थियों तक पहुंचाना चाहती है, सुचारू रूप में हमारी नीति का लाभ गरीब व्यक्ति या लाभार्थी तक पहुंचे, इसका दायित्व बैंकों पर या बैंकिंग सैक्टर पर होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं।

2.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री के साथ सहनुभूति है। लोकतांत्रिक राजनीति में, जहां उसके ऊपर चारों तरफ से दबाव पड़ते हैं, वित्त मंत्री को अवांछनीय कार्य करना पड़ता है और खासकर उस समय जब उसे कम उत्पादकता और कम कुशलता वाली उच्च लागत की अर्थव्यवस्था पर आधारित विशिष्ट समाज, जोकि प्राचीन और अति आधुनिक प्रौद्योगिकी के मिश्रण पर आधारित है, के लिए आर्थिक और वित्तीय प्रबंध करना पड़ता है तो यह कार्य और भी अवांछनीय जान पड़ता है। ऐसे देश में, जोकि विभाजित है और जिसमें अनेक विषमताएं हैं, स्पष्टतः उसका कार्य अत्यधिक कठिन हो जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास बजट पर वास्तविक चर्चा करने के लिए समय नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से हमने योजना प्रक्रिया, प्रगति जोकि हमारे विकास का एकमात्र उद्देश्य है उस पर कतई चर्चा नहीं की और जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी थी।

आज, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। हमारे विशेषज्ञों द्वारा पहले से ही बताए गए बहुत से कमजोर बिन्दु अब संकट की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। उदाहरण के लिए, निर्धारित मूल्यों के रूप में वार्षिक रूप से दिए जाने वाले इंजेक्शन के बावजूद घाटे का वित्त निराधार स्तर तक पहुंच रहा है। मुद्रास्फीति कृत्रिम आंकड़ों के मुखौटे की पीछे छिपी हो सकती है किन्तु आम आदमी से पूछिए, वह आपको बताएगा कि मुद्रास्फीति पूर्णतः असहनीय सीमाओं को पार कर रही है। हम विश्व में चौथे सबसे बड़े उधार लेने वाले, देनदार राष्ट्र बन गए हैं। हम आंकड़ों के द्वारा अपने निर्यात को बढ़ाने की बात करते हैं। रुपये की दृष्टि से देखें तो यह 28 प्रतिशत है; डॉलर की दृष्टि से देखें तो यह 16 प्रतिशत है। किन्तु इसे एस० डी० आर० से देखें तो यह केवल दस प्रतिशत से कुछ अधिक है। इसीलिए आयात और निर्यात के बीच अन्तर में वृद्धि हो रही है। हमारा विदेशी ऋण स्तर पच्चीस प्रतिशत की ऋण-सेवा अनुपात तक पहुंच गया है। कुछ वर्ष

पहले अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के लिए बीस प्रतिशत से अधिक ऋण-सेवा अनुपात को सहन कर पाना असंभव समझते थे। हमारा आयात बढ़ रहा है। कोई यह नहीं जानता कि कितना आयात वास्तव में अनिवार्य है क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि गैर-विकासात्मक व्यय विकासात्मक व्यय से अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारी पूरी योजना व्यय का आंशिक रूप से घाटे के वित्त और आंशिक रूप से उधार लिए गए धन द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। हमारी सारी वास्तविक आय केवल गैर-विकासात्मक और गैर-उत्पादक व्यय को सहारा दे रही है। मुझे विश्वास है कि यह वित्त मंत्री के लिए भी चिन्ता का विषय है। प्रशासनिक लागतें कम की जानी चाहिएं। किन्तु मैं विशेष रूप से उनसे यह निवेदन करूंगा कि प्रतिष्ठा व्यय को कम किया जाए, अपव्यय को कम किया जाए। मेरे विचार में, सरकारी मशीनरी, नौकरशाही मशीनरी में अधिक स्टाफ है, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक स्टॉफ है। मेरे विचार में उन्हें कम किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री कहते हैं कि वह आर्थिक सहायता देने पर बहुत अधिक धन खर्च कर रहे हैं। वह किन्हें सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं ? यदि इमदाद का उद्देश्य उपभोक्ता, आम आदमी को इमदाद देना हो तो कोई गुप्त इमदाद नहीं होनी चाहिए, एक सूत्री इमदाद होनी चाहिए। उपभोग बिन्दु पर इमदाद की जानी चाहिए ताकि इससे बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए वास्तव में आम आदमी को लाभ पहुंचे। मैं चाहूंगा कि वह कम आय वाले वर्गों को इमदाद दें किन्तु लाभ कमाने वालों को नहीं, उन लोगों को नहीं जो शोषण के धन पर जीवित हैं।

अनेक सदस्यों ने कृषि के लिए लाभकारी मूल्य की दलील दी है। वस्तुतः सभी प्रकार के प्राथमिक उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य होना चाहिए। किन्तु एक राष्ट्र के रूप में हमें अभी लाभकारी मूल्य के लिए उचित आधार ढूंढना है। लाभकारी मूल्य उस व्यक्ति के लिये निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं होनी चाहिए जो प्राथमिक उत्पादन कार्य में लगा हुआ है और लाभकारी मूल्य आरामदायक जीवन के लिए, आम कृषक के लिए सही मानव जीवन बिताने के लिए, जनता के लिए होना चाहिए। महोदय, इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमने अधिकांश विकासात्मक प्रयासों को लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने से दूर रखा जाता है। मानव और समाज दोनों की न्यूनतम आवश्यकताएँ होती हैं। भारत के हर गांव में पीने के पानी, गांव में सम्पर्क सड़क मार्ग, छोटे प्राथमिक विद्यालय भवन, छोटे स्वास्थ्य-सेवा केन्द्र की आवश्यकता है। वे कुछ पुलों और पुलिया की मांग करते हैं किन्तु आप उन्हें यह सब प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं। दूसरी ओर, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो उन्हें वह सब प्रदान करती है जिनकी उन्हें चाह नहीं है, ऐसी चीजें जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। महोदय, योजना को प्रणाली की ऊपर से थोपा जाता है। महोदय, हमारी विकास योजना का उद्देश्य लोगों की जरूरतें पूरी करना तथा जन-उपभोग की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। यदि मैं यह कहूं कि हमारी योजना प्रणाली योजनाओं की अधिकता से दबी है जो एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं किन्तु अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती। इसलिए उनकी, प्रशासनिक लागत बढ़ जाती है और लोगों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता और इससे विषमता उत्पन्न होती है।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज देश में पंचायतीराज की एक नई प्रणाली आरम्भ किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। मुझे आशा है कि इससे सफलता मिलेगी। किन्तु यह एक ही बात पर आधारित होनी चाहिए कि विकास के लिए प्रयत्न निचले स्तर पर किया जाना चाहिए, प्रत्येक ग्राम को वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और प्रत्येक ग्राम सभा अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने तथा अपने कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए मुक्त होनी चाहिएं। इसके बगैर पंचायती राज पुनः केन्द्रीकरण का एक भाग रह जाएगा।

महोदय, मैं कराधान व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में सम्पूर्ण आय पर कर लग रहा है। मेरा तर्क यह है कि किसी भी स्रोत से सभी तरह की आय कराधान के अन्तर्गत आनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से यह अनुरोध करता हूं कि छूट की सीमा उस स्तर तक बढ़ाई जाए जहां एक सामान्य परिवार को वास्तव में लाभ हो सके। हमें इसे स्थिति के मुताबिक बढ़ाकर 24,000 रुपये या 30,000 रुपये कर देना चाहिए और शिक्षा, चिकित्सा एक छोटा मकान बनाने पर व्यय में छूट देनी चाहिए और मैं तो राजनैतिक उद्देश्य के लिए धनराशि देने जैसे सामाजिक व्यय को भी छूट दूंगा। लेकिन पहले सारी आय दर्ज हो और सारी आय पर कर लगे। महोदय, कुछ समय पहले कराधान व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के लिए कार्यवाही हुई थी। मुझे याद है कि तत्कालीन वित्त मंत्री से, जो अब हमारे पक्ष में बैठे हैं, मुझे एक परिपत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने हमारे सुझाव मांगे थे और सम्पूर्ण कराधान व्यवस्था को तर्कसंगत और पुनर्गठित करने का वायदा किया था। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि उस कार्यवाही का क्या हुआ। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति अत्यधिक पेचीदा बन चुकी उत्पाद-शुल्क प्रणाली या सीमा-शुल्क अथवा आय-कर प्रणाली को समझ सके, इसलिए इसे सरल बनाया जाए। इसी प्रकार एक निश्चित सीमा के बाद सम्पूर्ण धन पर कर लगाना चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। यदि हम वास्तव में समाजवादी समाज का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो असमानता समाप्त करने या कम करने के लिये धन के स्तरों को कम करना होगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उत्पाद-शुल्क की सूची का अध्ययन करें और आम जनता के उपभोग के लिए निर्मित सभी वस्तुओं पर से उत्पाद-शुल्क की छूट दे दें, मैं मोटर साइकिल तथा अन्य वाहनों पर कर लगाने से चिंतित नहीं हूं, लेकिन आम-आदमी के लिए वस्तुओं जैसे माचिस, मोटा कपड़ा, सामान्य जूतों, साइकिलों तथा सभी बच्चों के लिए जरूरी कागज आदि पर उत्पाद-शुल्क की पूर्णतया छूट होनी चाहिए। मैं उनसे यह आग्रह भी करता हूं कि हमारे देश में उपभोग की पद्धति पर अधिक कर लगना चाहिए क्योंकि यह अब उच्च जीवन स्तर की हो गई है। इस उच्च जीवन स्तर को नीचे लाया जाए। यदि माननीय वित्त मंत्री हवाई यात्रा, पांच सितारा होटलों, क्लबों, शराब पीने पर अत्यधिक कर लगाते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उन्हें आम आदमी के प्रति कुछ सहानुभूति रखनी चाहिए।

महोदय, जहां तक जमीन का सम्बन्ध है, हम समाजवाद की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हम शहरी भूमि का शोषण करके उभर रहे नए राजाओं के अत्यधिक लाभ के प्रति सचेत

हैं। मैं सरकार द्वारा विचार हेतु यह सुझाव देता हूं कि सम्पूर्ण शहरी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और जिस प्रकार कृषि-सम्पत्ति पर सीमा है उसी प्रकार शहरी सम्पदा पर भी सीमा होनी चाहिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि कृषि को हमारी अर्थ व्यवस्था में मुख्य स्थान रखना है तो उन्हें कम से कम कृषि-बीमा पर कुछ सौ करोड़ रुपये व्यय करने और इसे पूर्णतया सर्वव्यापक बनाने पर विचार करना चाहिए। वह सिंचाई परियोजनाओं को कुछ सौ करोड़ रुपये और दें। हमारे देश में ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो धनराशि के अभाव में अनेक वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हैं और पूर्ण नहीं हुई हैं। या तो राज्य और केन्द्र के बीच मतभेद रहता है या फिर एक तकनीकी समिति का दूसरी तकनीकी समिति से मतभेद रहता है लेकिन असली कारण संसाधनों की तंगी है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सिंचाई को वरीयता दी जाए। मैं निश्चित रूप से यह चाहूंगा कृषि-मौसम के लिए कृषि-ऋण किसान, कृषक को और अधिक नियमित तथा संगठित तरीके से दिया जाए और इस पर कोई ब्याज नहीं होना चाहिए, केवल थोड़ा सा सेवा प्रभार लगाया जा सकता है। जब ऋण उसी कृषि वर्ष के दौरान उस फसल की कटाई के बाद वापस दिया जाना हो तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगाना चाहिए।

महोदय, जहां तक उद्योग का संबन्ध है, मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि उदारता का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारे अत्यन्त कम संसाधनों को गैर-प्राथमिकता मदों पर लगा दिया जाए। समापित महोदय, इसके उदाहरण देने के लिए मेरे पास समय नही है। माननीय मंत्री जानते हैं कि उद्योगपति जिन क्षेत्रों में अत्यधिक उत्पादन कर रहे हैं उनका आम जनता के लिए कोई अर्थ नहीं है, उनका लोगों की इच्छाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए संसाधनों को दूसरे काम में लेना समाप्त होना चाहिए।

महोदय, मैं जवाहर रोजगार योजना का स्वागत करता हूं लेकिन यह सभी जिलों में लागू हो। हमारे देश के सभी भागों में बेरोजगार युवक हैं और यदि बेरोजगारी समाप्त करनी है तो माननीय मंत्री महोदय को रोजगार उत्पन्न होने पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए और यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होना चाहिए। मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार यह विचार करे कि प्रत्येक 300 लोगों के लिए एक प्राथमिक स्कूल की योजना को युद्ध स्तर पर कार्यान्वित किया जाए क्योंकि इससे हमारे बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न होंगे। देश के विभिन्न भागों, प्रत्येक जिले में भूमि सेना होनी चाहिए, इससे अनेक नए रोजगार उत्पन्न होंगे।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान बैंक प्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जोकि स्वयं ही कानून है और इनका स्वप्रशासन और ये माननीय मंत्री महोदय के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। यह किसी सामाजिक नियन्त्रण को नहीं मानती है और ऊपर से नीचे तक पूर्णतया भ्रष्ट है और इसमें बड़े ही विचित्र तरीके से वृद्धि हो रही है; एक तर्कसंगत बैंकिग प्रणाली उपलब्ध कराने तथा कुछ हद तक सामाजिक नियंत्रण रखने के लिए बैंकिग प्रणाली को पुर्नगठित करने के लिए एक नया बैंकिग आयोग होना चाहिए।

इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र का विकास हो रहा है। मैं सरकारी क्षेत्र का पक्षधर हूं लेकिन सरकारी क्षेत्र को उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बजाय अर्थ-व्यवस्था में शीर्ष स्तर पर होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि यह सामान्य उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उपभोक्ता उद्योग में सरकारी क्षेत्र के स्थान की समीक्षा करें।

महोदय, अन्त में प्रौद्योगिकी के संबंध में हम विदेशी निवेश के अन्तर्गत उच्च प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं। महोदय, तत्काल परिणाम लाए बगैर उच्च प्रौद्योगिकी से श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं और फिर विदेशी निवेश गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हो रहा है, यह उपभोक्ता वस्तुओं पर लगाया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

महोदय, काला धन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कर-चोरी अत्यधिक है। मैं जानता हूं कि एक चुनावी वर्ष के दौरान माननीय मंत्री अधिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस काले धन को बाहर निकालने के लिये मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहूंगा। काले धन को सामाजिक रूप से उपयोगी क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आम आदमी के लिये सामान्य आवासों, चालों आदि में निवेश की छूट होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न न पूछा जाए कि यह धनराशि कहां से आई है। इसी प्रकार संचार, परिवहन, रेलवे अथवा विद्युत जैसे बुनियादी कार्यों के विकास के लिए बॉंडों पर निवेश को छूट मिलनी चाहिए। सम्भवत: इससे हम मौजूद काले धन का उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे और कम से कम देश के लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे जिस पर हम नियन्त्रण नहीं कर सके हैं।

महोदय, अन्त में मैं रियायतों पर आता हूं, जिन रियायतों का माननीय मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इस सभा में उल्लेख किया है वे मुश्किल से ही समस्या को छूती हैं। वे वास्तव में समस्या की गहराई में नहीं गई हैं और आम आदमी को प्रभावित नहीं करती हैं। फिर भी एक मुद्दे का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अर्थात् कागज और गत्ते पर रियायतें, क्योंकि इससे वास्तव में देश का भविष्य प्रभावित होता है।

नि:सन्देश माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष एक बुद्धिमत्तापूर्ण बजट देने का प्रयास किया है। लेकिन इससे हम अपने स्वप्नों के समाजवानी समाज की ओर नहीं पहुंचते हैं। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री यह दावा करेंगे कि यह समाजवादी बजट है। यह एक लोकप्रिय बजट है। यह चुनावी वर्ष का बजट है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह बजट फिर भी एक समाजवादी बजट नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। वित्त विधेयक में भाग लेने वाले सदस्यों की चर्चा में सबसे अधिक आम मांग कराधान प्रस्तावों विशेषकर आय-कर से सम्बन्धित रही है। मैं स्वयं को भी इस मांग से सहमत पाता हूं कि स्थिति का तकाजा है कि हमें 18,000 रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये कर देना चाहिये। नि:सन्देह फिलहाल यह सच है कि विभिन्न कटौतियों और छूट के बाद 36,000 रुपये की आय वाले व्यक्ति कोई आय-कर नहीं देता है। लेकिन फिर भी मौजूदा 18,000 रुपये तक की छूट सीमा बहुत कम है और वेतनभोगी वर्ग इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। मैं आपके

ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस देश में वेतनभोगी वर्ग सबसे ईमानदार कर-दाता हैं क्योंकि आय-कर स्रोत पर ही काट लिया जाता है। यदि देश में सबसे अधिक ईमानदार लोगों का वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो तो आप उनकी तकलीफों का अनुमान लगा सकते हैं और मैं भी चाहता हूं कि आपके हाथों से उन्हें कुछ राहत दी जाए।

पहाड़ी राज्यों के साथ विशेष व्यवहार पर एक टिप्पणी की गई है, मैं इस बारे में दो या तीन बातें कहना चाहूंगा।

पहाड़ी राज्यों और विशेष श्रेणी राज्य के रूप में जो राज्य जाने जाते हैं, वहां पर अधिकतम केंद्र सरकार के कर्मचारी यह शिकायत करते हैं कि राज्य सरकार ने तो अपने कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता दे दिया है लेकिन केन्द्र सरकार पहाड़ी भत्ता देने के लिए 1,000 मीटर ऊंचाई के बुनियादी मानवण्ड को जारी रखे हुए है। इसके परिणामस्वरूप एक विसंगति पैदा होती है कि राज्य सरकार में समान पद पर नियुक्त लोगों को केन्द्र सरकार की सेवाओं में बराबर के पदों पर नियुक्त लोगों से अधिक वेतन मिल रहा है। अब यह मानदण्ड कि 1000 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान पर ही पहाड़ी भत्ता मिलेगा भ्रामक है क्योंकि ऐसे स्थान हैं जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से दूर है परन्तु वास्तव में एक नदी तल पर स्थित है, वहां महंगाई अधिक होगी। इसलिए, मैंने यह सुझाव दिया था और वेतन आयोग को लिखा भी था, सदस्यों से मिला था और यह ज्ञापन भी दिया था कि पहाड़ी भत्ता देने का यह मानदंड वास्तविक ऊंचाई पर आधारित नहीं होना चाहिए परन्तु उन सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। जिन्हें योजना आयोग ने पहाड़ी क्षेत्र माना है। क्योंकि इस देश में योजना आयोग को छोड़कर और किसी ने पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान नहीं की है। चूंकि योजना आयोग को कुछ क्षेत्रों की पहचान पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में करने का अधिकार है, जिन क्षेत्रों की पहचान वे पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में करते हैं कृपया वहां कार्यरत लोगों को यह सुविधा प्रदान कीजिए। फिलहाल यह हो रहा है कि वहां कार्यरत अधिकांश लोग अपना स्थानान्तरण कराना चाहते हैं। वहां बहुत अधिक महंगाई है। वे मैदानी क्षेत्रों में आना चाहते हैं। यदि आपके पास ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो काम करने के लिए तैयार हों और जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की बात सोचते रहते हों तो सेवाओं में सुधार नहीं होगा और कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं होगी।

इसी प्रकार, पहाड़ी क्षेत्रों के साथ किये जाये वाले व्यवहार को देखिये। मुझे खुशी है कि 1965 में राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग ने योजना की ओर एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। पहाड़ी राज्यों के साथ विशेष व्यवहार किया गया था, उन्हें विशेष श्रेणी, राज्य का दर्जा दिया गया था और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। परन्तु दो तरह की योजनाओं का आविष्कार करना पर्याप्त माना गया। पहली यह है कि कुछ आधारभूत सुविधायें जैसे डाकघर खोलना या कुछ गांवों के समूह में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलना इत्यादि प्रदान करने में कुछ मानदण्डों में ढील दी गई। यह इस इसलिए भी हो सकता है कि आपके यहां जनसंख्या कम है और इसलिए दूरी में रियायत देकर आपको इसके लिए छूट दी गई है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मूलभूत विचार समय-समय पर बदलता रहता है। एक ऐसा समय था जब गांव में टेलीफोन का प्रावधान एक आधारभूत आवश्यकता थी। परन्तु अब एस० टी० डी० एक आधारभूत सुविधा

हो गई है। आप जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों, राज्यों की राजधानियों को उपखण्ड मुख्यालयों तथा खण्ड मुख्यालयों से एस० टी० डी० द्वारा जोड़ रहे हैं। परन्तु दूर-संचार विभाग इसे आधारमूत सुविधा मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। वे सोचते हैं कि यह एक आधारमूत सुविधा नहीं है और आधारमूत सुविधा गांवों में केवल एक एल० डी० पी० टी० देना ही है। इसी प्रकार डाकघर का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में है। वे इसे एक आधारमूत आवश्यकता नहीं मानते हैं। वे कहते हैं "नहीं। एक शाखा कार्यालय खोलना पर्याप्त है परन्तु, दर्जा बढ़ाना एक आधारमूत सुविधा नहीं है।" जबकि कार्य का स्तर एक बी० ओ० की अपेक्षा एक दर्जा बढ़ाये गये डाकघर में लंबी अवधि के लिए बहुत बेहतर है और उच्च श्रेणी तथा बेहतर किस्म का है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के लिए, आप कार्यभार वाली प्रशासकीय इकाइयों का कम शर्तों पर दर्जा बढ़ाने में यह छूट देने की संभावना पर विचार कीजिए क्योंकि जब तक ये प्रशासकीय इकाईयां नहीं होंगी तब तक आप इन क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं कर सकते। वित्त मंत्री जी, आप मिजोरम जैसे राज्य के लिए एक स्वतन्त्र विधानसभा, एक राज्यपाल तथा एक उच्च न्यायालय की मंजूरी देने के लिए तैयार हैं। वहां एक राज्यपाल है, स्वतन्त्र विधान सभा है और सारा साजो-समान है। परन्तु आप वहां दूरसंचार के लिए एक निदेशक के पद की अनुमति नहीं देते अथवा एक डाक सेवाओं के लिए एक निदेशक के पद की अनुमति नहीं देते क्योंकि यह मानदण्ड के अनुरूप नहीं है। यही बात गोवा तथा अन्य छोटे राज्यों के साथ है। इसलिए केवल राज्य सूची में प्रजातांत्रिक ढांचे का क्या अर्थ है। उन्हें इसे केन्द्र सूची में भी रखना चाहिए। कुछ समय पहले योजना मंत्री ने पहाड़ी राज्यों के सांसदों के साथ बैठक रखी थी और हम सभी वहां गये थे। श्री सुखराम, जो अब खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री हैं उस समय योजना मंत्रालय में उपमन्त्री थे। हमने उनके सामने आधारमूत प्रश्न रखा। "मेहरबानी करके हमें स्वतन्त्रता से लेकर अब तक पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्रीय योजनाओं तथा परियोजनाओं के कार्यान्वियन में केन्द्र सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा किए गए निवेश के आंकड़े दीजिए।" इस बात पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी वे कहते हैं कि "हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं।" आप पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए योजना की शेखी मारते हैं और कहते हैं कि राज्यों को धनराशि दे दी गई है। परन्तु वह राज्य क्षेत्र है। रेलवे का क्या हुआ ? अन्य परियोजनाओं का क्या हुआ ? इसलिए कार्यभार के अनुरूप सुविधाओं के दर्जा बढ़ाने तथा खोलने में रियायत तथा हमारे विभाग के लिए आवंटित धनराशि दी जानी चाहिए। वित्त मन्त्री जी, हमें यह जानना चाहिए कि रेल मन्त्रालय इन परियोजना क्षेत्रों में नई रेल लाइनों पर क्या खर्च कर रहा है। 20 वर्ष से परियोजनायें लटकी हुई हैं। कोई भी रेल लाइन पूरी नहीं हुई है क्योंकि इन क्षेत्रों को बहुत कम प्राथमिकता मिलती है। औद्योगिक क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता मिलती है। परियोजनामूलक रेल लाइनों को उच्च प्राथमिकता मिलती है। यदि औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों जो महानगर हैं जो औद्योगिक केन्द्र हैं और व्यवसाय तथा वाणिज्य के केन्द्र हैं, हेतु धनराशि प्राप्त करनी है तो पहाड़ी क्षेत्र की उपेक्षा हो गई। मरुस्थल क्षेत्र की अनदेखी हो गई। संतुलित विकास की अनदेखी हो गई। क्षेत्रीय विकास का सिद्धान्त समाप्त हो गया। परन्तु मुझे बताया गया है कि सरकार का यह उद्देश्य नहीं है और सरकार क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा पहाड़ी क्षेत्रों तथा राज्यों जो "विशेष श्रेणी राज्यों" के अन्तर्गत आते हैं को यथा न्याय

देने के लिए प्रत्येक केंद्रीय विभाग को जागृत करने तथा सहयोग करने की आवश्यकता महसूस करती है।

हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। इसका एक भाग पंजाब में था। हमारे मुख्यमन्त्री 80 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित करने के लिए निवेदन कर रहे हैं क्योंकि यह भाग हमारे पास पंजाब से आया है। जब कभी पंजाब सरकार अपने वेतनमान जारी करती है तो यह भार स्वतः ही हिमाचल सरकार के कन्धों पर पड़ता है। हिमाचल सरकार की कोई नहीं सुनता। हमारी विधान सभा की कोई नहीं सुनता। हमारे लोगों की कोई नहीं सुनता। पंजाब के कर्मचारियों को जो कुछ मिलता है, वह स्वतः ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल जाता है और हिमाचल सरकार को यह भार वहन करना पड़ता है। इसलिए हमारे मुख्यमन्त्री जी आपसे निवेदन कर रहे हैं और वह आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल चुके हैं और कहा है कि हमें यह राहत दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश से सभी सांसदों ने भी बार-बार यह निवेदन किया है। वे प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं और उनसे यह निवेदन किया है। मुझे आशा है कि कम-से-कम आज जब सभा वित्त विधेयक को पारित कर देगी तो आप हिमाचल प्रदेश को यह थोड़ी-सी धनराशि दे देंगे ताकि राज्य को बिना अपनी गलती के, एक ऐसे सम्पर्क के कारण जो ऐतिहासिक है, हानि न उठानी पड़े।

मैं एक या दो बातों की ओर संकेत करना चाहता हूं जिनकी तत्काल प्रासांगिकता है। अल्प बचत एक क्षेत्र है जिसमें आपने अच्छा कार्य किया है। इस समय, आपके पास घरेलू पक्ष से अल्प बचत है, गैर सरकारी निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र से बचत है और यह इन क्षेत्रों के कुल घरेलू उत्पाद की लगभग 21% है। परन्तु अल्प बचत संग्रहकर्त्ता संस्थायें डाकघर हैं। आप इन डाकघरों, जो अल्प बचत संग्रहकर्त्ता हैं की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि डाकघरों द्वारा एकत्र किये गये 1000 रुपये की लागत की तुलना बैंकों द्वारा एकत्र किए गए 1000 रुपये की लागत से कीजिए। आयकर से एक रुपया एकत्र करने के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं? डाकघर से एक रुपया एकत्र करने के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं? आप बैंक इत्यादि अन्य संस्थाओं से एक रुपया एकत्र करने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? यदि आप इसकी तुलना करें तो आप देखेंगे कि डाकघरों को पर्याप्त पारिश्रमिक अथवा संस्थागत पारिश्रमिक, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, नहीं मिल रहा है। अतः वे बेहतर सौदे के योग्य हैं। इसलिए, मैं उन्हें किसी प्रकार की राहत देने के लिए भी निवेदन करता हूं। बात यह है कि दलाली में वृद्धि की जानी चाहिए और उन्हें अधिक नियंत्रण दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार मामले का दूसरा पहलू भी है। आपके आयकर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। परन्तु अब वह वचनबद्धता लुप्त होती जा रही है। वह इसलिए लुप्त होती जा रही है क्योंकि आप उन्हें आधारभूत ढांचा प्रदान नहीं कर रहे हैं। बिना अपना कार्यक्रम घोषित किये मयूर भवन में आयकर अधिकारियों के निजी वेतन मण्डल संग्रहण के दौरे से आपको ज्ञात होगा कि उन्हें किन अमानवीय दशाओं में काम करना पड़ता है। दो या तीन अधिकारी एक कमरे में बैठते हैं। यहां तक कि कोई टेलीफोन भी नहीं सुन सकता है। लगभग पांच अधिकारियों के पास एक टेलीफोन

है जिसके परिणामस्वरूप गम्भीरता लुप्त होती जा रही है। वे कार्य को रोजमर्रा के कार्य की भांति लेते हैं। एक समय था जब आयकर अधिकारी जानता था कि उसके क्षेत्र में उसे दिए गए मंडल में क्या हो रहा है। परन्तु अब वह सारी लगन लुप्त हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें बेहतर सुविधायें प्रदान करें, उनकी सेवा शर्तों तथा आधारभूत सुविधाओं की ओर ध्यान दें। आपकी सूचना के लिए, मैं कह सकता हूं कि जो लोग आपके लिए धन एकत्र कर रहे हैं, यदि उन्हें आपकी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन न मिले, आपकी ओर से कोई सुविधायें न मिले, तब इसे अन्य कौन प्राप्त करेगा ?

2.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं चाहता हूं कि आप दोनों वर्गों के लोगों के लिए कुछ करें और उनमें से एक वर्ग भूतपूर्व सैनिकों का है। मैं श्री के० पी० सिंहदेव की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, जब वह उच्च अधिकार समिति के बारे में कह रहे थे, जिसके कि वह सभापति थे और मैं भी उसका एक सदस्य था। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। यह दुर्भाग्य की विडम्बना थी कि उस समिति के सभापति भारत सरकार के राज्य मंत्री थे; उसे रिपोर्ट देनी थी और उसमें यह शर्त थी कि उसकी समीक्षा अधिकारियों द्वारा की जाती चाहिए और अब अधिकारी यह कहते हैं कि यह बात सम्भव नहीं है। यह देखकर हमें बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही लोग, जो कि विभाग के प्रभारी हैं, जब उन्हें अन्य विभागों में भेज दिया जाता है, वे अपनी सिफारिशों को अस्वीकार कर देते हैं। मै इस मुद्दे पर बहुत बातें नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक एक बात कहना चाहता हूं। हमें इसके व्यापक पहलू को देखना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराना हम सभी का काम है। इस क्षेत्र में सुधार की बहुत गुंजाइश है और आपको अपने फायदे के लिए इसे करना चाहिए। वह एक अनुशासित सेना है, एक ऐसी सेना जोकि हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित है। अतः एक पद, एक पेंशन की मांग बहुत पुरानी है। यह कहना ठीक नहीं है कि सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा इसकी मांग की जाएगी, देश भर में कार्य करने वाले कर्मचारी राज्य सेवा, सरकारी क्षेत्र की यूनिटों से और केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं। ऐसी बात नहीं है। वहां उनकी सेवा शर्तें भिन्न हैं। यहां सेवा शर्तें बिलकुल भिन्न हैं। अतः सेना में सेवा के दौरान आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए, आप इस संभावना पर विचार कर सकते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। जो मुद्दा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें अधिक तर्क नहीं हैं क्योंकि बहुत-से मुद्दे उच्चतय न्यायालय में विचाराधीन हैं जिनके बारे में भारत सरकार निर्णय लेती है। यदि सरकार की ऐसी इच्छा है और वह ऐसा करना चाहती है तो वह निर्णय ले सकती है। निर्णय लेना माननीय मन्त्री के ऊपर है। मैं यहां इस मुद्दे पर प्रकाश डाल रहा हूं क्योंकि इस बार रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं हुई। अतः इस मुद्दे पर प्रकाश डालना पड़ा। उच्चाधिकार समिति ने 'एक पद एक पेंशन' की सिफारिश की थी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और एक संसदीय समिति का गठन करें जो यह देखे कि इन सभी रियायतों का सही फायदा दिया जाए और उनकी सही समीक्षा की जाए।

माननीय मंत्री से मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि वह कृपया ग्रेड के बारे में चट्टोपाध्याय आयोग रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करने के लिए राज्यों को राजी करें। इस देश में, जब आपने शिक्षा के सम्बन्ध में धूमधाम से राष्ट्रीय नीति को अपना लिया है, और जब संविधान में संशोधन किया गया था, जब शिक्षा को समवर्ती विषय बना दिया गया था, तो अध्यापकों को यह आशा थी कि कम-से-कम केंद्रीय सरकार देश भर में परिलब्धियों और ग्रेडों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्राथमिक कर्तव्य को पूरा करेगी और जो फायदा उन्हें अब तक नहीं मिल रहा था, वह उन्हें दिया जाएगा और अन्य सभी एकरूपताओं के लिए प्रतीक्षा की जा सकती है। लेकिन कम-से-कम आन्ध्र और हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों को तथा असम और नागालैंड के अध्यापकों को और मणिपुर तथा उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को एक जैसा वेतन और एक जैसा पद मिलना चाहिए। अतः अध्यापक और भूतपूर्व सैनिक, ये दो श्रेणियां हैं जो आपसे यह चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। वे आपसे सहानुभूति की आशा रखते हैं। आपने बहुत-सी रियायतें दी हैं और मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जब मैंने नए डाकघर खोलने का मामला आपके पास भेजा था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी पहल से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों के लिए अर्थात् 6,000 डाक घरों की मंजूरी दी थी, वह फाइल आपके मंत्रालय में अड़ गई थी और अपने व्यक्तिगत रूप से पहल करके आपने वह फाइल निकाल दी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल डाक सेवा डिवीजन का मामला आपको संचार मन्त्री ने भेजा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष डिवीजन के बारे में आपको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। मुझे आशा है कि आप उस डिवीजन के लिए स्वीकृति दे देंगे। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि इस समय डाक छटाई के प्रबन्ध के लिए हिमाचल प्रदेश का आधा भाग पंजाब के अन्तर्गत आता है और दूसरा आधा भाग हरियाणा के अन्तर्गत आता है, यदि यह हिमाचल प्रदेश डिवीजन बन जाता है, तो पूरा हिमाचल प्रदेश एक यूनिट होगा। अतः हम चाहते हैं कि पहाड़ी राज्यों को उन राज्यों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए जो इससे पहले इससे अलग हुए थे। और उन्हें उन्हीं लोगों की मर्जी पर नहीं छोड़ देना होगा जो यह सोचते हैं कि ऐसे क्षेत्रों को पुनः अपने क्षेत्र में मिलाया जाए। पहाड़ी लोग आपसे बेहतरी की आशा करते हैं। और वित्त मन्त्री के नाते आपसे विशेषकर हिमाचल प्रदेश और आमतौर पर अन्य सभी पहाड़ी राज्य यह आशा करते हैं कि उन्हें अपना उचित हिस्सा मिलेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं बजट को नई दिशा देने के लिए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। आपने कठिन परिश्रम किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। आपने जो सभी रियायतें दी हैं तथा मैंने जो सुझाव दिए हैं उनके साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्त मन्त्री द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए प्रस्तुत किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक लोकप्रिय और निर्धन लोगों को लाभ प्रदान करने वाला बजट है और इसमें घाटा गत वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम है।

हमारे प्रधानमंत्री ने 27-4-89 को जवाहर रोजगार योजना नामक एक स्कीम शुरू की है। आई० आर० डी० पी०, आई० टी० डी० ए० आदि जैसे वर्तमान गरीबी-रोधी कार्यक्रमों के अलावा गरीबी को समाप्त करने की दिशा में एक और कदम है। इसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक निर्धन परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा; इससे देश भर में 440 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यह कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा जो इस संबंध में योजना तैयार करेंगी और वे इस योजना को ठीक तरह से और क्रमिक रूप से लागू करेंगी।

इससे जनजाति क्षेत्रों में रोजगार पर लगाए गए लोगों के लिए सरकारी भवनों, सड़कों तथा का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 13.5 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों के और 4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों के भवन नहीं हैं। जनजाति क्षेत्रों में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। 20 से 30 प्रतिशत स्कूलों के अपने कोई भवन नहीं हैं। वे पेड़ के नीचे अथवा खुले सार्वजनिक स्थानों पर बैठते हैं और शिक्षा का कार्य चलता रहता है। इसी वजह से जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत घटिया है। जनजाति क्षेत्रों में जनजाति लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। वे अपने बच्चों को लकड़ियां चुनने अथवा पशुओं को चराने के काम में लगाते हैं। उड़ीसा सरकार ने ठहरने और खाने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक पंचायत में होस्टल की व्यवस्था करने के लिए 1200 होस्टल शुरू किए हैं। उन्होंने लगभग सभी पंचायतों में होस्टलों का कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन ठहरने और खाने की इस सुविधा पर काफी धन खर्च होगा और राज्य सरकार इस खर्च को पूरा नहीं कर पाएगी। मुझे आशा है कि कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्री राज्य सरकार को उन्हें अपने प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में उनकी सहायता करेंगे।

भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय के माध्यम से विशेषकर राजस्थान में जहां लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बहुत ही कम है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले निर्धन लोगों को प्रोत्साहन भत्ता देने की पेशकश की है। वे कहते हैं कि वहां साक्षरता की प्रतिशतता केवल दो है। लेकिन यह केवल राजस्थान के लिए ही सीमित नहीं होना चाहिए क्योंकि देशभर में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में ऐसी ही स्थिति है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जनजाति क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता की प्रतिशतता 5 से कम है और लड़कों की 10 प्रतिशत है। माता-पिता के लिए प्रोत्साहन देने की इस योजना को सभी जनजाति क्षेत्रों में शुरू किया जाना चाहिए जहां पर साक्षरता प्रतिशत बहुत ही कम है।

मैं अब जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने की विषय की ओर आता हूं। आठवें वित्त आयोग ने जनजाति क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मुआवजे भत्ते के रूप में 30 करोड़ रुपए दिए थे। यह भत्ता उन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय—हतोत्साहित करने वाला सिद्ध हुआ क्योंकि रिपोर्ट में उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि उन्हें वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के उचित आंकड़ों के बारे में पता नहीं लग सका है। यही वजह है कि वे उचित धनराशि का आवंटन नहीं कर सके हैं। यह धनराशि आवंटन जनजाति क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों में बांटने के लिए बहुत ही कम थी। यह धनराशि केवल कुछ थोड़े-से लोगों में ही बांटी गई थी। बहुत से लोग असन्तुष्ट थे क्योंकि उन्हें यह राशि नहीं मिली थी। यदि वे इस योजना को उचित ढंग से कार्या-

न्वित करना चाहते हैं, तो धनराशि का आबंटन वहां पर व्याप्त दरों के अनुसार, सही तरीके से और कर्मचारियों के लिए उचित तरीके किया जाना चाहिए। मैं कुछ अन्य संसद सदस्यों के साथ नौवें वित्त आयोग को मिला था और एक ज्ञापन दिया था। हमने राज्य सरकार को भी ज्ञापन दिया था कि वह जनजाति क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची दे ताकि वे सूची तैयार कर सके और इन लोगों के लिए उचित धनराशि का आबंटन कर सके।

मैं बैंकिंग व्यवस्था के विषय की ओर आता हूं। जनजाति क्षेत्रों में, बैंक के लोग गरीबी-रोधी सभी कार्यक्रमों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं जैसाकि अन्य स्थानों पर लिया जाता है। बहुत से लोग ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें ऋण वापस करने के लिए परेशान किया जा रहा है। वे कुछ कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि विशेषकर जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय सामान ब्याज लिया जाना चाहिए ताकि वे ऋण को आसानी से वापस कर सकें और उन्हें परेशानी न उठानी पड़े।

जनजाति क्षेत्रों में वहां छोटे वनों और कृषि उत्पाद की वसूली के लिए टी० डी० सी० सी० हैं। वे भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। राज्य सरकार उनकी सहायता करती है। टी० आर० आई० एफ० ई० डी० (ट्राइफेड) एक जनजाति विकास सहकारी परिसंघ है जिसका गठन कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया गया है। यह जनजातियों के लोगों को वन उत्पाद और कृषि उत्पाद पैदा करने और उनके लिए उन्हें लाभकारी मूल्य देने के लिए तथा देश के अन्दर और बाहर विपणन करने के लिए प्रत्येक राज्य में टी० डी० सी० सी० की शाखाओं की सहायता करने जा रही है।

महुआ फूल एक ऐसी वस्तु है जिसे आदिवासी लोग काफी मात्रा में इकट्ठा करते हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है। उन्हें अपने वस्त्रों और भोजन के लिए वसंत के मौसम में धन मिलता है। पिछले वर्ष बहुत से लोगों ने इन फूलों से शराब निकाली और उड़ीसा सरकार ने किसी भी व्यक्ति को इस शराब को खरीदने के लिए लाइसेंस देने से इंकार कर दिया। उन्होंने अवैध रूप से शराब बनाए जाने को रोकने के लिए टी० डी० सी० सी० को महुआ के फूल खरीदकर उन्हें जिले से बाहर भेजने के अधिकार दिए। संसाधनों की कमी के कारण टी० डी० सी० सी० द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे प्रत्येक राज्य में ट्राइफेड और टी० डी० सी० सी० को उचित सहायता उपलब्ध कराएं।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में दण्डकारण्य परियोजनाओं के तहत सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। यह योजना 15 वर्ष पहले शुरू की गई थी और इसकी लागत 16 करोड़ रुपए आई थी। किन्तु इस सिंचाई परियोजना के कार्यान्वियन और संचालन का काम इतना धीमा रहा कि इसे पूरा नहीं किया जा सका और इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया है। सिंचाई परियोजना पूरी हो चुकी है, किन्तु नहर का काम अधूरा है। कुछ हद तक उन्होंने यह काम किया है; लेकिन अब उन्होंने पुन: इसकी लागत 83 करोड़ आंकी है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने इसकी लागत 83 करोड़ रुपये आंकी है। यह परियोजना 16 करोड़ की लागत से शुरू हुई थी और अब यह राशि बढ़कर लगभग 83 करोड़ रुपए हो गई है। इस परियोजना के कार्यान्वियन और संचालन में विलंब

होने से इसकी लागत बढ़ गई है। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह इसके लिए शीघ्र ही धन की मंजूरी दें ताकि इस परियोजना को आसानी से पूरा किया जा सके और आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।

देश के प्रत्येक भाग में पेय जल की कमी है और हर रोज हम समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि हर जगह पेय जल की कमी है। भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है और ट्यूबवैल की लागत बढ़ गई है। इसीलिए राज्य सरकारें पेय जल की मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद के लिए आगे नहीं आती, तब तक राज्य के लिए पेय जल की समस्या को दूर करना संभव नहीं है।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन बातों पर ध्यान देंगे और इनके लिए अधिक धन देंगे।

श्री नित्यानंद मिश्र (बोलनगीर) : महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ रियायतों की घोषणा की है, जिनका जनता ने बहुत स्वागत किया है।

विनाशकारी सूखे के बाद, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में आर्थिक उपलब्धि गत वर्ष उल्लेखनीय थी। आर्थिक विकास भी बहुत अच्छा रहा है। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। करोड़ों युवक बेरोजगार हैं, तथा वे आर्थिक रूप से असुरक्षित और निराशा महसूस कर रहे हैं। इससे सामाजिक और राजनैतिक तनाव बढ़ सकता है। अतः सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए तथा इन करोड़ों बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार जुटाने के कार्योपाय ढूंढ़ने चाहिएं।

सिंचाई रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब किसी भूखण्ड को सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है तो उसमें एक फसल की बजाय तीन फसलें हो सकती हैं, खेती का काम भी तीन-गुना बढ़ जाता है और रोजगार के अवसर भी तीन गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए यदि सिंचाई के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाए और इसे प्राथमिकता दी जाए तो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। शिक्षित बेरोजगार सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। उन्होंने कोई व्यावसायिक शिक्षा या कौशल या प्रशिक्षण नहीं लिया होता है। अतः उनके लिए अपने पांव पर खड़े होना और स्व-रोजगार का प्रयास करना कठिन है। यह उचित समय है जब केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करना चाहिए।

हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने तीन दिन पहले इस सम्माननीय सभा में जो जवाहर रोजगार योजना पेश की है इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें भारत की ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष जोर दिया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि हम सभी का यह विचार था कि इस रोजगार कार्यक्रम का नाम आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा जाए।

लोगों के मन में भारी असंतोष और कड़वाहट पैदा होने का कारण है प्रादेशिक असमानता

और असंतुलन का बढ़ते जाना। हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो बहुत अविकसित और पिछड़े हुए हैं, विशेष रूप से कई पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां की भूमि उपजाऊ नहीं है या वहां पर कृषि में सुधार के लिए सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं; जहां औद्योगिक विकास के लिए संचार सुविधा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोग बसे हुए हैं जो बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन लोगों के मन में यह भावना है कि उनके साथ पक्षपात किया गया है और विकास और समृद्धि के मामले में उन्हें बराबर के हिस्से से वंचित रखा गया है। इससे उनके मन में प्रादेशिक भावना और सतत भावात्मक अलगाव उत्पन्न हो गया है। जो देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। अतः सरकार देश के पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए कार्योपाय करने चाहिएं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि आय कर पर छूट की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जानी चाहिए क्योंकि मुद्रा-स्फीति के कारण धन का मूल्य ह्रास हुआ है। इस तर्क में कुछ औचित्य है। सरकार को छूट सीमा को मूल्य सूचकांक से जोड़ने की संभावना पर विचार करना चाहिए ताकि जैसे-जैसे मूल्यों में वृद्धि हो छूट की सीमा भी बढ़ जाए।

हमारा निर्यात संबंधी कार्य-निष्पादन प्रशंसनीय रहा है किन्तु हमने यह देखा है कि आयात भी बहुत अधिक बढ़ गया है जिससे व्यापार घाटा चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच गया है। इसलिए जहां भी हो सके आयात से बचना चाहिए। हम विदेशों से कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियां आयात कर रहे हैं जो बहुत पुरानी हैं और उनके देश में तो उन्हें अपनाया ही नहीं जाता। हमें ऐसी प्रौद्योगिकियों का आयात करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।

यहां ऐसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां और बड़े औद्योगिक घराने हैं जो हमारे देश के बाजार में संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और काफी मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें देश की अर्थ-व्यवस्था के हित में कुछ निर्यात वचनबद्धताओं के लिए ही सीमित रखा जाना चाहिए। कुछ औद्योगिक गृह ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है और उसमें मुनाफा भी काफी होता है। वे अपने लाभ के लिए काला धन पैदा करना चाहते हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी की उन्नति और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्य पर वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपने सभी संसाधन लगा देने चाहिएं ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके। हमने देखा है कि कुछ वर्षों में प्रशासनिक व्यय बहुत बढ़ गया है तथा प्रशासन की कार्यकुशलता की स्थिति बिगड़ी है।

हमारे विकासात्मक कार्यक्रम काफी अच्छे हैं और वे बहुत स्वागत योग्य हैं। उनके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन है किन्तु हमने देखा है कि कार्यान्वयन पूरे मन से नहीं किया जा रहा है। इसलिए प्रशासन का कार्य सरल और कारगर बनाने, प्रशासनिक व्यय को कम करने और जहां भी संभव हो बेकार के खर्च समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

हमने देखा है कि विदेशी ऋण की स्थिति बहुत खराब हो गई। ऋण की राशि बहुत बढ़ रही है और विदेशी ऋण राशि का प्रयोग हम इस राशि को चुकाने में करते हैं। हमें विदेशी ऋण के बोझ को कम करना चाहिए और उस दिशा में कदम उठाने चाहिएं।

हमने देखा है कि हमारे देश में जो भी उद्योग हैं उनमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो मध्य वर्ग उच्च मध्य वर्ग, और धनी वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। जब हमारे देश की अधिकांश जनता बहुत गरीबी का जीवन बिता रही है, जब वे जीवन-निर्वाह की मूल आवश्यकताओं से भी वंचित हैं और जब वे घटिया जीवन बिता रहे हैं, ऐसे समय में राष्ट्र के संसाधन समाज के सम्पन्न वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं जुटाए जाने चाहिएं।

अतः सरकार को यह देखना चाहिए कि सबसे पहले उन वर्गों की मूल और प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए जो बहुत गरीब हैं। अधिक विशेष वर्ग की आवश्यकताओं पर बाद में विचार किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन और स्वागत करता हूं। यह वित्त विधेयक प्रगतिशील है। मैंने सन् 1947 से पहले का समय देखा है। इस चालीस साल की अवधि में देश की ज्यादा-से ज्यादा प्रगति हुई है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पुल और रोड्स का मामला हो और चाहे बिजली का मामला हो। आज से 40 साल पहले देश के अन्दर कृषि का वह हाल था कि देश में जब बरसात होती थी, तो गल्ला पैदा होता था, लेकिन कई-कई बार हमने वह समय भी देखा है कि देश में अकाल पड़ता था; लाखों आदमी गल्ले के बिना भूखों मर जाते थे। लेकिन केंद्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों ने सिंचाई की कई योजनाएं बनाई हैं। कई बांध और नहरें बनाई हैं। इस कारण अब देश में काफी गल्ला पैदा होता है और यही नहीं, देश से बाहर भी गल्ला भेजा जाने लगा है। विदेशों में भी अब यहां से गल्ला निर्यात किया जाता है। इसके लिए किसान और वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं।

महोदय, देश में बिजली के सम्बन्ध में भी बहुत प्रगति हुई है। जहां देश के अन्दर पहले बिजली पैदा नहीं होती थी, वहां अब चालीस साल की आजादी के अन्दर बहुत बिजली पैदा होने लगी है। शहरों में तो अब बिजली है ही, लेकिन गरीबों की मड़ैया में भी अब एक लट्टू का कनेक्शन लगाया जा रहा है। इस बिजली के कारण हमारे देश में काफी उद्योग और किसानों के काफी ट्यूबवैल लगे हैं। इसी बिजली के कारण देश में गल्ला भी काफी पैदा होने लगा है।

महोदय, आज से चालीस साल पहले हमने देखा था कि देश के अन्दर आवागमन के साधन नहीं थे। नदियों पर पुल नहीं थे और सड़कें भी नहीं थीं और जो थीं वे ऐसी थीं जहां डम्बरीकरण नहीं था, लेकिन केंद्रीय सरकार ने 40 साल के अंदर काफी यातायात की सुविधा दी है। मैं केंद्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में बधाई देता हूं। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी, माननीय तिलक, चन्द्रशेखर आजाद, जो हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हुए, उन्हीं के कारण यह देश आजाद हुआ और अगर आज हम आजाद नहीं होते और अंग्रेज यहां रहे होते, तो इतनी प्रगति कभी नहीं हो सकती थी। आज देश में जो प्रगति हो रही है, इसके लिए मैं हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री

पं० जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बधाई देता हूं। आज हमारा देश युवा प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बहुत प्रगति कर रहा है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, मैं इसके साथ ही साथ, कुछ अपने निर्वाचन क्षेत्र और प्रदेश की बात करना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में अगर देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल के नाते अगर देखा जाए, तो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है क्योंकि मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा है। अभी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा, कई पहाड़ी क्षेत्र हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां अभी भी यातायात की सुविधाएं नहीं हैं। अभी की किसानों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसा ही मेरा चंबल संभाग है। चम्बल सम्भाग का नाम तो आपने सुना होगा। चम्बल नाम तो पूरे देश में डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। सरकार उस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। वहां पर ऐसी कई नदियां हैं, जिनके ऊपर पुल नहीं हैं। वहां पर डाकुओं का संग्राम होता है। महोदय, आपने सुना होगा—पुतलीबाई, मानसिंह और पानसिंह आदि कितने ही डाकू उस क्षेत्र में हुए। उस पुल के बारे में मैंने पहले भी इस सदन में एक याचिका पेश की थी। लेकिन होता यह है कि बड़े-बड़े लोगों का काम हो जाता है लेकिन हम गरीब हरिजनों का काम कई बार निवेदन करने पर भी नहीं होता है। चम्बल पुल के बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना की है। यदि यह पुल अम्बाह-पोरसा तरसील के बीच में बन जाए तो आवागमन का साधन बन जाएगा और डाकुओं का जो संग्राम वहां होता है उस समस्या का समाधान हो सकता है। इस पुल से पुलिस के लिए भी और यातायात के लिए भी सुविधा होगी।

इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में काफी नदिया बह रही हैं और उनके कारण किसानों का गल्ला मंडियों तक नहीं पहुंच पाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 20 नदियां बह रही हैं लेकिन कई नदियों पर रपटा नहीं है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार से कहें कि छोटी-छोटी नदियों पर वह तत्काल रपटा बनाएं।

चम्बल सम्भाग में बहुत-सी जमीन बेकार पड़ी है। हिन्दुस्तान में कहीं भी इतनी जमीन बेकार नहीं पड़ी है। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि अगर उस क्षेत्र में एक पेपर मिल लगा दी जाए तो वहां हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसी के साथ-साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पांच विकास खंड हैं, इनके नाम हैं, केलारस, पहाड़गढ़, सबलगढ़, विजयपुर और करहाल। इन क्षेत्रों में सीमेंट बनाने के पत्थर का पूरा भण्डार है लेकिन यहां कोई सीमेंट फैक्टरी नहीं है। यहां से पत्थर दूसरे जिलों में शिवपुरी और भिंड में जाता है और सीमेंट उधर बनती है। सीमेंट की कोई फैक्टमी मुरैना में आज तक नहीं लग पाई है। यहा पर उद्योगपति इसलिए नहीं आते हैं कि यहां पर सब्सीडी 10 परसेंट मिलती है और दूसरी जगहों में 30, 35 परसेंट तक मिलती है। अगर यहां पर 30, 35 परसेंट सब्सीडी दी जाए तो वहां पर उद्योगपति सीमेंट की फैक्टरी लगा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करें।

सिचाई के सम्बन्ध में निवेदन यह है कि गांधी सागर हमारे यहां से 600 किलोमीटर दूर है और वहां से पानी आता है। हमारे क्षेत्र में छोटी-छोटी बहुत नदियां बहती हैं जैसे कुवारी, आसन,

पार्वती, कूनों वगैरह हैं, अगर इन पर लिफ्ट इरिगेशन कर कैनाल में पानी डाल दिया जाए तो उससे लाखों किसानों को फायदा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन के समक्ष प्रस्तुत वित्त विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से चारों ओर से उसका स्वागत हुआ है, जो महत्त्वपूर्ण बात थी। इस बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने के काफी प्रयास किए गए हैं जो कि महत्त्वपूर्ण बात है। बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए और सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं पर वित्त मंत्री ने कोई कर नहीं लगाया है, यह सराहनीय कदम है और उससे आगे जो उन्होंने टी० वी०, प्लास्टिक की वस्तुओं और कुछ अन्य चीजों पर जो रियायतें दी हैं, उनके ये कदम भी स्वागत योग्य हैं। ये सारी वस्तुएं मिडिल क्लास से सम्बन्धित हैं।

मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के साथ आपका अब तक सौतेला व्यवहार होता रहा है और बड़ी बेइन्साफी होती रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री को एक शेर भी सुनाना चाहूंगा।

3.00 म०प०

चाहे उद्योग का मसला हो आबादी के अनुसार, कभी उत्तर प्रदेश को पूरा हिस्सा नहीं मिल सका है। जब-जब मांग इस सदन में और सदन के बाहर रखी गई और अफसोस भी किया गया तो भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, में आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगाना चाहता क्योंकि हमारी समस्यायें काफी हैं और हमारा प्रदेश भी काफी बड़ा है। मुझे एक शेर याद आ गया—

"तबीतों से मैं क्या पुछूं इलाजे दर्दे दिल अपना,
मर्ज जब जिन्दगी खुद हो, तो फिर उसी दवा क्या है।"

लेकिन उसके बावजूद भी में मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं। हमें उनसे काफी उम्मीदें हैं। मैं 2-3 बड़े टेक्निकल मुद्दों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। समय-समय पर सरकार एग्जम्शन्स देती है—चाहे वह इनकमटैक्स पर दे, एक्साइज में दे या कस्टम में दे। होता यह है कि इन छूटों का लाभ कंज्यूमर्स को नहीं मिल पाता है। सारा का सारा लाभ ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ही मिल पाता है। अगर आप इसका सर्वे करायें तो आपको पता चलेगा कि प्रतिवर्ष आपका विभाग 00 करोड़ रुपये इन ट्रेडर्स और मैन्यु-फैक्चरर्स को एक्साइज ड्यूटी वापस करता है ऐक्सस के नाम पर जबकि एक्साइज ड्यूटी कंजयूमर से वसूल की जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो रिफंड मिलता है वह इन उद्योग-पतियों को कतई न दिया जाये, इसका अलग से फंड बना कर कंट्री का विकास किया जाये और उसे विकास कार्यों में खर्च किया जाये।

हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 16 जिले पिछले 5-7 वर्षों से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। हमारे यहां बुनकर एक समुदाय है जिसकी आज यह हालत हो गई है। नई

टेक्सटाइल पालिसी में सरकार ने 22 आइटम सुरक्षित रखे, जिसे पावरलूम नहीं बनायेगा जिसे मिल नहीं बनायेगी उनको सस्ते इंटरेस्ट पर कर्ज आदि देने की व्यवस्था भी की गई। एक कारपोरेशन भी बनाया गया और अनुदान की व्यवस्था सेण्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से की गई व उनको सूत मुहैय्या करने की व्यवस्था की गई। ये सारे के सारे कदम बड़े प्रशंसनीय रहे। लेकिन उनके गरीब होने का कारण क्या रहा और वह गरीब इसलिये होते गये कि जिस नम्बर के सूत से कपड़ा बनाया जाना चाहिये था वह कपड़ा कभी बना कर नहीं दे पाये। वह 32 नम्बर का सूत मांगते थे तो उन्हें जबर्दस्ती 42 नम्बर का सूत दिया गया और जब वे कपड़े बुनकर बेचने के लिये लाते थे तो कारपोरेशन उसे खरीदने के बाद उनका 6 महीने तक उनका पेमेंट नहीं करता था। अब आप ही बतायें कि गरीब आदमी कैसे इसमें पूंजी लगा सकता है और वह कैसे कपड़ा बना सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जिले जहां की आबादी मेरे ख्याल में दो-ढाई करोड़ होगी वह इसलिये भयंकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये कि उन्हें समय पर सूत नहीं मिला, समय पर उनके कपड़े का भुगतान नहीं हुआ और उन्हें बैंक द्वारा ऋण लेने में भी सैकड़ों बार चक्कर लगाने पड़े जिससे वर्किंग डेज का लॉस हुआ और पैसा भी उनका नष्ट हुआ। आप ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब तबके के लोगों को एप्लीकेशन देने के 5-7 दिन के बाद ही ऋण मिल जाये। ऐसा न हो कि उसे ऋण लेने के लिये बैंकों के पचासों चक्कर लगाने पड़ें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात इनकम टैक्स में छूट देने की बात है। जिस हिसाब से रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है उस हिसाब से 18 हजार रुपये की कोई कीमत नहीं रह गई है। अगर कानूनी रूप से इस अपर-लिमिट को और इस सीलिंग को आगे नहीं बढ़ायेंगे तो करप्शन बढ़ेगा, ब्लैकमनी जैनरेट होगी और इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जिसको हमारे अर्थशास्त्रियों ने और अन्य सभी लोगों ने यह माना है कि एक पैरेलल इकोनमी इस देश में चल रही है। इस पर काबू पाने के लिये आप इस 18 हजार की लिमिट को बढ़ाकर 25-30 हजार रुपये या जो भी मुनासिब समझें, बढ़ा दें।

तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि आज ब्लैक मनी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था हिल रही है इसलिए ज्यादा से ज्यादा छापे मारने की व्यवस्था की जानी चाहिए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, माननीय वित्त मंत्री जी, कि आज हिन्दुस्तान में कोई तबका ऐसा नहीं है जिसके पास बेशुमार कालाधन न हो, चाहे वह पान बेचने वाला हो, सब्जी तरकारी बेचने वाला हो या अधिकारी हो या राजनीतिज्ञ हो, किसी के घर आप छापा डलवाइये तो डिसप्रोपोर्शनेट इनकम मिल जायेगी, यह भ्रष्टाचार को कम करेगा, नेशनल करैक्टर को बिल्ड-अप करेगा। नंगा कर दीजिए उन बेईमानों को जिन्होंने इस देश के गरीब लोगों के साथ बेइन्साफी करके करोड़ों रुपये जमाकर रखे हैं, आपको जरूर छापे डालने चाहिएं और कड़े कदम उठाने चाहिएं। इस धन को निकालने पर आपको टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, हजारों अरबों रुपया आपको मिल सकता है जिससे सारे देश की उन योजनाओं को, जो पैसे के अभाव में नहीं चल पा रही हैं, विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको सहूलियत मिले।

मैं पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक निवेदन और करना चाहूंगा। सरकार ने बड़े प्रशंसनीय कदम उठाये हैं, मैं आपको बधाई दूंगा लेकिन उत्तर प्रदेश के जिलों में अभावग्रस्त गांवों

की जो सूची आपने बनवाई है, वह आपने 1972 में बनवाई है, तब से न मालूम कितनी जगह जहां आबादी नहीं थी, आबादी हो गई, गांव बढ़ गये, जनसंख्या बढ़ गयी, मकान बढ़ गये इसलिए 1972 के सर्वे के आधार पर प्राब्लम विलेजेज की सूची नाकाफी है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसको रिवाइज करके फिर से सूची बनाई जाय और अभावग्रस्त गांवों में पानी की व्यवस्था कराई जाय।

एक छोटा सा सुझाव मैं सरकार को और देना चाहता हूं। सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है कि किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए इन्सेक्टीसाइड्स पर सब्सिडी दी है, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी है, हाई ईल्डिंग वैरायटीज मुहैया कराई जाती हैं लेकिन यह सारा का सारा किया हुआ बेकार हो जाता है, जब किसान का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसे हिन्दुस्तान में मुफ्त में लेने वाला कोई नहीं होता। आप कृपा करके कोई ऐसी व्यवस्था करिये कि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर हमारी इन्टेंशन है कि हमारे किसानों का प्रोडक्शन बढ़े तो जिन-जिन सीरियल्स का प्रोडक्शन बढ़े, उनके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस फिक्स करे ताकि ऐसी स्थिति न आये कि जिस साल गेहूं ज्यादा पैदा हो जाय तो 10 रुपये क्विंटल भी खरीदने वाला कोई नहीं हो। इस स्थिति का शिकार हमारे देश का किसान रोज हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जब उत्पादन बढ़े तो उसको रैम्युनरेटिव प्राइस जरूर मिलनी चाहिए। इन्पुट कास्ट में, कृषि उपकरणों में कोई छूट नहीं दी गई है, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि किसानों के काम आने वाले उपकरण आपको विशेष रियायत पर देने चाहिएं क्योंकि आज भी किसानों की हालत अच्छी नहीं है।

नेहरू रोजगार योजना बड़ी अच्छी योजना है, देश के सलैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जाने वाली है। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ी कमी बेसी करके हिन्दुस्तान के सारे जिलों में लागू कर दें ताकि सारा देश इसका लाभ उठाये।

इसी संदर्भ में मैं अपने क्षेत्र खलीलाबाद के बारे में दो निवेदन करना चाहूंगा। कताब शुगर फैक्टरीज वहां हैं, एल्कोहल हमारे पास बहुत ज्यादा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वहां एल्कोहल बेस्ड इण्डस्ट्रीज बड़े ढंग से चल सकती हैं, वहां उनको चालू करने के लिए आप सोचें। साथ ही वहां अभी शुगर इण्डस्ट्रीज की ओर गुंजाइश है, टैक्सटाइल फैक्टरीज की गुंजाइश है, इस ओर भी आप निगाह डाल लें तो मेहरबानी होगी।

[अनुवाद]

श्री महेश्वर तांती (कलियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। यह जनता की सभा है। इस सभा में सदस्य प्रतिवर्ष कुछ महत्त्वपूर्ण मसले उठाते हैं जिनमें सरकार की बदतर होती हुई स्थिति का जिक्र किया जाता है तथा सरकार द्वारा किए जाने योग्य कुछ आधारभूत कार्यों पर भी चर्चा की जाती है। यह चर्चा बार-बार की जाती है किंतु परिणाम कुछ नहीं होता। सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि वे मामले की जांच करेंगे किंतु यह देखा गया है कि वे कुछ नहीं करते। जहां तक राज्यों के विकास का प्रश्न है, आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों पश्चात् भी कुछ छोटे राज्य अनेक

मामलों में पिछड़े हुए हैं। ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कोई विश्वविद्यालय और उद्योग नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल बड़े और शक्तिशाली राज्यों की परवाह की जाए और छोटे राज्यों पर ध्यान न दिया जाए।

सरकार ने मिजोरम, पंजाब और असम समझौते किए। यह समझौते केवल कागजी कार्यवाही बनकर रह गए। हमने इन्हें कार्यान्वित होते नहीं देखा। उनके कार्यान्वयन हेतु कुछ नहीं किया गया। आप इन समझौतों के कार्यान्वयन के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं?

निर्वाचन से पहले, सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री राज्यों में जाते हैं और करनाल शोधनशाला के बारे में दिये गये वचन जैसे कुछ वायदे करते हैं। हरियाणा में चुनाव से पूर्व उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। शोधनशाला क्यों नहीं बनी? निर्वाचन से पूर्व तमिलनाडु के लोगों को दिये गये वचन का क्या हुआ? इसका परिणाम क्या है? अब तक वायदे पूरे क्यों नहीं किए गए।

असम समझौते का क्या हुआ? समझौते के अनुसार आप परियोजनाओं, शोधनशाला, गैस, कागज मिल तथा अन्य विषयों सम्बन्धी वायदों का कार्यान्वयन करने के लिए वचनबद्ध हैं। किंतु पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। क्या हम इन मसलों को बार-बार उठाएं। इस प्रकार हमारा कार्य अर्थहीन हो जाता है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इस देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्य हैं। वहां पर आप कितने सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित कर पाए हैं? वहां कोई उद्योग नहीं हैं। वहां कोई संचार सुविधाएं नहीं हैं। जब असम में बाढ़ आती है तो कोई उस समस्या पर ध्यान नहीं देता। लोग, खड़ी फसलें, आवास और सम्पत्ति नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों के बचाव के लिए आगे नहीं आते। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जब हम, विशेषकर विपक्ष के लोग कुछ कहते है तो आप सदैव हम पर संदेह करते हैं।

आप संसदीय लोकतंत्र के ब्रिटिश संविधान का अनुकरण रहे हैं। कहा जाता है ब्रिटिश व्यवस्था में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के बारे में उससे भी अधिक जानते हैं जितना कि वे अपनी पत्नी के बारे में जानते हैं। किन्तु हमारे देश में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।

गरीबी हटाने संबंधी योजनाएं हैं। किन्तु निम्नतम स्तर पर लोगों को उनसे लाभ नहीं हो रहा। सरकारी सेवाओं में भी असमानता है। इन सेवाओं में ऐसे लोग निम्नतम श्रेणी में होते हैं जहां उन्हें मुश्किल से 500 रु० अथवा 1000 रु० प्रतिमाह मिलते हैं। किन्तु ऐसे लोग भी जीवन-यापन व्यय में वृद्धि से प्रभावित होते हैं अर्थात् जहां तक कीमतों का संबंध है, आलू, चावल तथा अन्य वस्तुयें आई० ए० एस० अधिकारी तथा चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी दोनों के लिए समान दरों पर बेची जाती हैं। इस भेद-भाव को दूर किया जाना चाहिए। केवल तभी लोगों में कुछ आशा जगेगी तथा उन्हें लाभ होगा।

हमारे यहां क्षेत्रीय असंतुलन भी है। इसे भी दूर किया जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों का समान विकास होना चाहिए।

अब सरकार के समक्ष कुछ मसले हैं जैसे कि बोडो समस्या तथा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला। इन समस्याओं से कौन लाभ उठा रहा है ? इस समय देश में कुछ अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद भी हैं जिन्हें सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके तत्काल निपटाया जाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इन ज्वलंत समस्याओं का लाभ कौन उठा रहा है ?

इनका लाभ राजनीतिक दल उठा रहे हैं। जनता नहीं। वे चाहते हैं कि ये समस्यायें बनी रहें, आप देखें कि ये समस्यायें तत्काल दूर हों ताकि लोग प्रसन्न रहें। आप उन पर निर्भर करते हैं।

हाल ही में, नागालैंड सीमा पर 30 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। सभी घरों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया है और आपने ऐसा काम करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया है। वे भारत के नागरिक हैं। यह देश में निर्धन व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का सबूत है।

आपने संसद में जो कानून पारित किए हैं उन्हें लागू किया जाना चाहिए। असम में लगभग 800 चाय बागान हैं। वहां एक श्रमिक को प्रतिदिन 12 से 15 रुपए मिलते हैं। क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के 3-4 सदस्यों के साथ 12-15 रुपए प्रतिदिन पर जीवित रह सकता है ? जबकि चाय बागानों के प्रबंधक को वेतन एवं भत्तों के तौर पर अन्य लाभों के अतिरिक्त 5000 रुपए से अधिक मिलता है। आप इस असमानता को देखें। ये श्रमिक देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं और राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। इन लोगों के प्रति आपकी क्या नीति है ? औद्योगिक श्रमिकों के प्रति आपकी क्या नीति है ? आप संसद में नियम बनाते रहते हैं। किंतु उनके कार्यान्वियन के बारे में कुछ नहीं करते। यह कानून केवल उन व्यक्तियों अथवा उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं जो बड़ी आसानी से इनका उल्लंघन करते हैं और इनके कार्यान्वियन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। चाय बागान में काम करने वाला एक श्रमिक 12-15 रुपए प्रतिदिन पाता है। वह अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेज सकेगा ? आप उससे देश का अच्छा नागरिक बनने की आशा किस प्रकार कर सकते हैं ? उसके प्रति आपकी क्या वचनबद्धता है ? आप ऐसे लोगों के प्रति भी वचनबद्ध नहीं हैं जो इस देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाते हैं। मेरे राज्य में 55 लाख वर्तमान और निवर्तमान चाय बागान श्रमिकों में से केवल 100 स्नातक हैं, पांच डाक्टर, दस इंजीनियर तथा पांच प्रोफेसर हैं। इस देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाले असम के 55 लाख लोगों में शिक्षा की यह प्रतिशतता है। वे औद्योगिक घराने बागान श्रमिक अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। उनका कभी भी उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं हुआ। इन नियमों के अंतर्गत इन्हें आवास, अस्पताल, पीने का पानी तथा अन्य सुविधायें मुहैया करानी होती हैं। किंतु वहां कुछ चाय बागानों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आपको इन श्रमिकों के लिए अवश्य कुछ करना चाहिए।

पिछली बार बागान श्रमिक अधिनियम का सभा में संशोधन करने एवं पारित करने वाले विषयों की सूची में 16वां स्थान था किन्तु इस सत्र में यह संशोधन करने एवं पारित करने के लिए इस सभा में नहीं लाया गया है। अतः मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री देखें कि इसमें तत्काल संशोधन किया जाए तथा असम के चाय बागानों में भली प्रकार कार्यान्वित किया जाए।

देश में चुनाव से पूर्व लोगों के हित में किए गए वायदे पूरे किए जाने चाहिएं; आप देश में चुनाव से पूर्व लोगों के हित में वायदे करते हैं ताकि उन्हें लाभ हो, किन्तु चुनाव होते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपको वे सभी वायदे पूरे करने चाहिएं जो आपने हरियाणा, असम तथा तमिलनाडु में चुनाव से पूर्व किए थे। चुनावों के बाद आप चुप्पी साध लेते हैं।

गरीबी हटाने की, एकता और अखंडता संबंधी नीतियां केवल कागजों तक ही न रह जायें; इन पर केवल जन सभाओं में ही चर्चा होकर न रह जाए। आप देखें कि ये भलीभांति कार्यान्वित की जायें। ये सब बातें महज नारे बनकर रह गई हैं।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके वेतन में अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए; एक सीमा होनी चाहिए। एक व्यक्ति दिन में 8 घंटे मेहनत करके 1000 रुपए प्रतिमाह कमा रहा है और एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करके 8000 रुपये प्रतिमाह कमा रहा है। वह भी बाजार से वस्तुएं उसी भाव पर खरीद रहा है जिस पर श्रेणी-एक का अधिकारी खरीद रहा है। वह अपने परिवार की देखभाल किस प्रकार करेगा ? वह देश के लिए किस प्रकार कार्य करेगा ? इसे अवश्य रोका जाना चाहिए तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में युक्तिसंगत समानता होनी चाहिए (व्यवधान) कुछ मानदंड अपनाए जाने चाहिएं। जैसाकि मैंने बताया है। सरकार द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए समय-असमय व्यय किया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए। हमारा देश बहुत गरीब है। 30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। सरकार द्वारा विलासिता पर होने वाले व्यय पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तो घुड़सवारी कर रहा है और राजकुमार की भांति रह रहा है और कोई गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है।

जब बाढ़, सूखा तथा तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो सरकार को लोगों के बचाव एवं पुनर्वास के लिए तुरन्त सामने आना चाहिए। 1983 में असम में लगभग 10000 व्यक्ति एक अग्निकांड में मारे गए और सरकार ने लगभग 438 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उस समय यह सारा धन सरकार के अभिरक्षकों द्वारा हड़प लिया गया। उस समय यह सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पर खर्च नहीं किया गया। और इस वर्ष भी असम के बाढ़-पीड़ित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए जो धनराशि मंजूर की गई है वह अपर्याप्त है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि असम के बाढ़-पीड़ित लोगों के राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो या तीन मुद्दों पर बल देना चाहता हूं क्योंकि यह एक ऐसी बहस है जिसमें इस देश की सरकार और शासन तंत्र की समीक्षा की जा रही है। एक समय हम यह सोचा करते थे कि हम जो आलोचना करते हैं, जो सुझाव हम देते हैं, वित्त मंत्री उस पर विशेष ध्यान देंगे और सभी मंत्रालयों के कार्यकलापों पर निगरानी रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, चूंकि धन जुटाने की जिम्मेदारी उनकी है और वह इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि एक-एक पैसा किफायत और कुशलता से इस्तेमाल किया जाए। हम वह

सभी सुझाव दिया करते ये जैसाकि हम यहां सरकार के सभी क्षेत्रों के बारे में देते हैं। किन्तु अब स्थिति बदल गई है।

आज वह अन्य मंत्रियों की भांति ही एक मन्त्री हैं। योजना आयोग द्वारा सभी मंत्रियों पर नियन्त्रण रखा जाता, उनके काम पर निगरानी रखी जाती है और उनका मार्ग-दर्शन किया जाता है। योजना आयोग, मंत्रियों के साथ एक-एक करके तथा ग्रुपों में बातचीत करता है और बाद में उन्हें धन आवंटित किया जाता है।

अब हम इस सदन में बजट, तथा वित्त विधेयक पर होने वाली बहस की दिशा से यह देख सकते हैं कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कराधान से धन जुटाने की सीमा आ चुकी है। राज्य सरकारें करों द्वारा और अधिक धन जुटाने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि या तो वे जनमत से डरती हैं या वे यह अनुभव करती हैं कि जिस प्रकार से वे कर लगाते हैं लोग और कर बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही स्थिति भारत सरकार की भी है।

हमारे अपने मित्र भी आयकर से छूट की सीमा बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। यह बिल्कुल उचित है।

मूल्य वृद्धि हो रही है, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, रुपये का मूल्य घटता जा रहा है जिसका परिणाम यह है कि वे लोग जिनके पास, जब छूट 10 की सीमा 5000 रुपये तथा 10,000 रुपये थी कर देने के बाद भी कुछ बच जाता था; उनको अब कठिनाई हो रही है क्योंकि छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई। वे इन सब बातों की मांग कर रहे हैं। हमें धन कहां से प्राप्त होगा ? और यहीं पर वह सब लोग जो धनी लोगों को कर की चोरी में मदद करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। सरकार को कर न अदा करने में वह जो भी सहायता करते है, वह काला धन समझा जाता है, हालांकि यह उनकी मेहनत की कमाई होती है। यह किसी और के घर से चुराया गया धन नहीं होता, बल्कि इस देश के कानूनों के अनुसार कर नहीं चुकाया गया होता। इसलिए एक ऐसी सीमा आ जाती है जिसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। और वहीं पर यह मुद्दा उठता है।

हमें संसाधन कहां से प्राप्त होंगे ? जो श्रम आज बेकार जा रहा है यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। क्या यह बेकार नहीं जा रहा ? आज करोड़ों लोग बेकार हैं। वे काम करने को तैयार हैं किन्तु उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। सवाल यह है कि उन्हें रोजगार कैसे मिलें और कौन दे ? कुछ लोगों का कहना है कि पूंजीपति दें और कुछ कहना का है कि सीधे सरकार द्वारा दिया जाए। किन्तु यह सब नहीं किया जा रहा। उन्हें स्वयं अपने संकल्पों और अपने ही निर्णयों से रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सकती है—किन्तु निर्णय किसके हक में; संकल्प किस प्रयोजन से ? सामाजिक उपयोग की कई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए जो आज हमारे पास नहीं है; सामूहिक उपयोग की वस्तुएं जैसे सड़कें, मकान, स्कूल भवन, पुल, पुलिया, तालाब, लघु सिंचाई परियोजनाएं आदि।

एक बार इंग्लैंड में एक गांव बाढ़ में बह गया। यह अनुमान लगाया गया कि उस बाढ़ में उस गांव की सामाजिक सम्पदा का 10 करोड़ पाउंड से अधिक का नुकसान हुआ क्योंकि वह गांव

शेष इंगलैंड से सड़कों, पुलों और विभिन्न अन्य सामाजिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ था। यह सब आज हमारे देश में नहीं है। इनका निर्माण किया जाना है, इन्हें लोगों को उपलब्ध कराया जाना है। यह काम कौन करेगा ? लोगों को आशा थी कि उनकी मदद के लिए राज्य सरकारें यह धन जुटाएंगी। किन्तु वह नहीं कर पाईं। हम में से बहुतों ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक गांव में पंचायत होनी चाहिए और उन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थानीय प्रयोजनों के लिए स्थानीय रूप से धन जुटाने की शक्ति होनी चाहिए। किन्तु तब पंचायतों को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

संविधान सभा में मेरे सहित बहुत से लोगों ने एक अन्य शासन व्यवस्था अर्थात् पंचायती राज के लिए आग्रह किया था। बड़ी कठिनाई से हम इसे नीति निदेशक सिद्धान्तों में शामिल कराने में सफल हो पाए। केन्द्र तथा राज्य सरकारें अधिक से अधिक जिला बोर्ड तक ही जाना चाहती थीं किन्तु वह उससे आगे जाने को तैयार नहीं थीं। क्या शासन के इन तीनों स्तरों पर सभी आवश्यक सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक धन जुटाना संभव है। हमारे लिए यह संभव नहीं था। इसीलिए, कुछ समय बाद ही मेरे समाजवादी मित्र श्री जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज का विचार रखा और इसे विकसित करने को कहा। उन्होंने समाजवादी दल के भीतर पंचायती राज के हक में वातावरण तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू, जोकि एक भविष्य दृष्टा थे, ने पंचायती राज आरम्भ किया। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में और बाद में गुजरात और आंध्र में भी इसे आरम्भ किया। मद्रास में यह पहले से ही था। इसलिए हमने इसे और विकसित किया। किन्तु, इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इस बीच लोगों ने अधिकाधिक सामाजिक सुविधाओं की मांग आरम्भ कर दी।

और इसके साथ-साथ अधिक रोजगार की जरूरत उठी। कोटि कोटि लोगों ने अपनी गरीबी के विरुद्ध चिल्लाना आरम्भ किया। वे राजनैतिक रूप से जागरूक हो रहे थे। यह बात नहीं कि इस देश में गरीबी नहीं थी। निःसन्देह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम अपने देश में गरीबी कम कर पाए हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु जिस गरीबी से वह पीड़ित थे, जिस बेरोजगारी का उन्हें सामना करना पड़ रहा था वह बढ़ती हुई सामाजिक और राजनैतिक चेतना के कारण बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इसी समय इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ योजना आरम्भ की। उस समय विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा था कि यह केवल चुनावी हथकंडा है। किन्तु अब यह राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है। इस बीच जनता पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने तीन वर्ष तक राज्य किया। उनके पास उस नेता के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का अवसर था जिसकी वे उसी प्रकार कसमें खाते हैं जैसे कि हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दूसरों की कसमें खाते हैं। किन्तु क्या वह सफल हुए ? वह नहीं हुए। क्या यह चुनावी हथकंडा था ? नहीं। किन्तु वह इसे करने के इच्छुक नहीं थे। बाद में हमने इसमें अधिकाधिक रुचि ली। तत्पश्चात महाराष्ट्र इसमें अग्रणी रहा। बाद में उन्होंने रोजगार दिलाने का काम आरम्भ किया, प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क को पूर्ण रोजगार-पूर्ण रोजगार का अर्थ है इसमें वह दिन भी शामिल है जब वह स्वयं कृषि या विभिन्न दस्तकारियों, हथकरघा, मिट्टी के घड़े बर्तन आदि बनाना आदि में अपने आपको नियोजित करें तथा इसमें वह दिन भी शामिल है जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उनके

पास रखे रजिस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत यह कह सकेगी कि फलां व्यक्ति 100 दिन रोजगार प्राप्त करने का हकदार है क्योंकि वह 100 दिनों तक बेरोजगार रहा, इसलिए उसे आवश्यक गुजारा मिलना चाहिए। उन्होंने इसकी व्यवस्था की। किन्तु उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी।

फिर भी, योजना चलती रही। हमने इसे अपने हाथ में ले लिया। सौभाग्यवश मौजूदा सरकार ने न केवल एक राज्य में बल्कि सम्पूर्ण भारत में रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी ली है।

वे इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखना चाहते थे। मैं भी इस पक्ष में हूं कि इस योजना को जवाहरलाल नेहरू को समर्पित कर दिया जाये। परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह जांच करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इसे किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि आपने गलत रास्ता अपनाया है। लाखों हथकरघा बुनकर बेरोजगार हैं। उनमें से कुछ तो भूखों मर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भूख से कुछ मर गये। और इस पर भी हम विद्युत-करघों को प्रोत्साहन देने एवं उनकी तथाकथित वैज्ञानिक कार्यक्षमता को बढ़ाने के गलत रास्ते पर चल रहे हैं और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं जिससे कि हथकरघा-बुनकरों में और बेरोजगारी फैले। अतएव इस पर विचार किया जाना चाहिये कि देश की बढ़ती हुई मांगों को कैसे पूरा किया जाये। उनमें से एक है, उन सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना जो पहले ही स्व-नियोजित हैं एव हमारे अपने बड़े-पैमाने के उद्योगों को वैज्ञानिक ढंग से ऊपर उठाना है जहां पर कम संख्या में व्यक्ति काम करते हैं एवं काफी अधिक सम्पत्ति पैदा कर रहे हैं फिर भी इन पर नियन्त्रण की आवश्यकता है। अब इसे वित्त मंत्री अथवा वस्त्र मंत्री में से कौन करेगा? इन मांगों को मंत्रियों के सहयोग से परन्तु योजना-स्तर पर किसी न किसी प्रकार से पूरा किया जाना चाहिये। अगली पंच-वर्षीय योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है परन्तु इसे कौन बनाने जा रहा है? इसलिए उस चरण में इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और सदन में व्यक्त किये गये सभी विचारों को उचित प्रकार से आंका जाना चाहिये।

महोदय, अब मैं प्रधानमंत्री जी को, हाल ही में की गयी घोषणा के लिए, बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने असंगठित मजदूरों की आवश्यकताओं और मांगों की ओर बहुत साहसी तरीके से विशेष ध्यान देने की कोशिश की है। अभी तक हमने संगठित मजदूरों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। हमने उन्हें पर्याप्त संरक्षण देने का भी प्रयत्न किया है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सफल नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी आसाम के मेरे एक मित्र ने कहा कि बागान-मजदूरों के सम्बन्ध में उन्होंने कानून पास किये हैं परन्तु वे अपनी अदक्ष कार्य-प्रणाली के कारण उन्हें लागू नहीं कर सके हैं। असंगठित मजदूरों से हमारा क्या तात्पर्य है? असंगठित श्रमिकों से हमारा तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों से है जो हमारे गांव में कला और दस्तकारी के विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं तथा जिसका नेतृत्व हथकरघा बुनकरों द्वारा किया जाता है। उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यही वह तथ्य है जिसकी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का ध्यान दिलाना शुरू किया है। एक विपक्षी दल के नेता ने आलोचना करते हुए इसे केवल एक "चुनावी हथकन्डा" बताया है। यही आरोप उस समय भी लगाया गया था जब सन् 1971 में इंदिरा जी ने "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम चलाया था। अब सभी दलों ने "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम अपना लिया है। जहां तक असंगठित श्रमिकों का सवाल

है, मैं उनके लिए तीन पीढ़ियों, 60 वर्षों से कोशिश कर रहा हूं और अन्त में अब भारत के प्रधान-मंत्री की ओर से इन श्रमिकों की दयनीय हालत, उनकी मांगों, आवश्यकताओं एवं उस पद्धति पर जिससे कि वे लाभान्वित हो सकें, ध्यान दिया जा रहा है।

जापान में श्रमिक लगातार काम करते हैं और यूरोपीय महाद्वीप के श्रमिक नेता आश्चर्य करते हैं कि जापानी श्रमिक ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां क्यों नहीं लेते जिससे जापान में उत्पादन कम हो। ताकि यूरोपीय माल और सेवाओं की जापानी माल और सेवाओं से स्पर्धा भी कम हो। इसका अभिप्राय यह है कि अधिकतर जापानी श्रमिक ज्यादातर ऐसे माल का उत्पादन कर रहे हैं जो यूरोपीय उत्पादकों के लिए और अधिक स्पर्धा उत्पन्न करते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि जापानी श्रमिकों की काम करने की गति धीमी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे दस करोड़ असंगठित श्रमिकों को रोजगार मिले जिससे कि हम अधिक से अधिक सामाजिक सम्पदा का अर्जन कर सकें और यह ठीक वही नारा है जो कि आज प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख रहे हैं और इसके लिए मैं उनकी पूर्ण प्रशंसा करता हूं। परन्तु यह कैसे किया जाना है ? मैंने शुरू में कहा था कि इसके तीन चरण हैं। अब इसका एक चौथा चरण भी है। श्री जयप्रकाश नारायण ने बिहार में अपना आंदोलन शुरू किया था, यद्यपि उसमें उन्हें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। अब वर्तमान सरकार इसे सफल बनाना चाहती है। वर्तमान सरकार एक वर्ष के अन्दर सफल नहीं हो सकती परन्तु निश्चित रूप से हमारे देश में सभी दलों एवं विपक्ष के लिए यह एक प्रकार की चुनौती है। वे भी कहें कि हां, हम पंचायती राज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायें जिससे कि कर एवं बेगारी बढ़ाने के स्थान पर उन्हें हर किसी का योगदान मिल सके। तब क्या होता है ? कल्पना करो कि एक तालाब है। इसका विस्तार किया जाना है तथा इसमें कुछ सुधार करने हैं। अतएव उसके लिए श्रमिक, गाड़ियों एवं अन्य प्रकार की सेवाओं के रूप में धन की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें यह कैसे मिलेगा। अब कृषि मजदूर सौ दिनों की बेरोजगारी पर बेरोजगारी बीमा चाहते हैं। दस दिनों की मजदूरी के बदले उन्हें अगले 90 दिनों की मजदूरी दी जायेगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि प्रति श्रमिक रु० 10/- से 15/- तक का न्यूनतम मजदूरी स्तर है तो प्रति मजदूर यह रु० 100 होगा। तब तो समृद्ध एवं सुसम्पन्न व्यक्ति एवं वे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, काम करना पसन्द नहीं करेंगे। शारीरिक श्रम को अभी अधिक पसन्द नहीं किया जाता है। महात्मा गांधी और उनके पश्चात्वर्ती समय में चलाये गये अनेक अभियानों के बावजूद भी यह अभी तक प्रचलन में नहीं आया है। अतएव वे वहां जाकर शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। ठीक है, उन्हें दस दिन तक 200 रु० अथवा 100 रु० देने चाहियें।

वह प्रत्येक व्यक्ति जो शारीरिक परिश्रम करना नहीं चाहता है, उसे पैसा देना पड़ेगा और वह पैसा उन बेरोजगारों को दिया जायेगा जो रोजगार के लिए आते हैं। जो व्यक्ति समृद्ध हैं, तथा इस प्रकार के परिश्रम वाले कार्य के बदले पैसा देने के लिए तैयार हैं, इस सारी राशि को इकट्ठा किया जाये तथा इस राशि की सहायता से हम निर्धनों के लिए घर, स्कूल, इमारतें, सड़कें, पुलिया इत्यादि का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा उनके रखरखाव जैसे सामाजिक कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अब, वे अधिकार दिये जाने चाहिये; परन्तु किसको ? ये अधिकार न केवल जिला बोर्डों (जिसे जिला परिषद कहा जाता है) को ही बल्कि ग्राम पंचायत को भी दिये जाने चाहिये। आप

ग्राम पंचायत स्तर से शुरू कीजिये, तत्पश्चात् जिला परिषद को अधिकार दीजिये एवं फिर राज्य के स्तर तक पहुंचिये। अब राज्य और नये कर नहीं लगा सकते हैं लेकिन फिर भी उन्हें इन सब के लिए प्रावधान करने हैं। लेकिन वे अपनी परियोजनाओं को भी लागू नहीं कर सके हैं। आप दस करोड़ रु० की योजना बनाते हैं; लेकिन दस वर्षों में आप इसे पूरी नहीं कर पाते। आपको मुद्रास्फीति के कारण आपको इस पर 30 करोड़ रु० अथवा 40 करोड़ रु० खर्च करने पड़ेंगे। परन्तु यदि इसके विपरीत आप पहले ग्राम पंचायतों को कुछ निश्चित जिम्मेदारियां दें एवं तत्पश्चात् जिला-परिषदों को एवं फिर यदि आप राज्य-स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपते हैं, तो यह प्रशासन की दृष्टि से उचित होगा। यह एक प्रयोग है तथा राष्ट्रीय दृष्टि से यह एक प्रकार की चुनौती है जिसका सामना करना है। यही वह चुनौती है जिसे प्रधानमंत्री ने पूरे उत्साह से स्वीकार किया है। उनके कहने का सार मात्र यही है कि यह एक चुनावी हथकन्डा है। अच्छा, मान लिया यही है। लेकिन अब हम जनता के समक्ष जा रहे हैं तो जनता को ही इसका निर्णय करने दीजिये। हम संविधान में संशोधन के लिए एक कानून पास करने का विचार कर रहे हैं। यदि जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया तो जनता इस पार्टी को सत्ता से उखाड़ सकती है। इसके विपरीत, यदि जनता इसे स्वीकार करती है तब आपकी राज्य-सरकारें स्वतः ही शक्तिहीन हो जायेंगी। तब हमें यह कहकर संतुष्ट होना पड़ेगा कि देश के राष्ट्रीय विकास में जिला-परिषदों की उतनी ही महत्वपूर्ण एवं सम्मानजनक भूमिका है जितनी कि राज्य-सरकार की है। आज, राज्यों एवं केन्द्रीय सरकार के बीच ईर्ष्या की स्थिति है। ओह ! सरकारिया आयोग भी है और सभी तरह की शिकायतें भी की जा रही हैं। क्यों ? क्योंकि वे स्वयं असहाय हैं और हम ग्राम पंचायत एवं जिला-पंचायतों के अधिकार बढ़ाकर उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। इन दोनों की सहायता से हम और अधिक प्रभावी तरीके से समाज का विकास एवं पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि राज्यों को पंचायतों से ईर्ष्या क्यों है ? पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की प्रधानमंत्री ने काफी प्रशंसा की थी और उनसे यह आशा की जाती है कि वे इस कार्य को और अधिक संतोषजनक रूप से करेंगे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य राज्य सरकारों को इससे ईर्ष्या है। अतएव यह एक चुनौती है एवं आपको आगे आकर इन चुनौतियों को स्वीकार करना है। ये दो महान चुनौतियां हैं जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने किया है। इनका सामना कैसे किया जाए ? इसलिए नहीं कि वे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। हमारे वित्त मंत्री हैं जो कि राजनीतिज्ञ हैं। वह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे और अब वित्त मंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वह भारत सरकार के वित्त मंत्री से अधिक से अधिक धनराशि चाहते थे और अब स्वयं वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने महसूस किया कि यह राशि वितरण हेतु अपर्याप्त है : वह धनराशि नहीं बढ़ा सकते हैं। वह इस समस्या के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझते हैं। जहां तक काले धन पर नियन्त्रण और कराधान का सम्बन्ध है। राज्य-सरकारों और भारत सरकार के संसाधन लगभग खत्म हो चुके हैं। इस समय अनेक बेकार बेरोजगार श्रमिक हैं जिनमें से करोड़ों श्रमिक ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं किन्तु आवश्यक नेतृत्व के अभाव में काम नहीं कर सकते हैं। आप इसे नियोजन कह सकते हैं। परन्तु उन्हें आवश्यक नेतृत्व की जरूरत है जिससे वे सभी रचनात्मक ढंग से काम कर सकें। महोदय, मेरे नेतृत्व में, मेरे निरीक्षण में बड़ी

संख्या में श्रमिक काम करते थे। हमने गंतूर जिला, जो कि मेरा अपना जिला है, उसके 960 गांवों में से 700 से अधिक गांवों में ग्राम पंचायतों का गठन किया था। जब अंग्रेजों का राज्य था, और स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ था, हमने सारी सामाजिक सम्पदायों का विकास करना आरम्भ कर दिया। यदि हम सब मिलकर एक साथ काम करें तो हम इसे अब और अधिक बड़े, महान, प्रभावी एवं सफलतापूर्वक तरीके से कर सकते हैं। अत: ईश्वर के लिए, विपक्ष के मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आप सभी ने शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों, कृषि एवं उद्योग, ग्रामीण एवं श्रमिक जनता के बीच में समानता के हमारे नारों को स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप इन दोनों कार्यों का स्वागत करने में भी हमारे साथ शामिल होइये। आपको उन्हें राजीव गांधी अथवा किसी अन्य का नाम देने की आवश्यकता नहीं है परन्तु ये दो क्षेत्र हैं—पहला है असंगठित मजदूरों की देखभाल करना एवं ग्राम-स्तर से ऊपर उठकर संगठित होने में उनकी सहायता करना एव दूसरा कार्य है कि वे स्वयं अपने प्रजातंत्र का विकास करें, इसे मजबूत करें एवं ग्राम-स्तर से ही इसकी जड़ों को मजबूत करें। तभी उस वास्तविक पंचायती राज की स्थापना हो सकेगी जिसकी महात्मा गांधी ने कल्पना की थी एवं पंचायती राज की यह अवधारणा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, जयप्रकाश नारायण आदि पहले की पीढ़ी के अनेक व्यक्तियों ने की थी, आप सब हमारे साथ शामिल होइये। हमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिये। एक प्रतियोगिता जैसी है जिसमें आप अपने पूरे प्रयास कीजिये और हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हममें से जिससे भी जनता प्रसन्न होगी, वही वापस सत्ता में आ जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करती हूं और स्वागत करने के कई कारण हैं, उन्होंने 123 करोड़ की छूट दी है जिसमें 118.90 करोड़ रुपए की उत्पाद-शुल्क में दी है और इसके अलावा सीमा-शुल्क में भी छूट मिलेगी।

3.48 म०प०

[श्री शरद दिघे पाठासीन हुए]

मैं एक समस्या की तरफ वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ज्यादातर ऐसे लोग अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। छूट से ज्यादा उत्पादकों को लाभ मिलता है और उपभोक्ताओं को कम मिलता है। यह आपको देखना चाहिये।

इस वित्त विधेयक में कई बातें उल्लेखनीय हैं और बजट में भी बहुत सी बातें उल्लेखनीय हैं। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम और रोजगार के कार्यक्रम सराहनीय हैं। साधनहीन महिलाओं को मुफ्त साड़ियां देने के कार्यक्रम अच्छे हैं। प्रधान मंत्री जी ने जवाहर रोजगार योजना की घोषणा जो 28 अप्रैल, को मैं समझती हूं कि वह सराहनीय है। 30 प्रतिशत स्थान जो महिलाओं के लिये इसमें सुरक्षित रखे गये हैं उससे महिलायें अपने पैरो पर खड़ी होंगी और कम से कम इतनी सक्षम होंगी कि उन्हें आगे और काम करने का मौका मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 40 साल की आजादी के बाद हमारा देश आगे बढ़ा है लेकिन हमारी वित्तीय नीति का खोखलापन इसी से साबित होता है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं और ऐसी महिलायें हैं जिन को गरीबी के कारण साड़ियां बांटनी पड़ रही हैं। किस तरह से हमारा वित्तीय प्रबन्ध अच्छा हो और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। वैसे हमारी सरकार इस तरफ प्रयत्नशील भी है। इस तरफ बहुत कुछ काम हो रहा है। मुद्रा स्फीति की दर घटी है। 1987-88 में इसकी दर 10.6 परसेंट थी और 1988-89 में इसकी दर 6·7 परसेंट ही रह गई। इसके बाद अभी 1989 की जनवरी में यह दर 5 परसेंट पर आई है।

महोदय, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी मुद्रास्फीति से नहीं घबराता है क्योंकि मुद्रास्फीति मूल्यों के स्थिरीकरण के लिये आवश्यक है। लेकिन निरन्तर रूप से घाटे की अर्थव्यवस्था हमारे दिमाग में चिन्ता पैदा करती है। 337 करोड़ रुपये का जो घाटा है वह 1988-89 से कम है। लेकिन आप 123 करोड़ रुपये की छूट देंगे उसके बाद घाटा बराबर होगा।

एक बात और भी वित्त मंत्री महोदय के देखने की है। आपने देश के उद्योगपतियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है और उन्हें उनकी मीटिंग में सचेष्ट और सतर्क किया कि हमारे उद्योगपति निर्यात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। निर्यात जहां 4 परसेंट हुआ है वहां बाहर से आयातित सामान इन उद्योग घरानों का 17 परसेंट जो पहले था वह अब 19 परसेंट हो गया है। यह सब देखने की बातें हैं। रोजगार के अवसर मुहैय्या करने के अलावा व औद्योगिक उत्पादन की सफलता के बाद एक और चिन्ता की बात है कि योजना और गैर आयोजन के व्यय के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। हमारा नॉन-प्लान ऐक्सपेंडिचर 54,54,347 (चौवन करोड़ चौवन हजार तीन सौ सैंतालीस) रुपये के करीब पहुंच गया है और हम विदेशी धन के कर्जे से दबे हुए हैं। कर्जे के सम्बन्ध में जब एक प्रश्न सदन में हो रहा था तो फलेरिया साहब जवाब दे रहे थे, मैं उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। आप चाहे कितना ही अच्छा जवाब दे दें मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं। इसका एक कारण यह है कि आपका 54 हजार करोड़ रुपये गैर-योजना व्यय है। मुख्य कारण एक यह है कि 17 हजार करोड़ रुपया आप ब्याज में देते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न की सबसिडी में और निर्यात संवर्द्धन में सात हजार करोड़ रुपये देते हैं। 24 हजार करोड़ रुपया तो यहीं आपका खर्च हो जाता है। आप इसको ठीक करें क्योंकि वित्तीय अनुशासन और वित्तीय समस्याओं का निदान किस प्रकार से हो यह बजट के मुख्य लक्षण होते हैं तभी संतुलित बजट एक आदर्श बजट होता है।

मैं आपका ध्यान अब 2-3 अन्य विशेष समाचारों की तरफ ले जाना चाहती हूं। हमारी शहरी विकास मंत्री बैठी हुई हैं। आपने गरीबों के लिये आवास बैंक बनाया और इसके द्वारा आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इसमें यह व्यवस्था है कि 30-30 रुपये हर महीने जमा किया जाये और उसके बाद जितनी जमा रकम 5 साल में वसूल होगी दुगनी रकम दी जायेगी। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि 70 हजार रुपये में एक छोटा सा घर भी नहीं बन सकता है। मुझे मालूम नहीं आप किस तरह से आवास की समस्याओं का निदान करेंगे एवं आपकी 7 या 8 हजार रुपये में कोई रहने लायक व्यवस्था हो सकेगी।

जवाहर लाल नेहरु रोजगार योजना में आपने 21 अरब रुपये रखे हैं और ग्रामीण पंचायतों को एक जिम्मेदारी दी गई है। यह अच्छी बात है। हमारे बिहार में 40 से 50 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं। प्रधान मंत्री जी ने अपनी घोषणा में कहा है कि 3-4 हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर 80 हजार से एक लाख रुपया खर्च होगा और 50 से 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी होगी। इसके द्वारा 30 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सभी को यह जानकारी मिलेगी कि उनको क्या काम मिलने वाला है और क्या वेतन मिलेगा। यह एक खुली और स्पष्ट घोषणा है। मैं इसका स्वागत करती हूं, लेकिन बिहार में जहां 40 से 50 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं वहां कैसे इतने कम पैसे में यह योजना सफल होगी और कैसे आप 30 प्रतिशत महिलाओं को काम दे सकेंगे व कैसे 50-100 दिनों के काम की गारंटी देंगे। इतने कम पैसों में समस्याओं का निदान नहीं होगा। जो पिछड़े प्रान्त हैं, आर्थिक रूप से जर्जर हैं और निरन्तर बाढ़ की विभीषिका में रहते हैं वहां यह योजना इतनी कम राशि में सफल नहीं हो सकती हैं। आप बिहार में कम से कम यह योजना हर जिले में चलायें। बिहार में हर पंचायत में कम से कम दो लाख रुपये दें तभी लक्ष्य की पूर्ति कुछ सीमा तक होगी। एक सुनियोजित आर्थिक विकास के बुनियादी आदर्शों की पूर्ति के लिये सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण आदि पर आधारित वित्त मंत्री महोदय का यह वित्त विधेयक बहुत ही सराहनीय है।

मैं दो तीन बातें कहना चाहती हूं, कुशल वित्तीय प्रबन्धन के लिए वित्त पर नियंत्रण होना चाहिए और वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, बिना इसके बजट की कोई सार्थकता नहीं होगी। इस बार तो एक बहुत ही मजेदार बात हुई, दो ढाई मंत्रालयों पर ही बहस हुई और उसमें भी ज्यादातर सांसद अपने अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके। एक तो सदन का समय बढ़ाना चाहिए या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम लोग हर मंत्रालय के कार्यकलाप या उनकी रिपोर्टों पर विस्तृत विवेचन कर सकें। 1985 में श्री एच० के० एल० भगत जी ने एक बात कही थी कि बजट के कुशल नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि हर मंत्रालय से सम्बन्धित बजट की एक समिति बने, वह समिति नहीं बनाई तो बनानी चाहिए और प्रयत्न होना चाहिए कि हर मंत्रालय पर बहस हो। इस बार रक्षा, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर भी कोई बहस नहीं हुई। कृषि पर हुई, बिजली पर हुई और आधे दिन एक्सटरनल अफेयर्स पर हुई तो यह क्या बजट और क्या बजट अधिवेशन है, मैं यह जानना चाहती हूं। आप इसकी कोई व्यवस्था करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें नहीं तो मंत्रालय निरंकुश हो जाएंगे।

अनेक योजनाओं के बाद बिहार निरन्तर सबसे पिछड़ा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम 12 हजार करोड़ रुपया बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने के लिए चाहिए लेकिन सातवीं योजना में बिहार को केवल 5100 करोड़ रुपया मिला है, जो सबसे जर्जर राज्य है। पर कैपिटा इन्कम में बिहार का नागालैण्ड के बाद दूसरा नम्बर है। बिहार में प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा है, कृषि की उपज भी बहुत अच्छी होती है लेकिन निरन्तर बाढ़ और सूखे ने वहां की अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया है। एक और कारण भी हैं, चाहे राज्यों का पूंजी निवेश हो या निजी उद्योगपतियों का हो, वहां निवेश बहुत कम होता है। केन्द्रीय सहायता भी कम है। आप हर योजना उठाकर देख

लीजिए, मेरे पास फीगर्स हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना तक सबसे कम सहायता बिहार को दी गई है, बल्कि बिहार को ही नहीं पूरे पूर्वांचल को कम दी गई है। आपने घोषणा की कि पूरे देश में हम सौ ग्रोथ सेंटर बनायेंगे, अब तक ग्रोथ सेंटर नहीं बने हैं जबकि बिहार का पांचवा नम्बर था, वहां आप कम से कम ग्रोथ सेंटर तो बनाइये।

बिहार को खनिज का मूल्य ठीक नहीं मिलता है, दोहरा व्यवहार बिहार के साथ होता है, सौतेला व्यवहार होता है, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनिजों का जो मूल्य बिहार को मिलना चाहिए वह मूल्य नहीं मिलता है। दूसरे, फ्रेट इक्वेलाइजेशन समाप्त होना चाहिए, जो मूल्य बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में वही मूल्य बिहार में, पटना में है तो आप बताइये कि जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों को वहां पर अपने प्रदेश में ही सस्ते में खनिज मिल जाता है तो बिहार आकर वह कैसे इण्डस्ट्रीज बैठायेंगे और कैसे आपका रोजगारी का नारा सफल होगा ?

रायल्टी के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि बिहार कोयले का, मैंगनीज का, आयरन ओर का सब का उत्पादन करता है लेकिन रायल्टी बिहार को आप सबसे कम देते है, कोयले की रायल्टी में आप 1971 से पहले राष्ट्रीयकरण के पहले की पद्धति को लागू करिये। आप कोयले का मूल्य लोकल मूल्य पर निधारित करते हैं लेकिन पैट्रोलियम पदार्थों के लिए गुजरात और आसाम मे वहां के उत्पादन का लाभ उनको मिलता है लेकिन बिहार को नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है ? वित्त मंत्री जी को चाहिए की बिहार को भी कोकिंग कोल के उत्पादन का गुजरात और आसाम के पैट्रोलियम पदार्थों को आधार मानकर जो मूल्य उन्हें उत्पादन लाभ को दृष्टिकोण में रखकर मिलता है, वैसा हमारे यहां बिहार में भी कोकिंग कोल के लिए मिलना चाहिए। यह दोहरी नीति क्यों है। कोयले की रायल्टी 'एडवलोरम' होनी चाहिये, मुल्क के आधार पर कोयले के मूल्य का निर्धारण होना चाहिए—तभी हमें उचित मूल्य मिलेंगे।

बिहार में आज तक एक भी केन्द्रीय सैक्टर में उद्योग की स्थापना नहीं हुई है। केवल 1964 में बोकारो मे इस्पात कारखाने की हुई स्थापना में श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी, कि बरौनी में भी रिफाइनरी के पास पैट्रो कैमीकल्स की स्थापना होनी चाहिए। बिहार में आज छोटे-बड़े 22 हजार लघु उद्योग बन्द पड़े हैं, क्यों बंद पड़े हैं, बिजली की कमी है, वहां केवल दो तीन बिजली के पावर स्टेशंस हैं, वहां सैण्ट्रल इन्वेस्टमैण्ट पावर के लिए नहीं के बराबर हो रहा है। पतरातू में थर्मल पावर स्टेशन बना, बरौनी में उसके बाद बना और उसके बाद कहलगांव में बन रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बिजली की समस्या के चलते छोटे बड़े उद्योग बन्द हो रहे हैं।

मैं आपको उत्तरी बिहार की धरती की ओर ले जाना चाहती हूं, जहां से मैं आती हूं, वहां के सारे उद्योग बन्द पड़े हैं, बिना बिजली के ठप्प पड़े हैं।

4.00 म०प०

मैं आपको बताना चाहती हूं कि जैसे हमारे प्रधान मंत्री जी ने खाद्य प्रोसैसिंग मंत्रालय बनाया है एवं पंजाब में पेप्सी उद्योग की स्थापना की गई है। उसी प्रकार उत्तर बिहार में मोती-

हारी में कम से कम खाद्य प्रोसैसिंग इन्डस्ट्री को बैठाया जा सकता है। वहां पर कृषि पर आधारित उद्योग हों। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बिहार के साथ हमेशा से अन्याय होता आया है, मैं समझती हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय को इसका निराकरण करना चाहिए। बिहार को अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए और जो भी कमियां हैं, जो खाई और विषमता निरन्तर बढ़ती जा रही है, इसको दूर करने के लिए आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक से अधिक राशि देकर उसको दूर करना चाहिए। पूरा का पूरा अंचल पिछड़ रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट न्याय का और आधारभूत संरचना का बजट है। इससे देश का विकास होगा और हमारे देश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। हमारे कुशल वित्त मंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत करती हूं और बिहार की ओर पुनः आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। बिहार में पहले 10 परसेंट सीमेंट पैदा होता था, लेकिन अब तीन परसेंट सीमेंट पैदा होता है। जपला और रोहतास आदि स्थानों की मिलें बन्द पड़ी हैं। इनको आपको चालू करवाना चाहिए और बिहार के औद्योगीकरण की ओर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो बिहार की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, हिन्दुस्तान के नक्शे पर नहीं आएगा। इसी प्रकार उड़ीसा में भी औद्योगिक क्रान्ति होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का स्वागत करती हूं और वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं तथा सभापति महोदय को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

सभापति महोदय : मुझे खेद है। अब मैं किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। वित्त मंत्री को उत्तर देना होगा।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं वित्त विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि वित्त विधेयक पर चर्चा ने बजट सम्बन्धी आम बहस का रूप ले लिया। न केवल बजट पर चर्चा हुई बल्कि जिन मंत्रालयों पर चर्चा न हो पाई थी उन्हें भी इस चर्चा में सम्मिलित किया गया।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह गिलोटिन के बाद की बात है।

श्री एस० बी० चह्वाण : मैं अनावश्यक रूप से इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता और मैं उन्हें भड़काना भी नहीं चाहूंगा। सम्पूर्ण बजट सत्र एक गैर-बजट सत्र में बदल गया था। समस्त घटनाक्रम कुछ ऐसा ही रहा। चाहे कुछ भी हो, मैं कहूंगा कि मेरे लिए उन सभी प्रशासनिक मंत्रालयों की ओर से उत्तर देना कठिन होगा जिन पर सभा में चर्चा नहीं हुई थी। माननीय सदस्य मेरी बात का समर्थन करेंगे कि ऐसा सम्भव नहीं होगा क्योंकि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों को नोट किया है परन्तु ऐसे सुझावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना कठिन होगा जिनका वित्त विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : फेरबदल से पूर्व उन्हें यह कर लेना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मुद्दे मंत्रालयों को भेजे जाने चाहिएं।

श्री एस० बी० चह्वाण : मैं मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि वे उन सभी मुद्दों को लेंगे जो माननीय सदस्यों ने सभा में उठाए हैं।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : हम ऐसा ही करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : फेर बदल से पूर्व उन्हें यह कार्य कर लेना चाहिए।

श्री बी० के० गढ़वी : हम प्रत्येक मंत्रालय के सम्बन्ध में ऐसा करते हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : मुझे विशेष तौर पर ओजमय भाषण के लिए प्रो० एन० जी० रंगा का धन्यवाद करना चाहिए हालांकि वह सभा में इस समय उपस्थित नहीं हैं।

सर्वप्रथम, मैं कहूंगा कि यह वित्त विधेयक, प्रस्तुत किए गए बजट को कार्यान्वित करने की एक प्रक्रिया है। इससे कराधान सम्बन्धी सभी प्रस्ताव वित्त विधेयक के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं।

मैं न केवल बजट प्रस्तुत करते समय बल्कि सभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय दिए गए भाषण में भी सम्पूर्ण ब्यौरा स्पष्ट रूप से दे चुका हूं। मैं स्पष्ट शब्दों में उन मुद्दों का उल्लेख कर चुका हूं जिन पर हमें सावधानीपूर्वक विचार करना है। मेरे विचार में, माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस वर्ष हमें आठवीं पचवर्षीय योजना शुरू करने से पूर्व सभी मुद्दों पर विचार करना चाहिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है। इस स्थिति में अनेक बातों पर विचार किया जा रहा है। यह उपयुक्त समय है जबकि सभी माननीय सदस्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने वाले सभी मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए जिससे वे आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के कार्य में भारी योगदान दे पाएंगे। इस सम्बन्ध में, बाहर बैठे मित्र मुझे क्षमा करेंगे··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपका अभिप्राय सरकार से बाहर के व्यक्तियों से है?

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चह्वाण : मेरा यह अभिप्राय नहीं था। मेरा अभिप्राय विपक्षी सदस्यों से था। बजट की आलोचना करते समय, सरकार की कुछ योजनाओं की आलोचना करते समय, मैं समझता हूं कि ऐसे वाद-विवाद में आत्मविश्लेषण अपेक्षित है। मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बारे में ठोस सुझाव दिए कि क्या करना चाहिए।

मैं तत्काल नहीं कह सकता कि अन्ततः क्या होना है। परन्तु यदि स्व-आलोचना एक सीमा विशेष को पार कर जाता है तो वह अन्ततः स्व-अपमानना बन जाती है और मेरे विचार में कोई भी माननीय सदस्य ऐसा वातावरण बनने में रुचि नहीं रखेगा जिसमें हमारा विश्वास खत्म हो जाए और हम कुंठाग्रस्त होकर लोगों के सामने जाएं। मेरे विचार में, कोई भी माननीय सदस्य ऐसी स्थिति में दिलचस्पी नहीं रखेगा। मैंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि चुनाव वर्ष होने के कारण सरकार को गरीबों के हित में बजट पेश करना ही था। मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि यह बजट गरीबों के हित में है। परन्तु इससे पूर्व उन्होंने

यह भी कहा है कि चुनाव वर्ष के कारण सरकार ने ऐसा किया है। निश्चित रूप से, मैं तथ्यों को नहीं छिपाऊंगा। हमारी पार्टी कोई धमार्थ संस्था नहीं है। यह एक राजनैतिक पार्टी है। ऐसा कहते समय, मुझे विश्वास है कि आप भी यह राजनैतिक उद्देश्यों के लिए ही कह रहे हैं। अन्ततः सभी राजनैतिक दल यही बताने के लिए अपने विचार, दृष्टिकोण पेश करते हैं कि यदि उन्हें चुनाव में सफलता मिली और वे सत्ता में आए तो अपनी नीतियों को कार्यान्वित करेंगे। ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं जानता कि हम दार्शनिकता क्यों झाड़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के सामने एक कार्यक्रम रखा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम इसे छिपाना नहीं चाहते। यह हमारा कार्यक्रम होगा। हम प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचेंगे। लगभग पिछले एक वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जो छोटे-से-छोटे गांव में जा रहे हैं। (व्यवधान) मेरे विचार में, वह पहले प्रधानमंत्री जो हैं देश के दूरदराज के गांवों में भी गए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर भिन्न प्रक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली चर्चा में वे भाग नहीं लेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा बुलाई गई कुछ बैठकों का भी बहिष्कार किया। कुछ माननीय मित्रों के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। परन्तु निश्चित रूप से मैं इसके राजनैतिक पहलू पर नहीं जाऊंगा। बहरहाल, पूरे देश का दौरा करने के बाद, छोटे-से-छोटे गांव में जाने के बाद, निर्धन की झोंपड़ी देखने के बाद, प्रधानमंत्री वापस आते हैं और एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम का सूत्रपात करते हैं। मेरे अनुसार उन्होंने देश को यह एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम दिया है। हममें कम-से-कम इतना शिष्टाचार तो होना ही चाहिए कि हम कहें कि यह एक वास्तव में बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिससे समस्त समाज की कायाकल्प होगी। हम अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते रहते हैं। उन्होंने हमें यह एक बुनियादी मुद्दा दिया है। यदि हमारी नींव मजबूत है तो उस पर बनी इमारत भी बहुत मजबूत होगी। हम पंचायती राज की उपेक्षा करते रहे हैं और यह समूची प्रक्रिया अविश्वास की प्रक्रिया थी। यहां उपस्थित कुछ लोगों और कुछ राज्य सरकारों का विचार है कि जिला परिषद् के लोग सम्भवतः हमारे कार्यों को मूर्तरूप नहीं दे सकते। पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के विषय में भी उनके यही विचार हैं। अब प्रधानमंत्री जी पूर्णतया संतुष्ट हैं कि निचले स्तर से शुरूआत किए बिना 'गरीबी हटाओ' या रोजगार जुटाने के कार्यक्रम शुरू करने या असंगठित श्रमिकों को राहत देने के कार्यक्रमों आदि का कोई अर्थ नहीं है। गरीबी की रेखा से नीचे रह रही जनता ने ही सम्पूर्ण मसले पर निर्णय करना है। जिला कलैक्टर अथवा जिले के अन्य अधिकारीगण कार्यालयों में ही बैठकर निर्णय कर लेते थे कि गरीबी की रेखा से नीचे कौन व्यक्ति हैं। अब गांव में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की सूची में किसी गलत व्यक्ति का नाम नहीं आ सकता। उसे तुरन्त पकड़ लिया जाएगा और उससे पूछा जायेगा : "गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की सूची में तुम्हारा नाम कैसे है।" इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में भी हमें बहुत से लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है। हम कोई-न-कोई बहाना कर देते थे। राज्य सरकारें और जिला परिषदें हमें बताती थीं कि ये नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता (डायमण्ड हार्बर) : मुझे खुशी है कि आपने इसे, देर से ही सही, स्वीकार तो किया।

श्री एस० बी० चव्हाण : हां, हां। हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि हम कोई नया कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका स्पष्टीकरण देना होगा और यह हमारा स्पष्टीकरण है। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : प्रधानमन्त्री जी ने भी कहा है जो आप कहना भूल गए, कि पश्चिम बंगाल में चल रही पंचायत प्रणाली श्रेष्ठ है और इसका अनुकरण होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि प्रधानमन्त्री जी ने ऐसा कहा है तो आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैं आपकी अधूरी बातों को पूरा कर रहा हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि यह बात है तो हमें खुशी है और हम इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे। हम वस्तुतः यही चाहते हैं। चाहे किसी भी पार्टी से उनका सम्बन्ध हो, जहां भी ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से इस कार्यक्रम को मूर्तरूप देने की स्थिति में है, निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करेंगे। यह केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही लागू नहीं किया जा रहा है। यह सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी हुई है। वे इस विषय पर ऐसे बोल रहे थे जैसे जवाहर रोजगार योजना केवल 120 जिलों तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। यह देश के सभी जिलों में लागू होगी। इस योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों और सभी गांवों को शामिल किया जाएगा। अतः अब सभी माननीय सदस्यों को यह सुनिश्चित करना है कि गांवों को दी जाने वाली राशि से सामुदायिक परिसम्पत्तियां बनाई जाएं। मेरे विचार में यह मुख्य बात नहीं है कि यह राशि एक लाख है या 2 लाख रुपए। मुख्य बात यह है कि प्रत्येक पाई का जनता के लिए सदुपयोग हो दुरुपयोग नहीं। हमें अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करना है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इस दिशा में कार्य करेंगी। एक माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने इस विचार का स्वागत किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नयनार के दिमाग में कुछ दूसरे विचार हैं। मैं नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों सोचते हैं। मेरे विचार में, श्री ज्योति बसु उन्हें इसके लिए राजी कर लेंगे ताकि यह कार्यक्रम केरल में लागू किया जा सके।

इस समय, मैं रियायतों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। बजट पेश किए जाने के बाद, अनेक रियायतों की घोषणा की जा चुकी है। माननीय सदस्यों का यह कहना सही है कि जब रियायतें घोषित होती हैं, और हमारा यह अनुभव भी रहा है कि पहले दिन जब बजट पेश होता है, उसी दिन से सारी बातें लागू हो जाती हैं; कीमतें बढ़ जाती हैं; और जब रियायतें दी जाती हैं तो वे मूल्य कम करना नहीं चाहते। इस बार हमने निर्णय लिया है कि हम एक निगरानी दल गठित करेंगे। जिस योजना में भी कीमतें कम होने की सम्भावना होती है, रियायतों का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए ये दी गई हैं। वास्तव में इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि रियायतें वांछित लोगों तक पहुंच रही हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मामले पर विचार करेंगे।

मैं एक अन्य बात इस समय सभा की जानकारी में लाना चाहूंगा। वह यह है कि प्रधान मन्त्री जी के कारण ही हम अपने घाटे—राजस्व एवं समग्र—को कम कर पाए हैं। उन्होंने यह एक साहसिक कदम उठाया है। परन्तु इसे यह कहकर कम करना कि आपने एक शीर्ष से लगभग 2000 करोड़ रु० स्थानान्तरित करके दूसरे शीर्ष में डालकर ऐसा किया है और यह कोई नई बात नहीं है। वास्तव में, मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहूंगा। इससे कोई नुकसान नहीं है। यद्यपि मैं अमेरिका में था लेकिन मैं जानता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने किस प्रकार का विनिर्णय दिया था। साथ ही सभा जानती है कि कैसा विनिर्णय दिया गया है इसलिए मैं इसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह भी साहसिक और सुविचारित निर्णय था कि घाटे की प्रवृत्ति प्रतिकूल है। ऐसा नहीं है कि ये बातें अचानक हुई हैं। सुविचारित नीतिगत मामला है कि हम इसकी प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं। यह बात रक्षा के मामले में भी है। ये दो बड़े साहसिक निर्णय हैं जिससे मुझे विश्वास है कि अधिकांश माननीय सदस्य इसके लिए प्रशंसा करेंगे कि हमने इससे शुरूआत की है।

आपके दिमाग में भी छिपा हुआ संदेह हो सकता है कि इस वर्ष के दौरान हमने संसद में जो घाटा दिखाया है उसमें वृद्धि हो सकती है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किया जायेगा कि यदि बाध्यकारी कारण नहीं होंगे तो हम संसद में प्रस्तुत घाटे पर ध्यान देते रहेंगे। यदि किसी जगह पर कोई असमान्य घटना घट जाती है तथा कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और हमें उनकी सहायता करनी पड़ती है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियन्त्रण से बाहर है। परन्तु यदि हमारी स्थिति ठीक है तो हम घाटे में वृद्धि करना नहीं चाहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए मेरा सतत प्रयास होगा कि घाटे को उतना कम किया जाए जितना कि हम सहन कर सकें। मैंने जिस दिन सभा में बजट प्रस्तुत किया उस दिन मैंने मंत्रिमण्डल के अपने सभी साथियों को सहयोग देने के लिए लिखा था जो वास्तव में आवश्यक है। विगत वर्ष भी हम प्रशासनिक मत्रालयों का सहयोग मिलने के कारण सफल हो सके। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष भी हमें वैसा ही सहयोग मिलेगा। गैर-विकास और गैर-योजना व्यय उतना कम किया जाना चाहिए जितना कि सहन हो सके। स्थापना प्रभारों को उतना कम किया जाना चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता है।

प्रो० मधु दंडवते : विगत वर्ष उनके सहयोग से घाटा बढ़ा था।

श्री एस० बी० चव्हाण : लगता है आप भूल गए, विगत वर्ष का मतलब 31 मार्च से पहले का है। चूंकि हम तीन महीनों से हैं इसलिये इस प्रकार की भावना पैदा हो गयी है।

विगत वर्ष प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग दिया था इसलिये हम उस सीमा तक घाटे की गति को रोक सके। मैं विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमन्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में सहयोग दें। ओवरड्राफ्ट के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने का प्रयास करें और जहां तक ओवरड्राफ्ट की स्थिति का सम्बन्ध है, मैं सभा को केवल इतना सूचित कर सकता हूं कि इसका कोई अपवाद नहीं है। यदि उचित सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट लिया

जाएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित अधिकार का उपयोग करेगी। मेरे विचार से कोई राज्य सरकार इस सीमा तक नहीं पहुंचेगी। हम यथासम्भव उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य सरकारें निकट भविष्य में हमारी आशा के अनुकूल अनुशासित होंगी और रिजर्व बैंक की योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

महोदय, मैं इस समय जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह है कि कुछ माननीय सदस्य देश में असंतुलन के बारे में कुछ कह रहे थे। यद्यपि इस समय सभी प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा सकते क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में भी नहीं है, वास्तव में यह योजना आयोग के कार्यक्षेत्र में है, लेकिन फिर कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही है और मुझे भी कुछ पृष्ठभूमि मालूम है, उसी के आधार पर मैं यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं। राज्यों की तीन श्रेणियां हैं जिनके लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है और उसके आधार पर ही वित्त आयोग सिफारिशें करता है।

महोदय, पहली श्रेणी 'विशेष श्रेणी के राज्य' अर्थात् सभी पर्वतीय राज्यों की है। विशेष श्रेणी के अन्तर्गत सभी पर्वतीय राज्यों को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। जम्मू-कश्मीर के एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। इसे विस्तार से बताना मेरे लिए कठिन है। परन्तु जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्र मेरे विचार से लद्दाख क्षेत्र को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण दिया जाता है और शेष क्षेत्रों को 70 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। इस प्रकार विशेष श्रेणी के राज्य को योजना और गैर-योजना दोनों के लिए केन्द्रीय सरकार अर्थात् वित्त आयोग और कभी-कभी योजना आयोग द्वारा राजस्व दिया जा रहा है। उन्हें गैर-योजना की अनुदानें दी जाती हैं। दूसरी श्रेणी को मध्यम श्रेणी कहा जाता है इसके राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम होती है। इस श्रेणी में छः-सात राज्य हैं और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो बिहार भी इस श्रेणी के राज्यों में से एक है।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : उड़ीसा के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूं उड़ीसा के बारे में नहीं। यदि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से कम है तो यह निश्चित रूप से उस फॉर्मूला अर्थात् संशोधित गाडगिल फॉर्मूला के अन्तर्गत आयेगा जिसके द्वारा ऐसी श्रेणी के राज्यों को विशेष अनुदान दिया जाता है।

तीसरी श्रेणी में वे राज्य आते हैं जो इन दो श्रेणियों में नहीं हैं।

इस प्रकार राज्यों की ये तीन श्रेणियां हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। मुझे आशा है कि वे योजना और गैर-योजना के लिए मिलने वाली सहायता का बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे ताकि एक विशेष समय बाद वे शेष देश के समान हो सकें। यह कार्य किस प्रकार किया जा रहा है क्या वे ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं, यह ऐसा विषय है जिस पर योजना आयोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि योजना आयोग ऐसा करेगा।

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सभी पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष श्रेणी में सम्मिलित किया जा रहा है। उन्हें 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण मिलेगा। (व्यवधान)

मेरे विचार से आप मुझे मेरी बात समाप्त करने की अनुमति देंगे उसके पश्चात् यदि कोई प्रश्न पूछा जायेगा तो मैं उसी समय जवाब देने का प्रयास करूंगा। इस समय मैं समझता हूं कि आप मेरी बात सुनेंगे। मुझे अपनी बात जारी रखने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

अगली बात भुगतान संतुलन के बारे में है जिसके सम्बन्ध में मैं सभी बातें स्पष्ट कर चुका हूं। मैंने सभा से कोई बात नहीं छिपायी है। कुछ आंकड़ों में विसंगति थी क्योंकि ये आंकड़े विभिन्न स्रोतों से संकलित किये गये थे। हमारे आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि हमारा कुल विदेशी ऋण लगभग 42.5 अरब डालर है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि यह 55 अरब डालर है। इन दो आंकड़ों में विसंगति है क्योंकि कार्यप्रणाली जैसे अनेक कारण हैं और उन्होंने हमारी विभिन्न विनिमय दरों को भी ध्यान में रखा है तथा कुछ अन्य बातें भी शामिल हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना कठिन है।

श्री अमल दत्ता : आप हिसाब क्यों नहीं लगाते ?

श्री एस० बी० चव्हाण : वे मुद्रित दस्तावेज हैं। यह सच है कि थोड़े-से प्रयास से कोई भी माननीय सदस्य यह पता कर सकता है कि वे किस आधार पर कार्य कर रहे हैं।

महोदय, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कुल निर्यात ऋण भुगतान की प्रतिशतता को कम किया जाये। यह बढ़ रहा है। मैंने इसका खंडन नहीं किया है। इसमें वृद्धि हो रही है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिये विशे और सतत प्रयास करना है कि हम जो आयात कर रहे हैं उसमें कमी की जाए और आयातों को निर्यात प्रयासों के साथ, जो हम कर रहे हैं, जोड़ दिया जाए। यह नीतिगत मामला है, जिसके बारे में हमें निर्णय करना होगा कि क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बने या नहीं। इस समस्या के बारे में दृष्टिकोण है कि आयात और निर्यात ऐसा मामला है जिसमें इन नीतियों का यह सुनिश्चित करने के लिए पालन किया जा रहा है कि हमारे उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कर सकें। यदि कुछ लोगों ने पुरानी प्रौद्योगिकी का आयात किया है तो आप हमें बतायें हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। परन्तु हमारा दृष्टिकोण नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का है ताकि हम ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर सकें जो अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बन सकें। 1992 तक यूरोपियन आर्थिक समुदाय बाजार में आ जायेगा। यदि हम वास्तव में वहां अपने माल को प्रतियोगी बनाना चाहते हैं तो हमें नई प्रौद्योगिकी को अपनाना पड़ेगा और यदि हम पुरानी प्रौद्योगिकी से माल तैयार करने का प्रयास करेंगे तो निश्चितरूप से हमें इस बात की खुशी होगी कि हमने आयात में कमी की है परन्तु जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा वे निर्यात के योग्य नहीं होंगी। इसलिए हमें चयन करना है तथा यह चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। सरकार ने बड़ा सोच समझकर यह निर्णय लिया है कि हमारी वस्तुयें प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिएं। वे अच्छे संबंधों के आधार पर कुछ समय तक हमारी वस्तुओं को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि

यदि ये वस्तुयं गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी नहीं हैं तो भी किसी देश की सद्भावना के बल पर हम निर्भर रह सकते हैं। हमारी वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक हों और गुणवत्ता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय बजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसमें हम पीछे रह जाएं। हमारे पास वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है। केवल एक ही बात है कि विदेशी मुद्रा की कमी है और इसी कारण यह तंगी महसूस हो रही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि जो एस० डी० आर० हमने 1981 में लिये थे। उनकी अदायगी अब इस वर्ष सबसे अधिक है। इस वर्ष के बाद, इसमें कमी आ जायेगी और इसके बाद जो तंगी हम आज महसूस कर रहे हैं वह कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि आयात की जा रही विलासिता की वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं को सिर्फ इसलिए आयात करने की अनुमति न दी जाए कि वे ओ० जी० एल० के अन्तर्गत हैं। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उन्हें प्रतिबन्धित सूची में लिया जाए ताकि वे कुछ वस्तुएं आयात करने के लिए दी गई शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें।

मूल्यों के संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि यदि हमें मुद्रा-स्फीति की दर तथा 1987-88 और 1988-89 में मूल्यवृद्धि की दर की तुलना करनी है तो हमें तुलनीय आंकड़ों की तुलना करनी होगी। एक तरफ थोक मूल्य सूचकांक तथा दूसरी तरफ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को रखने से काम नहीं चलेगा···(व्यवधान)···जब हम थोक मूल्य सूचकांक का आधार लेते हैं तो यह 1988-89 के अनुरूप थोक मूल्य सूचकांक लेना होगा जिसके साथ हमें तुलना करनी होगी। हमें इस आधार पर तुलना करनी है। तभी हमें पता चलेगा कि मुद्रा-स्फीति की दर में गिरावट आई है। उस दिन प्रश्नकाल के दौरान मैंने यह माना था कि हमें इस बारे में संतुष्ट नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक विशेष सीमा से आगे न जाए। यदि एक वर्ष में मैं यह दावा करूं कि मैं यह करने जा रहा हूं तो मैं नहीं समझता कि यह कार्यान्वित हो सकेगा। हमें एक अवधि तक ये प्रयास करने हैं और यदि हम यह जारी रखें तो मुझे विश्वास है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कुछ हद तक कम हो जाएगा लेकिन यह अपने प्रारम्भिक स्तर पर नहीं आएगा; ऐसा लगभग असंभव है। मैं नहीं समझता कि हम दस या पन्द्रह वर्ष से पहले इस स्तर पर पहुंच सकेंगे। कुछ हद तक इस प्रकार की मूल्य वृद्धि अवश्यंभावी होती है। मैं नहीं समझता कि इससे बचने का कोई रास्ता है। हमें इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिएं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छी तरह कार्य करे, सहकारी संस्थाएं उचित रूप से कार्य करें और कुछ मामलों में उपभोक्ता की ओर से दबाव भी हो। वास्तव में इस प्रकार का शिक्षाप्रद आन्दोलन चलाना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर अत्यधिक बल देते रहे हैं कि कुछ वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता का दबाव होना चाहिए। जब आप कुछ भी लेने को तैयार हैं तो मैं नहीं समझता कि जो मूल्य वृद्धि हम देख रहे हैं, उससे बचा जा सकता है और इसीलिए उपभोक्ता का दबाव होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाए और यदि सभी वस्तुएँ विशेष रूप से गरीब वर्गों के पास पहुंच जाएं तो मुझे विश्वास है कि मूल्यों पर पूर्णतया नहीं तो कुछ हद तक नियन्त्रण अवश्य हो जाएगा।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को वास्तव में, बजट में ही दिए अनेक लाभों के बारे में सूचित करना चाहूंगा। आप पाएंगे कि कृषि तथा औद्योगिक, दोनों ही क्षेत्रों में अनेक कार्य किए गए हैं।

मध्यम श्रेणी के लिए भी ये प्रयास किए गए हैं। क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध है इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे इन पर विस्तार से बोलना चाहिए।

लगभग सभी माननीय सदस्यों ने अगला मुद्दा यह उठाया था कि आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत छूट की सीमा को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाए। मैं इस सभा को बताना चाहूंगा कि मैंने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है। सर्वप्रथम, मैं सभा के सम्मुख यह मुद्दा लाता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि ऐसा कैसे है कि अप्रत्यक्ष करों पर अधिक बल दिया गया है। उत्पाद तथा सीमा-शुल्क तथा अन्य क्षेत्रों मे प्रयास किए गए है और जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबध है, आप इनसे बचने का प्रयास करते हैं। आप इसे दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए आधार व्यापक करना पड़ता है। यह तो एक मुद्दा था, यह तर्क था और इस सभा में हमने नीति प्रदर्शित की है। इस प्रकार, इसके अनुरूप हमने यह प्रयास किया है कि पहले तो हमने प्रविष्टी वर्ग को 25 से कम करके 20 कर दिया है। अब मैं सभा को उपलब्ध बचत उपायों के बारे में सूचित करता हूं; इनके अन्तर्गत लगभग 62,000 से 65,000 लोग आय-कर अधिनियम के तहत छूट प्राप्त करते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : लेकिन उनकी बचत के लिए कुछ भी नहीं बचता है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि मैं सभा को सूचित करूं तो ये आंकड़े माननीय सदस्यों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। यदि छूट की सीमा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 कर दी जाए और शुरू में हमारे द्वारा कम की गई 20 प्रतिशत की दर रहे तो इससे 225 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा। और पहली स्थिति में आयकर के दायरे से निकलने वाले लोगों की संख्या 9 लाख होगी। यदि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाए तो ऐसे लोगों की संख्या 17 लाख होगी; 25 प्रतिशत की दर से 550 करोड़ रुपये का राजस्व-घाटा होगा। इस प्रकार मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए इस राजस्व को खोना संभव है जिसकी हमें वास्तव में अत्यधिक आवश्यकता है। इसी कारणवश इतने अधिक संसाधन जुटाने का प्रयास करना पड़ा और इसलिए मैंने माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना उचित समझा कि आयकर देने वाले लोगों की संख्या 70 लाख है। लगभग 80 करोड़ की कुल जनसंख्या में इनकी संख्या 70 लाख है। यदि हम इसमें और छूट देने का प्रयास करें और इन लोगों को आयकर के दायरे से निकलने दें तो इन 70 लाख लोगों के निकलने का यह अर्थ होगा कि इसकी अत्यधिक दूरगामी प्रतिक्रिया होगी। दूसरी ओर हमारा यह प्रयास है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमें और अधिक राजस्व की प्राप्ति हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो और अधिक संख्या में लोगों को आय-कर देना होगा, अन्यथा कोई दूसरा तरीका नहीं है। यदि मैं यह छूट दे दूं तो उस हद तक अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करनी पड़ेगी और फिर आप कहेंगे कि प्रत्यक्ष करदाताओं को लाभ देने के लिए अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि क्यों की गई है? मैं नहीं समझता कि ऐसा करना हमारी नीति के मुताबिक है और इसलिए मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा यहां उठाए गए मुद्दों को स्वीकार नहीं कर सकूंगा।

सिक्किम से एक महिला सदस्य ने सिक्किम में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने के बारे में एक मुद्दा उठाया है। सौभाग्यवश मैं यह कहता हू कि उस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा

है कि "हम केन्द्र और राज्य के बीच कोई टकराव उत्पन्न नहीं करेंगे।" केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसे दल का गठन करना है जो उनके द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों पर विचार कर सके।

प्रो० मधु दंडवते : आप उनका उल्लेख कर सकते हैं लेकिन उनके पति का उल्लेख नहीं कर सकते।

श्री एस० बी० चव्हाण : उनके पति का वक्तव्य है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

श्री मुरली देवरा : वह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : वह प्रधानमंत्री से मिले हैं उसके बाद एक सरकारी वक्तव्य देते हुए कहा है, "हम सिक्किम में प्रत्यक्ष कर अधिनियम लागू करने के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन इसमें हमें कठिनाईयां तो अवश्य ही होंगी।" मैं सभा को सूचित करता हूं कि वहां पर आयकर बहुत कम लोगों पर लगाया जा रहा है, इनकी आय लगभग 1000 रुपये या 12000 रुपये के आसपास हैं। मुझे इन आंकड़ों का पक्का नहीं पता है। लेकिन यदि इस कानून को उस क्षेत्र में लागू किया जाता है तो आय-कर के अन्तर्गत उन्हें अधिकतम राहत मिलेगी। यदि 97 प्रतिशत लोगों को अपना स्व-निर्धारण देना है तो हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्हें अवश्य ही कुछ नुकसान होगा। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यदि उन्हें कोई नुकसान होता है तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें इसका मुआवजा मिले। इसलिए, ऐसी सद्भावना के होते हुए मैं नहीं समझता कि वहां पर प्रत्यक्ष कर कानून लागू करने के विरोध में कोई औचित्य है। हो सकता है कि देश में कर से बचने वाले कुछ लोगों ने आयकर से बचने के लिए वहां पर अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं, वे इससे कुछ हद तक प्रभावित होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिक्किम राज्य इससे प्रभावित होगा।

एक और मुद्दा फसल बीमा योजना से संबंधित है। वास्तव में, योजना के अनुरूप हमने खरीफ की अवधि के दौरान इस योजना को कार्यान्वित कर दिया था और काफी मात्रा में धनराशि देनी पड़ी तथा गुजरात और महाराष्ट्र, दोनों राज्यों में हमें गलत गतिविधियों का पता लगा। इसका आधार ही बहुत मजबूत नहीं है। इसी कारण हमने मंत्रियों की बैठक की और हर मुद्दा तय किया गया। वास्तव में यह तो एक प्रकार का लाभ है जो बैंकों को मिलेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार 40 प्रतिशत योगदान दे, राज्य सरकार 40 प्रतिशत योगदान दे और बैंक 20 प्रतिशत योगदान दें, और उन्हें 150 प्रतिशत धनराशि देने की बजाय यह बीमा-किस्त की कुल राशि का लगभग 100 प्रतिशत के आसपास होगा जिसकी अदायगी इन लोगों द्वारा की जा रही है। इसलिए इतनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे बैंक के चूककर्ता न बन जाएं।

मैं यह पता लगाने का प्रयास करूंगा कि सभी क्षेत्रों के लिए राजसहायता देना कैसे संभव होगा। इस स्थिति में इस मुद्दे पर कुछ कहना मेरे लिए अत्यन्त कठिन है। श्री पाटिल ने एक तर्क दिया था कि यदि योजना को अन्य नकदी फसलों पर लागू कर दिया जाए तो हमें और अधिक राशि प्राप्त हो सकती है और हम इस योजना के सभी क्षेत्रों में राजसहायता दे सकेंगे। जैसाकि मैंने कहा है, मैं इस पहलू के बारे में तुरन्त ही कुछ नहीं कह सकता। इस मामले की जांच साधारण

बीमा निगम को करनी है और उसे इस योजना की कुल लागत के बारे में अपनी प्रतिक्रियायें व्यक्त करनी हैं। परन्तु यह योजना अगले वर्ष से रबी की फसल पर लागू होगी। यह योजना एक सिमित योजना होगी जिसे संशोधित रूप में लागू किया जायेगा। इसलिए सभी किसान इस योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में कृषि क्षेत्र के बारे में एक और मुद्दा लाना चाहूंगा। यह मुद्दा उन छोटे और सीमान्त किसानों के बारे में है जिनकी संख्या वास्तव में बहुत अधिक है। जब प्राकृतिक आपदायें आती हैं तो हम उनको 'रिशिड्यूलिंग' का लाभ देते हैं। मेरे अनुसार 'रिशिड्यूलिंग' कोई राहत नहीं है। उन्हें ब्याज सहित धन की अदायगी करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने सभी बैंकों से यह कहा है कि विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों के बारे में उन्हें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह मूल धनराशि से अधिक न हो। छोटे और सीमांत किसानों के मामले में 'धमधुपद' सिद्धान्त को अपनाया जाना चाहिए। वास्तव में इससे भारी संख्या में देश के किसानों को लाभ होगा।

एक माननीय सदस्य : इस योजना को देश के सभी किसानों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : ब्याज की दांडिक दर को छोड़ना पड़ेगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने सभी बैंक कर्मचारियों और अन्य पधिकारियों से बातचीत की है और हमने फिलहाल यह अंतिम निर्णय लिया है। हम छोटे और सीमान्त किसानों से इस योजना को आरम्भ कर सकते हैं। जब हमें इस बारे में कुछ अनुभव हो जाएगा तो यदि ऐसा करने की नितान्त आवश्यकता होती है और यदि हमें यह पता चलता है कि सरकार को भारी हानि नहीं हो रही है तो हम इस योजना को व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे। एक वर्ष में ही दो राज्यों के जिलों में हमें 500 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। अत: इस बारे में सम्पूर्ण योजना की समीक्षा की जानी चाहिए कि हमें इतनी अधिक हानि क्यों हो रही है। हम इस नये फार्मूले को लाए हैं। पहले इस योजना का विस्तार छोटे और सीमान्त किसानों तक किया जा रहा है।

जहां तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, हम उनके लिए भारी मात्रा में राजसहायता दे रहे हैं। कम-से-कम मुझे दी गई सूचना से तो यह जाहिर होता है कि हम लगभग 3000 करोड़ रुपये की राजसहायता दे रहे हैं।

मैंने एक बजट-पूर्व चर्चा आयोजित की थी। हमने बहुत से लोगों के साथ बजट-पूर्व चर्चा की थी। इस पहलू पर मुझसे बातचीत करने के लिए एक कृषक-दल को विशेष रूप से बुलाया गया था। वे इस मुद्दे के बारे में एकमत थे। उन्होंने मेरे ध्यान में यह बात ला दी है कि यद्यपि इससे इन विनिर्माताओं को लाभ हो रहा है परन्तु वह लाभ कृषकों तक नहीं पहुंचता है। मैंने अभी तक इस बारे में अपने विचारों को अन्तिम रूप नहीं दिया है। परन्तु मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि वे किसी भी ऐसे लाभ को किसानों तक नहीं पहुंचने देते हैं। वास्तव में, मैं व्यक्तिगत रूप से, इस बारे में

जांच करने और इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इच्छुक हूं कि हम ऐसी योजनायें कैसे बनायें ताकि उनका लाभ किसानों को मिले न कि विनिर्माताओं को।

अब मैं, सिंचाई, विद्युत, कीटनाशक दवाओं और इन कृषकों को दी जाने वाली अन्य सहायताओं की दरों की बात पर आता हूं। कुछ माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि यदि उत्पादन अधिक होता है तो इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। जहां तक खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनके बारे में भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किया गया है— जब इन वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक गिर जाते हैं तो यह दायित्व कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले हमारे संगठनों का है कि वे बाजार में प्रवेश करें। किसानों को संरक्षण देने के लिए उनके मन में यह भावना नहीं आने देनी चाहिए कि यदि वे अधिक उत्पादन करेंगे तो उन्हें वंचित किया जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : केवल कृषि मंत्रालय को ही नहीं, अपितु वाणिज्य मंत्रालय को भी ऐसा करना चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : वाणिज्य मन्त्रालय केवल निर्यात के मामले में सामने आयेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं, नहीं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि यह नितान्त आवश्यक है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में हम यह विचार कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हम कृषकों के लिए जो कार्य करना चाहते थे, कुछ सीमा तक हम उन्हें करने में सफल रहे हैं। मैं इस बात से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं कि वास्तव में परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रत्येक आवश्यक कार्य को किया गया है। परन्तु हमारा इस दिशा में यह पहला प्रयास है।

मैं जानता हूं कि इस बारे में प्रो० रंगा के विचार बहुत स्पष्ट हैं। हम निश्चित रूप से यह प्रयास करेंगे कि उनके विचारों को यथासंभव कार्यान्वित किया जाये। परन्तु हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, हमें अपने लिए निर्धारित की गई सीमाओं में ही रखना है। यदि हम ससाधन जुटाने की अपनी क्षमता से बाहर जाने का प्रयास करेंगे तो फिर घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रश्न उठेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर अन्य सभी प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि हमें एक ऐसी स्थिति का सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए जोकि वांछनीय नहीं है। सौभाग्य से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। आप यह देखेंगे कि हमने सातवीं योजना के लिए अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किये थे, उनमें से एक अथवा दो छोटी-मोटी मदों को छोड़कर, शेष सभी लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ रहे हैं। परन्तु अधिकांश मदों के बारे में हम लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ रहे हैं। इसलिए हमें इससे और अधिक विश्वास मिलता है। आरम्भ में हमारी विकास दर 3 प्रतिशत से लेकर 3.5 प्रतिशत थी। अब 10 वर्षों से अधिक समय से हमारी विकास दर 5 प्रतिशत से लेकर 5.2 प्रतिशत रही है। अतः इससे हमें और अधिक विश्वास मिलता है कि हम अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना को 6 प्रतिशत विकास दर से आरम्भ करने में सफल हो सकेंगे। यह आशा करना पूर्णतया अनुचित नहीं होगा कि हम 6 प्रतिशत विकास दर के स्तर तक पहुंचने के लिए संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकेंगे। अतः हमें यह एक

प्रकार का विश्वास प्राप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किये गये अपने संसाधनों से सामाजिक न्याय के साथ विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए संभव होगा और हम उन लोगों की सहायता कर सकेंगे जिन्हें इस बारे में सहायता की आवश्यकता है।

इस बारे में, मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनायें और यह सुनिश्चित करें कि परिकल्पित योजनाओं को उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए एक विशेष प्रावधान किया है जिसके अन्तर्गत उन्हें 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। असम राज्य के लिए 70 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण है। परन्तु एक बात यह है कि असम राज्य में 18 जनजातियां हैं। आप असम की स्थिति जानते हैं; यह एक अत्यन्त गरीब राज्य है और चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है। जनजातियों के कारण इस राज्य को पहाड़ी राज्यों के समान समझा जाना चाहिए।

श्री एस० बी० चह्वाण : जहां तक असम राज्य का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि वास्तव में हमने पहाड़ी राज्यों के बारे में जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह उन राज्यों पर लागू होता है जिनके पास संसाधन जुटाने का किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है। इसमें मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे बहुत छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित हैं। हमने उन्हें ध्यान में रखा है और इसलिए अरुणाचल को भी···

प्रो० मधु दंडवते : उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र···

श्री एस० बी० चह्वाण : महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश बड़े राज्य हैं। उनके संसाधनों का आधार बहुत बड़ा है। मैं नहीं समझता कि उन्हें किसी प्रकार की प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। परन्तु साथ ही साथ विवशताओं के कारण ये छोटे-छोटे राज्य बनाने पड़े और ऐसे राज्यों की रक्षा भारत सरकार को करनी पड़ती है जिनके पास संसाधन जुटाने के आधार नहीं हैं। परन्तु मैं यह नहीं सोचता कि असम इस योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार के संरक्षण का दावा कर सकता है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि मुख्य मन्त्रियों को आर्थिक नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए और उनके संसाधनों के विस्तार की बात भारत सरकार के विचाराधीन थी। खेप-कर के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार को निर्णय लेना चाहिए। क्या आपने इस बारे में निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्योरा क्या है?

मेरा एक अन्य छोटा मुद्दा है।

सभापति महोदय : उन्होंने यह बात पहले ही मान ली है।

श्री हन्नान मोल्लाह : वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने जवाहर रोजगार योजना की घोषणा की थी। मंत्री महोदय ने भी बड़े जोर-शोर से उस कार्यक्रम की प्रशंसा की थी।

में माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस योजना के लिए धन-राशि में वृद्धि की है अथवा क्या वह धनराशि उतनी ही है जितनी पहले घोषित की गई थी, और चर्चा के दौरान केवल कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, सम्पूर्ण धनराशि, इसकी मात्रा चाहे कुछ भी हो, का उल्लेख बजट में किया गया है और उस दिन केवल इस बारे में कहा गया था। क्या इसमें कोई राशि जोड़ी गई थी ?

श्री एस० बी० चह्वाण : माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद में सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि पहली बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में दो बातों को सम्मिलित किया गया है। आयकर पर 8 प्रतिशत अधिभार के द्वारा हम 500 करोड़ रुपये जुटा पायेंगे और इस प्रकार कुल मिलाकर यह राशि 2100 करोड़ रुपये बैठती है। अतः इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है और यदि योजना के अनुसार कुछ और धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस विशेष स्थिति में इस बारे में विचार करेंगे।

मैं मौखिक रूप से उन 2 अथवा 3 बातों का उल्लेख करूंगा जिनके बारे में मैं यह समझता हूं कि मुझे उल्लेख करना चाहिये। अपनी बातों को और अधिक सुस्पष्ट बनाने के लिए मैंने उन्हें लिखा है और इसलिए मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। अब मैं अपने कलाकारों और खिलाड़ियों की ओर आता हूं जिनका उद्देश्य शारीरिक व मानसिक विशिष्टता प्राप्त करना है। सदस्य जानते हैं कि आजकल सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर अधिक रूझान सा हो गया है। फिर भी हमारे रचनात्मक कलाकरों और कवियों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से एक है, उपयुक्त उपकरणों और सामग्री की कमी। इन उपकरणों में से कुछ का आयात किया जाता है क्योंकि ये अपने देश में उपलब्ध नहीं होते, और जब इन उपकरणों का आयात किया जाता है तो ऐसी मदों पर शुल्क लगाने से ये महंगी हो जाती हैं। इसलिए, सरकार ने नृत्य, संगीत, लेखा, चित्रकला और साहित्य जैसी रचनात्मक कलाओं के क्षेत्र में कुछ चुने हुए व्यक्तियों और संस्थाओं को, शुल्क-मुक्त आयात कराने के सीमित विशेषाधिकार उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। इस सम्बन्ध में जल्दी ही ब्यौरे दे दिये जायेंगे।

देश में सातवीं योजना में सरकार ने खेलों में विशिष्टता प्राप्त करने और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया है, यह हमारी नीति रही है कि खिलाड़ियों को उत्तम स्तर की सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराये जाये। उच्च स्तर के उपकरणों, जो हमारे देश में नहीं बनाये जाते हैं, का आयात करने की सुविधाएं दी गई हैं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। विशेषतया अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों जैसे ओलम्पिक और विश्व खेल, राष्ट्रमण्डल के खेलों, एशियन खेलों, एफ्रो-एशियन खेल में हिस्सा लेने को ध्यान में रखते हुए इस नीति को और अधिक उदार बनाने के प्रति सरकार सचेत है। सरकार अति विख्यात खिलाड़ियों और सामान्य प्रशिक्षित सुविधाओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार एक उदार नीति शुरू करने पर विचार कर रही है। नीति का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार का कमजोर इकाइयों के लिए कतिपय योजनाएं बनाने तथा बचत को प्रोत्साहन देने का इरादा था। मुझे सदस्यों को सूचित करते हुए प्रसन्नता है

कि योजनाएं अब तैयार हो गई हैं और मैं बजट सत्र में इसका ब्यौरा दूंगा।

बचत योजनायें—इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में घरेलू लोगों द्वारा इक्विटी में निवेश को बढ़ावा देने से अभिप्राय है। इस योजना की मूल विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) इस योजना को भारतीय यूनिट ट्रस्ट अथवा अन्य म्यूच्युअल फण्डस् द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाये गये 'क्लोज्ड-एण्ड' कोष के माध्यम से चलाया जायेगा।

(2) इस कोष में 10,000 रुपये तक का निवेश, जिस वर्ष में किया गया है, उस वर्ष कर-योग्य आय से पूरी तरह कर-मुक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए आय-कर में एक नयी धारा जोड़ी जायेगी।

(3) फण्ड द्वारा एकत्रित धनराशि का नई व पुरानी कम्पनियों की इक्विटी में निवेश किया जायेगा।

(4) प्रत्येक ऐसे क्लोज्ड एण्ड फण्ड से मिलने वाले लाभांश को पूरी तरह से वितरित किया जायेगा और उसे धारा 80(ठ) के तहत कर से छूट दी जायेगी।

(5) तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद दोबारा खरीद मूल्य पर धन वापिस निकालने की अनुमति दी जायेगी जो प्रत्येक निधि की निवल परिसम्पत्ति की मद पर आधारित होगी। यूनिट के खरीद मूल्य के समतुल्य धन वापिसी वाले भाग को आय में जोड़ा जायेगा तथा यूनिट के दोबारा खरीद मूल्य की तुलना में बढ़े हुए समतुल्य भाग को ऐसे वापिसी वर्ष में पूंजीगत लाभ में जोड़ दिया जायेगा।

मैंने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक योजना की घोषणा की थी। इसे भी तैयार कर लिया गया है और इस योजना की निम्न विशेषताएं होंगी :

(1) यह योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख के तीन महीनों के भीतर निवेश करना आवश्यक होगा जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के शुरू होने की तारीख से तीन माह तक निवेश कर सकते हैं।

(2) इस योजना में निवेश हेतु सेवानिवृत्त लाभ निम्नलिखित कुल राशि से अधिक नहीं होने चाहिएं :

(क) सरकारी भविष्य निधि खातों में कर्मचारी की जमा राशि;

(ख) सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्त व उपदान;

(ग) पेंशन का परिकलन मूल्य;

(घ) छुट्टी के बदले नगद भुगतान; और

(ङ) सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को सरकारी बीमा योजना की बचत राशि।

(3) निवेश तीन वर्षों के लिए किया जायेगा। जमाकर्त्ता की इच्छा से खाते को उससे आगे जारी रखा जा सकता है।

(4) जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर छमाही ब्याज का भुगतान किया जायेगा, ब्याज की दर 9 प्रतिशत होगी।

(5) योजना को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से चलाया जायेगा और जमाकर्त्ता को पास बुक दी जायेगी। बैंक प्राप्त राशि को सरकार के जमा खाते में जोड़ेगा और किए गए भुगतान की राशि निकाल लेगा।

(6) चूंकि यह योजना केन्द्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त योजना है, इसलिए यह प्रस्ताव है कि उस राज्य में स्थित बैंकों में कुल जमा का 50 प्रतिशत उस राज्य सरकार को लघु बचत जमा राशि के अंश के आधार पर ऋण के रूप में दे दिया जायेगा।

तीसरी जमा योजना नया राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, आठवां निर्गम है। यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही प्रमाण पत्रों की बिक्री शुरू हो जायेगी। इस योजना की निम्न मुख्य विशेषताएं है :

(1) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आठवें निर्गम में व्यक्तिगत रूप से और संस्थाओं जैसे कम्पनियों, साझेदारी फर्मों, स्थानीय निकायों, निगमों, ट्रस्टों आदि द्वारा निवेश किया जायेगा।

5.00 म०प०

(2) निवेश पर 12 प्रतिशत (चक्रवर्ती) ब्याज दिया जायेगा और छः वर्षों के बाद 100 रुपये के प्रमाणपत्र का परिपक्व मूल्य 201.50 रुपये होगा, अन्य मूल्य वर्गों पर परिपक्व मूल्य आनुपातिक दर से दिया जायेगा।

(3) आयकर की धारा 80(ग) के अधीन राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आठवें निर्गम में निवेश पर कर छूट दी जायेगी।

अब कमजोर इकाइयों के लिए उत्पाद राहत के संबंध में माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने कमजोर इकाइयों के लिए उत्पाद राहत योजना बनाने के बारे में बताया था। मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह कार्य किया जा चुका है और आवश्यक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जायेगी। इस योजना की निम्न मूल विशेषताएं होंगी :

(1) यह योजना ऐसी यूनिट पर लागू होगी जिसमें अधिकतम निवल आय की 50 प्रतिशत या उससे अधिक राशि पिछले पांच लेखा वर्षों में से किसी भी वर्ष में संचयी घाटे के कारण कम हुई हो।

(2) यूनिट के पास निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान द्वारा अनुमोदित, दोबारा चालू करने, आधुनिकीकरण अथवा विविधिकरण योजना होनी चाहिए। इस योजना में पूंजीगत व्यय कार्यकारी पूंजी की सीमा, श्रमिक यौक्तिकीकरण लागत, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण भुगतान, वित्तीय पुनर्गठन, आवधिक ऋणों की अदायगी तथा अन्य ऐसी मदें जो यूनिट को दोबारा चालू करके आधुनिकीकरण अथवा उसके विविधिकरण के लिए प्रत्यक्षतः संगत हों शामिल होंगी।

(3) योग्य यूनिट ब्याजमुक्त ऋण के अधिकारी होंगे जिसके लिए उन्हें तीन वर्ष की अनुग्रह अवधि प्रदान की जाएगी तथा ऋण सात वर्षों में लौटाना होगा जिसकी राशि इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् तीन वर्षों के दौरान उत्पाद शुल्क के वास्तविक भुगतान का 50% तक होगी। ऐसे उत्पाद ऋणों के रूप में दी गई कुल राशि यूनिट के दोबारा चालू करने, आधुनिकीकरण/विविधिकरण योजना की समग्र लागत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(4) निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों के माध्यम से यूनिटों को उत्पाद ऋण दिया जायेगा।

1989-90 का केन्द्रीय बजट सरकार के सामाजिक न्याय के साथ विकास के मूल उद्देश्य को दर्शाता है। मैंने बजट प्रस्तुत करते समय कतिपय वायदे किये हैं और सदस्य ध्यान दें कि मैंने यह सुनिश्चित किया कि मुख्य वायदों को शीघ्र ही पूरा किया जाये। बचत योजना और उत्पाद राहत योजना वायदानुसार तैयार की गई है। आवश्यक अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी कर दी जायेंगी और योजनाओं को प्रभावित करने के लिए कानूनी परिवर्तन यथाशीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : पारेषण कर पर क्या निर्णय किया गया है।

सभापति महोदय : स्पष्टीकरण के लिए यह पर्याप्त है।

श्री एस० बी० चव्हाण : पारेषण कर के सम्बन्ध में मैं पहले ही मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में वायदा कर चुका हूं और उसके बाद इस सभा में एक प्रश्न के उत्तर में भी मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि वर्षाकालीन सत्र में विधेयक पुरःस्थापित कर दिया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैंने स्पष्टीकरण मांगा था तो मन्त्री जी ने कहा था कि वे बाद में स्पष्टीकरण कर देंगे।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : भूतपूर्व सैनिकों को कुछ राहत देने के बारे में क्या विचार है?

प्रो० मधु दंडवते : सभापति महोदय, मैं एक मुद्दे पर माननीय मन्त्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह अत्यन्त खेदजनक है कि उन्होंने विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में लापरवाही का रवैया अपनाया है और आज फिर इसे दोहराया है (व्यवधान) माननीय सदस्य, क्या मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं। वे सदा ही बातें करते रहते हैं। वे बारह बजे भी ऐसा करते हैं और अब भी ऐसा ही कर रहे हैं।

महोदय, मैं इस बात से परेशान हूं कि माननीय मन्त्री जी ने विदेशी ऋण के बारे में लापरवाही का रवैया अपना रखा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे अभी तक यही समझते हैं कि 23 से 24 प्रतिशत तक ब्याज भुगतान की दर बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है। वास्तव में यदि आप अर्थव्यवस्था सम्बन्धी पत्रिकाएं पढ़ें तो पाएंगे कि सभी में ऐसा कहा गया है।

सभापति महोदय : वे पहले ही ऐसा कह चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे उनसे स्पष्टीकरण चाहिए, आपसे नहीं। यह दर 30 प्रतिशत है। इसलिए क्या आप अब इस गम्भीर प्रवृत्ति के प्रति सचेत होंगे और प्रयत्न करेंगे कि बाहर से लिए जाने वाले ऋण पर कोई अंकुश हो?

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि मैंने जो कुछ सभा में कहा है, उसे माननीय सदस्य ने सुना है तो यह स्पष्ट है कि हमने लापरवाही नहीं की है। इस वित्त विधेयक पर चर्चा शुरू करते समय मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी। उत्तर देते समय भी मैंने कहा है कि यह वास्तव में हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे। किंतु यह कहना उचित नहीं है कि यह अत्यन्त चिंताजनक है। मैं नहीं समझता कि यह अत्यतं चिंताजनक है। हम निश्चित रूप से इस पर काबू पा सकते हैं। और मेरे विचार से स्थिति नियन्त्रण से बाहर नहीं है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लापरवाही बरत रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे। **खंड 2 से 6** में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 7—धारा 32कक में संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

"(ग) उपधारा (3) में, 1 अप्रैल, 1991 से,—

(i) "उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "पृथक लेखे रखे जाते हैं वहां" शब्दों पर होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"उपधारा (अ) के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती के कारबार या वृत्ति का लाभ",

(ii) इसी प्रकार संशोधित विद्यमान खंड (क) में,—

(1) "छठी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची 6" शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(2) अन्त में आने वाले शब्द "और" का लोप किया जाएगा,

(iii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा;"। (4) (श्री एस० बी० चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 8 से खंड 18 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 से 18 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 19—धारा 115 में संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9, पंक्ति 2 में "1 अप्रैल, 1988 के पश्चात्" **के स्थान पर** "1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष में" **प्रतिस्थापित किया जाये** । (5) **(श्री एस० बी० चव्हाण)**

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 20—धारा 153 में संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 6, पंक्ति 5—10 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए**,—

धारा 153 में संशोधन । "20. आयकर अधिनियम की धारा 153 की [प्रत्यक्षकर विधि संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 59 द्वारा 1988 का 4 संशोधित] उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश निम्नलिखित अवधियों में से जो भी बाद में समाप्त हो उसके पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा—

(क) वह आय जिस निर्धारण वर्ष में सर्वप्रथम निर्धारणीय थी, उस निर्धारण वर्ष के अन्त से दो वर्ष, या

(ख) जिस वित्तीय वर्ष में धारा 139 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी या संशोधित विवरणी 1 अप्रैल, 1988 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या उसके पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में दाखिल की जाती है, उसके अंत से एक वर्ष ।" (6)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 21 से 51 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 से 51 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 से खंड 51 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

चौथी अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 27, पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए— चौथी अनुसूची

"(ग) उपशीर्ष सं० 2504 31 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर" 15 रुपये प्रति वर्गमीटर "प्रविष्टि रखी जाएगी;"। (1)

पृष्ठ 29, पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये— चौथी अनुसूची

"(यक्ष) उपशीर्ष सं० 4823.90 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "35% प्रविष्टि रखी जाएगी;"। (2)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चौथी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

पाँचवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 34, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(5) उपशीर्ष सं० 5902.10 और 5902.20 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "4.20 रुपये प्रति किलोग्राम" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) उपशीर्ष सं० 5902.30 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.10 रुपये प्रति किलोग्राम" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(7) उपशीर्ष सं० 6001.12 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%

घन 2.10 रुपये प्रति वर्गमीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी।" (3)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पांचवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पांचवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छठी अनुसूची विधेयक का अंग बने—"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.11 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति— (जारी)

सभापति महोदय : श्री विजय रामाराव।

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दिपेट) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्षों के बाद, आज हम अपने देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में हर वर्ष साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और ये उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 1981 से 1987 के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

साम्प्रदायिक घटनाओं की कुल संख्या	—	3,223
मारे गए मुस्लिम लोग	—	1822

मारे गए हिन्दु लोग	—	753
घायल हुए मुस्लिम लोग	—	8657
घायल हुए हिन्दु लोग	—	10536
सम्पत्ति का नुकसान	—	25.3412032 करोड़ रुपये
मारे गए पुलिस लोगों की संख्या न्यूनतम थी	—	12 (बारह)

5.12 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इससे क्या पता चलता है ? हर बार जब दंगे होते हैं, लोग या तो अल्पसंख्यक समुदाय के अथवा बहुसंख्यक समुदाय के मारे जाते हैं और घायल होते हैं। उनकी सम्पत्ति का नुकसान होता है। साम्प्रदायिक दंगों की वजह से उनके रहन-सहन की स्थिति भी बदल जाती है।

सरकार की क्या प्रवृत्ति है ? साम्प्रदायिक दंगों के ठीक बाद, पुलिस वहां जाती है। इसका कार्य फायर ब्रिगेड की तरह का होता है। पुलिस आएगी, वहां कुछ दिनों तक रहेगी और फिर वापस चली आएगी। लेकिन इस अवधि के दौरान लोगों में शांति और सद्‌भाव से रहने की स्थिति बहाल नहीं की जाएगी। समस्या के मुख्य कारण को दूर नहीं किया जाएगा। हर बार दंगे होते हैं, सरकार, प्रशासन और राजनीतिक ढांचा हमारे देश में इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं करते।

हाल ही में हिन्दी भाषी राज्यों विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। क्यों ? ऐसा सरकार को गैर-जिम्मेदाराना और अक्षम प्रशासन की वजह से और कुछ राजनीतिक और धार्मिक नेताओं द्वारा भड़काने वाले भाषणों के कारण हुआ है। इस तरह, निर्दोष, अनजान और निर्धन लोगों को गुमराह किया जाता है और वे साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेते हैं। ऐसा केवल एक ही समुदाय में नहीं होता है। ऐसा हिन्दु और मुस्लिम दोनों समुदायों में हो रहा है। हिंदुओं में कुछ संगठन जैसे विश्व हिन्दु परिषद, शिव सेना और आर० एस० एस० लगातार सांप्रदायिक प्रवृतियां पैदा कर रहे हैं। वे सांप्रदायिक विचारों के लिए लोगों को संगठित कर रहे हैं और वे धर्मनिर्पेक्ष विचार के लिए वकालत नहीं कर रहे हैं। अत: लोग इन सांप्रदायिक संगठनों की वजह से अलग हो गए हैं और अपनी पहचान बनाने लगे हैं और भड़क गए हैं।

राजनीतिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा शुरू में ही धर्मनिर्पेक्ष विचार की वकालत नहीं करता रहता है। यहां तक जो समाजवाद के बारे में बोलते हैं, व्यावहारिक जीवन में वे धर्मनिर्पेक्ष प्रवृत्तियों को नहीं अपनाएंगे। हर बार वे समाजवाद का प्रचार करते हैं जबकि अपने व्यावहारिक जीवन में, वे धार्मिक विचार को अपनाएंगे। यहां तक कि सरकारी समारोहों में, चाहे यह केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का समारोह हो, पूजा की जाती है। हिन्दु धर्म से सम्बन्धित मन्त्री, किसी सरकारी समारोह का उद्‌घाटन करते समय, वहां पूजा करेंगे। इस तरह की पूजा भी अन्य धर्मों से सम्बन्धित लोगों को भड़काएगी। यह उनमें बेचैनी की भावना पैदा करेगी। अत: हमारे प्रशासन की तरफ से, हमारे राजनीतिक पक्ष की तरफ से इस तरह की गतिविधियों का स्थायी रूप

से बहिष्कार किया जाना चाहिए । केवल इतना ही नहीं, प्रशासनिक ढांचे द्वारा हर बार स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों को तथा अन्य युवा वर्गों को भी अलग किया गया । इस प्रकार की गतिविधि का भी बहिष्कार करना होगा ताकि भविष्य में युवा पीढ़ी इन धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित न हो । भविष्य में, इसे केवल तभी रोका जा सकता है जब राजनीतिक नेता अथवा प्रशासनिक अधिकारी धार्मिक विचारधारा को छोड़ देंगे और अपने मस्तिष्क से जातिवाद समर्थक विचारों को निकाल देंगे और धार्मिक संगठनों से अपने आपको अलग कर लेंगे : केवल तब लोग अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों को छोड़ेंगे । मेरा यह पक्का विश्वास है कि जब तक आप मूल कारण में सुधार नहीं करते, जैसे लोगों को शिक्षित करना, प्रशासनिक ढांचे अथवा राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन नहीं करते, हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगे जड़ से समाप्त नहीं होंगे ।

उन स्थानों पर जहां दंगे होते हैं, विश्लेषण क्या है, पूर्ववृति कारण क्या है ? इन दंगों में अधिकतर नेताओं का हाथ रहा है । दंगों के ठीक बाद, जब कभी हमारी सरकार ने आयोग के माध्यम से जांच करवाई है, हर बार आयोग की रिपोर्ट में किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का उल्लेख किया गया है । तथा सरकार ने दंगों अथवा साम्प्रदायिक दंगों में शामिल पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कभी भी प्रयास नहीं किया है । दूसरी ओर हर बार वोट प्राप्त करने की खातिर, उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया है, उन्हें पुरस्कृत किया गया है और इसीलिए दंगे दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, गत छः वर्ष पहले तक, हर छः महीने में, हर तीन महीने में, हैदराबाद शहर में साम्प्रदायिक दंगे हुआ करते थे । लेकिन वर्ष 1983 में तेलगु देशम पार्टी के सत्ता में आने के बाद, स्थानीय सरकार अपनी सख्त कार्यवाही के कारण, अपने सही प्रशासनिक ढांचे की वजह से हैदराबाद शहर में साम्प्रदायिक दंगों को नियन्त्रित कर पाई है । हैदराबाद शहर में साम्प्रदायिक दंगों में कमी आई है जबकि उत्तर प्रदेश में अथवा गुजरात में अथवा बिहार में अथवा दिल्ली में इनमें कमी नहीं आई है । बल्कि वे दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । अतः मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि आप लोगों में सौहार्द और सद्भावना बनाए रखें और आम लोगों को शिक्षित करें और एक अच्छे राजनीतिक ढांचे की तथा एक अच्छे प्रशासनिक ढांचे की स्थापना करें जोकि धर्मनिरपेक्षता के लिए कार्य करेंगे और इस बीमारी को हमारे देश से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब भी हमारे देश के किसी भी कोने में जातीय दंगे हुए हैं, इस सदन में बहुत चिन्ता के साथ, गम्भीरता से उनके ऊपर हमेशा ही चर्चा हुई और जब भी चर्चा हुई, तब हर सम्माननीय सदस्य का यही विचार रहा है कि यह आखिरी बार है । जो हो गया, सो हो गया और अब हम लोगों को यह पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के जातीय दंगे हमारे देश में न होने पाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि जातीय दंगे का जो सवाल है, वह क्यों होता है । जब तक हमारा आपस का प्रेम, पूरे भारतवासियों का आपस का प्रेम, जो हम कहते हैं हमारा भारत देश, हमारी भारत माता के इस आंगन में हर तरह के फूल

खिलें और फलें, उनको पूरी स्वतंत्रता हो, हर पौधे को पूरी स्वतंत्रता हो, जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक उनके आपस में मन नहीं मिलेंगे, तब तक इन दंगों का कारगर उपाय हो नहीं सकता है। आवश्यकता है हमारे देश में हर सम्प्रदाय में, हर जाति के लोगों में, हर समुदाय के लोगों में भ्रातृत्व भाव हो और उनमें सगे भाइयों जैसा प्यार हो, यह भाव उभरे, तभी यह जो विनाशलीला देखने को मिलती है, जो क्रन्दन, रुदन हमको सुनने को मिलता है, वह बन्द हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए है, भारत के विभाजन के घाव आज भी हरे हैं। वे अच्छी तरह से, पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। भारत के विभाजन के बाद जो दुर्दशा हुई, उससे भी हमने बहुत कुछ सीख लिया है। यह मैं मानता हूं कि हर कोने में, जहां भी मौका मिले, फिरकापरस्ती ताकतें, जो निरपराध लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको बहकाने का कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ती हैं। कुछ दिन पहले की मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा—दिल्ली में बोट क्लब के मैदान में बाबरी मस्जिद की एक रैली हुई, उस समय उनके नेताओं के जो भाषण अखबारों में आए हैं, उन्हें देखा जाए, आज के एक सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य की गर्दन शर्म से झुक जाती है। ये चीजें नहीं होनी चाहिएं और उनके ऊपर बंदिश लगानी चाहिएं। क्या ये भाषण हैं कि संविधान को जलाकर फेंक दिया जाएगा ? क्या स्वतंत्र भारत में इस तरह की बातें होनी चाहिएं ? उपाध्यक्ष महोदय ये बहुत गलत बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी एक नया बवाल उठा राम जन्म भूमि को लेकर। प्रश्न यह उठा है कि यह राम जन्म भूमि है या बाबरी मस्जिद है और उस तनाव को देश के हर गांव में फैलाने का कुटिल प्रयास किया जा रहा है। उससे जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अयोध्या का मामला है, उसको तूल देने की क्या आवश्यकता थी, कौन-सा आसमान टूट पड़ा ? वहां पर भगवान की मूर्ति है, बड़े प्यार और बहुत भावना के साथ वहां पूजा होती थी। कोर्ट में केस गया, ताला खुला, ताला खुलने के बाद हजारों श्रद्धालु वहां पूजा करने जाते हैं। क्या कारण है, वहां बवाल मचाने का? अयोध्या में रहने वाले हिन्दू और मुसलमान यदि भाई की तरह रहते हैं, उनके मन में किसी तरह का दुराभाव नहीं है, तो इसमें बवाल मचाने का क्या कारण है ? यह नहीं होना चाहिए, देश के लिए बहुत घातक है। मैं अपने सम्मानीय नेताओं से, देश के और हर कम्युनिटी के नेताओं से अपील करता हूं, कृपया गलत काम मत कीजिए। आप जाकर अयोध्या में और देखिए। इतिहास बहुत पुराना है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। परन्तु आज की परिस्थिति में वहां देखिए, हजारों लोग जा रहे हैं, पूजा हो रही है और वहां पर सब कुछ हो रहा है। आप पूजा बन्द कराकर राम-जन्म भूमि को तहस-नहस करना चाहते हैं ? यह असंभव है, प्रलय हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर हाथ नहीं लगाया जा सकता। (व्यवधान)

जो असंभव चीज है, सूर्य के समान सही है, वह मैं बोल रहा हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : आपकी पार्टी का स्टैंड अलग है, आप कौमुनल प्रचार कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : कौमुनल प्रचार करने की बात नहीं है, मैं मुंह देखी बात करने

के पक्ष में नहीं हूं। जो सही बात है वह कह रहा हूं। मैंने स्वयं जाकर देखा है और मैं कहता हूं कि आप वहां गए ही नहीं हैं। आप आयोध्या जाते तो क्या आप कहते कि उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर सकते हैं ? आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात नहीं, वह मस्जिद है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जोर से बोलकर आप मुझे दबा नहीं सकते। जो चीज सही है, आपको माननी होगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री शाहबुद्दीन यह क्या है ?

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके इसके बाद आपको बुलाऊंगा। आप इनके बाद, बोलिएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे भाषण में इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भाषण चालू है, जब इनकी टर्न आए तब ये बोलें।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : वह साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह संसद है, यह सार्वजनिक मंच नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उन्होंने सभा में गलत आरोप लगाया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : यह कोई गलत चीज नहीं है (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आए तो आप इसका खण्डन कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इस पार्लियामेंट में, इस सम्मानीय सदन में मैं सम्मानित सदस्य की हैसियत से अधिकार रखता हूं औ मेरे बोलने के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, ये ही लोग थे, जिन्होंने वोट क्लब पर कहा था कि संविधान को जला डालो।

क्या जमाना आया है? जहां प्रेम की बातें होनी चाहिएं, वहां पर इस तरह की गलत बातें ये लोग करते हैं। आज यह परिभाषा बन गई है इस देश में। **(व्यवधान)**

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, यह बताइए। गलत मत बोलिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं राष्ट्रभक्त भारतीय के नाते बोल रहा हूं और यहां पर पार्टी लाइन पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं हिन्दू, मुस्लिम किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं इस सम्मानीय सदन में बोल रहा हूं।

क्या परिस्थिति बन गई है, क्या नकलीपन आ गया है? शाही इमाम के साथ यदि बनवारी लाल पुरोहित जाता है तो यह सैकुलरिज्म है और हिन्दू के धर्मगुरु जगतगुरु शंकराचार्य के साथ जाता है तो कौमुनल है, यह परिभाषा इन लोगों की है। यह परिभाषा खत्म होनी चाहिए। सचाई के धरातल पर हमको आना होगा। **(व्यवधान)**

मैं सम्मानित सदस्य से हाथ जोड़कर बोल रहा हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मस्जिद में मूर्ति रहे, यह कैसे हो सकता है?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैंने स्पष्ट बात कही है। जब पाकिस्तान बना, देश का बंटवारा हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : पाकिस्तान बनने का बदला ले रहे हैं क्या? क्या हर मस्जिद को मंदिर बना देंगे?

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मेरी बात तो सुनिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपकी बात सुनने के लायक नहीं है, आप बैठ जाएं। आप गलत बोल रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : ये अनपार्लियामेंटरी बोल रहे हैं।

जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना इस्लामिक गणतंत्र। जब पाकिस्तान बना, तो क्या आप भूल सकते हैं कि वहां पर हजारों मंदिर रह गए थे, उनको तोड़ दिया गया और जो बचे हैं, वहां से मूर्तियां हटा दी गई हैं, खाली वहां पर तस्वीर है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : क्या बंटवारे के लिए वही उत्तर है?

[हिन्दी]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : क्या बदला लेने की भावना है? **(व्यवधान)***

*. कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वह कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आए तभी आप बोलिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इनको आर्डर में कीजिए तब बोलूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। जब हमारे सदस्य स्वयं को यहां नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तब बाहर की स्थिति की तो बात ही छोड़िए ? मेरी समझ में नहीं आता है। यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि सदस्य एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और यहां पर काफी व्यवधान हुए हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बहुत ही धीरज रखिए।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या यह सरकार का सरकारी मत है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : वह अपना व्यक्तिगत मत दे रहे है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। यह क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात जारी रखने दीजिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : वह सरकार की बदनामी कर रहा है, प्रधानमंत्री की बदनामी कर रहा है, वह धर्मनिर्पेक्षता की बदनामी कर रहा है···

श्री बनवारी लाल पुरोहित : बिल्कुल नहीं। मेरे विचार बहुत ही स्पष्ट हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दे रहा हूं। आप भी इसका खण्डन कर सकते हैं। वह अपनी बात कह रहा है। यदि उसमें कोई बात असंसदीय है अथवा ऐसी कोई चीज है, तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है। कृपया जब एक सदस्य बोल रहा है तो उसमें व्यवधान न डालिए। जो कुछ वह कहता है आप उससे भले ही सहमत न हों··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन यदि हर कोई इस तरह बोलने लग जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां पर किसलिए हूं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर आपत्ति अथवा इसका खण्डन कर सकते हैं।

इतना गुस्से और क्रोधोन्मत्त न होइये।

मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि जब वे अपने मुद्दे रख रहे हों तो उन्हें क्रोधोन्मत्त नहीं होना चाहिए।

श्री बनवारी लाल पुरोहित।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हजारों मन्दिर टूट गये लेकिन एक भगवान राम का जो मंदिर है और जहां भगवान राम का जन्म हुआ··· (व्यवधान)

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपके पास इसका क्या सबूत है। आप गलत बोल रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आप वहां जाकर देखें। वहां पूजा हो रही है। (व्यवधान) वहां 50 बरस से पूजा हो रही है। आप वहां जाकर देख सकते हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : वहां 50 सालों से मस्जिद थी··· (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : जो झगड़े की जड़ है और जो जमीन तनाव पैदा करती है।··

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : आप जैसे लोग करते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आप ऐसी उल्टी-सीधी बात मत करें। जो सही बात है वह मैं अवश्य बोलूंगा। आप मुझे ऐसा बोलने से रोक नहीं सकते हैं। आपका जब बोलने का मौका आयेगा तो बोलना। सदन को डिस्टर्ब करना आपका काम नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे झगड़े हैं और अभी जो बवाल राम जन्म भूमि को लेकर किया उसके बारे में मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यहां भगवान राम का जन्म हुआ था और यह 80 प्रतिशत हिन्दुओं का श्रद्धा स्थान है। अतः उस झगड़े को तूल देने की जरूरत नहीं है। यह मेरा अपने सम्माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है। (व्यवधान)

छोटे-छोटे गांवों में मन्दिरों और मस्जिदों में एक लाउडस्पीकर की चीज देखने में अक्सर आई है। लाउडस्पीकर का कम्पीटिशन अक्सर देखने में आया है। यदि एक मस्जिद में लाउडस्पीकर लगता है तो पास में जहां कहीं मन्दिर होता है वहां और भी जोर से लाउडस्पीकर चिल्लाने लगता है। यहां पहले इस बारे में जो डिसकशन हुआ था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि जो जुलूस निकलते हैं उनको परमिशन नहीं देनी चाहिये और इसके साथ ही मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के अन्दर से लाउडस्पीकर हटा देना चाहिये। यदि पूजा ही करनी है मन्दिर में करनी है या श्रद्धा के किसी स्थल में करनी है तो अपनी आवाज लाउडस्पीकर के माध्यम से सबको नहीं सुनानी चाहिये। मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में तो एकाग्रचित होकर ही पूजा होनी चाहिये। दूसरा झगड़े का कारण बड़े-बड़े जुलूस हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जुलूस में जब तक सब कम्युनिटीज का साथ नहीं होगा तब तक भाईचारे की भावना नहीं आयेगी और तब कभी भी दंगे का अंदेशा रहेगा इसलिए सरकार का कायदा बनाना चाहिए कि जो जुलूस निकले उसमें दूसरी कम्युनिटी के 5 या 10 परसेण्ट लोग शामिल हों जिससे भाईचारा बने और दंगा होने की गुंजाइश खत्म हो जाय। झगड़े की सबसे बड़ी जड़ पूजा के स्थान हैं। गांवों में आजकल क्या करते हैं कि एक मन्दिर बना तो उसके सामने एक मस्जिद बनाना जरूरी है, उसके लिए एक एप्लीकेशन आयेगी, नहीं तो एन्क्रोचमेंट होगा। आज हजारों ऐसे मन्दिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं जिनकी साफ सफाई, पुताई और प्रबन्ध नहीं हो पाता है फिर भी नये मन्दिर, नई मजिस्द, नये चर्च, नये गुरुद्वारे बनाने की होड़ लगी हुई है। सरकार को नये पूजा स्थल बनाने पर कायदा बनाकर टोटल बैन लगा देना चाहिए और कहीं लाजिमी हो तो उस राज्य के मुख्य मंत्री को ही अधिकार होना चाहिए कि वह बनाने का अधिकार दे तभी पूजा का स्थान बन सकता है इससे मनमाने ढंग से पूजा के स्थानों को अपवित्र होने से भी रोका जा सकता है। अब जो बम्बई में दंगे हुए, उसका क्या कारण है, इनके नये-नये नेता पैदा हो रहे हैं हाजी मस्तान, हाजी मस्तान को ये लोग नेता मानने लगे हैं···

श्री सैयद शाहबुद्दीन : कौन मान रहा है ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : जनता दल वालों के लिए कह रहे हैं, जनता पार्टी वालों के लिए नहीं कह रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आप लोगों की उदासीनता की वजह से ही तो ऐसे लोग नेता बनते हैं और लोग उनके पीछे जाते हैं। हाजी मस्तान ने अपना दल बना लिया है और दल बनाकर फिर रहा है। यह बहुत ही खतरनाक और डेंजरस चीज हमारे सामने है, इसकी रुकावट होनी चाहिए।

तीसरे, जो फाइनेंस आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है। मैं नहीं कहता लेकिन मान लो विश्व हिन्दू परिषद् के पास आता है या किसी दूसरी कम्युनिटी के पास आता है परन्तु फोरेन कण्ट्रीज से जो फाइनेंस आ रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी हमको है और उस फाइनेंस का मिसयूज होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम से विदेशों से जो मदद आती है, उस मदद का उपयोग कम्युनल टेंन्शन बढ़ाने में आता है, जातिवादी दंगे बढ़ाने में होता है, उसकी पूरी-पूरी जांच करने की आवश्यकता है और खबरदारी रखने की आवश्यकता है कि फॉरेन का एक भी गलत पैसा हमारे देश में नहीं आ सके। आज सबसे बड़ा टेंन्शन पाकिस्तान के बोर्डर पर है, एक बार नहीं, यह कई बार पूर्व हो चुका है कि कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए गड़बड़ करना चाहती हैं, वह कुछ नहीं कर सके तो यह करती हैं कि जातीय दंगे आपस में किस तरह से कराये जायें और उनको इसके लिए आर्म्स, एम्युनेशंस, पैसा और विदेशों में ट्रेनिंग तक दी जाती है। वह विदेशी ताकतें कौन सी हैं, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा जो हमारे यहां जातीय दंगे फैलाना चाहती हैं और यह पैसा कहां से आता है। कौन से बोर्डर से आता है फिर भी उस बोर्डर को सील क्यों नहीं किया जा सकता, यह सरकार के सामने प्रश्न है, निश्चित ही हम इसका जवाब चाहेंगे।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम शिक्षा की नीति की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से हमारे देश को प्रगति करनी चाहिए, जब हमको यह चीज कही गई है तो सभी धर्मों को बराबर होना चाहिए, चाहे हिन्दू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी धर्म हमारी इस धरती पर फूलें। एक धर्म दूसरे धर्म का आदर करे, धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ होता है फिर यह अलग-अलग धर्म के लिए अलग-अलग कायदे क्यों, यह गम्भीर प्रश्न हमारे सामने आता है। हम सभी देश की स्वतन्त्रता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, चाहे हिन्दू हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, सिख हों, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। हर एक की मर्जी के लिए अलग-अलग कानून यदि अलग-अलग कानून बनायेंगे, हर धर्म के लिए अलग-अलग कानून बनायेंगे, तो धर्म-निरपेक्षता की बात खोखली सिद्ध होने वाली है। समय आ गया है, इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। इस माननीय सदन के सामने मैं यही कहना चाहता हूं और सरकार को भी इस दिशा में अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हर धर्म को समानता का भाव लगे कि हर धर्म को समान हक मिले हुए हैं। यह बात भी सही है, छोटे भाई और बड़े भाई के सम्मान के बारे में, माइनोरिटी के बारे में कहा गया है। निश्चय ही सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि माइनोरिटी की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए। उनके हर पूजा स्थल की रक्षा करनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर ही नहीं है, बल्कि जो मैजोरिटी कम्यूनिटी है, उसकी भी जरूर जिम्मेदारी है। मैजोरिटी काम्यूनिटी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हमारे माइनोरिटी के भाई उनको किसी तरह से परेशानी न हो, उनको किसी भी तरह से तकलीफ न हो, यह जवाबदेही सरकार

की है और हर नागरिक की भी है। परन्तु साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े भाई की जिम्मेवारी ही नहीं होती छोटे भाई की भी यह जिम्मेदारी होती है कि बड़े भाई को दुःख न हो, उसका भी उतना ही सम्मान करे जितना छोटा भाई प्यार करे। बड़े भाई को सम्मान हासिल करने का अधिकार है। यही तो भारत की संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति जो विरासत में मिली है। मैंने पहले ही कहा यह भावना का सवाल है। जातीय दंगे होने से आपस में वैमनस्य होता है। यह वैमनस्य तभी खत्म हो सकता है जब हम प्यार से मिले और भावना से मिले। उसके लिए उग्रता धारण न करे। मैं पुनः उन माननीय सदस्यों से, जो मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं, विनती करता हूं कि मेरी यह इन्टैन्शन नहीं है। मैं यह कहता हूं यह झगड़ा मंदिर और मस्जिद का है और पूरे देश के, राष्ट्र के हित का सवाल है। आप थोड़ा समझदारी से काम लें। मेरी आप से यही विनती है, और कुछ नहीं। आप इसको गलत अर्थ में न लें। एक-दो मुद्दे हैं, मन्दिर-मस्जिद का सवाल है। मस्जिद तो हजारों हैं, वहां पर पूजा करिए और उनको ठीक करिए। एक मन्दिर के ऊपर पूरे राष्ट्र का झगड़ा है। उसके लिए खून बहाने के लिए हर तरह से तैयार हैं। यह बराबर नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तमाम राष्ट्र हित में ठीक नहीं है। मेरी आपसे यही निवेदन है कि यह जो झगड़ा है, इसको समाप्त किया जाए। जिस हालत में वहां पूजा हो रही है, उसको करने दिया जाए। यदि वहां के लोगों को ऐसा है तो मेरी एक प्रपोजल है कि सरकार अपने खजाने से एक करोड़ रुपया दे और सरकार अपनी जमीन दो-तीन एकड़ जमीन, जितनी चाहिए। जहां राम की पूजा हो रही है, उससे तीन किलोमीटर दूर एक भव्य सुन्दर मस्जिद बनाइए। उससे हमारा कोई आब्जेक्शन नहीं है। (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : तीन किलोमीटर दूर मंदिर भी बन सकता है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आप देखकर आए हैं, वहां पूजा हो रही है। आप देखकर न आए होते तो बात दूसरी थी। आप देखकर आए हैं। मेरा सरकार से स्पष्ट मत है कि सरकार अपने खजाने से, इस पार्लियामेंट से पास करके एक करोड़ रुपया दे और वहां नई मस्जिद बने, अद्भुत मस्जिद बने, शिल्प का एक नमूना हो और वहां भी शान्ति के साथ पूजा हो सरकार की तरफ से जमीन दें और उसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। मेरी विनती है आप इसको स्वीकार करिए और जो सुझाव मैंने दिया है, उस पर ध्यान दें सरकार। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवधान न डालिए। मैंने श्री बनातवाला को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं देश के कई हिस्सों में फैली सांप्रदायिक हिंसा संबंधी चर्चा पर बड़े दुःखी मन से भाग ले रहा हूं। मैं इस चालू सत्र में इस विषय पर चर्चा कराये जाने के लिए बार-बार कहता रहा हूं। मैंने गृह मन्त्री श्री बूटासिंह को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंसा के बढ़ने के बाद ही इस पर चर्चा कर सके हैं।

हाल ही में उत्तर प्रदेश में मथुरा, अलीगढ़, कानपुर के निकट काल्पी में, बिहार के हजारी बाग, मध्य प्रदेश के बरहनपुर और भोपाल, राजस्थान में मकराना और बिगोद, महाराष्ट्र के धूलिया तथा अन्य कई स्थानों पर भी हिंसा फैली है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि ये सब दंगे दूर-दराज तक साम्प्रदायिक शांति को भंग करने के षडयन्त्र हैं। 'धर्मयुद्ध' की भी घोषणा की जा चुकी है। उनका उद्देश्य है बाबरी मस्जिद को नष्ट करने और नवम्बर 1989 में मन्दिर का निर्माण करने की तैयारी करके मुस्लिमों को भयभीत करना और इसका प्रदर्शन भी किया गया था।

इस समय जो घटना हुई है, उससे यह बात बिलकुल स्पष्ट है। उदाहरण के लिए फैजाबाद को लीजिए। वहां सांप्रदायिक बलों ने युद्ध महायुद्ध की घोषणा की है और उन्होंने फैजाबाद में 5 मस्जिदों पर ताला डालने का साहस भी किया। दिनांक 25-26 मार्च, 1989 की रात को, हिन्दू शिव सेना ने मस्जिद ततशाह पर ताला लगा दिया। मदीना मस्जिद, जिन्नातोव वाली मस्जिद, मस्जिद कंघी गली, मस्जिद क्वसाबपुरा पर भी ताले लगाए गए। नागपुर से निर्वाचित माननीय सदस्य, जो अभी-अभी बोल रहे थे, ने इस सारी स्थिति को अनदेखा करने की कोशिश की है। मस्जिदों पर ताले डाले गए थे और फिर वहां पोस्टर लगाए गए। उन पोस्टरों पर जो कुछ लिखा हुआ था, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

[हिन्दी]

> "औरंगजेबी मुसलमानों के खूनी पंजों में जकड़ी मां का करुण रुदन बलिदान चाहता है। धर्मस्थलों को मुक्त कराने के लिए अब युद्ध, महायुद्ध होगा। जिम्मेवार होगी भारत सरकार, जो भारत और भरत को मुसलमानों के हाथ बेच देना चाहती है। जय हिंद, जय हिंदू।—हिन्दू सेना।"

[अनुवाद]

जब ये पोस्टर छापे जा रहे थे, जब उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद में पांच मस्जिदों पर ताले डाले गए थे, उस समय खुफिया विभाग क्या कर रहा था ? अतः मैं कहता हूं कि यह स्थिति गंभीर है और शरारती-तत्त्वों के विरुद्ध शायद ही कहीं प्रभावी कार्यवाही की गई है। इससे सांप्रदायिक तत्त्वों को प्रोत्साहन मिला है। बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे बलों द्वारा उत्पन्न तनाव की ओर प्रशासन की उपेक्षा एक अपराध है और यह अक्षम्य है।

मथुरा की स्थिति को लीजिए। हमने हाल ही में उस स्थान का भी दौरा किया था और हमारा यह विचार है कि मथुरा में हुए दंगे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की योजना और पुलिस तथा प्रशासन द्वारा अपना कर्त्तव्य न निभाए जाने के ही परिणामस्वरूप हुए थे।

हाल ही में कुम्भ मेले में खुलेआम उत्तेजना व्यक्त की गई और खुलेआम यह घोषणा की गई थी कि मथुरा में तथाकथित शाही ईदगाह को हटाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे क्योंकि यह कृष्ण जन्मभूमि है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा में वातावरण खराब किया। वहां उत्तेजना भरे नारे लगाए गए। मैं उन नारों को दोहराऊंगा और मथुरा की दीवारों पर इन नारों के पोस्टर लगाए गए थे—

[हिन्दी]

> "राम जन्मभूमि हमारी है, अब मथुरा की बारी है।"

[अनुवाद]

हर जगह दीवारों पर नारों के पोस्टर लगे थे। वह नारा था :

[हिन्दी]

"हिन्दू राष्ट्र बनकर रहेगा, हिंदुओं के लिए है हिंदुस्तान।"

[अनुवाद]

ये सब कुछ चल रहा था और हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस और हमारी सरकार चुप्पी साधे रही।

एक कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति सेना का गठन किया गया। दिनांक एक मार्च, 1989 को मथुरा में हिन्दुओं और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल ने जिला न्यायाधीश से भेंट की और उनका ध्यान इन सब बातों की ओर दिलाया। हिन्दुओं और मुसलमानों के इस संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने जिला न्यायाधीश को याचिका दी। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही अथवा उपचारात्मक उपाय नहीं किया गया।

महाराष्ट्र के बाद श्री बाल ठाकरे ने मथुरा को अपना लक्ष्य बनाने की कोशिश की। उन्हें मथुरा जाना था और ईदगाह को खाली कराने की तैयारियां शुरू हो गईं। इस पूरे समय के दौरान जब मथुरा में यह सब चल रहा था, पुलिस और प्रशासन उपेक्षा बरतता रहा। कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए और इसी के परिणामस्वरूप 16 से 18 अप्रैल तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने वहां खूब हिंसा फैलाई।

एक दुकान में, जो कि जामा मस्जिद की सम्पत्ति थी, एक मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया गया। जिन माननीय सदस्य ने अभी-अभी भाषण दिया, उन्हें इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मथुरा में इसका परिणाम यह हुआ कि करीब 26 दुकानों को लूटा गया और जलाया गया, 7 मस्जिदों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया और पवित्र कुरान की प्रतियां जलाई गईं, दो मस्जिदों के इमाम गंभीर रूप से घायल किये गये, उनमें से एक को गोली मारी गई।

यह आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस कुछ स्थानों पर 4 से 7 घंटे तक देर से पहुंची। इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस द्वारा शीघ्र ही कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई, यदि मथुरा में 16 अप्रैल को भड़की हिंसा के बाद भी पुलिस बंदोबस्त को प्रभावी बनाया जाता तो संभवतः अगले दिन जो हिंसा भड़की, जिसमें बहुत अधिक नुकसान हुआ, उससे बचा जा सकता था।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अधिकतर हर जगह हिंसा का तरीका एक-सा अपनाया गया चाहे वह स्थान उत्तर प्रदेश में काल्पी हो या मध्य प्रदेश में बरहनपुर अथवा भोपाल। हर जगह तनाव उत्पन्न किया गया, उत्तेजना फैलाई गई, राम-नवमी पर जो दंगे हुए वे पूर्व-नियोजित थे।

मैं तो कहूंगा कि हाल ही में जो सांस्कृतिक हिंसा फैली, वह हेडगेवार शताब्दी समारोह के कारण थी। पुलिस द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही न कर पाने तथा हिंसा को अनदेखा करने के कारण हिंसा और फैली। मैं तो कहूंगा कि राम जन्म भूमि के अवसर पर फैली इस हिंसा का कारण पूरे देश में मनाए जा रहे डा० हेडगेवार शताब्दी समारोह थे। मैं तो कहूंगा कि पूरे देश में मनाए जा रहे इन समारोहों के दौरान कई बैठकों का आयोजन किया गया। उन बैठकों में क्या हो रहा था? मैं बम्बई के बारे में हुई बैठक के बारे में 17 अप्रैल 1989 के इंडियन एक्सप्रेस से उद्धृत करता हूं। मैं रिपोर्ट उद्धृत कर रहा हूं—

> "तीन घंटे की कार्यवाही में पूरे समय उनकी चर्चा का विषय रहा हिन्दू समाज को सुदृढ़ करने और इस भूमि की पहचान हिन्दू राष्ट्र के रूप में बनाने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भूमिका।"

अतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा हिंदू राष्ट्र के लिए आह्वान जो 2-3 वर्षों पूर्व वीराने में दिया जाने वाला आह्वान-सा लगता था अब उसने एक नई युयुत्सा और युद्धसंलग्नता प्राप्त कर ली है। यह अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध जोर-शोर से द्वेषभाव से किए जा रहे प्रचार का परिणाम है दुर्भाग्यवश सरकार ने भी निराशा की स्थिति अपना ली है और कोई कार्यवाई नहीं की जाती।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्थिति देखिए वहां कई दंगे हुए हैं। हाल ही में मकराना में हिंसक वारदातें हुई हैं। मकराना में काफी द्वेषपूर्ण प्रचार किया गया। वहां एक भी ऐसी दीवार नहीं बची जिस पर भड़काने वाले नारे न लिखे गए हों। वहां हिंसा 23 मार्च को भड़की। लेकिन उसकी शुरूआत फरवरी में हुई। एक हिंदी पत्रिका है 'जियोसोहरा'। इस पत्रिका में फरवरी में सलमान रश्दी के हक में अति निंदनीय भाषा में भड़काने वाला एक लेख प्रकाशित हुआ। उसके विरुद्ध एक आंदोलन हुआ। पुलिस ने इसके सम्पादक को गिरफ्तार कर लिया और तीन दिन बाद उसे रिहा कर दिया और वह सम्पादक श्री बनवारी लाल पुरोहित के साथ पदयात्रा पर निकल पड़े। सम्पादक की बाजू, जिस पर पट्टी बंधी थी, का प्रदर्शन सब जगह किया गया और भड़काने वाले भाषण दिए गए। बदमाशों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध लोगों को भड़काया पर प्रशासन हमेशा की तरह गहरी नींद में सोता रहा। नतीजा क्या हुआ, हिंसा में करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गई। आज, वहां इस कदर नुकसान हुआ है कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मैं किस-किस जगह का हवाला दूं, खाली यह बताने के लिए कि जो ढंग अपनाया जा रहा था, उसने एकरूपता नहीं है? राजस्थान में एक और स्थान है बीगोड़। बीगोड़ में जब मस्जिद को अपवित्र किया जा रहा था तो, पुलिस मूकदर्शक बनी बैठी रही। फिर मुसलमानों पर इलजाम लगाए गए और फिर धड़ाधड़ गिरफ्ता- रियां हुई। यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उनका अपमान किया गया और पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह सरासर गलत है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह सच है यह तथ्य हैं जो वहां घटित हुए हैं। आप इससे आंख नहीं मूंद सकते। जब तक पुलिस और प्रशासन अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और निष्पक्ष रूप से निर्वहन नहीं करती तब तक वहां शान्ति कायम करना बहुत कठिन है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं श्री डी० आर० गोयल के कुछ शब्दों को यहां उद्धृत करना चाहता हूं :

> "यह बेझिझक कहा जा सकता है कि बड़ी हिंसक वारदातें तभी घटित होती हैं जबकि प्रशासन और साम्प्रदायिक गुट एक ही विचारधारा को मानने वाले हों।"

इन शब्दों के दोहराए जाने की आवश्यकता है, मैं फिर से दोहराता हूं :

कि "यह बेझिझक कहा जा सकता है कि बड़ी हिंसक वारदातें तभी घटित होती हैं जबकि प्रशासन और साम्प्रदायिक गुट एक ही विचारधारा को मानने वाले हों।"

कई न्यायिक रिपोर्टों, अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट, सभी ने इस तथ्य को उभारा है कि उनकी विचारधारा समान है। प्रशासन तथा सांप्रदायिक तत्वों के बीच समान विचारधारा को उजागर करने वाले अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं।

6.00 म० प०

महोदय, उदाहरण के लिए हजारीबाग में हमने इसी विचारधारा को देखा। पूर्व-सुनियोजित ढंग से फैली हिंसा की जानकारी प्रशासन को थी और पुलिस इसे अनदेखा करती रही।

हिंसा से बहुत पहले हजारीबाग की करीब हर दीवार पर यह नारा लगा था :

[हिंदी]

"हिन्दू जागा तो देश जागेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा अब बुधवार, 3 मई, 1989 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार 3 मई, 1989/13 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस० 48/49/40/89 (एन०)

185

© 1989 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)

के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक,

ए०जे० प्रिंटर्स, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।